राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
*Published by Authority*

भाद्र 20, शुक्रवार, शाके 1931–सितम्बर 11, 2009
*Bhadra 20, Friday, Saka 1931–September 11, 2009*

भाग 4 (क)

**राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।**

**विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग**

**(ग्रुप–2)**

**अधिसूचना**

**जयपुर, सितम्बर 11, 2009**

**संख्या प. 2(21) विधि/2/2009.**–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 सितम्बर, 2009 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता हैः–

## राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009
## (2009 का अधिनियम संख्यांक 18)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 सितम्बर, 2009 को प्राप्त हुई]

राजस्थान राज्य में नगरपालिकाओं से संबंधित विधियों को समेकित करने और संशोधित करने तथा उनसे संसक्त और आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान–मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः–

### अध्याय

### प्रारम्भिक

**1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.–** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 है।

(2) इसका प्रसार छावनी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

**2. परिभाषाएं.**–इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(i) ''संपरीक्षक'' से राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 28) में परिभाषित संपरीक्षक अभिप्रेत है;

(ii) ''पिछड़े वर्ग'' से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न, नागरिकों के ऐसे पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किये जायें;

(iii) ''तुलनपत्र'' से धारा 92 के अधीन तैयार किया गया तुलनपत्र अभिप्रेत है;

(iv) ''जीव–चिकित्सा अपशिष्ट'' से कोई ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है जो मानवों या पशुओं के निदान, उपचार या प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उनसे संबंधित किन्हीं अनुसंधान क्रियाकलापों या जैव पदार्थों के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न हुआ है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:–

(क) मानव शारीरिक अपशिष्ट;

(ख) पशु अपशिष्ट;

(ग) सूक्ष्म जीव विज्ञान और जीव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट;

(घ) अपशिष्ट तीक्ष्णाग्र;

(ङ) फेंकी गयी औषधें और कोशिका आविष ओषधियां;

(च) ठोस अपशिष्ट;

(छ) द्रव अपशिष्ट;

(ज) भस्मन राख;

(झ) रासायनिक अपशिष्ट;

(v) ''पुल'' में पुलिया सम्मिलित है;

(vi) ''बजट प्राक्कलन'' से धारा 87 के अधीन तैयार किया गया बजट प्राक्कलन अभिप्रेत है;

(vii) ''बजट अनुदान'' से किसी बजट प्राक्कलन के व्यय पक्ष में किसी वृहत् शीर्ष के अधीन प्रविष्ट और नगरपालिका द्वारा अंगीकृत कुल राशि अभिप्रेत है और उसमें इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों और उप–विधियों के उपबंधों के अनुसार अन्य शीर्षों से या में अन्तरण द्वारा ऐसे बजट अनुदान में की गयी बढ़ोतरी या कटौती की राशि भी सम्मिलित है;

(viii) ''भवन–निर्माता'' या ''विकासकर्ता'' से ऐसा कोई अभिकरण या व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी स्वयं की भूमि पर या किसी करार के अधीन किसी अन्य की भूमि पर कोई काम्प्लेक्स संनिर्मित किया है;

(ix) ''भवन'' से किसी भी प्रयोजन के लिए और किसी भी सामग्री से संनिर्मित कोई संरचना अभिप्रेत है और इसमें नींव, प्लिन्थ, दीवारें, फर्श, छतें, चिमनियां, स्थिर चबूतरे, बरामदे, बालकॉनियां, कार्निसें या बहिर्गत भाग या किसी भवन का कोई भाग या उससे संसक्त कोई वस्तु या किसी भूमि की बाड़बंदी करती हुई या बाड़बंदी करने के लिए आशयित कोई भी दीवार (तीन मीटर से कम ऊंचाई की सीमा दीवार को छोड़कर), चिह्न या बाह्य अभिदर्शक संरचना सम्मिलित है किन्तु इसमें कोई तम्बू, शामियाना या तिरपाल–आश्रय सम्मिलित नहीं है;

(x) ''भवन–स्थल'' से भवन निर्माण के प्रयोजन के लिए धारित भूमि का कोई भाग अभिप्रेत है;

(xi) ''उप–विधि'' से इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी उप–विधियां अभिप्रेत है;

(xii) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है,–

(क) नगरपालिक बोर्ड के मामले में अध्यक्ष;

(ख) नगरपरिषद् के मामले में सभापति; और

(ग) नगर निगम के मामले में महापौर;

(xiii) ''मुख्य नगरपालिक अधिकारी'' से अभिप्रेत है,–

(क) नगर निगम के मामले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं आयुक्त;

(ख) नगर परिषद् के मामले में आयुक्त; और

(ग) नगरपालिक बोर्ड के मामले में कार्यपालक अधिकारी;

(xiv) ''पूर्ण दिवस'' में, जब वह इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन नोटिस की कालावधि के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाये, रविवार और अन्य अवकाश के दिवस सम्मिलित हैं किन्तु उस व्यक्ति द्वारा, जिसे नोटिस सम्बोधित किया गया है, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख अथवा नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख सम्मिलित नहीं है;

(xv) ''काम्प्लेक्स'' से वाणिज्यिक उपयोग के मामले में पच्चीस या अधिक इकाइयों, और आवासीय उपयोग के मामले में दस या अधिक इकाइयों, से मिलकर बना कोई भवन अभिप्रेत है;

(xvi) ''निगम–पार्षद'' से नगर निगम का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(xvii) ''पार्षद'' से नगर परिषद् का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(xviii) ''डेयरी'' में कोई भी ऐसा फार्म, पशुशाला, गौशाला, दुग्ध भंडार, दूध की दुकान या ऐसा अन्य स्थान सम्मिलित है–

(क) जिससे विक्रय पर या विक्रय के लिए दूध की आपूर्ति की जाती है, या

(ख) जिसमें विक्रय के प्रयोजनों के लिए दूध रखा जाता है, या जो–

(i) मक्खन, या

(ii) घी, या

(iii) पनीर, या

(iv) दही, या

(v) शुष्क, विसंक्रमित, संघनित या टोन्ड दूध,

के विक्रय के लिए विनिर्माण या तैयार करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं:–

(i) कोई दुकान या अन्य स्थान जिसमें दूध का विक्रय केवल उसके परिसर के भीतर उपभोग करने के लिए किया जाता है; या

(ii) कोई दुकान या अन्य स्थान जिसमें से दूध का वातरक्षित रूप से बंद और बिना खुले पात्रों में उसी मूल स्थिति में विक्रय या आपूर्ति की जाती है, जिसमें वह ऐसी दुकान या अन्य स्थान में प्रथम बार प्राप्त हुआ था;

(xix) ''खतरनाक रोग'' से अभिप्रेत है,–

(क) हैजा, प्लेग, चेचक, प्रमस्तिष्क सुषुम्नावरण–शोथ, डिफ्थीरिया, क्षय रोग, कुष्ठ, इंफ्लुएंजा, मस्तिष्क कला शोथ, पोलियो या उपदंश; या

(ख) कोई भी अन्य महामारी, स्थानिकमारी या संक्रामक रोग जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा खतरनाक रोग के रूप में घोषित करे;

(xx) ''पार्किंग स्थान में की न्यूनता'' से किन्हीं भी गैर–आवासीय भवनों, जिनमें काम्प्लेक्स और संस्थागत भवन, चाहे वे अप्राधिकृत रूप से या भूमि उपयोग के परिवर्तन द्वारा निर्मित हुए हों, सम्मिलित हैं, में विभिन्न प्रकार के यानों के लिए इस निमित्त बनायी गयी उप–विधियों के अधीन यथा–अपेक्षित पार्किंग स्थानों के लिए स्थान उपलब्ध करने में रखी गयी न्यूनता अभिप्रेत है;

(xxi) ''निदेशक, स्थानीय निकाय'' से राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया कोई अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन निदेशक, स्थानीय निकाय के कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत आयुक्त के रूप में, या किसी अन्य पदनाम से, पदाभिहित उसका कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है;

(xxii) ''व्ययन'' से भूजल, सतही जल और चारों ओर की वायु की गुणवत्ता का संदूषण निवारित करने के लिए विनिर्दिष्ट उपायों के अनुसार नगरपालिक ठोस अपशिष्टों का अंतिम व्ययन अभिप्रेत है;

(xxiii) ''जिला मजिस्ट्रेट'' से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 20 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(xxiv) ''नाली'' में मलनाली, पाईप, खाई, जलसरणी या कोई अन्य युक्ति जिससे मैला पानी, मल तथा दूषित जल, वर्षा जल या अधोमृदा जल का वहन हो और साथ ही उनसे अनुलग्न शौचालय पात्र, ट्रेप्स, सिंक, हौज, फ्लश टैंक तथा अन्य फिटिंग सम्मिलित हैं;

(xxv) ''कार्यपालक समिति'' से धारा 55 में निर्दिष्ट कार्यपालक समिति अभिप्रेत है;

(xxvi) ''वित्त आयोग'' से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243झ के अधीन गठित वित्त आयोग अभिप्रेत है;

(xxvii) ''वित्तीय विवरण'' से धारा 92 के अधीन तैयार किया गया वित्तीय विवरण अभिप्रेत है;

(xxviii) ''अग्निशमन दल'' से धारा 256 के अधीन नगरपालिका द्वारा स्थापित और संधारित अग्निशमन दल अभिप्रेत है;

(xxix) ''अग्निशमन संपत्ति'' में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:–

(क) दमकल केन्द्रों के रूप में प्रयुक्त भूमियां और भवन,

(ख) दमकल इंजन, उपस्कर, औजार, हाईड्रेटर, उपकरण और अग्निशमन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुएं, चाहे वे कुछ भी हों,

(ग) अग्निशमन के संबंध में प्रयुक्त मोटरयान और परिवहन के अन्य साधन,

(घ) वर्दियां और रैंक के बैज;

(xxx) ''दमकल केंद्र'' से राज्य सरकार द्वारा दमकल केन्द्र के रूप में साधारणतया या विनिर्दिष्ट रूप से घोषित की गयी कोई चौकी या स्थान अभिप्रेत है;

(xxxi) ''परिसंकटमय अपशिष्ट'' से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 29) में इस रूप में विनिर्दिष्ट अपशिष्ट के प्रवर्ग अभिप्रेत हैं;

(xxxii) ''निवासी'' से, जब वह किसी स्थानीय क्षेत्र के प्रति निर्देश से प्रयुक्त किया जाये, उस क्षेत्र में मामूली तौर से निवास करने वाला या कारबार चलाने वाला या स्थावर सम्पत्ति का स्वामित्व या अधिभोग रखने वाला कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है;

(xxxiii) ''भूमि'' में ऐसी भूमि सम्मिलित है जिस पर निर्माण किया हुआ हो या जो जलाच्छादित हो;

(xxxiv) ''नवीनतम जनगणना आंकड़े'' से वे आंकड़े अभिप्रेत हैं जो अन्तिम पूर्ववर्ती उस जनगणना में, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित कर दिये गये हैं, अभिनिश्चित किये गये हैं;

(xxxv) ''बासा'' में तीर्थ–यात्रियों और यात्रियों की वास–सुविधा के लिए उपयोग में लिए जाने वाले भवनों का कोई समूह या कोई भवन या किसी भवन का कोई भाग सम्मिलित है;

(xxxvi) ''सदस्य'' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी नगरपालिका का विधिपूर्वक सदस्य है और इसमें नगर निगम के मामले में निगम–पार्षद्, नगर परिषद् के मामले में पार्षद् और नगरपालिक बोर्ड के मामले में सदस्य सम्मिलित है;

(xxxvii) ''दूध'' में क्रीम, क्रीम युक्त दूध, क्रीम निकला दूध और संघनित, विसंक्रमित, सूखा और टोन्ड दूध सम्मिलित हैं;

(xxxviii) ''नगरपालिक लेखा निर्देशिका'' से धारा 91 के अधीन तैयार की गयी और संधारित नगरपालिक लेखा निर्देशिका अभिप्रेत है;

(xxxix) ''नगरपालिक क्षेत्र'' से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा–अधिसूचित किसी नगरपालिका का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है;

(xl) ''नगरपालिक निधि'' से धारा 79 में निर्दिष्ट नगरपालिक निधि अभिप्रेत है;

(xli) ''नगरपालिक ठोस अपशिष्ट'' में, किसी नगरपालिक क्षेत्र में औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्ट को छोड़कर, किन्तु उपचारित जीव चिकित्सा अपशिष्ट को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्ध ठोस रूप में पैदा होने वाला वाणिज्यिक और आवास सम्बन्धी अपशिष्ट सम्मिलित है;

(xlii) ''नगरपालिका'' से इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय विद्यमान या इसके उपबन्धों के अनुसार गठित कोई नगर निगम, नगर परिषद् और कोई नगरपालिक बोर्ड अभिप्रेत है;

(xliii) ''अनापत्ति प्रमाणपत्र'' से इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के हकदार प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दस्तावेज अभिप्रेत है और इसमें अनंतिम अनापत्ति प्रमाणपत्र सम्मिलित होगा;

(xliv) ''न्यूसेंस'' में, कोई भी ऐसा कार्य, लोप, स्थान या वस्तु सम्मिलित है जो दृष्टि, घ्राण या श्रवण चेतना के लिए क्षति, खतरा, क्षोभ या घृणा कारित करे या जिससे इनके कारित होने की सम्भावना हो या जो जीवन के लिए

खतरनाक या स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिए हानिकारक हो या हो सकती हो;

(xlv) ''अधिभोगी'' में ऐसा कोई व्यक्ति सम्मिलित है, जो भूमि या भवन, जिसके संबंध में इस शब्द का प्रयोग किया गया है, के स्वामी को किराया या किराये के किसी भाग का, या ऐसी भूमि या भवन के अधिभोग के पेटे नुकसानी का तत्समय संदाय कर रहा है, या संदाय करने का दायी है, और इसमें किराया मुक्त अभिधारी भी सम्मिलित है:

परन्तु अपनी स्वयं की भूमि या भवन में रहने वाला या उसका अन्यथा उपयोग करने वाला स्वामी उसका अधिभोगी समझा जायेगा।

(xlvi) ''घृणोत्पादक पदार्थ'' से अभिप्रेत है रसोई का कचरा, अस्तबल का कचरा, गोबर, गंदा, गलित या सड़ने वाला पदार्थ या किसी भी प्रकार की गंदगी, जिसे मल में सम्मिलित नहीं किया गया है;

(xlvii) ''नगरपालिका का अधिकारी'' से इस अधिनियम के द्वारा या अधीन सृजित या चालू रखे गये किसी पद को तत्समय धारण करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है किन्तु इसमें नगरपालिका या उसकी किसी समिति का कोई सदस्य, ऐसे सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं होगा;

(xlviii) ''अन्य अभिकरण'' से प्राइवेट सेक्टर में की कोई कम्पनी, फर्म, सोसाइटी, या निगमित निकाय, या कोई संस्था, या सरकारी अभिकरण या कोई संयुक्त क्षेत्र का अभिकरण या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन कोई अभिकरण अभिप्रेत है;

(xlix) ''स्वामी'' में ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जो स्वयं के मद्दे या किसी व्यक्ति या सोसाइटी या किसी धार्मिक या पूर्त प्रयोजन के लिए किसी अभिकर्ता या न्यासी के रूप में या रिसीवर के रूप में किसी भूमि या भवन का या किसी भूमि या भवन के किसी भाग का तत्समय किराया प्राप्त कर रहा है या यदि वह भूमि या भवन या उस भूमि या भवन का कोई भाग किसी अभिधारी को किराये पर दिया जाता तो वह ऐसा किराया प्राप्त करता;

(l) ''जनसंख्या'' से, जब वह किसी भी स्थानीय क्षेत्र के प्रति निर्देश से प्रयुक्त की जाये, ऐसे स्थानीय क्षेत्र की वह जनसंख्या अभिप्रेत है जो उस अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गयी है, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित कर दिये गये हैं;

(li) ''विहित'' से इस अधिनियम द्वारा या तदधीन बनाये गये नियमों, किये गये आदेशों या बनायी गयी उप–विधियों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(lii) ''सार्वजनिक स्थान'' से वह स्थान अभिप्रेत है जो निजी सम्पत्ति न हो और जो जनता के उपयोग या उपभोग के लिए खुला हो, चाहे ऐसा स्थान नगरपालिका में निहित हो या न हो;

(liii) ''लोक प्रतिभूति'' से अभिप्रेत हैं,–

(क) राजस्थान सरकार या केन्द्रीय सरकार या भारत के किसी राज्य की सरकार की प्रतिभूतियां; और

(ख) किसी भी ऐसे आदेश द्वारा, जो राज्य सरकार इस निमित्त करे, अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत कोई प्रतिभूति;

(liv) ''सार्वजनिक मार्ग'' से ऐसा मार्ग अभिप्रेत है, –

(क) जिस पर होकर जनता को आवागमन का अधिकार है; या

(ख) जिसे इससे पूर्व नगरपालिक निधि, राज्य सरकार की निधि, केन्द्रीय सरकार की निधि या अन्य सार्वजनिक निधियों से समतल करवाया गया है, पत्थर जड़वाये गये हैं, डामर बिछायी गयी है, जलसरणियां या मलनालियां बनवायी गयी हैं या मरम्मत करवायी गयी है; या

(ग) जो इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन सार्वजनिक मार्ग हो जाता है;

(lv) ''कूड़ाकरकट'' से धूल, राख, टूटी ईंटें, चूना–गारा, कांच के टुकड़े और किसी भी प्रकार का कोई कचरा, जो घृणोत्पादक पदार्थ नहीं है, अभिप्रेत है;

(lvi) ''नियम'' से इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाया गया कोई नियम अभिप्रेत है;

(lvii) ''अनुसूचित जाति'' से संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में विनिर्दिष्ट जातियों में से कोई भी जाति अभिप्रेत है;

(lviii) ''अनुसूचित जनजाति'' से संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में विनिर्दिष्ट जनजातियों में से कोई भी जनजाति अभिप्रेत है;

(lix) ''मल'' से विष्ठा और शौचालयों, मूत्रालयों, मलकूपों या नालियों की अन्य अन्तर्वस्तुएं अभिप्रेत हैं और इसमें सभी प्रकार के व्यवसायिक बहिःस्राव और विनिर्माणशालाओं से निस्सारण सम्मिलित हैं;

(lx) ''राज्य'' से राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 37) की धारा 10 द्वारा यथागठित राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;

(lxi) ''राज्य वित्त आयोग'' से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243म के साथ पठित अनुच्छेद 243झ द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल द्वारा यथागठित राजस्थान वित्त आयोग अभिप्रेत है;

(lxii) ''मार्ग'' से कोई भी ऐसी सड़क, पुल, पैदल मार्ग, गली, अहाता, चौक, वीथी या रास्ता अभिप्रेत है जो जनता की, चाहे स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, पहुंच में हो, चाहे वह आम रास्ता हो या नहीं, और इसमें सम्मिलित हैं मार्ग के दोनों ओर स्थित–

(क) नालियां या गटर और परिनिश्चित सीमा तक की भूमि, चाहे ऐसी भूमि पर किसी भी बरामदे या अन्य उपरिसंरचना का भाग आगे निकला हुआ हो;

(ख) प्रत्येक खाली जगह, चाहे वह निजी सम्पत्ति हो, या वहां जाना किसी दरवाजे, स्तम्भ, जंजीर या अन्य अवरोध द्वारा पूर्णतः या अंशतः बाधित हो, यदि वह किसी व्यक्ति द्वारा, चाहे वह उससे संलग्न किसी सम्पत्ति का अधिभोगी हो या न हो, किसी सार्वजनिक

स्थान या आम रास्ते तक जाने या वहां से आने के साधन के रूप में प्रयुक्त की जाती हो;

(lxiii) ''उप–विभाजन'' से भूमि के किसी खण्ड या टुकड़े का दो या अधिक भागों में विभाजन अभिप्रेत है;

(lxiv) ''कर'' में इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कोई पथकर, रेट, उपकर, फीस या अन्य लाग सम्मिलित है;

(lxv) ''कोई संक्रमणशील क्षेत्र'', ''कोई लघुतर नगरीय क्षेत्र'' या ''कोई बृहत्तर नगरीय क्षेत्र'' से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के अधीन विनिर्दिष्ट कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(lxvi) ''नगरीय भूमि'' से नगरीय विकास के प्रयोजन के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित या उसके व्ययन पर रखी गयी कोई भूमि अभिप्रेत है;

(lxvii) ''यान'' में साइकिल, तीन पहियों की साइकिल, स्वचालित मोटर कार तथा पहियेदार ऐसा प्रत्येक वाहन सम्मिलित है जो किसी सार्वजनिक मार्ग पर प्रयुक्त किया जाता हो या किये जाने योग्य हो;

(lxviii) ''उपाध्यक्ष'' से अभिप्रेत है,–

(क) नगरपालिक बोर्ड के मामले में उपाध्यक्ष;

(ख) नगरपरिषद् के मामले में उपसभापति; और

(ग) नगर निगम के मामले में उपमहापौर;

(lxix) ''ग्राम'' से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के खण्ड (छ) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई ग्राम अभिप्रेत है;

(lxx) ''वार्ड'' से धारा 9 के अधीन बनाया गया कोई वार्ड अभिप्रेत है;

(lxxi) ''वार्ड समिति'' से धारा 54 में निर्दिष्ट वार्ड समिति अभिप्रेत है;

(lxxii) ''अपशिष्ट प्रबंध'' में नगरपालिक ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन सम्मिलित है; और

(lxxiii) ''पूर्ण संख्या'' या ''कुल संख्या'' से, जब वह किसी नगरपालिका के सदस्यों के संदर्भ में प्रयुक्त की जाये, धारा 6 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के उप–खण्ड (ii) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों को अपवर्जित करते हुए, तत्समय पद धारण करने वाले सदस्यों की कुल संख्या अभिप्रेत है।

## अध्याय 2

## नगरपालिकाओं का गठन और शासन

**3. नगरपालिकाओं का परिसीमन**.– (1) राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किसी भी स्थानीय क्षेत्र को, जो किसी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर सम्मिलित नहीं है, नगरपालिका घोषित कर सकेगी या ऐसे किसी भी क्षेत्र को किसी नगरपालिका में सम्मिलित कर सकेगी या किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगरपालिका से अपवर्जित कर सकेगी या किसी भी नगरपालिका की सीमाओं में अन्यथा परिवर्तन कर सकेगी और जब–

(क) कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका घोषित किया जाये या उसमें सम्मिलित किया जाये, या

(ख) कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका से अपवर्जित किया जाये, या

(ग) किसी नगरपालिका की सीमाओं को, एक नगरपालिका के किसी अन्य नगरपालिका में समामेलन करके या एक नगरपालिका को दो या अधिक नगरपालिकाओं में विभाजित करके अन्यथा परिवर्तित किया जाये, या

(घ) कोई भी स्थानीय क्षेत्र कोई नगरपालिका न रहे,

तब राज्य सरकार इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा यह उपबंध कर सकेगी कि, –

(i) खंड (क) के अधीन आने वाले मामले में उस क्षेत्र या उस अतिरिक्त क्षेत्र के लिए सदस्यों का निर्वाचन नियत दिवस से छह मास की कालावधि के भीतर–भीतर कराया जायेगा;

(ii) खंड (ख) के अधीन आने वाले किसी मामले में, उन सदस्यों को, जो राज्य सरकार की राय में नगरपालिका से अपवर्जित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, हटाया जायेगा;

**(iii)** खण्ड (ग) के अधीन आने वाले किसी मामले में, ऐसी नगरपालिका की जिसमें कोई अन्य नगरपालिका समामेलित की गयी है, इस अधिनियम के अधीन अवधि समाप्त होने तक, ऐसी अन्य नगरपालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य उस नगरपालिका के, जिसमें ऐसी अन्य नगरपालिका

समामेलित की गयी है, सदस्य समझे जायेंगे और जहां कोई नगरपालिका दो या अधिक नगरपालिकाओं में विभाजित की गयी है, वहां नव–गठित नगरपालिका में सम्मिलित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ऐसी नवीन नगरपालिका के सदस्य समझे जायेंगे और ऐसी नवीन नगरपालिका, यदि इस अधिनियम के अधीन पहले विघटित नहीं कर दी जाये तो तब तक बनी रहेगी, जब तक कि मूल नगरपालिका बनी रहती।

**(iv)** खंड (घ) के अधीन आने वाले किसी मामले में, नगरपालिका को विघटित कर दिया जायेगा।

**स्पष्टीकरणः–** इस उप–धारा में ''नियत दिवस'' से वह दिवस अभिप्रेत है जिससे खंड (क) से (घ) तक में से किसी में भी निर्दिष्ट कोई परिवर्तन होता है।

(2) पहले से ही विद्यमान प्रत्येक नगरपालिका का, और इस अधिनियम के अधीन नये रूप से स्थापित प्रत्येक नगरपालिका का, और ऐसी प्रत्येक नगरपालिका का, जिसकी स्थानीय सीमाएं यथापूर्वोक्त रूप से परिवर्तित की जायें, यह कर्तव्य होगा कि वह अधिसूचना में यथावर्णित अपने प्राधिकार में की नगरपालिका की सीमाओं या परिवर्तित सीमाओं को, परिनिश्चित करते हुए ऐसे विवरण वाले तथा ऐसी स्थितियों में पर्याप्त सीमा चिह्न, जो कलक्टर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे, अपने खर्चे पर परिनिर्मित या स्थापित करवाये और तत्पश्चात् अनुरक्षित रखे।

(3) जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका न रहे, तब उसमें स्थापित नगरपालिका अस्तित्वहीन हो जायेगी और नगरपालिक निधि का अतिशेष तथा ऐसी नगरपालिका में निहित अन्य संपत्ति और अधिकार, समस्त प्रभारों और उन्हें प्रभावित करने वाले दायित्वों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे और उनके आगम, यदि कोई हों, राज्य सरकार के आदेशों के अधीन उस स्थानीय क्षेत्र के, जिसमें ऐसी नगरपालिका की अधिकारिता थी, फायदे के लिए व्यय किये जायेंगे।

(4) उप–धारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका न रहे और उसे किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में सम्मिलित कर लिया जाये तब उस नगरपालिका में निहित नगरपालिक निधि तथा अन्य सम्पत्ति और अधिकार ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो जायेंगे और उस नगरपालिका के दायित्व ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व हो जायेंगे।

(5) जब किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगरपालिक क्षेत्र से अपवर्जित कर दिया जाये और दूसरी नगरपालिका में सम्मिलित कर लिया जाये तब प्रथम वर्णित नगरपालिका में निहित नगरपालिक निधि और अन्य संपत्ति का ऐसा भाग और उसके दायित्वों का ऐसा भाग, जो राज्य सरकार दोनों नगरपालिकाओं से परामर्श के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करे, ऐसी दूसरी नगरपालिका में निहित हो जायेगा और उसका दायित्व हो जायेगाः

परन्तु इस उप–धारा के उपबंध किसी ऐसे मामले में वहां लागू नहीं होंगे जहां राज्य सरकार की राय में परिस्थितियां ऐसी हों जिनके

कारण नगरपालिक निधि और संपत्तियों या दायित्वों के किसी भाग का अंतरण अवांछनीय हो।

(6) जब कोई आवासगृह, विनिर्माणशाला, भांडागार या उद्योग या कारबार का स्थान दो या अधिक पार्श्वस्थ नगरपालिक क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर स्थित हो, तब राज्य सरकार, इस अधिनियम में कहीं भी अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसा नगरपालिक क्षेत्र घोषित कर सकेगी जिसके अन्तर्गत ऐसा आवासगृह, विनिर्माणशाला, भांडागार या उद्योग या कारबार का स्थान इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्मिलित किया हुआ समझा जायेगा।

(7) जब किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगरपालिका में सम्मिलित कर लिया जाये, तब बनाये गये समस्त नियम और उप–विधियां, जारी किये गये आदेश, निदेश, अधिसूचनाएं और नोटिस और प्रदत्त शक्तियां, जो उक्त क्षेत्र को इस प्रकार सम्मिलित किये जाने के समय ऐसी संपूर्ण नगरपालिका में प्रवृत्त थीं, ऐसे क्षेत्र पर, इस प्रकार सम्मिलित किये जाने की तारीख से, जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निदेश न दे, लागू होंगी।

(8) जब किसी गांव में समाविष्ट कोई क्षेत्र किसी नगरपालिका क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाये, या जब कोई क्षेत्र किसी गांव से अपवर्जित किया जाये और किसी नगरपालिक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाये तब उस तारीख से, जिसको ऐसा क्षेत्र इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाये या इस प्रकार सम्मिलित किया जाये, निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्ः–

(क) ऐसा क्षेत्र गांव नहीं रहेगा;

(ख) वह नगरपालिका, जिसमें ऐसा क्षेत्र सम्मिलित किया जाये, या ऐसे क्षेत्र के लिए घोषित नगरपालिका, ऐसे क्षेत्र पर अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगी और ऐसे क्षेत्र के लिए स्थापित पंचायत उसमें कार्य करना बंद कर देगी;

(ग) जब तक उप–धारा (1) के अधीन निर्वाचन न हो जायें, या इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका की अवधि समाप्त न हो जाये, जो भी पहले हो, तब तक नगरपालिका में इस प्रकार सम्मिलित किये गये या नगरपालिका घोषित किये गये गांव के ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सरपंच, उप–सरपंच और पंच या पंचों को उस नगरपालिका का, जिसमें गांव का ऐसा क्षेत्र सम्मिलित किया गया है, अतिरिक्त सदस्य समझा जायेगा या ऐसे क्षेत्र के लिए घोषित नगरपालिका का क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और, यथास्थिति, सदस्य समझा जायेगा;

(घ) इस प्रकार नगरपालिका घोषित की गयी पंचायत में निहित संपूर्ण आस्तियां और पंचायत के विरुद्ध विद्यमान संपूर्ण दायित्व, या उस दशा में जहां किसी नगरपालिका में किसी गांव का केवल कोई भाग या संपूर्ण गांव इस प्रकार सम्मिलित कर लिया जाये वहां उक्त आस्तियों और दायित्वों का ऐसा भाग, जिसके लिए राज्य सरकार निदेश दे, ऐसे क्षेत्र के लिए घोषित नगरपालिका को या उस नगरपालिका को जिसमें गांव का ऐसा क्षेत्र सम्मिलित किया गया है, न्यागत होगा;

(ङ) गांव के किसी भी क्षेत्र को नगरपालिका में सम्मिलित करके या किसी गांव को नगरपालिका घोषित करके इस प्रकार स्थापित की गयी नगरपालिका ऐसे कर उद्‌गृहीत करेगी या करती रहेगी जो इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्वक अधिरोपित किये जायें;

(च) ऐसा क्षेत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) के अधीन बनाये गये समस्त नियमों, अधिसूचनाओं, आदेशों तथा उप–विधियों के अध्यधीन नहीं रहेगा।

(9) किसी नगरपालिका में गांव के किसी भी क्षेत्र को सम्मिलित किये जाने या ऐसे किसी क्षेत्र को नगरपालिका घोषित किये जाने को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे निदेश दे सकेगी, जो उसे आवश्यक प्रतीत हों।

(10) इस धारा में अन्यथा यथाउपबंधित के सिवाय, इसके उपबंध, इस अधिनियम, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

4. **नगरपालिक बोर्ड को अधिनियम के ऐसे उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देने की शक्ति जो उसके लिए अनुपयुक्त हों.**– (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और लेखबद्ध कारणों से किसी नगरपालिक बोर्ड को इस अधिनियम के ऐसे उपबंधों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी, जो उसके लिए अनुपयुक्त समझे जायें और तदुपरान्त ऐसे उपबंध तब तक ऐसे

नगरपालिक बोर्ड में लागू नहीं होंगे जब तक ऐसे उपबंधों को अधिसूचना द्वारा लागू नहीं किया जाये।

(2) उप–धारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रवृत्त रहने तक राज्य सरकार ऐसे उपबंधों, जिनसे नगरपालिक बोर्ड को छूट है, के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले किसी भी मामले के बारे में इस अधिनियम के उपबंधों से सुसंगत नियम बना सकेगी।

5. **नगरपालिका की स्थापना और निगमन.–** (1) प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र में एक नगरपालिक बोर्ड की स्थापना की जायेगी और प्रत्येक ऐसा नगरपालिक बोर्ड उस स्थान के, जिसके प्रति निर्देश से नगरपालिका जानी जाती है, नगरपालिक बोर्ड के नाम से एक निगमित निकाय होगा तथा उसे शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुहर होगी तथा उसके निगमित नाम से वह वाद चला सकेगा या उस पर वाद चलाया जा सकेगा।

(2) प्रत्येक लघुतर नगरीय क्षेत्र में एक नगर परिषद् की स्थापना की जायेगी और ऐसी प्रत्येक नगर परिषद् उस नगर की, जिसके प्रति निर्देश से नगरपालिका जानी जाती है, नगर परिषद् के नाम से एक निगमित निकाय होगी तथा उसे शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुहर होगी तथा उसके निगमित नाम से वह वाद चला सकेगी और उस पर वाद चलाया जा सकेगा।

(3) प्रत्येक वृहत्तर नगरीय क्षेत्र में एक नगर निगम की स्थापना की जायेगी और ऐसा प्रत्येक नगर निगम उस नगर के, जिसके प्रति निर्देश से नगरपालिका जानी जाती है, नगर निगम के नाम से एक निगमित निकाय होगा तथा उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी

सामान्य मुहर होगी तथा उसके निगमित नाम से वह वाद चला सकेगा और उस पर वाद चलाया जा सकेगाः

परन्तु इस धारा के अधीन कोई नगरपालिका ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में गठित नहीं की जा सकेगी जिसे राज्यपाल क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक स्थापना द्वारा दी जा रही या दिये जाने के लिए प्रस्तावित नगरपालिक सेवाओं और ऐसी अन्य बातों को, जो वह ठीक समझे, ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा, औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्दिष्ट करेः

परन्तु यह और कि राज्य सरकार, किसी नगरीय क्षेत्र के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटक या इसी प्रकार के अन्य महत्व को ध्यान में रखते हुए राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र को नगरपालिका से अपवर्जित कर सकेगी और विकास प्राधिकरण गठित कर सकेगी, या ऐसे क्षेत्र को नगरपालिका से अपवर्जित किये बिना उक्त क्षेत्र में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, जो विहित किये जायें, नगरपालिका के अतिरिक्त एक विकास प्राधिकरण गठित कर सकेगी और इस अधिनियम में अन्यत्र कहीं भी किसी बात के होने पर भी, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, उक्त प्राधिकरण को ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में ऐसी नगरपालिक शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य प्रत्यायोजित कर सकेगी जो वह ऐसे क्षेत्र के उचित, त्वरित और योजनाबद्ध विकास के लिए उचित समझे।

6. **नगरपालिका की संरचना**.– (1) उत्तरवर्ती उप–धाराओं में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किन्तु इस उप–धारा के आगामी उपबंधों में यथा–उपबंधित के सिवाय, किसी नगरपालिका के सभी स्थान वार्डों के नाम से जाने जाने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से, प्रत्यक्ष

निर्वाचन द्वारा चुने गये व्यक्तियों से भरे जायेंगे। ऐसे स्थानों की संख्या, जो तेरह से कम नहीं होगी, समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत की जायेगीः–

(क) नगरपालिक बोर्ड, नगर परिषद् या, यथास्थिति, नगर निगम में निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व होगा, अर्थात्ः–

(i) किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का, जिसमें किसी नगरपालिका का क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट हो, प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान विधान सभा का सदस्य; और

(ii) नगरपालिक प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले तीन व्यक्ति या नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का दस प्रतिशत इनमें से जो भी कम हो, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नामनिर्दिष्ट किया जायेः

परन्तु –

(i) धारा 24 और धारा 35 में अंतर्विष्ट उपबंध नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले या नामनिर्दिष्ट सदस्यों पर लागू होंगे;

(ii) राज्य सरकार को किसी नामनिर्दिष्ट सदस्य को किसी भी समय प्रत्याहृत करने की शक्ति होगी;

(iii) नामनिर्दिष्ट सदस्य को नगरपालिका की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा;

(ख) किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का, जिसमें नगर परिषद् या, यथास्थिति, नगर निगम का क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है, प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्य का ऐसी नगर परिषद् या, यथास्थिति, नगर निगम में प्रतिनिधित्व होगाः

परन्तु खंड (क) के उप–खंड (i) में निर्दिष्ट सदस्य को नगरपालिक बोर्ड, नगर परिषद् या, यथास्थिति, नगर निगम की बैठकों में मत देने का अधिकार होगा और खंड (ख) में निर्दिष्ट सदस्य को नगर परिषद् या नगर निगम की बैठकों में वोट देने का अधिकार होगाः

परन्तु यह और कि खण्ड (क) के उप–खण्ड (i) और खण्ड (ख) में निर्दिष्ट सदस्य इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी भी निरर्हता या किन्हीं भी अन्य कार्यवाहियों के अध्यधीन नहीं होंगे।

(2) नगरपालिका की स्थापना के पश्चात् प्रत्येक जनगणना के पूर्ण होने पर राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्थानों की संख्या, नगरपालिक क्षेत्र की नवीनतम जनगणना में यथा–अभिनिश्चित जनसंख्या के आधार पर पुनः अवधारित करेगीः

परन्तु स्थानों के पूर्वोक्तानुसार अवधारण से नगरपालिका की विद्यमान संरचना पर उसकी पदावधि समाप्त होने तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(3) नगरपालिका के लिए इस प्रकार स्थानों की कुल संख्या नियत करते समय राज्य सरकार क्रमशः सामान्य स्थानों की और महिलाओं के लिए तथा अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए या दोनों के लिए या पिछड़े वर्गों के

व्यक्तियों के लिए आरक्षित स्थानों की वह संख्या विनिर्दिष्ट करेगी जो राज्य सरकार प्रत्येक मामले में अवधारित करे।

(4) नगरपालिका के लिए नियत स्थानों की कुल संख्या के संबंध में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात यथाशक्य निकटतम वही होगा जो अनुपात उस नगरपालिक क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उसकी कुल जनसंख्या के साथ है।

(5) पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत इतना होगा जितना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या का प्रतिशत उस नगरपालिक क्षेत्र की कुल जनसंख्या के पचास प्रतिशत से कम पड़ता है:

परन्तु पिछड़े वर्गों के लिए इस प्रकार आरक्षित स्थानों का प्रतिशत इक्कीस से अधिक नहीं होगा:

परन्तु यह और कि जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या का प्रतिशत उस नगरपालिक क्षेत्र की कुल जनसंख्या के सत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं है वहां प्रत्येक नगरपालिका में कम से कम एक स्थान पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगा।

(6) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों में से आधे स्थान ऐसी जातियों, जनजातियों या, यथास्थिति, वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

(7) स्थानों की कुल संख्या में से आधे स्थान, जिसमें उप–धारा (6) के अधीन आरक्षित स्थानों की संख्या सम्मिलित है, महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

(8) उप–धारा (3), (5) और (6) के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण, भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

(9) नगरपालिका के लिए नियत किये गये सामान्य तथा आरक्षित सभी स्थान नगरपालिक क्षेत्र के वार्डों में से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जायेंगे और ऐसे निर्वाचन विहित रीति से करवाये जायेंगे।

**स्पष्टीकरण**.–यदि इस धारा के अधीन संगणित स्थानों की संख्या की भागरूप कोई भिन्न हो तो उस स्थिति में, जब वह भिन्न एक स्थान के आधे या उससे अधिक से बनी हो, स्थानों की संख्या को ठीक उच्चतर संख्या तक बढ़ा दिया जायेगा और उस स्थिति में, जब वह एक स्थान के आधे से कम हो, भिन्न को छोड़ दिया जायेगा।

**7. पदावधि.–** (1) प्रत्येक नगरपालिका, यदि वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी गयी हो, तो उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी और इससे अधिक नहीं।

(2) किसी नगरपालिका की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस नगरपालिका के विघटन पर गठित की गयी कोई नगरपालिका, उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित नगरपालिका उप–धारा (1) के अधीन बनी रहती ।

**स्पष्टीकरण .**– इस धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति ''प्रथम बैठक'' से सामान्य निर्वाचन के तुरन्त पश्चात् नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों की हुई बैठक अभिप्रेत है।

8. **नगरपालिक शासन का नगरपालिका में निहित होना.**– इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, किसी नगरपालिका का नगरपालिक शासन, नगरपालिक बोर्ड, नगर परिषद् या, यथास्थिति, नगर निगम में उनके अध्यक्षों के माध्यम से निहित होगा, जो इस अधिनियम के उपबंधों को, उसमें विनिर्दिष्ट परिसीमाओं तथा निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए, कार्यान्वित करने के लिए कर्तव्यबद्ध होगा।

9. **वार्डों में विभाजन.**– (1) निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ, नगरपालिका को धारा 6 की उप–धारा (1) के अधीन नगरपालिका के लिए नियत कुल स्थानों की संख्या के बराबर वार्डों में विभाजित किया जायेगा।

(2) प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व उस वार्ड की जनसंख्या के आधार पर होगा और उसका अनुपात यथासम्भव वही होगा जो नगरपालिका के स्थानों की कुल संख्या का उसकी जनसंख्या के साथ है।

10. **वार्डों का अवधारण.**– (1) राज्य सरकार आदेश द्वारा निम्नलिखित का अवधारण करेगी:–

(क) वार्ड, जिनमें प्रत्येक नगरपालिका को निर्वाचन के प्रयोजन के लिए विभाजित किया जायेगा;

(ख) प्रत्येक वार्ड की सीमा;

(ग) अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए और ऐसी जातियों और जनजातियों

की महिला सदस्यों के लिए तथा पिछड़े वर्गों के सदस्यों और उनकी महिला सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों, यदि कोई हों, की संख्या; और

(घ) महिला उम्मीदवारों के लिए वार्डों की संख्या।

(2) अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए और महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का आबंटन विभिन्न वार्डों को चक्रानुक्रम द्वारा ऐसी रीति से किया जा सकेगा, जो विहित की जाये।

(3) राज्य सरकार, वार्डों की सीमाओं का अवधारण और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का वार्डों में आबंटन धारा 6 के उपबंधों और निम्नलिखित उपबंधों को भी ध्यान में रखते हुए करेगी, अर्थात्:–

(क) सभी वार्ड, यथासाध्य, भौगोलिक रूप से संहत क्षेत्र होंगे;

(ख) ऐसे वार्डों को, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, उन नगरपालिक क्षेत्रों के ऐसे भिन्न–भिन्न भागों में वितरित किया जायेगा जहाँ ऐसी जातियों या, यथास्थिति, जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात तुलनात्मक रूप से अधिक है; और

(ग) वार्डों का संख्यांकन किसी नगरपालिका के स्थानीय क्षेत्र के उत्तरी–पश्चिमी कोण से शुरू होगा।

(4) उप–धारा (1) के अधीन आदेश का प्रारूप, उसके संबंध में, ऐसी कालावधि के भीतर, जो सात दिवस से कम न हो, आक्षेप दाखिल

करने के लिए प्रकाशित किया जायेगा और उसकी प्रतिलिपि संबंधित नगरपालिका को टिप्पणी हेतु भेजी जायेगी।

(5) राज्य सरकार उप–धारा (4) के अधीन प्राप्त किसी आक्षेप तथा टिप्पणी पर विचार करेगी और यदि आवश्यक हो तो आदेश के प्रारूप को तदनुसार संशोधित, परिवर्तित या उपान्तरित किया जायेगा और तदुपरान्त वह अन्तिम हो जायेगा।

11. **नगरपालिका के लिए निर्वाचन**.– (1) नगरपालिका के लिए कराये जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

(2) किसी नगरपालिका का गठन करने के लिए निर्वाचन–

(i) धारा 7 में विनिर्दिष्ट इसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व;

(ii) उसके विघटन की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व,

पूरा किया जायेगा:

परन्तु जहां शेष अवधि, जिसके लिए कोई विघटित नगरपालिका बनी रहती, छह मास से कम है वहां ऐसी अवधि के लिए नगरपालिका का गठन करने के लिए इस खण्ड के अधीन कोई निर्वाचन करवाना आवश्यक नहीं होगा।

(3) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर, सभी वार्डों से, इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनाये गये नियमों और आदेशों के अनुसार ऐसी तारीख या तारीखों पर, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जायें, सदस्यों का निर्वाचन करने की अपेक्षा करेगी।

(4) जब कोई नयी नगरपालिका स्थापित होती है, तब वह यथासम्भव नगरपालिका के साधारण निर्वाचन से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार गठित की जायेगी।

(5) राज्य सरकार, जब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाये, आयोग को ऐसा कर्मचारिवृंद उपलब्ध करायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग को उप–धारा (1) द्वारा सौंपे गये कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हो।

12. **राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन.**– इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या जारी किये गये आदेशों के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का पालन ऐसे सामान्य या विशेष निदेशों के, यदि कोई हों, अध्यधीन रहते हुए, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त दिये जायें, किसी उप निर्वाचन आयुक्त, यदि कोई हो, द्वारा या राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव द्वारा भी किया जा सकेगा।

13. **प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली.**– (1) प्रत्येक वार्ड के लिए, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी का ऐसा अधिकारी होगा जो राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट

किया जाये, विहित रीति से तैयार, पुनरीक्षित, उपांतरित, अद्यतन और प्रकाशित की गयी निर्वाचक नामावली होगी।

(2) प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली की तैयारी और पुनरीक्षण के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, किन्हीं विहित निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे व्यक्तियों को नियोजित कर सकेगा जिन्हें वह ठीक समझे।

(3) राज्य निर्वाचन आयोग किसी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की, उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए, एक या एक से अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(4) प्रत्येक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समस्त या किन्हीं भी कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम होगा।

(5) धारा 14 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति जो–

(क) अर्हता की तारीख को अठारह वर्ष से कम आयु का नहीं है, और

(ख) नगरपालिका के किसी वार्ड का मामूली तौर पर निवासी है,

उस वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा।

**स्पष्टीकरण**.–

(i) किसी व्यक्ति की बाबत केवल इस कारण से, कि वह किसी वार्ड में किसी निवास–गृह पर स्वामित्व या कब्जा रखता है, यह न समझा जायेगा कि वह उस वार्ड का मामूली तौर से निवासी है।

(ii) अपने मामूली निवास–स्थान से अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित करने वाले व्यक्ति की बाबत केवल इसी कारण से यह न समझा जायेगा कि वह वहां का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है।

(iii) जो कोई व्यक्ति, जो मानसिक रोग या मनोवैकल्य या लम्बे उपचार वाली किसी अन्य रूग्णता से पीड़ित व्यक्तियों के रखने और चिकित्सा के लिए पूर्णतः या मुख्यतः पोषित किसी स्थापन में चिकित्साधीन है या जो किसी स्थान में कारागार या अन्य विधिक अभिरक्षा में निरुद्ध है या अध्ययन के लिए किसी छात्रावास में रह रहा है या किसी होटल आदि में आकस्मिक अतिथि के रूप में रह रहा है, उसके बारे में केवल इसी कारण यह न समझा जायेगा कि वह वहां का मामूली तौर से निवासी है।

(iv) यदि किसी मामले में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति किसी सुसंगत समय पर कहां का मामूली तौर से निवासी है तो ऐसा प्रश्न मामले के सभी सुसंगत तथ्यों के प्रति निर्देश से और ऐसे नियमों के अनुसार, जो राज्य

सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जायें, अवधारित किया जायेगा।

(v) संसद् का या राज्य के विधान–मंडल का जो सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन के समय जिस वार्ड की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, उसकी बाबत इस कारण से कि वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध में उस वार्ड से अनुपस्थित रहा है, यह न समझा जायेगा कि वह अपनी पदावधि के दौरान उस वार्ड का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है।

(vi) इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''अर्हता की तारीख'' से उस वर्ष की जनवरी का पहला दिवस अभिप्रेत है,जिसमें निर्वाचक नामावली ऐसे तैयार की जाती है या पुनरीक्षित की जाती है।

(6) कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डों की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(7) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार नहीं होगा।

14. **निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निरर्हताएं**– (1) कोई भी व्यक्ति वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निरर्हित होगा, यदि वह–

(क) भारत का नागरिक नहीं है; या

(ख) विकृतचित्त है या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है; या

(ग) निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्ट आचरणों और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिए तत्समय निरर्हित है।

(2) रजिस्ट्रीकरण के पश्चात्, जो कोई व्यक्ति ऐसे निरर्हित हो जाता है उसका नाम इस अधिनियम के अधीन तैयार की गयी निर्वाचक नामावली में से तत्काल काट दिया जायेगाः

परन्तु किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में से जिस व्यक्ति का नाम उप–धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन निरर्हता के कारण काटा गया है, यदि ऐसी निरर्हता, उस कालावधि के दौरान जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है, जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है तो उस व्यक्ति का नाम तत्काल उसमें पुनः प्रविष्ट कर दिया जायेगा।

15. **मिथ्या घोषणा करना**.– यदि कोई व्यक्ति–

(क) किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि, या

(ख) किसी प्रविष्टि के किसी निर्वाचक नामवाली में सम्मिलित या से अपवर्जित किये जाने–

के संबंध में ऐसा कथन या ऐसी घोषणा लिखित रूप में करता है, जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है तो वह ऐसे कारावास से,

जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

16. **मुख्य निर्वाचन अधिकारी.**– (1) एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा जो राज्य सरकार का ऐसा अधिकारी होगा जिसे राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से इस निमित्त पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करे।

(2) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए–

(क) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य में इस अधिनियम के अधीन समस्त निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण करेगा;

(ख) राज्य में इस अधिनियम के अधीन के सभी निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा; और

(ग) ऐसी अन्य शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा जिनका राज्य निर्वाचन आयोग निदेश दे।

17. **जिला निर्वाचन अधिकारी.**– (1) राज्य में प्रत्येक जिले के लिए, राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से एक जिला निर्वाचन अधिकारी पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करेगा, जो राज्य सरकार का कोई अधिकारी होगाः

परन्तु राज्य निर्वाचन आयोग किसी जिले के लिए एक से अधिक ऐसे अधिकारी पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट कर सकेगा, यदि आयोग का यह

समाधान हो जाता है कि पद के कृत्यों का एक अधिकारी द्वारा समाधानप्रद रूप में पालन नहीं किया जा सकता।

(2) जहां किसी जिले के लिए उप–धारा (1) के परन्तुक के अधीन एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट किये जायें, वहां राज्य निर्वाचन आयोग उस आदेश में, जिससे जिला निर्वाचन अधिकारी पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट किये जायें, वह क्षेत्र भी विनिर्दिष्ट करेगा जिसके बारे में ऐसा प्रत्येक अधिकारी अधिकारिता का प्रयोग करेगा।

(3) मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, जिला निर्वाचन अधिकारी, अपनी अधिकारिता के भीतर जिले की नगरपालिकाओं में निर्वाचनों के संचालन के संबंध में सभी कार्यों का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा।

(4) जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे अन्य कृत्यों का भी पालन करेगा, जो राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसे सौंपे जायें।

18. **स्थानीय प्राधिकारियों आदि के कर्मचारिवृन्द का उपलब्ध कराया जाना**.– (1) राज्य में का प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसा अपेक्षित किये जाने पर, किसी भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ऐसा कर्मचारिवृंद उपलब्ध करायेंगे जो निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण से संसक्त किन्हीं कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक हो।

(2) उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसा अपेक्षित किये जाने पर, किसी भी रिटर्निंग आफिसर को ऐसा

कर्मचारिवृन्द उपलब्ध करायेगा जो निर्वाचन से संसक्त किन्हीं भी कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक हो।

(3) उप–धारा (2) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्:–

(i) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी;

(ii) कोई भी अन्य संस्था, समुत्थान या उपक्रम जो किसी राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित हो या जो राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा पूर्णतः या सारतः वित्तपोषित हो।

19. **अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझा जाना**.– इस अधिनियम के अधीन निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि और सभी निर्वाचनों के संचालन के संबंध में अभिनियोजित अधिकारी और कर्मचारिवृन्द, उस अवधि में जिसके दौरान उन्हें इस प्रकार अभिनियोजित किया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जायेंगे और ऐसे अधिकारी और कर्मचारिवृन्द, उस कालावधि के दौरान, राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण और अधीक्षण के अध्यधीन होंगे।

20. **निर्वाचक नामावलियों की तैयारी करने आदि से संसक्त पदीय कर्तव्यों का भंग**.– (1) यदि कोई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि से संसक्त या किसी प्रविष्टि को उस निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने या उससे अपवर्जित करने से संसक्त किसी पदीय कर्तव्य के पालन के

लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, ऐसे पदीय कर्तव्य के भंग में किसी कार्य या कार्यलोप का दोषी युक्तियुक्त हेतुक के बिना होगा, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी, किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) यथापूर्वोक्त किसी कार्य या लोप की बाबत नुकसानी के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसे किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

(3) जब तक कि राज्य निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन अधिकारी या सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन कोई शिकायत न हो, कोई भी न्यायालय उप–धारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

21. **सदस्य होने के लिए अर्हित व्यक्ति**.– धारा 6 और 24 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नगरपालिका में किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि–

(क) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किसी स्थान की दशा में, ऐसा व्यक्ति इन जातियों तथा जनजातियों या, यथास्थिति, वर्गों में से किसी का सदस्य न हो, और नगरपालिका के किसी वार्ड के लिए निर्वाचक न हो;

(ख) किसी महिला के लिए आरक्षित स्थान के मामले में, ऐसा व्यक्ति महिला न हो और नगरपालिका के किसी वार्ड के लिए निर्वाचक न हो;

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किसी स्थान की दशा में, ऐसा व्यक्ति इन जातियों या जनजातियों या, यथास्थिति, पिछड़े वर्गों में से किसी का सदस्य न हो और नगरपालिका के किसी वार्ड के लिए निर्वाचक न हो और महिला न हो;

(घ) किसी अन्य स्थान की दशा में, वह व्यक्ति नगरपालिका के किसी वार्ड के लिए कोई निर्वाचक न हो; और

(ङ) चाहे स्थान आरक्षित है या नहीं, दोनों ही मामलों में उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो।

**21क. कतिपय स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता.**– इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के किसी उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी नगरपालिका में ऐसे स्थानों पर, जो राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से अवधारित किये जायें, कोई व्यक्ति निर्वाचन के लिए तब तक पात्र नही होगा जब तक कि वह 21 वर्ष से 35 वर्ष के आयु वर्ग में न हो और ऐसे स्थानों पर निर्वाचन के लिए अन्यथा पात्र न हो:

परन्तु–

(i) किसी नगरपालिका में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों में से प्रत्येक से दो से अधिक स्थान इस धारा के अधीन अवधारित नहीं किये जायेंगे;

(ii) जहां किसी नगरपालिका में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या महिलाओं में से किसी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या तीन या तीन से कम हो, वहां ऐसी जातियों, जनजातियों, वर्गों या, यथास्थिती, महिलाओं में से केवल एक इस स्थान इस धारा के अधीन अवधारित किया जायेगा;

(iii) जहां किसी नगरपालिका में अनारक्षित स्थानों की संख्या पांच या पांच से कम हो, वहां ऐसे स्थानों में से केवल एक स्थान इस धारा के अधीन अवधारित किया जायेगा; और

(iv) जहां किसी नगरपालिका में अनारक्षित स्थानों की संख्या पांच से अधिक हो वहां ऐसे पांच स्थानों के प्रत्येक खण्ड में से एक स्थान इस धारा के अधीन अवधारित किया जायेगा और पांच से कम स्थानों के किसी भाग को छोड दिया जायेगा।

22. **एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर निर्बन्धन**.– धारा 21 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति ऐसे मामलों में, जहां किसी स्थान के लिए निर्वाचन लड़ा जाये, एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने का हकदार नहीं होगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसने नगरपालिका के स्थानों के लिए एक से अधिक वार्डों के लिए अपना नामांकन दाखिल किया हो, लिखित नोटिस द्वारा, जिसमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जो विहित की जायें, एक स्थान को छोड़कर सभी स्थानों से अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेगा और ऐसा नोटिस

उम्मीदवारी वापस लेने के लिए नियत अन्तिम तारीख को अपराह्न 3 बजे के पूर्व देगा:

परन्तु यदि कोई व्यक्ति ऊपर विनिर्दिष्ट रीति से एक स्थान को छोड़कर अन्य सभी स्थानों से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने में विफल रहता है तो उसके बारे में यह समझा जायेगा कि उसने सभी स्थानों से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है।

23. **यानों, ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निर्बंधन.**– (1) राज्य निर्वाचन आयोग नगरपालिका के निर्वाचन के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होती है, समाप्त होने वाली निर्वाचन की कालावधि के दौरान किसी भी उम्मीदवार या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा यानों या ध्वनि विस्तारकों के उपयोग या कटआउटों, होर्डिंगों, पोस्टरों और बैनरों के प्रदर्शन पर युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगा।

(2) यदि कोई भी उम्मीदवार या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता, उप–धारा (1) के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिरोपित निर्बंधनों में से किसी का भी उल्लंघन करता है तो वह, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) उप–धारा (2) के अधीन दंडित प्रत्येक व्यक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश से, किसी नगरपालिका का सदस्य चुने जाने या होने के लिए ऐसी कालावधि के लिए, जो ऐसे आदेश की तारीख से छह वर्ष तक की हो सकेगी, निरर्हित किये जाने का भागी होगा:

परन्तु राज्य निर्वाचन आयोग किसी पश्चात्वर्ती आदेश द्वारा, लेखबद्ध कारणों से, इस धारा के अधीन किसी भी निरर्हता को हटा सकेगा या ऐसी किसी भी निरर्हता की कालावधि को कम कर सकेगा।

(4) कोई भी न्यायालय उप–धारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी अपराध का संज्ञान, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किये गये परिवाद के सिवाय नहीं करेगा।

24. **सदस्यों के लिए साधारण निरर्हताएं**.– कोई व्यक्ति, अन्यथा अर्हित होते हुए भी, नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए या होने के लिए निरर्हित होगा–

(i) यदि वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से अंतर्वलित किसी अपराध के लिए या किसी भी अन्य अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो और छह मास या अधिक के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया हो, या

(ii) यदि वह इस अधिनियम की धारा 245 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो, या

(iii) यदि वह ऐसे सक्षम न्यायालय के, जिसने अपराध का संज्ञान किया हो और उसके विरुद्ध पांच वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के

लिए आरोप विरचित कर दिये हों, विचारणाधीन हो, या

(iv) यदि वह खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 37) के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो, या

(v) जिसके विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 110 के अधीन संस्थित कार्यवाहियों में उस संहिता की धारा 117 के अधीन कोई आदेश पारित कर दिया गया हो और ऐसा आदेश तत्पश्चात् उलटा नहीं गया हो, या

(vi) यदि वह केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या खण्ड (xi) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी की सेवा से अवचार के कारण पदच्युत कर दिया गया हो, या हटा दिया गया हो, या

(vii) यदि वह ऐसा वृत्ति–व्यवसायी रह चुका हो, जिसे किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा इस रूप में व्यवसाय करने से विवर्जित कर दिया गया हो, या

(viii) यदि वह नगरपालिका की प्रदान–शक्ति या व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ का पद धारण करता हो, या

(ix) यदि वह धारा 35 या धारा 41 के अधीन निरर्हित हो, या

(x) यदि वह राजस्थान विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए, तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के द्वारा या अधीन इस प्रकार निरर्हित हो:

परन्तु कोई व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, इस खण्ड के अधीन इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है, या

(xi) यदि वह केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन कोई वैतनिक या अंशकालिक नियुक्ति धारण करता हो, या

(xii) यदि वह किसी विश्वविद्यालय या किसी निगम, निकाय, उद्यम या सहकारी सोसाइटी, जो राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित हो, के अधीन कोई वैतनिक या अंशकालिक नियुक्ति धारण करता हो, या

(xiii) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया हो, या

(xiv) यदि उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त न्यायनिर्णीत कर दिया गया हो, या

(xv) यदि वह, इसमें इसके पश्चात् यथा–उपबंधित को छोड़कर, ऐसी नगरपालिका के आदेश से किये गये किसी कार्य में, की गयी आपूर्ति में, या ऐसी नगरपालिका के साथ या उसके अधीन या द्वारा या उसकी ओर से किसी भी संविदा या नियोजन में, स्वयं का या उसके परिवार के किसी सदस्य या उसके भागीदार, नियोजक या कर्मचारी के माध्यम से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई हिस्सा या हित रखता हो, या

(xvi) यदि वह नगरपालिका के लिए उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरते समय ऐसी नगरपालिका की ओर से वैतनिक विधि व्यवसायी के रूप में नियुक्त हो या किसी न्यायालय में ऐसी नगरपालिका के विरुद्ध वकील के रूप में पैरवी कर रहा हो या उस अवधि के दौरान जिसके लिए वह निर्वाचित हुआ है ऐसी नगरपालिका के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में नियोजन स्वीकार करता हो; या

(xvii) यदि उसके दो से अधिक सन्तानें हैं, या

(xviii) यदि उसके विरुद्ध दो से अधिक वर्षों से कोई भी नगरपालिक शोध्य की बकाया हो और उसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन वसूली के लिए कार्यवाहियां प्रारम्भ कर दी गयी हों, या

(xix) यदि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नगरपालिका की सम्पत्ति या निधि का दुर्विनियोग या गबन अन्तर्वलित हो:

परन्तु–

(क) खण्ड (i) में वर्णित निरर्हता, निरर्हित व्यक्ति के कारावास से मुक्त होने की तारीख से छह वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रवृत्त नहीं रहेगी;

(ख) खण्ड (v) में वर्णित निरर्हता, उस कालावधि की समाप्ति के पश्चात् जिसके लिए उस व्यक्ति को प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है, प्रवृत्त नहीं रहेगी;

(ग) खण्ड (ix) में वर्णित निरर्हता, यदि वह राज्य निर्वाचन आयोग के किसी आदेश द्वारा पहले ही नहीं हटा दी गयी हो, उस कालावधि की समाप्ति के पश्चात् जिसके लिए वह व्यक्ति इस प्रकार निरर्हित कर दिया गया है, प्रवृत्त नहीं रहेगी;

(घ) किसी व्यक्ति की बाबत इस कारण से खण्ड (xv) के अधीन निरर्हता उपगत की हुई नहीं समझी जायेगी कि वह–

(i) किसी भी ऐसी संयुक्त स्टाक कम्पनी में, जो नगरपालिका के साथ संविदा करे या जिसे नगरपालिका द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया जाये, प्रबन्ध निदेशक या अभिकर्ता से भिन्न किसी रूप में कोई हिस्सा या हित रखता है, या

(ii) किसी भी स्थावर सम्पत्ति के किसी भी पट्टे, विक्रय या क्रय या उनके लिए किसी करार में कोई हिस्सा या हित रखता है, या

(iii) किन्हीं भी ऐसे समाचार पत्रों में कोई हिस्सा या हित रखता है, जिनमें नगरपालिका के कार्यकलापों से संबंधित कोई विज्ञापन सम्मिलित किये जाते हों, या

(iv) नगरपालिका द्वारा या उसकी ओर से लिए गये उधार में कोई डिबेंचर धारण करता है, या अन्यथा हितबद्ध है; या

(v) किसी ऐसी वस्तु के, जिसका वह नियमित रूप से व्यापार करता है, नगरपालिका को यदा–कदा किये जाने वाले इतने से अनधिक मूल्य के विक्रय में, जो नगरपालिका राज्य सरकार की मंजूरी

से इस निमित्त नियत करे, कोई हिस्सा या हित रखता है, या

(vi) किसी भी शासकीय वर्ष में दो हजार रुपये से अनधिक की रकम, या पांच हजार रुपये से अनधिक ऐसी उच्चतर रकम, जो राज्य सरकार की मंजूरी से नगरपालिका द्वारा इस निम्मित नियत की जाये, की किसी भी वस्तु को यदा–कदा नगरपालिका को भाड़े पर देने या नगरपालिका से भाड़े पर लेने में हिस्सा या हित रखता है;

(ङ) कोई व्यक्ति, जिसके दो से अधिक सन्तानें हैं, खण्ड (xvii) के अधीन तब तक निरर्हित नहीं होगा जब तक कि 27 नवम्बर, 1995 को रही उसकी संतानों की संख्या में वृद्धि नहीं होती।

**स्पष्टीकरण**.– खण्ड (xvii) के प्रयोजनों के लिए किसी एकल प्रसव से जन्मीं हुई सन्तानों की किसी भी संख्या को एक ही माना जायेगा और दत्तक में दी गयी किसी संतान को संतानों की संख्या की गणना करते समय अपवर्जित नहीं किया जायेगा।

25. **मतदान का अधिकार**.– (1) इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा–उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति को, जो तत्समय किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है, उस वार्ड में मत देने का हकदार होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति निर्वाचन में किसी भी वार्ड में मत नहीं देगा, यदि वह धारा 14 में निर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी के अध्यधीन है।

(3) कोई भी व्यक्ति, किसी निर्वाचन में एक से अधिक वार्डों में मत नहीं देगा और यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्डों में मत देता है तो समस्त वार्डों में के उसके मत शून्य होंगे।

(4) कोई भी व्यक्ति एक ही वार्ड में एक से अधिक बार इस बात के होते हुए भी मत नहीं देगा कि उसका नाम उसकी निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत है और यदि वह ऐसे मत दे देता है तो उसके सभी मत शून्य हो जायेंगे।

(5) कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी भी निर्वाचन में मत नहीं देगा, यदि वह दण्डादेश के अधीन या अन्यथा किसी कारागार में परिरुद्ध है या पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में है:

परन्तु इस उप–धारा की कोई भी बात तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन निवारक निरोध के अध्यधीन किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी।

26. **निर्वाचन में मत देने की रीति**.– (1) ऐसे प्रत्येक निर्वाचन में, जिसमें मतदान होता है, मतपत्र द्वारा ऐसी रीति से मत दिये जायेंगे जैसी विहित की जाये और कोई भी मत परोक्षी के माध्यम से नहीं लिए जायेंगे।

(2) प्रत्येक निर्वाचन का एक मत होगा। यदि कोई निर्वाचक एक से अधिक उम्मीदवारों को मत देता है तो मतों की गणना के समय उसके द्वारा दिये गये सभी मत शून्य मानकर नामंजूर कर दिये जायेंगे।

(3) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों में किसी बात के होते हुए भी, मतदान मशीनों से, ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, मत देना और अभिलिखित करना किसी नगरपालिका के ऐसे वार्ड या वार्डों में अंगीकृत किया जा सकेगा, जिन्हें राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे।

**स्पष्टीकरण**.– उप–धारा (3) के प्रयोजन के लिए 'मतदान मशीन' से अभिप्रेत है मत देने या अभिलिखित करने के लिए प्रयुक्त कोई मशीन या साधित्र, चाहे वह इलैक्ट्रोनिकी द्वारा या अन्यथा प्रचालित हो और इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों में मतपेटी या मतपत्र के प्रति किसी निर्देश का अर्थ, अन्यथा यथा उपबन्धित के सिवाय, इस प्रकार लगाया जायेगा मानो उसके अन्तर्गत जहां कहीं ऐसी मतदान मशीन का किसी निर्वाचन में प्रयोग होता है, ऐसी मतदान मशीन के प्रति निर्देश है।

**27. आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार भरी जायेंगी**.– (1) किसी सदस्य के पद पर समय व्यतीत हो जाने से अन्यथा होने वाली कोई आकस्मिक रिक्ति, उप–धारा (4) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उप–निर्वाचन से भरी जायेगी, जो किसी साधारण निर्वाचन के लिए विहित रीति में यथाशक्य शीघ्र करवाये जाने के लिए नियत किया जायेगा।

(2) उप–निर्वाचन में निर्वाचित कोई सदस्य केवल तब तक पद धारण करेगा, जब तक कि वह सदस्य, जिसके स्थान पर वह निर्वाचित हुआ है, तब पद धारण करने का हकदार होता जबकि रिक्ति नहीं हुई होती।

(3) जब किसी निर्वाचित सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या हटाये जाने से कोई रिक्ति,–

(क) किसी भी वार्ड में अनुसूचित जाति या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के किसी सदस्य के लिए आरक्षित किसी स्थान में हो तो ऐसी रिक्ति, ऐसी जाति या जनजाति या वर्गों के किसी सदस्य द्वारा भरी जायेगी; और

(ख) किसी भी वार्ड में किसी महिला के लिए आरक्षित स्थान में हो तो ऐसी रिक्ति किसी महिला द्वारा भरी जायेगी।

(4) जहां कोई रिक्ति किसी निर्वाचित सदस्य की मृत्यु हो जाने, उसके त्यागपत्र दे देने, उसे हटा दिये जाने या उसके निर्वाचन के परिहार के कारण होती है और उस सदस्य की पदावधि, घटनाओं के साधारण अनुक्रम में, रिक्ति होने के छह मास के भीतर–भीतर पर्यवसित हो गयी होती, वहां राज्य सरकार निदेश दे सकेगी कि रिक्ति को अगले सामान्य निर्वाचन तक न भरा जाये।

28. **निर्वाचन अपराध.**– लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 43) की धारा 125, 126, 127, 127क, 128, 129, 130, 131, 132, 132क, 133, 134, 134क, 134ख, 135, 135क, 135ख, 135ग और 136 के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो –

(क) उनमें निर्वाचन के प्रति निर्देश इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन के प्रति निर्देश हों,

(ख) उनमें किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रति निर्देश वार्ड के प्रति निर्देश हों,

(ग) धारा 125 और 127 में अभिव्यक्ति ''इस अधिनियम के अधीन'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अधीन''और धारा 134 तथा 136 में अभिव्यक्ति ''इस अधिनियम के द्वारा या अधीन'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के द्वारा या अधीन'' प्रतिस्थापित कर दी गयी हो।

(घ) धारा 135ख की उप–धारा (1) में शब्दों ''लोकसभा या किसी राज्य की विधान सभा'' के स्थान पर शब्द ''नगरपालिका का वार्ड'' प्रतिस्थापित कर दिये गये हों।

29. **भ्रष्ट आचरण**.– इस अधिनियम के अधीन किसी निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को भ्रष्ट आचरण समझा जायेगा, अर्थात्:–

(i) रिश्वत, अर्थात् किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को, वह चाहे कोई भी हो, किसी परितोषण का ऐसा दान, प्रस्थापना या वचन, जिसका प्रत्यक्षतः या परोक्षतः यह उद्‌देश्य हो कि –

(क) किसी व्यक्ति को, किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या न होने या अपनी उम्मीदवारी वापस लेने या कोई निर्वाचन लड़ने से हट जाने के लिए; या

(ख) किसी निर्वाचक को किसी निर्वाचन में मत देने या मत देने से विरत रहने के लिए,

उत्प्रेरित किया जाये, या जो–

(i) किसी व्यक्ति को इस प्रकार खड़ा होने या न होने या उम्मीदवारी वापस लेने या निर्वाचन से हट जाने के लिए; या

(ii) किसी निर्वाचक को मत देने या मत देने से विरत रहने के लिए–

ईनाम के रूप में हो।

**स्पष्टीकरण.–** इस खण्ड के प्रयोजनार्थ शब्द ''परितोषण'' धनीय परितोषण या धन के रूप में प्राक्कलनीय परितोषणों तक ही निर्बंधित नहीं है और इसमें सब रूपों के मनोरंजन तथा ईनाम के लिए सभी रूपों के नियोजन सम्मिलित हैं किन्तु इसमें किसी भी निर्वाचन में या उसके प्रयोजन के लिए सद्भावपूर्वक उपगत किन्हीं व्ययों का संदाय सम्मिलित नहीं है;

(ii) असम्यक् असर डालना, अर्थात् किसी निर्वाचन अधिकार के स्वतन्त्र प्रयोग में उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किया गया कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप का प्रयत्नः

परन्तु–

(क) इस खण्ड के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसमें यथानिर्दिष्ट ऐसे किसी व्यक्ति की बाबत जो–

(i) किसी उम्मीदवार या किसी निर्वाचक या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे उम्मीदवार या निर्वाचक हितबद्ध है, किसी प्रकार की क्षति, जिसके अन्तर्गत सामाजिक बहिष्कार और किसी जाति या समुदाय से बाहर करना या निष्कासन आता है, पहुंचाने की धमकी देता है; या

(ii) किसी उम्मीदवार या निर्वाचक को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, दैवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिन्दा का भाजन हो जायेगा या बना दिया जायेगा;

यह समझा जायेगा कि वह ऐसे उम्मीदवार या निर्वाचक के निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में इस खण्ड के अर्थान्तर्गत हस्तक्षेप करता है।

(ख) लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन या, किसी वैध अधिकार का प्रयोग मात्र, जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस खण्ड के अर्थान्तर्गत हस्तक्षेप करना नहीं समझा जायेगा;

(iii) किसी व्यक्ति के धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के लिए मत देने या मत देने से

विरत रहने की उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता द्वारा या उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा अपील या उस उम्मीदवार के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी भी उम्मीदवार के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए धार्मिक प्रतीकों का उपयोग या उनकी दुहाई या राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय संप्रतीक का उपयोग या उनकी दुहाईः

परन्तु इस अधिनियम के अधीन किसी भी उम्मीदवार को आबंटित कोई भी प्रतीक इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई धार्मिक प्रतीक या राष्ट्रीय प्रतीक नहीं समझा जायेगा;

(iv) किसी भी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या किसी भी उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा उस उम्मीदवार के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी उम्मीदवार के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों में धर्म, मूलवंश, जाति ,समुदाय और भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावना का संप्रवर्तन करना या संप्रवर्तन का प्रयत्न करना;

(v) किसी भी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा उस उम्मीदवार के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी भी उम्मीदवार के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए सती की प्रथा या उसके कर्म का प्रचार या उसका गौरवान्वयन।

**स्पष्टीकरण**.– इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए सती के संबंध में ''सती'' और ''गौरवान्वयन'' का अर्थ क्रमशः वही होगा जो सती (निवारण) अधिनियम, 1987 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 3) में है;

(vi) किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी या निर्वाचन से नाम वापस लेने या निर्वाचन लड़ने से हट जाने के सम्बन्ध में ऐसे तथ्य का प्रकाशन, जो मिथ्या है और या तो जिसके मिथ्या होने का उसको विश्वास है या जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है और जो उस उम्मीदवार के निर्वाचन की संभाव्यताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित है;

(vii) किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान को या से किसी निर्वाचक (स्वयं उम्मीदवार, उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य या उसके अभिकर्ता से भिन्न) के प्रवहण के लिए किसी यान या जलयान को, उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदाय करके या अन्यथा, भाड़े पर लेना या उपाप्त करनाः

परन्तु निर्वाचक या कई निर्वाचकों द्वारा अपने संयुक्त खर्चे पर स्वयं को किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान को या से प्रवहित किए जाने के प्रयोजनार्थ यान या जलयान को भाड़े पर लेना इस खण्ड के अधीन भ्रष्ट आचरण नहीं समझा जायेगा यदि इस प्रकार भाड़े पर लिया गया यान या जलयान कोई ऐसा यान या जलयान है जो यांत्रिक शक्ति द्वारा चालित नहीं हैः

परन्तु यह और कि किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान को जाने या वहां से आने के प्रयोजन के लिए अपने ही खर्चे पर किसी निर्वाचक द्वारा किसी लोक परिवहन यान या जलयान या किसी ट्राम या रेलगाड़ी का उपयोग इस खण्ड के अधीन भ्रष्ट आचरण नहीं समझा जायेगा;

**स्पष्टीकरण.**– इस खण्ड में अभिव्यक्ति ''यान'' से ऐसा कोई भी यान अभिप्रेत है, जो सड़क परिवहन के लिए उपयोग में लाया जाता है या उपयोग मे लाये जाने के योग्य है, चाहे वह यांत्रिक शक्ति से या अन्यथा चालित हो, और चाहे अन्य यानों को खींचने के लिए या अन्यथा उपयोग में लाया जाता हो;

(viii) किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये निर्वाचन से संबंधित किसी नियम या आदेश के उपबन्ध के उल्लंघन में व्यय उपगत करना या प्राधिकृत करना;

(ix) उम्मीदवार के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा सरकार की सेवा में के और निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग के किसी भी व्यक्ति से, कोई भी सहायता (मत देने से अन्यथा) अभिप्राप्त या उपाप्त करना या अभिप्राप्त या उपाप्त करने का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करना, अर्थात्ः–

(क) राजपत्रित अधिकारी;

(ख) संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य;

(ग) पुलिस बल के सदस्य;

(घ) आबकारी अधिकारी;

(ङ) राजस्व अधिकारी जिसमें पटवारी और इसी प्रकार के अधिकारी सम्मिलित हैं; और

(च) सरकार की सेवा में के व्यक्तियों का ऐसा अन्य वर्ग जो विहित किया जाए।

**स्पष्टीकरण.**– (i) खण्ड (ix) के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति, किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने में सहायक समझा जायेगा, यदि वह उस उम्मीदवार के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप मे काम करता है;

(ii) निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता और ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसकी बाबत यह ठहराया जाये कि उसने उम्मीदवार की सम्मति से निर्वाचन के सम्बन्ध में अभिकर्ता के रूप में काम किया है, इस धारा में की अभिव्यक्ति ''अभिकर्ता'' में सम्मिलित है।

30. **निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता**–(1) किसी सिविल न्यायालय को वार्डों के परिसीमन, ऐसे वार्डों को स्थानों के आबंटन, निर्वाचक नामावलियों की तैयारी या निर्वाचन

के संचालन से संबंधित किसी भी प्रश्न को ग्रहण करने और उस पर न्यायनिर्णयन करने की अधिकारिता नहीं होगी।

(2) किसी भी नगरपालिका के किसी निर्वाचन को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत की गयी किसी निर्वाचन याचिका से अन्यथा प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

31. **निर्वाचन याचिका.**– (1) नगरपालिका के सदस्य के रूप में किसी भी व्यक्ति के निर्वाचन को नगरपालिक क्षेत्र पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश के समक्ष, निर्वाचन की तारीख से एक मास के भीतर–भीतर कोई निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधारों पर प्रश्नगत किया जा सकेगा, अर्थात्ः–

(क) कि निर्वाचन की तारीख को निर्वाचित उम्मीदवार इस अधिनियम के अधीन स्थान भरने के लिए चुने जाने हेतु अर्हित नहीं था, या निरर्हित था, या

(ख) कि निर्वाचित उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा या निर्वाचित उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, धारा 29 में विनिर्दिष्ट कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है, या

(ग) कि कोई नामांकन अनुचित तौर पर खारिज कर दिया गया है, या

(घ) कि निर्वाचन का परिणाम, जहां तक उसका सम्बन्ध निर्वाचित उम्मीदवार से है, निम्नलिखित द्वारा तात्विक रूप से प्रभावित किया गया है–

(i) किसी नामांकन की अनुचित स्वीकृति द्वारा, या

(ii) निर्वाचित उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या ऐसे उम्मीदवार या निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से काम कर रहे किसी व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्वाचित उम्मीदवार के हित में किये गये किसी भ्रष्ट आचरण द्वारा, या

(iii) किसी मत को अनुचित रूप से ग्रहण, नामंजूर या खारिज करके या ऐसे किसी मत को, जो शून्य है, ग्रहण करके, या

(iv) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या किये गये आदेशों के उपबन्धों की किसी अननुपालना द्वारा, या

(ङ) कि वस्तुतः याचिकाकर्ता या किसी अन्य उम्मीदवार को विधिमान्य मतों का बहुमत प्राप्त हुआ था, या

(च) कि यदि निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा भ्रष्ट आचरण से मत प्राप्त न किये जाते तो याचिकाकर्ता या किसी अन्य उम्मीदवार को विधिमान्य मतों का बहुमत प्राप्त होता।

(2) निर्वाचन याचिका की सुनवाई में जिला न्यायाधीश ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो विहित की जायें।

32. **जिला न्यायाधीश के आदेशों से अपीलें**.– (1) धारा 31 के अधीन दायर याचिका पर जिला न्यायाधीश द्वारा किये गये प्रत्येक आदेश से अपील उच्च न्यायालय को होगी।

(2) उच्च न्यायालय को, इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, इस धारा के अधीन अपील के सम्बन्ध में वही शक्तियां, अधिकारिता तथा प्राधिकार होगा और वह उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसा वह अपनी सिविल अपील अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित किसी सिविल न्यायालय द्वारा पारित मूल डिक्री से अपील की दशा में करता है।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील उस आदेश की, जिससे अपील की गयी है, तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर–भीतर की जायेगी:

परन्तु उच्च न्यायालय, तीस दिवस की उक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात् भी कोई अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि अपीलार्थी के पास ऐसी कालावधि के भीतर–भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण था।

(4) जहां अपील सभी या किन्हीं भी निर्वाचित उम्मीदवारों के निर्वाचन को शून्य घोषित करते हुए दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध की गयी है वहां उच्च न्यायालय, पर्याप्त कारण दर्शाये जाने पर, उस आदेश, जिससे अपील की गयी है, के प्रर्वतन पर रोक लगा सकेगा और ऐसी दशा में उस आदेश की बाबत यह समझा जायेगा कि वह प्रभाव में नहीं आया है।

(5) प्रत्येक अपील यथासम्भव शीघ्रता से विनिश्चित की जायेगी और उस तारीख से, जिसको अपील का ज्ञापन उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हो, तीन मास के भीतर–भीतर उसे अन्तिम रूप से अवधारित करने का प्रयास किया जायेगा।

33. **समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपास्त होने की दशा में प्रक्रिया.**– जब कभी किसी नगरपालिका के सभी सदस्यों का या उसके सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई से अधिक सदस्यों का निर्वाचन धारा 31 के अधीन, या धारा 32 के अधीन अपील किये जाने पर, शून्य घोषित कर दिया जाये, तब राज्य सरकार नगरपालिका को विघटित करेगी और तदुपरान्त धारा 322 के उपबंध, उसकी उप–धारा (1) के उपबंधों को छोड़कर, लागू होंगे।

34. **आदेशों और विनिश्चय की अन्तिमता.**–धारा 32 के अधीन की गयी किसी अपील पर उच्च न्यायालय का विनिश्चय और केवल ऐसे विनिश्चय के अध्यधीन रहते हुए, धारा 31 के अध्यधीन जिला न्यायाधीश का आदेश अन्तिम तथा निश्चायक होगा।

35. **निरर्हताएं.**– (1) निम्नलिखित से किसी नगरपालिका की सदस्यता के लिए निरर्हताएं हो जायेंगी, अर्थात्:–

(क) धारा 28 में निर्दिष्ट निर्वाचन संबंधी अपराधों से,

(ख) धारा 29 में विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरणों से।

(2) ऐसी निरर्हता की कालावधि, ऐसे भ्रष्ट आचरण के सम्बन्ध में जिला न्यायाधीश के निष्कर्ष की तारीख से या, यथास्थिति, ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराये जाने की तारीख से, छह वर्ष की होगी।

36. **निरर्हता का हटाया जाना या उसकी कालावधि में कमी करना.**– राज्य निर्वाचन आयोग, धारा 35 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन की किसी निरर्हता को, लेखबद्ध कारणों से, हटा सकेगा या ऐसी किसी भी निरर्हता की कालावधि को कम कर सकेगा।

37. **पद की शपथ.**–(1) प्रत्येक सदस्य, इस रूप में अपना कर्तव्य ग्रहण करने के पूर्व, कलक्टर या इस प्रयोजन के लिए उसके नामनिर्देशिती के समक्ष, विहित प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।

(2) किसी भी ऐसे सदस्य की बाबत, जो नगरपालिका की प्रथम बैठक की तारीख से, या उप–निर्वाचन में निर्वाचित सदस्य या नामनिर्दिष्ट सदस्य के मामले में, उसके निर्वाचन की तारीख से या, यथास्थिति, उसके नामनिर्देश की तारीख से, एक मास की कालावधि के भीतर–भीतर उप–धारा (1) के उपबन्धों का पालन करने में विफल रहता है, यह समझा जायेगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है:

परन्तु ऐसी कालावधि को विचार में नहीं लिया जायेगा जिसके दौरान ऐसा सदस्य विचाराधीन कैदी या निरुद्ध व्यक्ति या राजनैतिक कैदी के रूप में जेल में था।

38. **त्यागपत्र.**– कोई सदस्य, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित उस आशय का लिखित नोटिस अध्यक्ष को देकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र नोटिस की तारीख से पन्द्रह दिवस की समाप्ति के पश्चात् या अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने की तारीख, जो भी पहले हो, से प्रभावी होगा।

39. **सदस्य का हटाया जाना**.–(1) राज्य सरकार, उप–धारा (3) और (4) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, नगरपालिका के किसी सदस्य को निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर हटा सकेगी, अर्थात्ः–

(क) कि वह नगरपालिका की इजाजत के बिना तीन से अधिक क्रमवर्ती साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहा हैः

परन्तु ऐसी कालावधि को विचार में नहीं लिया जायेगा जिसके दौरान ऐसा सदस्य विचाराधीन कैदी या निरुद्ध व्यक्ति या राजनैतिक कैदी के रूप मे जेल में था;

(ख) कि वह धारा 37 के उपबंधों का पालन करने में विफल रहा है,

(ग) कि उसने अपने निर्वाचन के पश्चात्, धारा 14 या धारा 24 में वर्णित कोई निरर्हता उपगत कर ली है या वह धारा 21 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है,

(घ) कि–

(i) उसने सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के पालन में जानबूझकर उपेक्षा की है या परिवर्जन किया है, या
(ii) वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी रहा है, या
(iii) वह किसी निकृष्ट आचरण का दोषी रहा है, या
(iv) वह सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो गया है, या
(v) वह इस अधिनियम के अधीन सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए निरर्हित हो गया है, या
(vi) उसने ऐसे सदस्य के रूप में अपनी स्थिति का किसी रीति से अन्यथा दुरुपयोग किया हैः

परन्तु हटाये जाने का कोई आदेश, राज्य सरकार द्वारा, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे और जिसे वह या तो स्वयं करे या किसी ऐसे विद्यमान या सेवानिवृत्त अधिकारी से, जो राज्य स्तरीय सेवा की

रैंक से नीचे का न हो, या ऐसे प्राधिकारी से, जिसका वह निदेश दे, करवाये, और संबंधित सदस्य को स्पष्टीकरण का अवसर दे दिये जाने के पश्चात्, पारित किया जायेगा।

(2) उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग, राज्य सरकार द्वारा स्वप्रेरणा से या उस निमित्त नगरपालिका से कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा राज्य सरकार की जानकारी में आये तथ्यों के आधार पर किया जा सकेगाः

परन्तु इस धारा के अधीन राज्य सरकार के किसी आदेश द्वारा किसी सदस्य को जब तक हटा नहीं दिया जाये तब तक वह अपना पद रिक्त नहीं करेगा और उप–धारा (6) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए सदस्य के रूप मे कार्य करता रहेगा तथा सदस्य की समस्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करता रहेगा और ऐसी हैसियत में इस अधिनियम के अधीन सदस्य के समस्त अधिकारों का हकदार तथा समस्त दायित्वों के अध्यधीन होगा।

(3) उप–धारा (1) में अतंर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी सदस्य को, उक्त उप–धारा के परन्तुक में निर्दिष्ट जांच के परिणामस्वरूप और सम्बन्धित सदस्य के स्पष्टीकरण को सुनने के पश्चात्, उप–धारा (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी भी आधार पर हटाने का प्रस्ताव किया जाये तब राज्य सरकार, ऐसे सदस्य के विरुद्ध सुस्पष्ट आरोप उपवर्णित करते हुए एक विवरण तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किये जाने वाले जिला न्यायाधीश की रैंक के किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा जांच और निष्कर्षों के लिए भेज देगी।

(4) इस प्रकार नियुक्त किया गया न्यायिक अधिकारी आरोप की जांच करेगा, संबंधित सदस्य को, यदि वह उपस्थित होता है, सुनेगा और विवरण में उपवर्णित प्रत्येक मामले पर और साथ ही प्रत्येक ऐसे अन्य मामले पर जिसे वह आरोप के लिए सुसंगत समझता है, अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा, और ऐसे निष्कर्ष के साथ अभिलेख राज्य सरकार को भेजेगा, जो तदुपरान्त लेखबद्ध कारणों से या तो पुनः जांच का आदेश करेगी या अंतिम आदेश पारित करेगी।

(5) उप–धारा (4) के अधीन जांच की सुनवाई करते समय, न्यायिक अधिकारी प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें और उसे वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में वाद का विचारण करते समय निहित होती हैं, अर्थात्;–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) कोई ऐसा दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री जो साक्ष्य में पोषणीय हो, के प्रकटीकरण और उसे पेश किये जाने की अपेक्षा करना; और

(ग) किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना; और

(घ) कोई भी अन्य विषय जो विहित किया जाये।

(6) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी ऐसे सदस्य को, जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन जांच की

कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है, जांच की समाप्ति तथा अन्तिम आदेश पारित होने तक के लिए निलम्बित कर सकेगी और इस प्रकार निलम्बित सदस्य नगरपालिका की किसी कार्यवाही में भाग लेने या अन्यथा उसके सदस्य के कर्तव्यों का पालन करने का हकदार नहीं होगा।

(7) इस धारा के अधीन पारित राज्य सरकार का प्रत्येक अंतिम आदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा और वह अन्तिम होगा और ऐसे किसी भी आदेश को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा।

40. **पदावधि की समाप्ति के पश्चात् कतिपय अभिकथनों की जांच**.–(1) किसी नगरपालिका के किसी भी सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध धारा 39 की उप–धारा (1) के खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट प्रकृति के किन्हीं अभिकथनों के संबंध में ऐसी नगरपालिका के सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध उक्त उप–धारा के परन्तुक तथा उस धारा की उप–धारा (3) या (4) में निर्दिष्ट जांच, उस नगरपालिका के कार्यकाल की समाप्ति के बाद या उसके ऐसा सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष न रहने के बाद भी प्रारम्भ की जा सकेगी, और यदि जांच ऐसी समाप्ति या उसके ऐसा सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष न रहने के पूर्व ही आरम्भ की जा चुकी हो तो वह उसके बाद भी चालू रखी जा सकेगी और उप–धारा (3) के अन्तर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर, ऐसे प्रत्येक मामले में राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा, केवल धारा 39 की उप–धारा (4) के अधीन न्यायिक अधिकारी द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों के अनुरूप अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगी।

(2) राज्य सरकार के इस प्रकार अभिलिखित निष्कर्षों पर धारा 39 की उप–धारा (6) के उपबन्ध लागू होंगे।

(3) ऐसे सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के मामलें में, जिसे नगरपालिका की नयी अवधि के लिए पुनर्निर्वाचित किया जाता है और जिसके विरुद्ध नगरपालिका में उसकी पूर्व अवधि के सम्बन्ध में उप–धारा (1) में निर्दिष्ट कोई जांच प्रारम्भ की जाती है, या यदि वह पहले से ही प्रारम्भ कर दी गयी है और जारी रखी जाती है, धारा 39 के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

41. **धारा 39 के अधीन हटाये गये सदस्यों की निर्योग्यता.**– कोई सदस्य, जिसे धारा 39 की उप–धारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन हटा दिया गया हो या जिसके विरुद्ध धारा 40 के अधीन प्रतिकूल निष्कर्ष अभिलिखित कर दिये गये हों, उसके हटाये जाने या, यथास्थिति, प्रतिकूल निष्कर्ष अभिलिखित किये जाने की तारीख से छह वर्ष की कालावधि तक पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा।

42. **किसी नगरपालिका में सदस्य का पद और संसद् या राज्य विधान सभा या किसी पंचायती राज संस्था की सदस्यता एक साथ धारण करने पर निर्बन्धन**.– कोई भी व्यक्ति किसी नगरपालिका का निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्य और संसद् या राज्य विधान–मण्डल या किसी पंचायती राज संस्था का सदस्य, दोनों नहीं रहेगा और यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो पहले से ही संसद् या राज्य विधान सभा या किसी पंचायती राज संस्था का सदस्य है, किसी नगरपालिका के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है तब ऐसे सदस्य के रूप में निर्वाचित होने या नामनिर्देशन की तारीख से चौदह दिवस की समाप्ति पर वह ऐसा सदस्य नहीं रहेगा जब तक कि वह संसद् या राज्य विधान सभा या, यथास्थिति, पंचायती राज संस्था में के अपने स्थान से, पहले ही त्यागपत्र नहीं दे देता हैः

परन्तु यदि कोई व्यक्ति, जो पहले से ही किसी नगरपालिका का निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्य है, संसद् या राज्य विधान सभा या किसी पंचायती राज संस्था का सदस्य निर्वाचित कर लिया जाता है, तब संसद् या राज्य विधान सभा या, यथास्थिति, किसी पंचायती राज संस्था का सदस्य निर्वाचित होने की तारीख से, चौदह दिवस की समाप्ति पर वह ऐसा सदस्य नहीं रहेगा जब तक कि वह संसद् या राज्य विधान सभा या, यथास्थिति, पंचायती राज संस्था में के अपने स्थान से, पहले ही त्यागपत्र नहीं दे देता है।

43. **प्रत्येक नगरपालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा.–** (1) प्रत्येक नगर निगम के लिए एक महापौर, प्रत्येक नगर परिषद् के लिए एक सभापति और प्रत्येक नगरपालिक बोर्ड के लिए एक अध्यक्ष होगा जो विहित रीति से निर्वाचित किया जायेगा।

(2) प्रत्येक नगर निगम के लिए एक उप–महापौर, और नगर परिषद् के लिए एक उप–सभापति और प्रत्येक नगरपालिक बोर्ड के लिए एक उपाध्यक्ष होगा, जो विहित रीति से निर्वाचित किया जायेगा।

(3) नगरपालिकाओं के अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए तथा महिलाओं के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे, जो विहित की जाये।

(4) राज्य सरकार उप–धारा (3) के अधीन आरक्षित अध्यक्षों के पदों का राज्य की विभिन्न नगरपालिकाओं को आबंटन करेगी और ऐसे पदों का आबंटन करने में निम्नलिखित उपबंधों को ध्यान में रखा जायेगा, अर्थात्ः–

(i) ऐसी नगरपालिकाओं का, जिनमें अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए पद का आरक्षण किया जाये, फैलाव सम्पूर्ण राज्य में होगा और वे यथासाध्य उन क्षेत्रों में स्थित होंगी जिनमें उन जातियों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनस़ंख्या के साथ तुलनात्मक रूप से अधिक है;

(ii) ऐसी नगरपालिकाओं का, जिनमें महिलाओं के लिए पद का आरक्षण किया जाये, फैलाव सम्पूर्ण राज्य में होगा।

(5) इस धारा के अधीन अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए अध्यक्षों के पद का आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

(6) ऐसा प्रत्येक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जो नगरपालिका से एक मास से अधिक की कालावधि तक ऐसे अनुपस्थित रहता है, कि वह ऐसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाये, तो वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं रहेगा जब तक कि उसे नगरपालिका द्वारा इस प्रकार अनुपस्थित रहने की छुट्टी मंजूर नहीं कर दी गयी हो।

(7) उप–धारा (6) के अधीन छह मास से अधिक की कालावधि के लिए छुट्टी मंजूर नहीं की जायेगी। जब कभी किसी अध्यक्ष को छुट्टी मंजूर कर दी जाये और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब ऐसी रिक्ति ऐसी कालावधि के भीतर–भीतर तथा ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, सदस्यों में से निर्वाचन के द्वारा भरी जायेगी। जब किसी उपाध्यक्ष की छुट्टी मंजूर कर दी जाये या जब उपाध्यक्ष, अध्यक्ष का कार्य कर रहा हो, तब उपाध्यक्ष

के पद की रिक्ति उस पर किसी अन्य सदस्य का निर्वाचन करके भरी जा सकेगी।

(8) यदि किसी नगरपालिका का उपाध्यक्ष, नगरपालिका के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो उसकी बाबत यह समझा जायेगा कि उसने उपाध्यक्ष के रूप में अपना पद रिक्त कर दिया है।

(9) किसी नगरपालिका के प्रत्येक अध्यक्ष और प्रत्येक उपाध्यक्ष की बाबत तत्काल यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है, यदि विहित प्रक्रिया के अनुसार उसमें अविश्वास अभिव्यक्त करते हुए कोई संकल्प पारित कर दिया गया है।

(10) प्रत्येक अध्यक्ष तथा प्रत्येक उपाध्यक्ष को, ऐसे अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के रूप में अपने पद से, धारा 39 की उप–धारा (1) के खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी भी आधार पर हटाया जा सकेगा और उस धारा की उप–धारा (2) से (6) तक के उपबन्ध लागू होंगे।

(11) प्रत्येक अध्यक्ष तथा प्रत्येक उपाध्यक्ष की पदावधि, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, नगरपालिका की पदावधि के अनुरूप होगी।

(12) उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को लिखित नोटिस देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और अध्यक्ष ऐसे अधिकारी को, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त या प्राधिकृत किया जाये, वैसा ही नोटिस व्यक्तिशः देकर त्यागपत्र दे सकेगा। ऐसा प्रत्येक त्यागपत्र उसके मंजूर किये जाने पर या, यथास्थिति, अध्यक्ष या, यथास्थिति, ऐसे अधिकारी को नोटिस दिये जाने से तीस दिवस की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, प्रभावी होगा।

(13) (i) अध्यक्ष के पद पर पदावधि समाप्त हो जाने से अन्यथा हुई कोई रिक्ति, ऐसी रिक्ति होने से छह मास की कालावधि के भीतर–भीतर भरी जायेगी और ऐसी रिक्ति भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति, ऐसी शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके लिए वह अध्यक्ष, जिसके स्थान पर उसका इस प्रकार निर्वाचन किया गया है, पद धारण करता, यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती:

परन्तु राज्य सरकार अपरिहार्य परिस्थितियों के मामले में ऐसे निर्वाचन की तारीख को पूर्वोक्त कालावधि से आगे अधिकतम तीन मास की कालावधि के लिए और बढ़ा सकेगी।

(ii) उपाध्यक्ष के पद पर पदावधि समाप्त हो जाने से अन्यथा हुई कोई रिक्ति पूर्ववर्ती उप–धाराओं के उपबन्धों के अनुसार भरी जायेगी और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति, ऐसी शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके लिए वह उपाध्यक्ष, जिसके स्थान पर उसका इस प्रकार निर्वाचन किया गया है, पद धारण करता, यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती।

(14) इस धारा के उपबंधों के अनुसार निर्वाचित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के नाम यथाशक्य शीघ्र राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे।

(15) नगरपालिका का अध्यक्ष नगरपालिक निधि से ऐसे मासिक भत्ते और प्रसुविधाएं प्राप्त कर सकेगा, जो विहित की जायें।

44. **अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधिमान्यता का अवधारण.**–(1) धारा 43 के अधीन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन, नगरपालिक क्षेत्र पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत निर्वाचन याचिका के सिवाय प्रश्नगत नहीं किया जायेगा:

परन्तु जब किसी जिला न्यायाधीश को यथापूर्वोक्त रूप से कोई निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की जाये, तब वह उसे लेखबद्ध कारणों से अपने अधीनस्थ किसी न्यायाधीश को सुनवाई तथा निपटारे के लिए अन्तरित कर सकेगा।

**स्पष्टीकरण**.– जिला न्यायाधीश या किसी भी अन्य न्यायाधीश को, जिसे कोई निर्वाचन याचिका प्रस्तुत या अन्तरित की गयी है और जिसके द्वारा इस धारा के उपबन्धों के अनुसार उसकी सुनवाई की गयी है, इसमें इसके पश्चात् न्यायाधीश के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

(2) ऐसी कोई याचिका ऐसे किसी उम्मीदवार द्वारा, जो पराजित हो गया है, या जिसका नामांकन रद्द कर दिया गया है, ऐसी रीति से, ऐसे आधारों पर और ऐसी कालावधि के भीतर–भीतर, जो विहित की जाये, एक हजार रुपये के निक्षेप के साथ प्रस्तुत की जा सकेगी।

(3) याचिका की सुनवाई करने में न्यायाधीश ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो विहित की जायें।

(4) उप–धारा (3) में अन्तर्विष्ट उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, न्यायाधीश, यदि याचिका सारहीन पायी जाये, तो यह निदेश दे सकेगा कि उप–धारा (2) में उल्लिखित निक्षेप राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत किया जायेगा।

45. **मुख्य नगरपालिक कृत्य**.– (1) प्रत्येक नगरपालिका का कर्तव्य होगा कि वह अपने नगरपालिक क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित मामलों के लिए युक्तियुक्त उपबंध और समुचित व्यवस्था करे, अर्थात्:–

(क) लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध, जल–निकास और मल–वहन, सार्वजनिक मार्गों, स्थानों तथा मलनालियों और ऐसे स्थानों, जो निजी संपत्ति नहीं हों और जो जनता के उपयोग के लिए खुले हों, चाहे ऐसे स्थान नगरपालिका में निहित हों या नहीं, की सफाई, हानिपूर्ण वनस्पति को हटाना और सभी लोक न्यूसेंसों को समाप्त करना;

(ख) गंदगी, कूड़ाकरकट, विष्ठा, दुर्गन्ध या किसी भवन या भवनों में या उनसे संबंधित शौचालयों, तहारतों, मूत्रालयों, मलकूपों या ऐसे पदार्थों को डालने के लिए अन्य सामान्य पात्रों से किसी अन्य हानिकारक या घृणोत्पादक पदार्थ को हटाना;

(ग) सार्वजनिक मार्गों, स्थानों और भवनों में रोशनी की व्यवस्था करना;

(घ) आग बुझाना और आग लगने पर जीवन तथा सम्पत्ति की संरक्षा करना;

(ङ) घृणोत्पादक या खतरनाक व्यापारों या व्यवसायों को विनियमित करना;

(च) सार्वजनिक मार्गों या स्थानों तथा उन जगहों में, जो निजी सम्पत्ति नहीं हैं और जो जनता के उपयोग के लिए खुली हैं, चाहे ऐसी जगहें नगरपालिका में निहित हों या न हो, बाधाओं तथा बहिर्गत भागों को हटाना;

(छ) खतरनाक भवनों या स्थानों को सुरक्षित करना या हटाना तथा अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों का पुनरूद्धार करना ;

(ज) मृतकों तथा मृत जानवरों के शवों के निर्वर्तन के लिए स्थानों का अर्जन, अनुरक्षण, परिवर्तन तथा विनियमन करना;

(झ) सार्वजनिक मार्गों, पुलियाओं, नगरपालिक सीमा चिह्नों, बाजारों, वधशालाओं, नालियों, मलनालियों, जलनिकास संकर्मों, मलनाली संकर्मों, स्नानागारों, धोने के स्थानों, पेय–जल स्रोतों, तालाबों, कुंओं, बांधों और तत्समान अन्य संकर्मों का निर्माण करना, उनमें परिर्वतन करना तथा उनका अनुरक्षण करना;

(ञ) सार्वजनिक तहारतों, शौचालयों, और मूत्रालयों का निर्माण करना;

(ट) मार्गों का नामकरण और घरों का संख्यांकन करना;

(ठ) जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना;

(ड) नगरपालिका के भीतर ऐसे कुत्तों के परिरोध और परिरक्षण के लिए व्यवस्था करना, जिनके संबंध में इस अधिनियम की धारा 249 के अधीन कार्रवाई की जानी है;

(ढ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए या किसी नगरीय सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए नगरपालिका द्वारा यथा–अपेक्षित पुलिस अधिकारियों के मद्धे वेतन का और उनके आकस्मिक व्यय का भुगतान करना और ऐसा स्थान उपलब्ध कराना जो

पुलिस से संबंधित प्रवृत्त विधि के अधीन राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित किया जाये;

(ण) व्यक्तियों की संरक्षा, सम्पत्ति की सुरक्षा और लोक सुरक्षा के संबंध में ऐसे कृत्य और कर्तव्य, जो विहित किये जायें, करने के लिए स्वयंसेवी बल का गठन करना;

(त) विष्ठा और कूड़ाकरकट से कम्पोस्ट खाद तैयार करने के लिए व्यवस्थाएं करना;

(थ) कांजी हाउस स्थापित करना और उनका रख–रखाव करना;

(द) जनसंख्या नियन्त्रण, परिवार कल्याण और छोटे परिवार के मानकों को बढ़ावा देना;

(ध) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना;

(न) सड़कों, फुटपाथों, पैदल रास्तों, यात्रियों और माल, दोनों के लिए परिवहन टर्मिनलों, पुलों, ओवर–ब्रिजों, सब–वे, फेरीज के निर्माण और रख–रखाव सहित संचार प्रणाली और आन्तरिक जल परिवहन प्रणाली स्थापित करना;

(प) यातायात अभियांत्रिकी योजनाओं, मार्ग–फर्नीचर, पार्किंग क्षेत्रों और बस स्टॉप सहित परिवहन प्रणाली उपांग तैयार करना;

(फ) मानव बस्ती के लिए नये क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास के लिए व्यवस्था करना;

(ब) उद्यान एवं झरने स्थापित करके, मनोरंजन क्षेत्रों की व्यवस्था करके, नदी के किनारों को संवार कर और भू–दृश्य चित्रण द्वारा नगरीय क्षेत्र के सौन्दर्यकरण के लिए उपाय करना;

(भ) समुदाय के लिए महत्वपूर्ण आंकड़ों और डाटा का संग्रह करना;

(म) जिला या क्षेत्रीय विकास योजना, यदि कोई हो, के साथ नगरीय क्षेत्र की विकास योजनाओं और स्कीमों को समेकित करना;

(य) शैक्षणिक, खेल संबंधी और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना;

(यक) नगरपालिका के वित्त और उसके द्वारा हाथ में लिए गये विकास कार्य और अन्य गतिविधियों के बारे में तात्विक और महत्वपूर्ण सूचनाएं हितधारकों और आम जनता को प्रकट करना;

(यख) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना; और

(यग) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन यथा–उपबंधित अन्य कानूनी या नियामक कृत्यों का पालन करना।

(2) नगरपालिका अपनी प्रबन्धकीय, तकनीकी, वित्तीय और संगठनात्मक क्षमता और नगरीय क्षेत्र में विद्यमान वास्तविक दशाओं को

ध्यान में रखते हुए पूर्वोक्त में से किन्हीं कृत्यों को नहीं करने, या उनकी पालना को स्थगित करने का विनिश्चय कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार नगरपालिका को यथापूर्वोक्त में से किन्हीं कृत्यों का, यदि ऐसे कार्य का जिम्मा नगरपालिका द्वारा नहीं लिया गया है या उसके द्वारा स्थगित कर दिया गया है, पालन करने का निदेश दे सकेगी।

(4) नगरपालिका यथापूर्वोक्त कृत्यों में से किसी के भी निर्वहन के लिए अपेक्षित अवसरंचना की, या तो स्वयं या धारा 154 में निर्दिष्ट करार के अधीन किसी भी अभिकरण के माध्यम से, योजना बना सकेगी, उसका सन्निर्माण, प्रर्वतन, रख–रखाव या प्रबंध कर सकेगी।

46. **अन्य नगरपालिक कृत्य**.– नगरपालिका अपने मुख्य कृत्यों, जो नगरपालिक निधि पर प्रथम प्रभार होंगे, के संतोषप्रद निष्पादन को ध्यान में रखते हुए और अपनी प्रबंधकीय, तकनीकी और वित्तीय क्षमताओं के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित में से किन्हीं भी कृत्यों का जिम्मा ले सकेगी, उनका निष्पादन कर सकेगी या उनके निष्पादन को प्रोत्साहित कर सकेगी, अर्थात्:–

(i) पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में–

(क) बंजर भूमियों को उपजाऊ बनाना, सामाजिक वानिकी को प्रोन्नत करना और खुले स्थानों का रख–रखाव करना;

(ख) पौधों, सब्जियों और वृक्षों के लिए पौधशालाओं की स्थापना और रख–रखाव और जन सहभागिता के माध्यम से हरियाली की वृद्धि;

(ग) पुष्प–प्रदर्शनियों का आयोजन और नागरिक संस्कृति के रूप में फूल उगाने को बढ़ावा देना; और

(घ) प्रदूषण के सभी स्वरूपों के निवारण के लिए उपायों को प्रोत्साहित करना।

(ii) लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में–

(क) संक्रामक बीमारियों के उन्मूलन के लिए जन टीकाकरण अभियान;

(ख) अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों का उद्धार;

(ग) सभी सार्वजनिक तालाबों का रख–रखाव और सभी निजी तालाबों, कुओं और जलापूर्ति के अन्य स्रोतों के पुनर्उत्खनन, मरम्मत और रख–रखाव का ऐसी शर्तों और निबंधनों पर, जिन्हें नगरपालिका ठीक समझे, विनियमन; और

(घ) प्रवचनों, सेमीनारों और सम्मेलनों के माध्यम से लोक स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की नागरिक चेतना की प्रोन्नति;

(iii) शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में–

(क) नागरिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सामाजिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा की प्रोन्नति;

(ख) संगीत, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद और थियेटर सहित सांस्कृतिक क्रियाकलापों की और उनके लिए अवसंरचना की प्रोन्नति;

(ग) नगरीय जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अभिवृद्धि;

(घ) नगरपालिक पत्रिकाओं, नियतकालिक पत्रिकाओं और स्मारिकाओं का प्रकाशन, पुस्तकों का क्रय और पत्रिकाओं, मेगजीनों और समाचार पत्रों का ग्राहक बनना;

(ङ) समुचित रीति से मूर्तियां, चित्र और तस्वीर स्थापित करना;

(च) कला–दीर्घाओं और वानस्पतिक या प्राणी संग्रहों की व्यवस्था, स्थापना और रख–रखाव;

(छ) ऐतिहासिक, कलात्मक और अन्य महत्व के स्थानों और संस्मारकों का परिरक्षण और रख–रखाव; और

(ज) सार्वजनिक पुस्तकालयों, संग्रहालयों, वाचनालयों, पागलखानों, सभा–भवनों, कार्यालयों का संनिर्माण, स्थापना, रख–रखाव करना या रख–रखाव में योगदान करना;

(iv) लोक कल्याण के क्षेत्र में–

(क) सूखा, बाढ़, भूकम्प या अन्य प्राकृतिक या प्रौद्योगिकी आपदाओं के समय आश्रयों की स्थापना और रख–रखाव और नगरपालिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर निराश्रित व्यक्तियों के लिए राहत कार्य;

(ख) अस्पतालों, औषधालयों, आश्रयों, उद्धार गृहों, प्रसूति गृहों और बाल कल्याण केन्द्रों का संनिर्माण या रख–रखाव या उनकी सहायता के लिए प्रावधान;

(ग) बेघरों के लिए आश्रयों का प्रावधान;

(घ) हथ–सफाई कर्मियों और उनके परिवारों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए कार्यक्रमों का क्रियान्वयन;

(ङ) सामुदायिक कल्याण के लिए स्वैच्छिक श्रम की व्यवस्था और स्वैच्छिक संगठनों के क्रियाकलापों का समन्वय; और

(च) ऐसी सूचना के प्रसार के लिए अभियान, जो लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हो; और

(v) सामुदायिक संबंधों के क्षेत्र में–

(क) विशिष्ट व्यक्तियों का नागरिक सम्मान और ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों की मृत्यु पर श्रद्धांजलि देना;

(ख) मेलों और प्रदर्शनियों की व्यवस्था और प्रबंध करना;और

(ग) लोकहित की सूचना का प्रसार।

**47. सरकार द्वारा समनुदेशित कृत्य.–** राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी नगरपालिका से ऐसे अन्य नगरपालिक कृत्यों का पालन करने की अपेक्षा कर सकेगी जिनका राज्य सरकार, उस नगरपालिका की आवश्यकता और संसाधनों का ध्यान रखते हुए उस नगरपालिका द्वारा पालन किया जाना उचित समझे।

48. **अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्य**.– (1) नगरपालिका के अध्यक्ष के निम्नलिखित कर्तव्य होंगेः–

(क) धारा 58 में यथा–उपबंधित रूप में नगरपालिका की नियमित बैठकें आयोजित करना;

(ख) जब तक कि युक्तियुक्त कारण से निवारित नहीं किया गया हो, नगरपालिका की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना और धारा 337 की उप–धारा (2) के खण्ड (xiii) के अधीन तत्समय प्रवृत्त नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए ऐसी बैठकों में कार्य संचालन को विनियमित करना;

(ग) नगरपालिका के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखना;

(घ) इस अधिनियम के अधीन और उसके अनुसार विनिर्दिष्ट रूप से उस पर अधिरोपित या उसे प्रदत्त सभी कर्तव्यों का पालन और सभी शक्तियों का प्रयोग करना; और

(ङ) ऐसे अन्य कार्यपालक कृत्यों का पालन करना जो विहित किये जायें।

(2) नगरपालिका का उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो अध्यक्ष उसे समय–समय पर प्रत्यायोजित करे। उपाध्यक्ष के निम्नलिखित कर्तव्य भी होंगेः–

(क) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में और जब तक युक्तियुक्त कारण से निवारित नहीं किया गया हो, नगरपालिका की बैठकों की अध्यक्षता करना और जब इस प्रकार अध्यक्षता कर रहा हो, उसी प्राधिकार का प्रयोग करना जो उप–धारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन अध्यक्ष में निहित है; और

(ख) अध्यक्ष के छुट्टी पर अनुपस्थित रहने के दौरान, अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करना।

49. **अभिलेखों की अभिरक्षा को सम्मिलित करते हुए मुख्य नगरपालिक अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य.–** (1) मुख्य नगरपालिक

अधिकारी, नगरपालिका के सभी अभिलेखों की अभिरक्षा और रख–रखाव के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) जहां किसी नगरपालिका या उसकी किसी भी समिति की कोई कार्यवाहियां या संकल्प या अध्यक्ष का आदेश इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत हो, वहां मुख्य नगरपालिक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का कार्यान्वयन करने के लिए विधि के सुसंगत उपबंधों को वर्णित करते हुए नगरपालिका, या समिति या अध्यक्ष को सलाह दे और नगरपालिका या समिति की बैठक की कार्यवाहियों में या अध्यक्ष के आदेश पर यह तथ्य अभिलिखित करे कि उसने ऐसी सलाह दे दी थी और तदुपरांत ऐसी कार्यवाहियों, संकल्प या, यथास्थिति, आदेश पर विसम्मति का टिप्पण प्रस्तुत करे और यह सुनिश्चित करे कि ऐसा संकल्प या आदेश पारित होने या, यथास्थिति, ऐसी कार्यवाहियां हाथ में लेने के सात दिवस के भीतर–भीतर उस मामले को राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को संसूचित करे।

(3) यदि मुख्य नगरपालिक अधिकारी, उप–धारा (2) के अधीन उसके कर्तव्यों में जानबूझकर उपेक्षा करता है तो वह उस उप–धारा में विनिर्दिष्ट प्रकृति की कार्यवाहियों, संकल्प या आदेश के परिणामस्वरूप नगरपालिका द्वारा उपगत किसी भी हानि के लिए व्यक्तिशः दायी होगा और ऐसी हानि उससे उसी रीति से वसूल की जायेगी जिससे नगरपालिक बकायाएं वसूल की जाती हैं।

(4) उप–धारा (2) के अधीन रिपोर्ट किये गये विसम्मति के टिप्पण का परीक्षण करने के पश्चात्, राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसा अंतरिम या अंतिम आदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे और वह नगरपालिका पर आबद्धकर होगा:

परन्तु यदि विसम्मति का टिप्पण प्राप्त होने की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर–भीतर ऐसा कोई अंतरिम या अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाता है तो नगरपालिका, कार्यवाहियों या संकल्प, या, यथास्थिति, आदेश पर ऐसे कार्यवाही कर सकेगी मानो विसम्मति का टिप्पण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(5) मुख्य नगरपालिक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी को, इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, समस्त संकल्पों, समस्त अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञाओं को, जो इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका, समिति या अध्यक्ष के आदेश द्वारा मंजूर किये जायें या दिये जायें, अपने हस्ताक्षरों से अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और कोई भी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा या आदेश तब तक वैध तथा विधिमान्य नही होगा जब तक कि उसे मुख्य नगरपालिक अधिकारी या, यथास्थिति, ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा इस प्रकार अधिप्रमाणित न कर दिया गया हो।

(6) मुख्य नगरपालिक अधिकारी, नगरपालिका की ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो राज्य सरकार उसे विनिर्दिष्ट प्रशासनिक अत्यावश्यकता में किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सौंपे।

(7) नगरपालिका को संबोधित या उसके लिए तात्पर्यित समस्त पत्राचार साधारणतया मुख्य नगरपालिक अधिकारी के नाम से भेजा जायेगा किन्तु अध्यक्ष को भी भेजा जा सकेगा और नगरपालिका की तरफ से जारी या किया गया समस्त पत्राचार साधारणतया मुख्य नगरपालिक अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा और अध्यक्ष की मुहर और हस्ताक्षर से भी जारी किया जा सकेगा।

(8) मुख्य नगरपालिक अधिकारी नगरपालिका या उसकी किसी भी समिति की कार्यवाहियों के कार्यवृत्तों या अन्य दस्तावेज या वस्तु से ऐसा

कोई भी उद्धरण प्रस्तुत करेगा, जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत अधिकारी समय–समय पर मांगे।

(9) मुख्य नगरपालिक अधिकारी,–

(i) नगरपालिका के लेखाओं की संपरीक्षा के दौरान उसके ध्यान में लायी गयी या संपरीक्षा रिपोर्ट में इंगित की गयी किसी भी त्रुटि या अनियमितता को हटाने के लिए तुरन्त कदम उठायेगा;

(ii) नगरपालिका के धन या सम्पति के संबंध में कपट, गबन, चोरी या हानि के सभी मामलों की रिपोर्ट नगरपालिका को करेगा;

(iii) नगरपालिका द्वारा अध्यपेक्षित कोई भी विवरणी, विवरण, लेखा या रिपोर्ट या अपने प्रभार में का कोई भी दस्तावेज या उनकी प्रति देगा;

(iv) उसकी बैठक में विचाराधीन किसी विषय के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देगा, किन्तु उस पर मतदान नहीं करेगा या उसमें कोई प्रस्थापना नहीं करेगा;

(v) नगरपालिका की नीतियों, विनिश्चयों और निदेशों को, यदि इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत न हों, को क्रियान्वित करेगा और नगरपालिका के सभी कार्यों और विकास योजनाओं के त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक उपाय करेगा;

(vi) ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों और

उप–विधियों के अधीन या द्वारा उसे समनुदेशित किये जायें; और

(vii) अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, अपने अधीनस्थ नगरपालिका के अधिकारियों और सेवकों का अधीक्षण और नियंत्रण करेगा।

50. **कार्यभार सौंपना.–** (1) जब कभी–

(i) कोई अध्यक्ष त्यागपत्र दे दे या अध्यक्ष न रहे या उसे अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाये या वह अध्यक्ष का पद रिक्त कर दे या उसे निलम्बित कर दिया जाये या सदस्य या अध्यक्ष के रूप में उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाये;

(ii) कोई उपाध्यक्ष त्यागपत्र दे दे या उपाध्यक्ष न रहे या उपाध्यक्ष के पद से हटा दिया जाये या वह उपाध्यक्ष का पद रिक्त कर दे या उसे निलम्बित कर दिया जाये या सदस्य या उपाध्यक्ष के रूप में उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाये;

(iii) कोई सदस्य त्यागपत्र दे दे या हटा दिया जाये या उसे निलम्बित कर दिया जाये या उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाये;

(iv) किसी नगरपालिका को विघटित कर दिया जाये या वह अन्यथा निष्क्रिय हो जाये,

तो ऐसा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य या ऐसी नगरपालिका का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या यथास्थिति, सदस्य, ऐसे पद से संबंधित समस्त

कागज–पत्र और सम्पत्तियों सहित, जो उसके या उनके वास्तविक कब्जे या अधिभोग में हों, अपने पद का कार्यभार विहित रीति से निम्नलिखित को तुरन्त सौंप देगाः–

(क) अध्यक्ष के मामले में, उपाध्यक्ष को और यदि कोई उपाध्यक्ष न हो तो ऐसे सदस्य को जिसके लिए राज्य सरकार निदेश देः

परन्तु ऐसे किसी अध्यक्ष के पद का कार्यभार, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों या महिलाओं के लिए आरक्षित पद पर निर्वाचित हुआ था, यदि वह उसी प्रवर्ग का है तो उपाध्यक्ष को और यदि ऐसा कोई उपाध्यक्ष नहीं हो तो राज्य सरकार के निदेशों के अनुसार, उक्त जातियों, जनजातियों, या वर्गों के सदस्य या, यथास्थिति, महिला सदस्य को, यदि कोई हो, ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, सौंपा जायेगा और जहां उक्त जातियों, जनजातियों, वर्गों से संबंधित ऐसा कोई सदस्य या महिला सदस्य नहीं हो, जिसे पूर्वोक्तानुसार कार्यभार दिया जा सकता हो, तो कार्यभार किसी ऐसे अन्य सदस्य को, जो पूर्वोक्त प्रवर्गों से संबंधित नहीं हो, ऐसे रीति से जो विहित की जाये, सौंपा जायेगा;

(ख) उपाध्यक्ष की दशा में, अध्यक्ष को और यदि कोई अध्यक्ष न हो तो ऐसे सदस्य को जिसके लिए राज्य सरकार निदेश दे,

(ग) सदस्य की दशा में, अध्यक्ष को और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को;

(घ) विघटित या अन्यथा निष्क्रिय हुई नगरपालिका की दशा में, नवगठित नगरपालिका को या, यथास्थिति, धारा 322 के अधीन नियुक्त अधिकारी को:

परन्तु सदस्य जिसे खण्ड (क) और (ख) के अधीन कार्यभार सौंपा गया है, साठ दिवस से अनधिक की कालावधि या अध्यक्ष या, यथास्थिति, उपाध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, कार्यभार धारण करेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के अधीन अपेक्षित रूप से पद का कार्यभार सौंपने में विफल रहता है या सौंपने से इनकार करता है या सौंपने के लिए उपलब्ध नहीं है तो कार्यभार ग्रहण करने का हकदार व्यक्ति पद का कार्यभार ग्रहण कर लेगा और तत्पश्चात् उसकी बाबत यह समझा जायेगा कि उसने इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

## अध्याय 3

## कार्य संचालन और वार्ड समिति

51. **नगरपालिका की बैठकों के बारे में उपबन्ध**.– (1) नगरपालिका की सामान्य साधारण बैठक, साठ दिवसों के भीतर–भीतर एक बार होगी और एक कलेण्डर वर्ष में न्यूनतम छह बैठकें होंगी और बैठक के कार्य का संचालन ऐसी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा, जो विहित की जाये।

(2) अध्यक्ष उस तारीख से, जिसको नगरपालिका के कम से कम एक–तिहाई सदस्यों द्वारा, उस संकल्प को विनिर्दिष्ट करते हुए जो

प्रस्तावित किया जायेगा, हस्ताक्षरित अनुरोध प्राप्त होता है, अधिकतम सात दिवस के भीतर की किसी तारीख को विशेष बैठक बुलायेगा।

(3) यदि अध्यक्ष उप–धारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर–भीतर विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है तो मुख्य नगरपालिक अधिकारी उस तारीख से जिसको उप–धारा (2) में विनिर्दिष्ट समय समाप्त होता है, दस दिवस के भीतर–भीतर ऐसी बैठक बुलायेगा।

52. **व्यष्टि सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार**.– (1) कोई भी सदस्य, किसी नगरपालिक कार्य के निष्पादन में की गयी किसी उपेक्षा, नगरपालिक सम्पत्ति की किसी बरबादी या किसी परिक्षेत्र की नागरिक समस्याओं की ओर समुचित प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित कर सकेगा और ऐसे किसी भी सुधार का सुझाव भी दे सकेगा, जिसे वह वांछनीय समझे।

(2) प्रत्येक सदस्य को विहित नियमों के अध्यधीन रहते हुए, अध्यक्ष से प्रश्न पूछने और नगरपालिका के प्रशासन से संसक्त मामलों पर संकल्प प्रस्तावित करने का अधिकार होगा।

(3) प्रत्येक सदस्य को मुख्य नगरपालिक अधिकारी को सम्यक् नोटिस देने के पश्चात्, नगरपालिक कार्यालय में, बिना किसी फीस का भुगतान किये, नगरपालिका के अभिलेख का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

53. **अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव**.– (1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने वाला प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा और उस पर विचार किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन प्रस्ताव का कोई भी नोटिस किसी अध्यक्ष या किसी उपाध्यक्ष के पदग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर–भीतर नहीं दिया जायेगा।

(3) यदि उप–धारा (1) के अधीन कोई प्रस्ताव नहीं लाया जाता है तो उसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने के लिए किसी

पश्चात्वर्ती प्रस्ताव का कोई भी नोटिस उस बैठक, जिसमें ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया गया था, की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति तक नहीं दिया जायेगा।

54. **वार्ड समिति का गठन**.– (1) तीन लाख या अधिक की जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर वार्ड समितियां गठित की जायेंगी जिसमें एक या अधिक वार्ड होंगे।

(2) प्रत्येक वार्ड समिति में निम्नलिखित होंगे –

(क) वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले नगरपालिका के सदस्य; और

(ख) पांच से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य जो 25 वर्ष की आयु से कम के न हों और जो नगरपालिक प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हों, नगरपालिका द्वारा, नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे:

परन्तु कोई व्यक्ति नामनिर्दिष्ट किये जाने के लिए और वार्ड समिति के सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंध के अधीन सदस्य के रूप में निर्वाचित किये जाने और सदस्य होने के लिए निरर्हित हो।

(3) जहां किसी वार्ड समिति में एक ही वार्ड है, नगरपालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य उस समिति का अध्यक्ष होगा।

(4) (क) वार्ड समिति, उप–धारा (1) के अधीन उसके गठन के पश्चात् उसकी प्रथम बैठक में और प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में उसी मास में उसकी प्रथम बैठक में, जहां वार्ड समिति में दो या अधिक वार्ड हों, वहां

उस समिति के अध्यक्ष के रूप में नगरपालिका में ऐसे वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक का निर्वाचन करेगी।

(ख) अध्यक्ष, उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित होने तक पद धारण करेगा और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा।

(5) अध्यक्ष, जैसे ही वह सदस्य न रहे, अपना पद रिक्त कर देगा।

(6) अध्यक्ष का पद, उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व रिक्त होने की दशा में, वार्ड समिति, रिक्ति होने के पश्चात् सुविधानुसार यथाशीघ्र, उप–धारा (4) के अनुसार नये अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी:

परन्तु इस प्रकार निर्वाचित अध्यक्ष उस पद को केवल तब तक धारित करेगा जब तक वह व्यक्ति जिसके स्थान पर वह निर्वाचित हुआ है, यदि ऐसी रिक्ति न हुई होती तो उस पद को धारण करता।

(7) वार्ड समिति की अवधि नगरपालिका की अवधि की सह–विस्तारी होगी।

(8) नगरपालिका आदेश द्वारा वार्ड समिति के कृत्यों और कर्तव्यों, ऐसी समिति के प्रादेशिक क्षेत्रों और उसके कारबार के संव्यवहार के लिए ऐसी समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को परिभाषित करेगी।

(9) वार्ड समिति के अध्यक्ष सहित तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी और वार्ड समिति उसके कारबार के संव्यवहार में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी जो नगरपालिका द्वारा बनाये जायें।

55. **समितियां**.– (1) प्रत्येक नगरपालिका में एक कार्यपालक समिति होगी, जो निम्नलिखित से गठित होगी और उसमें निम्नलिखित होंगे–

(i) नगरपालिका का अध्यक्ष;

(ii) नगरपालिका का उपाध्यक्ष;

(iii) विपक्ष का नेता;

(iv) नगर निगम या नगर परिषद् के मामले में, नगर निगम या, यथास्थिति, नगर परिषद् द्वारा निर्वाचित, महिला सदस्यों में से दो सदस्यों सहित, सात सदस्य;

(v) नगरपालिक बोर्ड के मामले में, नगरपालिक बोर्ड द्वारा निर्वाचित पांच से अनधिक ऐसी संख्या में सदस्य, जो नगरपालिक बोर्ड द्वारा अवधारित किये जायें; और

(vi) नगरपालिका द्वारा उप–धारा (3) के अधीन गठित समितियों के अध्यक्ष।

(2) नगरपालिका का मुख्य नगरपालिक अधिकारी कार्यपालक समिति का पदेन सचिव होगा।

(3) कार्यपालक समिति के अतिरिक्त, प्रत्येक नगरपालिका दस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनी निम्नलिखित समितियां भी गठित करेगी, अर्थात्:–

(i) वित्त समिति;

(ii) स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति;

(iii) भवन अनुज्ञा और संकर्म समिति;

(iv) गन्दी बस्ती सुधार समिति;

(v) नियम और उप–विधियां समिति;

(vi) अपराधों का शमन और समझौता समिति; और

(vii) नगरपालिका के कृत्यों को दृष्टिगत रखते हुए वह नगर निगम के मामले में आठ से अनधिक, नगर परिषद् के मामलें में छह से अनधिक, और नगरपालिक बोर्ड के मामले में चार से अनधिक ऐसी अन्य समितियां भी गठित कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे:

परन्तु राज्य सरकार नगरपालिका के कृत्यों को दृष्टिगत रखते हुए, इस खण्ड में विनिर्दिष्ट समितियों की अधिकतम सीमा में वृद्धि कर सकेगी ।

(4) कार्यपालक समिति और उप–धारा (3) में वर्णित समितियां ऐसी शक्तियों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का निर्वहन कर सकेंगी, जो विहित किये जायें।

(5) ऊपर निर्दिष्ट समितियां नगरपालिका के गठन के नब्बे दिवस के भीतर–भीतर, नगर पालिका द्वारा गठित की जायेंगी, जिसमें विफल रहने पर राज्य सरकार, ऐसी समितियां गठित कर सकेगी।

**स्पष्टीकरण.–** शंकाओं के निराकरण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य भी इस धारा के अधीन गठित किसी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

56. **सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समितियों में कब कार्य कर सकेंगे**.– (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नगरपालिका के लिए, समय–समय पर सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प से, ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को जो सदस्य नहीं हैं, किन्तु जो ऐसी नगरपालिका की राय में ऐसी समितियों में कार्य करने के लिए विशेष अर्हताएं रखते हैं, कार्यपालक समिति को छोड कर धारा 55 के अधीन किसी समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त करना विधिपूर्ण होगाः

परन्तु किसी समिति में इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की संख्या, ऐसी समिति के सदस्यों की कुल संख्या की एक–तिहाई से अधिक नहीं होगी।

(2) सदस्यों के कर्तव्यों, शक्तियों, दायित्वों, निरर्हताओं और निर्योग्यताओं से संबंधित इस अधिनियम के समस्त उपबन्ध, यथाशक्य, ऐसे व्यक्तियों पर लागू होंगे।

57. **समिति का अध्यक्ष**.– (1) नगरपालिका का अध्यक्ष यदि किसी समिति का सदस्य है तो वह उस समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।

(2) नगरपालिका का उपाध्यक्ष यदि किसी ऐसी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया हो जिसका सदस्य अध्यक्ष नहीं है, तो वह उस समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।

(3) नगरपालिका किसी सदस्य को ऐसी किसी भी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकेगी, जिसका कोई पदेन अध्यक्ष नहीं है।

(4) प्रत्येक समिति, जिसका कोई पदेन अध्यक्ष या नगरपालिका द्वारा नियुक्त अध्यक्ष है, प्रत्येक बैठक में, जिसमें ऐसा अध्यक्ष उपस्थित न हो, अपने सदस्यों में से ऐसी बैठक का अध्यक्ष नियुक्त करेगी।

(5) प्रत्येक समिति, जिसका कोई पदेन अध्यक्ष या नगरपालिका द्वारा नियुक्त अध्यक्ष नहीं हो, अपने सदस्यों में से समय–समय पर अपना अध्यक्ष नियुक्त करेगी।

58. **बैठकों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया**.– (1) नगरपालिका की किसी समिति की साधारण बैठकें दो मास के भीतर–भीतर ऐसी प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जायेंगी, जो विहित की जाये।

(2) यदि किसी समिति का अध्यक्ष पन्द्रह दिवस से अधिक की कालावधि के लिए नगरपालिका से अनुपस्थित रहता है तो उसकी अनुपस्थिति में नगरपालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उसकी बैठक बुला सकेगा।

(3) समितियां, जैसा वे उचित समझें, अपनी बैठकें कर सकेंगी और उन्हें स्थगित कर सकेंगी, लेकिन समिति का अध्यक्ष, जब कभी वह ठीक समझे, और नगरपालिका के अध्यक्ष के या समिति के कम से कम दो सदस्यों के लिखित अनुरोध पर और ऐसी तारीख को, जो ऐसे अनुरोध के प्रस्तुतीकरण से दो दिवस से बाद की न हो, ऐसी समिति की विशेष बैठक बुलायेगा।

(4) समिति की किसी बैठक में कोई कार्य तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उसमें समिति के आधे सदस्य उपस्थित न हों।

59. **समितियों का नगरपालिका के अनुदेशों के अधीनस्थ होना तथा नगरपालिका की अध्यपेक्षाओं का उनके द्वारा अनुपालन किया जाना**.– (1) वार्ड समिति को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक समिति ऐसे अनुदेशों के अनुरूप कार्य करेगी जो नगरपालिका द्वारा उसे समय–समय पर दिये जायें। कोई भी समिति किसी भी स्कीम, या नगरपालिक निधि में से व्यय का अनुमोदन तब तक नहीं कर सकती है जब तक कि वह नगरपालिका द्वारा पारित वार्षिक बजट या अनुपूरक बजट में पहले ही अनुमोदित नहीं कर दिया गया हो। नगरपालिका किसी भी समय, किसी समिति की किन्हीं कार्यवाहियों से कोई भी उद्धरण तथा किसी ऐसे मामले से, जिसके बारे में कार्यवाही करने के लिए किसी समिति को प्राधिकृत या निर्दिष्ट किया गया है, संबंधित या सम्बद्ध कोई भी विवरणी, विवरण, लेखा या रिपोर्ट मांग सकेगी और ऐसी प्रत्येक अध्यपेक्षा का, उस समिति द्वारा, जिससे इस प्रकार की अध्यपेक्षा की गयी है, बिना किसी अनुचित विलम्ब के पालन किया जायेगा।

(2) धारा 54 और धारा 55 के अधीन नियुक्त किसी समिति द्वारा पारित प्रत्येक संकल्प, ऐसे नियमों के अनुसार जो नगरपालिका द्वारा इस निमित्त बनाये जायें, नगरपालिका के पुनरीक्षण के अध्यधीन होगा और उसकी नगरपालिका को अपील की जा सकेगी।

60. **वार्ड समिति के सामान्य कृत्य**.– वार्ड समिति निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन कर सकेगी, अर्थात्:–

(क) वार्ड में ठोस अपशिष्ट प्रबंध में सहायता करना;

(ख) वार्ड में स्वच्छता कार्य के पर्यवेक्षण में सहायता करना;

(ग) वार्ड के लिए विकास स्कीमों के तैयार किये जाने और उनके प्रोत्साहन में सहायता करना;

(घ) वार्ड में लोगों के विभिन्न समूहों में सामंजस्य और एकता को प्रोत्साहित करना;

(ङ) सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और माल या धन के रूप में दान जुटाना;

(च) वार्ड से संबंधित विकास स्कीमों के क्रियान्वयन में सहायता करना;

(छ) विकास और कल्याण स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए हिताधिकारियों की पहचान में सहायता करना;

(ज) कला और सांस्कृतिक गतिविधियों और क्रीड़ा और खेल–कूद गतिविधियों को प्रोत्साहित करना;

(झ) नगरपालिका के विकास क्रियाकलापों के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक स्वैच्छिक क्रियाकलापों में जनता की सहभागिता को सुनिश्चित करना;

(ञ) नगरपालिका को शोध्य करों, फीसों और अन्य रकमों के समय पर संग्रहण में सहायता करना;

(ट) वार्ड में उद्यानों के रख–रखाव में सहायता करना;

(ठ) वार्ड में स्ट्रीट–लाईटों के रख–रखाव में सहायता करना; और

(ड) ऐसे अन्य कृत्य जो उसे नगरपालिका द्वारा समनुदेशित किये जायें।

61. **शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य जो प्रत्यायोजित किये जा सकेंगे.**– (1) कोई भी ऐसी शक्तियां, कर्तव्य या कार्यपालक कृत्य, जिनका प्रयोग, निर्वहन या पालन नगरपालिका द्वारा या उसकी ओर से किया जाये, धारा 55, 157, या 158, के अधीन विहित शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे निर्बन्धनों, परिसीमाओं और

शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, इस अधिनियम के अधीन समितियों को प्रत्यायोजित किये जा सकेंगे।

(2) जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाये और कार्यभार सम्भालने के लिए कोई उपाध्यक्ष नहीं हो तो नगरपालिका प्रवृत्त नियमों के अनुसार किसी अध्यक्ष का निर्वाचन होने तक अध्यक्ष की शक्तियां, कर्तव्य और कार्यपालक कृत्य नगरपालिका के ऐसे सदस्य को, जिसके द्वारा उनका प्रयोग किया जाना वह ठीक समझे, विहित रीति से बुलाई जाने वाली बैठक में प्रत्यायोजित करेगी:

परन्तु जब अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या महिलाओं के लिए आरक्षित अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाये, तब अध्यक्ष की शक्तियां, कर्तव्य, और कार्यपालक कृत्य उक्त जातियों, जनजातियों, वर्गों से संबंधित सदस्य या, यथास्थिति, महिला सदस्य को प्रत्यायोजित किये जायेंगे, और उक्त जातियों, जनजातियों, वर्गों से संबंधित या, यथास्थिति, कोई महिला सदस्य नहीं हो तो ऐसे अन्य सदस्य को प्रत्यायोजित किये जायेंगे, जिसे वह उपयुक्त समझे।

62. **नगरपालिका तथा समितियों के कार्य और कार्यवाहियां उसके सदस्यों की निरर्हता आदि के कारण दूषित नहीं होंगी.**– (1) किसी साधारण बैठक या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी समिति के सदस्य के रूप में या अध्यक्ष या पीठासीन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की कोई निरर्हता या उसके निर्वाचन, नामनिर्देशन या नियुक्ति में हुई कोई त्रुटि, नगरपालिका या, यथास्थिति, ऐसी समिति के किसी कार्य या कार्यवाही को, जिसमें ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है, दूषित करने वाली नहीं समझी जायेगी।

(2) जहां किसी सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को किसी निर्वाचन याचिका के परिणामस्वरूप सम्यक् रूप से निर्वाचित नहीं हुआ घोषित कर दिया जाये वहां वह ऐसी तारीख से उस रूप में कार्य करना बन्द कर देगा

किन्तु उसके द्वारा अपने पद से संबंधित कार्य के निष्पादन में उस समय तक किये गये कार्य ऐसी घोषणा के कारण अविधिमान्य नहीं होंगे।

(3) नगरपालिका का, या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी भी समिति का, कोई भी संकल्प किसी सदस्य पर नोटिस की तामील में हुई किसी अनियमितता के कारण अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा, बशर्ते कि ऐसी अनियमितता का नगरपालिका या समिति की कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ा हो।

(4) जब तक इसके प्रतिकूल साबित नहीं किया जाये, नगरपालिका या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी समिति की प्रत्येक बैठक, जिसकी कार्यवाही के संबंध में कोई कार्यवृत्त इस अधिनियम के अनुसार तैयार और हस्ताक्षरित किया गया है, सम्यक् रूप से बुलायी और आयोजित की गयी समझी जायेगी और उस बैठक के समस्त सदस्य सम्यक् रूप से अर्हित समझे जायेंगे और जहां ऐसी कार्यवाहियां किसी समिति की कार्यवाहियां हो वहां ऐसी समिति सम्यक् रूप से गठित की गयी और कार्यवृत्त में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में कार्यवाही करने की शक्ति रखने वाली समझी जायेगी।

(5) नगरपालिका या समिति में किसी रिक्ति के दौरान पदारूढ़ सदस्य इस प्रकार कार्य करते रहेंगे मानो कोई रिक्ति नहीं हुई हो।

63. **नगरपालिका द्वारा उपगत समस्त खर्चों तथा व्ययों के लिए साधारणतः नगरपालिक निधि का दायी होना**.– (1) इसमें अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य, नगरपालिका द्वारा या उसकी ओर से की गयी किसी संविदा या करार के संबंध में या उपगत किसी व्यय के लिए वैयक्तिक रूप से दायी नहीं होगा और नगरपालिक निधि ऐसी किसी भी संविदा या करार से संबंधित समस्त लागतों तथा ऐसे समस्त व्ययों के लिए दायी और उनसे भारित होगी।

(2) प्रत्येक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य, नगरपालिका के स्वामित्वाधीन या उसमें निहित किसी धन या अन्य सम्पत्ति के दुर्विनियोग के लिए, जिसमें वह पक्षकार रहा है, तथा ऐसे धन या सम्पत्ति की किसी हानि या दुर्व्यय के लिए, जो उसके अवचार के कारण हुआ है या जिसको उसके अवचार ने सुकर बनाया है, दायी होगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, मुख्य नगरपालिक अधिकारी या अन्य अधिकारी या व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कार्यपालक शक्तियां प्रदत्त की जायें, ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुर्विनियोग के लिए दायी होगा, यदि वह उसकी उपेक्षा का सीधा परिणाम है या उसके अवचार के कारण हुआ हैं या जिसे उसके अवचार ने सुकर बनाया है।

64. **नगरपालिका के पदधारियों का किसी संविदा में हित नहीं रखना**.– कोई भी व्यक्ति, जो किसी नगरपालिका के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से की गयी किसी संविदा में या किसी नगरपालिका के साथ, उसके अधीन, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी नियोजन में नगरपालिक अधिकारी या कर्मचारी से भिन्न हैसियत से, स्वयं या अपने भागीदार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हिस्सा या हित रखता हो, समुचित नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई का भागी होगा।

65. **नगरपालिका के साथ किसी संविदा आदि में हित रखने वाले सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए शास्ति**.– (1) कोई भी सदस्य, जो किसी नगरपालिका, जिसका कि वह सदस्य है, के साथ, उसके अधीन, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी भी संविदा या नियोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसा हिस्सा या हित जानबूझकर अर्जित करता है, जो ऐसा हिस्सा या हित नहीं है, जो धारा 24 के अधीन किसी व्यक्ति के लिए तद्द्वारा सदस्यता के लिए निरर्हित हुए बिना रखा जाना अनुज्ञेय है, किसी दण्ड न्यायालय के समक्ष दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दायी होगा।

(2) कोई भी नगरपालिक अधिकारी या कर्मचारी जो किसी नगरपालिका, जिसका वह अधिकारी या कर्मचारी है, के साथ, उसके अधीन, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा में या, जहां तक नगरपालिक अधिकारी या कर्मचारी के रूप में उसके स्वयं के नियोजन का संबंध है, उसके सिवाय, किसी नियोजन में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी हिस्सा या हित जानबूझकर अर्जित करता है, किसी दण्ड न्यायालय के समक्ष दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने का दायी होगा, जो पाँच हजार रुपये तक का हो सकेगा और उस पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई के लिए भी दायी होगा।

66. **सदस्य आदि लोक सेवक समझे जायेंगे**.–नगरपालिका का प्रत्येक सदस्य, अधिकारी, सेवक या नगरपालिका का कर्मचारी तथा किसी नगरपालिक कर के उद्ग्रहण का प्रत्येक पट्टेदार और ऐसे किसी भी पट्टेदार का प्रत्येक सेवक या अन्य कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

## अध्याय 4
## नगरपालिक सम्पत्ति

67. **सम्पत्ति अर्जित और धारण करने की शक्ति**.– इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, नगरपालिका को, नगरपालिक क्षेत्र की सीमाओं के चाहे भीतर या बाहर, दान द्वारा, क्रय द्वारा या अन्यथा जंगम तथा स्थावर सम्पत्तियां या उनमें कोई हित अर्जित करने और उन्हें धारित करने की शक्ति होगी।

68. **सम्पत्ति का निहित होना**.– (1) इस धारा में इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट स्वरूप की सम्पूर्ण सम्पत्ति, जो राज्य सरकार द्वारा

विशेष रूप से आरक्षित नहीं की गयी हो, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अध्यधीन रहते हुए, नगरपालिका में निहित होगी और नगरपालिका की होगी, तथा ऐसी सम्पूर्ण अन्य सम्पत्ति सहित, चाहे वह किसी भी स्वरूप या प्रकार की हो, जो विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा आरक्षित नहीं की गयी हो, जो नगरपालिका में निहित हो जाये, उसके निदेश, प्रबन्ध और नियंत्रण के अधीन होगी तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन और प्रयोजन के लिए उसके द्वारा न्यासी के रूप में धारित और उपयोजित की जायेगी, अर्थात्:–

(क) समस्त निहित सार्वजनिक भूमि;

(ख) नगर या कस्बे के समस्त सार्वजनिक परकोटे, द्वार, बाजार, वधशालाएं, खाद और विष्ठा के डिपो तथा प्रत्येक प्रकार के सार्वजनिक भवन जो नगरपालिक निधि से निर्मित किये गये हैं या संधारित किये जाते हैं;

(ग) समस्त सार्वजनिक तालाब, जल–धाराएं, जलाशय, कुण्ड, झरने, जलसेतु, नलिकाएं, सुरगें, पाइप और पम्प; तथा समस्त पुल, भवन, इंजन, संकर्म, इनमें संबंधित या उनसे सम्बद्ध सामग्री तथा वस्तुएं तथा किसी सार्वजनिक तालाब या कुएं से अनुलग्न कोई पार्श्वस्थ भूमि भी, जो निजी सम्पत्ति न हों;

(घ) किसी मार्ग में, उसके पार्श्वस्थ या उसके नीचे की समस्त सार्वजनिक मलनालियां और नालियां, जलसरणियां, सुरंगें, पुलियाएं और जलमार्ग;

(ङ) समस्त सार्वजनिक मार्ग और पटरियां, तथा उन पर के पत्थर और अन्य सामग्री तथा ऐसे मार्गों में उपलब्ध कराये गये समस्त वृक्ष, परिनिर्माण, सामग्री, उपकरण तथा वस्तुएं;

(च) सभी सार्वजनिक उद्यान और बाग, जिसमें चौक और सार्वजनिक खुली जगहें सम्मिलित हैं;

(छ) नदियों या जल–धाराओं या तालाबों पर सभी सार्वजनिक घाट;

(ज) ऐसी सरकारी भूमियां, जो नगरपालिक क्षेत्र के भीतर स्थित हों या बाहर, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नगरपालिका में निहित करे;

(झ) समस्त सार्वजनिक लैंप, लैंपों के खम्भे, तथा उनसे संबंधित या उनसे सम्बद्ध उपकरण;

(ञ) समस्त सरकारी भवन तथा समस्त निजी भूमियां और भवन जो उसको दान द्वारा या अन्यथा अन्तरित किये गये हैं;

(ट) मृत शरीरों के निर्वर्तन के लिए समस्त सार्वजनिक स्थान, उनको छोड़कर जो इस निमित्त किसी विशेष विधि द्वारा शासित हैं;

(ठ) सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर संगृहीत सभी ठोस अपशिष्ट, जिसमें मृत पशु और पक्षी सम्मिलित हैं; और

(ड) सभी भटके हुए जानवर, जो किसी प्राईवेट व्यक्ति के नहीं हैं।

(2) राज्य सरकार, उप–धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन नगरपालिका में निहित की गयी किसी भी सरकारी भूमि को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे निबन्धनों पर, जो राज्य सरकार अवधारित करे, समय–समय पर पुनर्गृहीत करने के लिए सक्षम होगी,–

(i) यदि जांच करने पर यह पाया जाये कि ऐसी नगरपलिका ने ऐसी भूमि का कुप्रबन्ध किया है, या

(ii) यदि ऐसी भूमि राज्य सरकार द्वारा लोकहित में अन्यथा अपेक्षित हो।

69. **करार, विनिमय, पट्टा, अनुदान आदि द्वारा नगरपालिका द्वारा सम्पत्ति का अर्जन**.– (1) नगरपालिका ऐसी शर्तों और निबंधनों पर, जो उसके द्वारा अनुमोदित किये जायें और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से,–

(i) करार द्वारा –

(क) कोई स्थावर सम्पत्ति, और

(ख) स्थावर संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई सुखाधिकार–

अर्जित कर सकेगी;

(ii) विनिमय द्वारा कोई सम्पत्ति अर्जित कर सकेगी; और

(iii) स्थावर सम्पत्ति भाड़े या पट्टे पर ले सकेगी।

(2) नगरपालिका दानदाता से ऐसा कोई अनुदान या समर्पण, चाहे वह किसी आय के रूप में हो या कोई जंगम या स्थावर संपत्ति, प्राप्त कर सकेगी जिससे नगरपालिका को अपने किन्हीं कृत्यों के निर्वहन में फायदा हो।

(3) नगरपालिका के लिए पूर्त और धार्मिक न्यास अधिनियम, 1920 (1920 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 14), या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882

(1882 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के अधीन सृजित किसी न्यास का हितग्राही होना विधिपूर्ण होगा।

70. **भूमि का अनिवार्य अर्जन**.– जब कोई भूमि या भूमि में अधिकार, चाहे वह नगरपालिका की सीमाओं के भीतर हो या बाहर, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो तो राज्य सरकार नगरपालिका के अनुरोध पर और उसकी ओर से भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) के उपबंधों के अधीन उसे अर्जित करने की कार्यवाही करेगी और नगरपालिका द्वारा राज्य सरकार को तदधीन अधिनिर्णीत मुआवजे और ऐसे अर्जन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उपगत अन्य प्रभारों का संदाय करने पर भूमि या, यथास्थिति, अधिकार नगरपालिका में निहित हो जायेंगे।

71. **कतिपय भूमियों का आबंटन, नियमन आदि**.– (1) ऐसी समस्त भूमियां, जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90–ख के अधीन खातेदारों के अभिधारण अधिकारों और हित के पुनर्ग्रहण या, यथास्थिति, अभ्यर्पण पर नगरपालिका के व्ययनाधीन रखी गयी समझी गयी हैं, अधिमानतः ऐसे व्यक्तियों को, जो उक्त धारा 90–ख की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के आधार पर या, यथास्थिति, उक्त धारा 90–ख की उप–धारा (3) के अधीन उस व्यक्ति को जिसने भूमि अभ्यर्पित की है, कब्जा रखते हैं, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर और आबंटन के लिए उनकी पात्रता की परीक्षा करने के पश्चात् और नगरपालिका को ऐसे प्रभारों या प्रीमियम या, यथास्थिति, दोनों के संदाय के अध्यधीन और ऐसी दरों पर, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित की जायें, आबंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होंगीः

परन्तु किसी भी ऐसी भूमि का आबंटन या नियमितीकरण नहीं किया जायेगा जिसको सार्वजनिक उपयोगिताओं या सेवाओं, जैसे उद्यानो

पौधशाला, सिविल या सैन्य विमानन, बस अड्डे, परिवहन टर्मिनल, रेलवे, सार्वजनिक सड़कों, राजमार्गों, फुटपाथ, मल प्रवाह, जलप्रदाय, विद्युत् प्रदाय, टेलीफोन लाइनों, अस्पताल, विद्यालय, शैक्षिक संस्था, विश्वविद्यालय, श्मशान घाट, कब्रिस्तान के लिए और अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, सम्यक् रूप से चिह्नित किया गया है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन वसूल किये गये प्रभार राज्य की संचित निधि और नगरपालिका की निधि में, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाये, जमा किये जायेंगे।

72. **नगरपालिक संकर्मों के निष्पादन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा संविदा और ऐसे संकर्मों के लिए संदाय**.– धारा 82 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नगरपालिका की ओर से किसी संकर्म के निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति, ऐसे नियन्त्रण के अध्यधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार विहित करे, ऐसे संकर्म के लिए रखी गयी राशि की सीमा तक, ऐसी संविदाएं कर सकेगा जो ऐसे संकर्म के निष्पादन के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों; और नगरपालिका इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को ऐसी राशियों का, जो उक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित हों, उपर्युक्त सीमा तक संदाय करेगी।

73. **सम्पत्ति के अन्तरण और संविदाओं के संबंध में उपबन्ध**.– (1) प्रत्येक नगरपालिका, विहित निर्बन्धनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, अपनी किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति को, जिसमें नगरपालिक भूमि या कोई सरकारी भूमि भी सम्मिलित है, पट्टे पर देने, विक्रय करने, नियमित करने, आबंटित करने या अन्यथा अन्तरित करने और जहां तक इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों और प्रयोजनों से असंगत नहीं हों, ऐसी समस्त संविदाएं, जिन्हें उक्त उपबंधों और प्रयोजनों

के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे, करने या उनका पालन करने के लिए सक्षम होगीः

परन्तु–

(i) ऐसा कोई भी पट्टा, विक्रय, नियमन, आबंटन या अन्तरण और संविदा किसी नगरपालिका पर तब तक बाध्यकारी नहीं होगी, जब तक कि वह इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुरूप न हो;

(ii) किसी भी सरकारी भूमि के बारे में कोई भी पट्टा, विक्रय, नियमन, आबंटन या अन्तरण या उसके बारे में कोई अन्य संविदा तब तक विधिमान्य नहीं होगी, जब तक कि उसकी पुष्टि विहित प्राधिकारी द्वारा, विहित रीति से और विहित शर्तों पर न कर दी जाये।

**स्पष्टीकरण**.– इस धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति ''सरकारी भूमि'' से ऐसी कोई भूमि अभिप्रेत है,–

(क) जो धारा 68 की उप–धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन नगरपालिका में निहित हो गयी हो; या

(ख) जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 3 में यथा–परिभाषित नजूल भूमि है; या

(ग) जो राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका के व्ययनाधीन रखी जाये।

(2) (क) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, किसी नगरपालिका या किसी नगरपालिका के अध्यक्ष या अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से किसी नगरपालिक भूमि या सरकारी भूमि को पट्टे पर देने, विक्रय करने, नियमित करने, आबंटित करने या

अन्तरित करने के लिए किये गये किसी प्रस्ताव की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत अभिलेख मंगवा सकेगा और ऐसा करते समय यह निदेश दे सकेगा कि मामले के परीक्षण होने तक, नगरपालिक भूमि या सरकारी भूमि को पट्टे पर देने, विक्रय करने, नियमित करने, आबंटित करने या अन्तरित करने का प्रस्ताव प्रास्थगित रहेगा और उप–धारा (2) (ख) के अधीन राज्य सरकार का या प्राधिकृत अधिकारी का विनिश्चय होने तक उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।

(ख) यदि अभिलेख के परीक्षण के पश्चात् और इस प्रकार के प्रस्ताव में हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, राज्य सरकार या यथापूर्वोक्त प्राधिकृत अधिकारी का यह समाधान हो जाये कि नगरपालिक भूमि या सरकारी भूमि को पट्टे पर देने, विक्रय करने, नियमित करने, आबंटित करने या अन्तरित करने का प्रस्ताव इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नहीं है या उनका उल्लंघन करता है, तो वह राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उस नगरपालिक भूमि या सरकारी भूमि को पट्टे पर देने, विक्रय करने, नियमित करने, आबंटित करने या अन्तरित करने के लिए किये गये प्रस्ताव को या उसके अनुसरण में की गयी किसी कार्रवाई या कार्यवाही को पूर्णतः या भागतः उपान्तरित, रद्द या विखंडित कर सकेगा या ऐसा कोई भी अन्य निदेश दे सकेगा, जो वह उचित समझे।

(3) जहां किसी नगरपालिका द्वारा या किसी नगरपालिका के अध्यक्ष या अधिकारी द्वारा इस धारा के उपबन्धों के उल्लंघन में दिये गये किसी पट्टे, किये गये विक्रय, आबंटन, अन्तरण या किसी अन्य संविदा के अनुसरण में किसी व्यक्ति ने किसी नगरपालिक भूमि या सरकारी भूमि का कब्जा ले लिया हो वहां ऐसा व्यक्ति राजस्थान लोक परिसर (अनधिकृत

अधिभोगी की बेदखली) अधिनियम, 1964 (1965 का अधिनियम सं. 2) के अर्थान्तर्गत अनधिकृत अधिभोगी समझा जायेगा और ऐसी भूमि से बेदखल किये जाने तथा उसके उपयोग और अधिभोग के लिए किराये या नुकसानी के संदाय के बारे में उक्त अधिनियम के अधीन समस्त दायित्वों के लिए दायी होगा, जब तक कि उक्त अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार या यथापूर्वोक्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे पट्टे, विक्रय, आबंटन, अन्तरण या संविदा की पुष्टि विहित रीति से न कर दी जाये:

परन्तु जहां किसी ऐसे पट्टे, विक्रय, आबंटन, अन्तरण या संविदा की यथापूर्वोक्त रूप से पुष्टि नहीं कर दी गयी हो, वहां ऐसे पट्टे, विक्रय, आबंटन, अन्तरण या संविदा के लिए नगरपालिका, नगरपालिका के अध्यक्ष या अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिफल, यदि कोई हो, ऐसी भूमि से बेदखल किये गये व्यक्ति को प्रतिदत्त कर दिया जायेगा।

74. **स्थावर नगरपालिक सम्पत्ति की तालिका और मानचित्र**.– (1) नगरपालिका उन समस्त स्थावर सम्पत्तियों की, जो उसमें निहित हैं या उससे संबंधित हैं या उसके द्वारा अर्जित की गयी हैं, एक तालिका और मानचित्र संधारित करेगी। आदिनांकित तालिकाएं और मानचित्र की प्रतियां इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर–भीतर प्रत्येक नगरपालिका द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय के कार्यालय में जमा करवायी जायेंगी।

(2) मुख्य नगरपालिक अधिकारी, किसी स्थावर सम्पत्ति की तालिका के मामले में उक्त तालिका में परिवर्तनों, यदि कोई हों, को उपदर्शित करते हुए एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा और उसे नगरपालिका के समक्ष रखेगा और उसकी एक प्रति निदेशक, स्थानीय निकाय को भी भेजेगा।

75. **नगरीय भूमि और सम्पत्तियों के अभिलेखों का संधारण**.– नगरपालिका, अन्य सम्बन्धित विभागों, या यथास्थिति, प्राधिकारी के परामर्श

से, नगरपालिक क्षेत्र के भीतर स्थित नगरीय भूमि और निजी सम्पत्तियों को सम्मिलित करते हुए समस्त सम्पत्तियों का एक अभिलेख, ऐसी रीति से जो विहित की जाये, तैयार कर सकेगी, संधारित कर सकेगी और नियमित रूप से आदिनांकित कर सकेगी।

## अध्याय 5

## नगरपालिक वित्त और नगरपालिक निधि

76. **राज्य वित्त आयोग.**– (1) राज्य वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और –

(क) (i) राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के, जो राज्य और नगरपालिकाओं के बीच विभाजित किये जायें, उनके बीच वितरण को और सभी स्तरों की नगरपालिकाओं के बीच ऐसे आगमों के उनके भाग के आबंटन को;

(ii) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के अवधारण को, जो नगरपालिकाओं को समनुदिष्ट की जा सकेंगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी;

(iii) राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं के सहायता–अनुदान को,

शासित करने वाले सिद्धान्तों के बारे में;

(ख) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में; और

(ग) नगरपालिका की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति के हित में राज्य वित्त आयोग को निर्दिष्ट किये गये किसी भी अन्य विषय के बारे में,

राज्यपाल को सिफारिश करेगा।

(2) राज्य वित्त आयोग द्वारा की गयी प्रत्येक सिफारिश, उस पर की गयी कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित राज्य विधान–मण्डल के समक्ष रखी जायेगी।

77. **राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन.**–राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, राज्य सरकार–

(क) करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगमों का नगरपालिकाओं को न्यागमन,

(ख) करो, शुल्कों, पथकरों और फीसों का नगरपालिकाओं को समनुदेशन,

(ग) राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं को सहायता–अनुदान की मंजूरी, और

(घ) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अपेक्षित अन्य अध्युपायों,

का अवधारण करेगी।

78. **राज्य सरकार से वित्तीय सहायता.**– (1) राज्य सरकार समय–समय पर नगरपालिका को अनुदान या वित्तीय सहायता, उस रीति, जिसमें ऐसे अनुदान या वित्तीय सहायता का उपयोग किया जायेगा, के बारे में निदेश सहित या उसके बिना, प्रदान कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार ऐसे अनुदान या सहायता देने के लिए एक स्कीम अधिकथित कर सकेगी जिसमें ऐसे अनुदान या सहायता जारी किये जाने की शर्तें सम्मिलित हो सकेंगी और इसमें उक्त प्रयोजन के लिए नगरपालिकाओं के विभिन्न वर्गों में विभाजन का उपबंध हो सकेगा।

(3) राज्य सरकार नगरपालिका को नगरपालिका की वार्षिक विकास योजना में सम्मिलित किसी स्कीम के सम्पूर्ण या भागतः क्रियान्वयन के लिए अनुदान दे सकेगी।

79. **नगरपालिक निधि**.– (1) नगरपालिक निधि के नाम से एक निधि होगी जिसे नगरपालिका द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए न्यासतः धारित किया जायेगा और इस अधिनियम के अधीन वसूल किया गया या वसूल करने योग्य समस्त धन और नगरपालिका द्वारा अन्यथा प्राप्त समस्त धन उसमें जमा किया जायेगा।

(2) ऐसे निदेशों के अध्यधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार इस निमित्त जारी करे, नगरपालिका की प्राप्तियां और व्यय ऐसे लेखा शीर्षों, जिनमें जल–निकास और मल–वहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंध, सड़क विकास और रख–रखाव, गन्दी बस्ती सेवाएं, वाणिज्यिक परियोजनाएं सम्मिलित हैं और अन्य लेखा शीर्षों, जो विहित किये जायें, तथा साधारण लेखा शीर्ष, के अन्तर्गत ऐसी रीति से, और ऐसे प्ररूप में, जो विहित किये जायें, रखे जायेंगे, ताकि इस अधिनियम के अधीन उपयोक्ता प्रभारों का अधिरोपण और किसी भी सहायकी प्रतिवेदन की तैयारी सुकर हो सके।

**स्पष्टीकरण**.– इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''वाणिज्यिक परियोजनाओं'' में नगरपालिक बाजार, बाजार विकास परियोजनाएं, सम्पत्ति विकास परियोजनाएं और वाणिज्यिक प्रकृति की ऐसी अन्य परियोजनाएं, जो नगरपालिका द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट की जायें, सम्मिलित होंगी।

(3) उप–धारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रत्येक लेखा शीर्ष राजस्व लेखा और पूंजी लेखा में विभाजित किया जायेगा और प्राप्तियों और व्ययों की समस्त मदों को ऐसे राजस्व लेखा या, यथास्थिति, पूंजी लेखा के अधीन समुचित रूप से रखा जायेगा।

80. **नगरपालिक निधि का उपयोग**.– नगरपालिक निधि में समय–समय पर जमा किये गये धन का उपयोग इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों और उप–विधियों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समस्त राशियों, प्रभारों और लागतों के संदाय के

लिए और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नगरपालिक निधि में से संदेय समस्त राशियों के संदाय के लिए किया जायेगा।

81. **नगरपालिक निधि में से तब तक संदाय नहीं किया जाना, जब तक कि वह बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं हो.**– नगरपालिक निधि में से किसी राशि का कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक ऐसा व्यय चालू बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं हो और ऐसे बजट अनुदान का पर्याप्त अतिशेष, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसमें किसी कमी या उसके अंतरण के होते हुए भी, उपलब्ध नहीं होः

परन्तु यह धारा निम्नलिखित मामलों में किसी संदाय पर लागू नहीं होगी, अर्थात्ः–

(क) कर और अन्य धन, जो इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत हैं, का प्रतिदाय;

(ख) संविदाकारों या अन्य व्यक्तियों से संबंधित और निक्षेप में धारित धन और नगरपालिका द्वारा भूलवश संगृहीत या नगरपालिक निधि में निक्षिप्त समस्त धन का प्रतिसंदाय,

(ग) राज्य सरकार द्वारा लोकहित में तत्काल अपेक्षित संकर्मों के लिए अस्थायी संदाय,

(घ) खतरनाक रोगों के फैलने पर, प्राकृतिक या प्रौद्योगिक खतरों के होने पर या किसी अन्य अत्यावश्यक मामले में नगरपालिका द्वारा विशेष उपायों पर उपगत व्यय,

(ङ) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या उप–विधियों के अधीन प्रतिकर के रूप में संदेय राशियां,

(च) (i) इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित कोई कार्रवाई करने में

नगरपालिका के विफल होने पर राज्य सरकार के आदेशों के अधीन, या

(ii) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, या

(iii) नगरपालिका के विरुद्ध किसी सिविल या दाण्डिक न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन, या

(iv) किसी दावे, वाद या अन्य विधिक कार्यवाही के समझौते के अधीन, या

(v) नगरपालिका की सम्पत्ति या मानव जीवन को हुए अचानक भय या खतरे को टालने के लिए किसी भी नगरपालिक प्राधिकारी द्वारा तुरन्त कार्रवाई करने में उपगत व्यय के मद्धे या–

(vi) वेतन और मजदूरी के मद्धे,

संदेय राशियां, और

(छ) ऐसे अन्य मामले, जिन्हें उप–विधियों द्वारा अवधारित किया जाये।

82. **लोकहित में तत्काल अपेक्षित संकर्मों के लिए नगरपालिक निधि में से अस्थायी संदाय**.–(1) राज्य सरकार द्वारा लिखित अध्यपेक्षा पर, नगरपालिका किसी भी समय, मुख्य नगरपालिक अधिकारी से, ऐसे किसी कार्य के निष्पादन की, जिसे राज्य सरकार ने लोकहित में तत्काल अपेक्षित संकर्म के रूप में प्रमाणित किया हो और इस प्रयोजन के लिए ऐसे कार्य के लिए नगरपालिक निधि में से संदाय की, जहां तक कि ऐसा संदाय नगरपालिका के नियमित कार्य में किसी असम्यक् हस्तक्षेप के बिना किया जा सकता हो, अपेक्षा कर सकेगी।

(2) इस प्रकार निष्पादित समस्त कार्यों की लागत और ऐसे कार्यों के निष्पादन के लिए आनुपातिक स्थापन प्रभार राज्य सरकार द्वारा संदत्त

किये जायेंगे और नगरपालिक निधि में जमा किये जायेंगे।

83. **नगरपालिका की सीमाओं के बाहर व्यय उपगत करने की शक्ति**.–इस अध्याय में अन्यत्र अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नगरपालिका, राज्य सरकार के अनुमोदन से, नगरपालिक क्षेत्र की सीमाओं के बाहर, नगरपालिका के मुख्य कृत्यों से संबंधित भौतिक आस्तियों का सृजन करने और उनके रख–रखाव के लिए ऐसे नगरपालिक क्षेत्र की सीमाओं के बाहर व्यय उपगत किया जाना प्राधिकृत कर सकेगी।

84. **विशिष्ट प्रयोजन के लिए नगरपालिक निधि का अनन्य उपयोग**.–(1) इस अध्याय में अन्यत्र अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार, आदेश द्वारा नगरपालिका से नगरपालिक निधि के किसी विशिष्ट भाग को, या किसी विशिष्ट अनुदान या उसके भाग को, या किसी लेखा शीर्ष के अधीन प्राप्ति की किसी मद या उसके किसी प्रतिशत को, या इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका को समनुदेशित करों, शुल्कों और जुर्मानों से भिन्न नगरपालिका द्वारा प्राप्य कर के किसी अंश या उसके किसी भाग को, नगरपालिक कृत्यों से संबंधित किसी ऐसे प्रयोजन के लिए, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, अनन्य रूप से उपयोग में लेने के लिए चिह्नित करने की अपेक्षा कर सकेगी और तदनुसार कार्य करना नगरपालिका का कर्तव्य होगा।

(2) राज्य सरकार, उप–धारा (1) के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, विभिन्न वर्गों की नगरपालिकाओं के लिए नियम बना सकेगी।

85. **लेखाओं का प्रचालन.**– इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नगरपालिक निधि में से संदाय ऐसी रीति से किया जायेगा, जो राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में विहित हो।

86. **अधिशेष धन का विनिधान**.–(1) नगरपालिक निधि के लेखा शीर्षों में से किसी में जमा अधिशेष धन, जिसकी नगरपालिका द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए या तो तुरन्त ही या शीघ्र ही उपयोग में लिए जाने की आवश्यकता नहीं हो, नगरपालिका द्वारा, राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार नगरपालिक निधि के किसी अन्य लेखा शीर्ष में, या तो पूर्णतः या भागतः, अंतरित किये जा सकेंगे:

परन्तु नगरपालिक निधि के वाणिज्यिक परियोजना लेखा में जमा ऐसा अधिशेष धन नगरपालिक निधि के सामान्य लेखा में अन्तरित नहीं किया जायेगा।

(2) ऐसे अधिशेष धन को, जिसको उप–धारा (1) के अधीन अंतरित नहीं किया गया है, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित लोक प्रतिभूतियों या लघु बचत स्कीमों में विनियोजित किया जा सकेगा या ऐसे अनुसूचित बैंक में, जो नगरपालिका द्वारा अवधारित किया जाये, ब्याज पर जमा कराया जा सकेगा।

(3) यथापूर्वोक्त विनिधान से उद्भूत लाभ या हानि, यदि कोई हो, उस खाते में, जिससे ऐसा लाभ या हानि संबंधित है, जमा या, यथास्थिति, विकलित किया जायेगा।

87. **नगरपालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करना.**–(1) मुख्य नगरपालिक अधिकारी प्रत्येक वर्ष में पन्द्रह जनवरी से पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन और साथ ही नगरपालिका की स्थापन अनुसूची तैयार करेगा, और ऐसा बजट प्राक्कलन नगरपालिका की वास्तविक आय और व्यय का प्राक्कलन होगा। तथापि, अनुमोदन के लिए नगरपालिका को प्रस्तुत करने से पूर्व, वित्तीय प्राक्कलन वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(2) धारा 4 और धारा 79 की उप–धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, बजट प्राक्कलन विभिन्न लेखा शीर्षों के सम्बन्ध में

नगरपालिका की प्राप्त की जाने वाली आय और उपगत किये जाने वाले व्यय को पृथक्–पृथक् वर्णित करेगाः

परन्तु राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, बजट में निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सम्मिलित नहीं किया जायेगाः–

(i) नये पदों का सृजन या रिक्त पदों को भरना;

(ii) नये यान का क्रय;

(iii) स्थावर सम्पत्ति का क्रय;

(iv) किसी प्राइवेट संस्था या व्यक्ति को अनुदान देना; या

(v) किसी अन्य मामले के लिए जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निदिष्ट किया जाये।

(3) बजट प्राक्कलन उन दरों को वर्णित करेगा, जिन पर अगले वर्ष में नगरपालिका द्वारा विभिन्न कर, अधिभार, उपकर और फीस उद्गृहीत की जायेगी।

(4) बजट प्राक्कलन अगले वर्ष के दौरान उधार के रूप में ली जाने वाली धनराशि को वर्णित करेगा।

(5) अध्यक्ष, ऐसी तारीख को, जो प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी के पश्चात् की न हो, जिसे कार्यपालक समिति द्वारा नियत किया जाये, नगरपालिका को बजट प्राकक्लन प्रस्तुत करेगा और उसे प्रत्येक वर्ष की 15 फरवरी से पहले नगरपालिका द्वारा पारित किया जायेगा।

(6) बजट प्राक्कलन ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से तैयार, प्रस्तुत और अंगीकृत किया जायेगा, और ऐसे मामलों के लिए उपबंध करेगा, जो विहित किये जायें।

(7) धारा 74 की उप–धारा (1) के अधीन तैयार की गयी वार्षिक तालिका और धारा 150 की उप–धारा (1) के अधीन तैयार किया गया विवरण बजट प्राक्कलन के साथ संलग्न किया जायेगा।

88. **नगरपालिका के बजट प्राक्कलन की मंजूरी**.– नगरपालिका बजट प्राक्कलन पर विचार करेगी और प्रत्येक वर्ष फरवरी के पन्द्रहवें दिवस तक, ऐसे परिर्वतनों के साथ, जिन्हें वह आवश्यक समझे, आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी और उसकी प्रति निदेशक, स्थानीय निकाय के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी और यदि बजट प्राक्कलनों पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार की यह राय हो कि नगरपालिका के हित में बजट प्राक्कलनों में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है तो वह परिवर्तन करने के लिए नगरपालिका को निदिष्ट कर सकेगी और ऐसे निदेश नगरपालिका पर बाध्यकारी होंगे।

89. **बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति**.–नगरपालिका किसी वित्तीय वर्ष के दौरान समय–समय पर–

(क) किसी भी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम बढ़ा सकेगी,

(ख) उक्त वर्ष के दौरान किसी विशेष या अप्रत्याशित आवश्यकता को पूर्ण करने के प्रयोजन के लिए अतिरिक्त बजट अनुदान कर सकेगी,

(ग) किसी एक शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम या उसके भाग को किसी अन्य शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम में अंतरित कर सकेगी, या

(घ) किसी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम घटा सकेगीः

परन्तु वित्त समिति की सिफारिश के बिना खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन कुछ भी नहीं किया जायेगा।

## अध्याय 6

## लेखा और संपरीक्षा

90. **लेखाओं का संधारण.–**मुख्य नगरपालिक अधिकारी, नगरपालिका की प्राप्तियों और व्ययों के लेखे ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से जो विहित की जाये, तैयार और संधारित करेगा।

91. **नगरपालिक लेखा निर्देशिका का तैयार किया जाना**.–राज्य सरकार नगरपालिक लेखा निर्देशिका के नाम से जानी जाने वाली एक निर्देशिका तैयार और संधारित करेगी, जिसमें नगरपालिका से संबंधित समस्त वित्तीय मामलों और उनसे संबंधित प्रक्रियाओं के ब्यौरे अन्तर्विष्ट होंगे।

92. **वित्तीय विवरण और तुलनपत्र.**–(1) मुख्य नगरपालिक अधिकारी किसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन मास के भीतर–भीतर, एक वित्तीय विवरण, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए नगरपालिका के लेखाओं के संबंध में आय और व्यय का लेखा तथा प्राप्तियां और संदाय का लेखा हो और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए नगरपालिका की आस्तियों और दायित्वों का एक तुलनपत्र तैयार करवायेगा।

(2) वित्तीय विवरण और तुलनपत्र का प्ररूप और रीति, जिसमें वित्तीय विवरण और तुलनपत्र तैयार किया जायेगा, ऐसे होंगे, जो विहित किये जायें।

93. **वित्तीय विवरण और तुलनपत्र का लेखा संपरीक्षक को प्रस्तुत किया जाना**.– वित्तीय विवरण और तुलनपत्र मुख्य नगरपालिक अधिकारी द्वारा वित्त समिति के समक्ष रखे जायेंगे, जो उनकी परीक्षा करने के पश्चात् उन्हें अंगीकार करेगी और उन्हें संपरीक्षक को प्रेषित करेगी।

94. **लेखाओं की संपरीक्षा.–** (1) वित्तीय विवरण और तुलनपत्र में यथा–अन्तर्विष्ट नगरपालिक लेखाओं की परीक्षा और संपरीक्षा स्थानीय निधि संपरीक्षा के संपरीक्षकों द्वारा राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा

अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 28) के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

(2) भारत का नियंत्रक–महालेखापरीक्षक, राज्य सरकार के अनुरोध पर, नगरपालिकाओं के लेखाओं के उचित संधारण के लिए तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करा सकेगा।

(3) मुख्य नगरपालिक अधिकारी संपरीक्षक को ऐसे और लेखे प्रस्तुत करेगा, जिनकी उसके द्वारा अपेक्षा की जाये।

(4) संपरीक्षक या उसका अधीनस्थ अधिकारी लेखाओं की इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल किसी मद की रिपोर्ट वित्त समिति को कर सकेगा।

(5) वित्त समिति यथासम्भव शीघ्र संपरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करेगी और, यदि आवश्यक हो, तो उस पर त्वरित कार्रवाई करेगी, और, यदि आवश्यक हो, तो किसी अवैध संदाय की रकम को ऐसे संदाय करने वाले या प्राधिकृत करने वाले किसी व्यक्ति पर अधिभारित भी करेगी, और किसी व्यक्ति की उपेक्षा या अवचार के कारण किसी रकम में उपगत किसी कमी या हानि की रकम या ऐसी कोई भी रकम, जो किसी व्यक्ति द्वारा लेखाओं में लायी जानी चाहिए थी, किन्तु नहीं लायी गयी हो, उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर भारित करेगी और प्रत्येक ऐसे मामले में ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम को प्रमाणित करेगी:

परन्तु प्रमाणित राशियों के संदाय के किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को अपील कर सकेगा, जिसका ऐसी अपील पर विनिश्चय अंतिम होगा।

95. **नगरपालिका के समक्ष संपरीक्षित लेखाओं का रखा जाना**.– (1) मुख्य नगरपालिक अधिकारी संपरीक्षित वित्तीय विवरण, तुलनपत्र और संपरीक्षक की रिपोर्ट तथा उसकी टिप्पणियां वित्त समिति के समक्ष रखेगा,

जो उनकी जांच करने के पश्चात् उन्हें अपनी टिप्पणियों, यदि कोई हों, के साथ नगरपालिका के समक्ष रखेगी।

(2) मुख्य नगरपालिक अधिकारी किसी त्रुटि को, जो संपरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में इंगित की गयी हो, दूर करेगा और संपरीक्षकों द्वारा इंगित आक्षेपों और त्रुटियों का जवाब नगरपालिका के समक्ष रखेगा।

96. **संपरीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करना**.–(1) मुख्य नगरपालिक अधिकारी वित्तीय विवरण और तुलनपत्र तथा संपरीक्षक की रिपोर्ट, यदि कोई हो, को नगरपालिका द्वारा अंगीकार करने के पश्चात्, उसे नगरपालिका द्वारा उस पर की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ राज्य सरकार को भेजेगा।

(2) यदि संपरीक्षक और नगरपालिका की राय में कोई अन्तर हो या यदि नगरपालिका युक्तियुक्त कालावधि के भीतर–भीतर संपरीक्षक की रिपोर्ट में उल्लिखित त्रुटियों या अनियमिताओं को दूर नहीं करती है, तो संपरीक्षक उस मामले को राज्य सरकार को निर्दिष्ट करेगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

97. **संपरीक्षा रिपोर्ट पर आदेश प्रवर्तित करने की राज्य सरकार की शक्ति**.–यदि इस अध्याय के अधीन राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी भी आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकार के लिए ऐसे आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कदम उठाना, जो वह ठीक समझे, और यह निदेश देना कि उसके समस्त खर्चे नगरपालिक निधि से अदा किये जायेंगे, विधिपूर्ण होगा।

98. **विशेष संपरीक्षा**.– वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षा के अतिरिक्त, राज्य सरकार या नगरपालिका, यदि वह ठीक समझे, गहन परीक्षा की अपेक्षा रखने वाली विनिर्दिष्ट मद या मदों की श्रृंखला से संबंधित विशेष संपरीक्षा करने के लिए कोई संपरीक्षक नियुक्त कर सकेगी और संपरीक्षा

से सम्बन्धित प्रक्रिया, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, ऐसी विशेष संपरीक्षा पर लागू होगी।

99. **आंतरिक संपरीक्षा**.– राज्य सरकार या नगरपालिका, नगरपालिका के दैनिक लेखाओं की आंतरिक संपरीक्षा के लिए विहित रीति में उपबंध कर सकेगी।

100. **वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट**.– (1) नगरपालिका प्रतिवर्ष अप्रेल के प्रथम दिवस के पश्चात् यथाशीघ्र और 30 जून के अपश्चात् तक पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान के प्रशासन पर, ऐसे प्ररूप में और ऐसे ब्यौरों सहित, जिसका राज्य सरकार निदेश दे, राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(2) मुख्य नगरपालिक अधिकारी, रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे नगरपालिका के समक्ष विचार के लिए रखेगा और उस पर नगरपालिका के संकल्प के साथ उसे राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(3) रिपोर्ट ऐसी रीति से प्रकाशित की जा सकेगी, जिसका नगरपालिका निदेश दे।

## अध्याय 7

## नगरपालिक राजस्व

101. **नगरपालिका का आंतरिक राजस्व**.–नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में निम्नलिखित स्रोतों से उसकी प्राप्तियां सम्मिलित होंगी, अर्थात्:–

(क) नगरपालिका द्वारा उद्गृहीत कर,

(ख) नागरिक सेवाओं की व्यवस्था के लिए नगरपालिका द्वारा उद्गृहीत उपयोक्ता प्रभार, और

(ग) विनियामक और अन्य कानूनी कृत्यों के अनुपालन के लिए उद्गृहीत फीसें और जुर्माने।

**102. बाध्यकारी कर**.– (1) धारा 4 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक नगरपालिका ऐसी दर पर और ऐसी तारीख से, जिसके लिए राज्य सरकार प्रत्येक मामले में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदिष्ट

करे, और ऐसी रीति से, जो इस अधिनियम में अधिकथित की गयी है और जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों में उपबन्धित की जाये, निम्नलिखित कर उद्‌गृहीत कर सकेगी और यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये तो उद्‌गृहीत करेगी अर्थात्:–

(क) इकाई क्षेत्र आधारित प्रणाली द्वारा या किसी अन्य प्रणाली द्वारा, नगरपालिक सीमाओं के भीतर स्थित भूमियों और भवनों पर कर;

(ख) वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर;

(ग) नगरपालिका के स्वामित्व वाली या उसकी निधियों से निर्मित सड़कों, पुलों और घाटों पर पथकर;

(घ) ऐसे व्यवसाय और उद्योग, जो नगरपालिक सीमाओं के भीतर पर्यावरण प्रदूषण के स्रोत हैं, से प्रदूषण नियंत्रण के लिए कर;

(ङ) सार्वजनिक स्थान पर या निजी भूमि या भवन पर अनुज्ञेय संप्रदर्शन या विज्ञापन पर कर;

(च) कोई अन्य कर जिसे भारत के संविधान के अधीन अधिरोपित करने की राज्य सरकार को शक्ति हो :

परन्तु किसी नगरपालिका द्वारा और उसके अनुरोध पर किये गये किसी अभ्यावेदन पर राज्य सरकार, यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसी परिस्थितिया विद्यमान हैं कि किसी नगरपालिका के लिए इस धारा में उल्लिखित करों में से किसी भी कर का उद्‌ग्रहण नहीं करने, या उसका उद्‌ग्रहण बन्द करने, या उसकी दर कम करने का पर्याप्त औचित्य है तो ऐसा आदेश करने के कारणों सहित, राजपत्र में प्रकाशित विशेष आदेश द्वारा उस नगरपालिका को ऐसे किसी भी कर का उद्‌ग्रहण नहीं करने या

उसका उद्ग्रहण बन्द करने, या उसकी दर कम करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी।

(2) विभिन्न नगरपालिकाओं की परिवर्तनशील स्थानीय दशाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न दरों पर करों के उद्ग्रहण के लिए उप–धारा (1) के अधीन निदेश दिये जा सकेंगे, और उन्हीं तर्कों तथा वैसे ही निदेश द्वारा, राज्य सरकार उद्गृहीत करों की दरों को विभिन्न नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में समय–समय पर एक समान रूप से या भिन्न–भिन्न रूप से परिवर्तित कर सकेगी।

**103. अन्य कर जो अधिरोपित किये जा सकेंगे**.–(1) राज्य सरकार के इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेशों के अध्यधीन रहते हुए, कोई नगरपालिका उसके सम्पूर्ण या किसी भी भाग में, जिसके लिए उसकी स्थापना की गयी है, निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी भी कर का अधिरोपण और उद्ग्रहण कर सकेगी, अर्थात्:–

(i) नगरपालिका के भीतर चलाये जाने वाले यानों पर कर;

(ii) नगरपालिका के भीतर लंगर डालने वाली नौकाओं पर कर;

(iii) रोशनी कर;

(iv) सभाओं पर कर;

(v) तीर्थयात्रियों और पर्यटकों पर कर;

(vi विज्ञापन के लिए होर्डिंग या कोई अन्य संरचना परिनिर्मित करने के लिए उपयोग में ली गयी भूमि या भवन पर कर;

(vii) अग्नि कर;

(viii) किसी गैर–आवासीय भवन में पार्किंग स्थानों में की न्यूनता पर कर;

(ix) स्टाम्प शुल्क पर, स्टाम्प शुल्क के आधे प्रतिशत से अनधिक की दर पर, अधिभार;

(x) कोई भी अन्य कर जिसे अधिरोपित करने की शक्ति राज्य सरकार को संविधान के अधीन है।

(2) इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे कर के अधिरोपण या उद्ग्रहण को प्राधिकृत नहीं करेगी या प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जायेगी, जिसको राज्य में अधिरोपित या उद्गृहीत करने की राज्य सरकार को संविधान के अधीन शक्ति नहीं है।

(3) इस धारा के अधीन करों का उद्ग्रहण, निर्धारण और संग्रहण इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों और उप–विधियों के उपबन्धों के अनुसार होगा।

104. **उपयोक्ता प्रभार उद्गृहीत करने की शक्ति.–** नगरपालिका,–

(i) जल–निकास और मल–वहन की व्यवस्था,

(ii) ठोस अपशिष्ट प्रबंध,

(iii) विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न कालावधियों के लिए विभिन्न प्रकार के यानों की पार्किंग,

(iv) किसी भी प्रकार के सन्निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत या ढहाने के कार्य के लिए सार्वजनिक मार्गों पर सामग्रियों या मलबे के ढेर, और

(v) कोई अन्य नागरिक सेवा,

के लिए ऐसी रीति से और ऐसी दरों पर, जो समय–समय पर उसके द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अवधारित की जायें, उपयोक्ता प्रभार उद्गृहीत कर सकेगी:

परन्तु राज्य सरकार नगरपालिका को यथापूर्वोक्त में से किसी भी उपयोक्ता प्रभार के उद्ग्रहण का निदेश दे सकेगी, जिसे नगरपालिका ने उद्गृहीत नहीं किया है या स्थगित कर दिया है।

105. **फीसें और जुर्माने उद्गृहीत करने की शक्ति.**– नगरपालिका को इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या उप–विधियों द्वारा या उनके अधीन उसमें निहित विनियामक शक्तियों का प्रयोग करते हुए,–

(क) भवन योजना की मंजूरी और पूर्ण किये जाने का प्रमाणपत्र जारी किये जाने,

(ख) भूमियों और भवनों के विभिन्न गैर–आवासीय उपयोगों के लिए नगरपालिक अनुज्ञप्ति जारी किये जाने,

(ग) (i) व्यावसायिकों के विभिन्न प्रवर्गों जैसे कि प्लम्बर और सर्वेक्षणकर्ता,

(ii) विभिन्न क्रियाकलापों जैसे कि नलकूप लगाने, मांस, मछलियां या कुक्कुट उत्पादों का विक्रय करने, या वस्तुओं का खोमचा लगाने,

(iii) विज्ञापन के लिए उपयोग में लिए जाने वाले स्थानों या निजी बाजारों, वधशालाओं, अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक, कारखानों, भांडागारों, गोदामों, माल परिवहन डिपो, भोजनालयों, बासों, होटलों, नाट्यशालाओं, सिनेमाघरों के लिए प्रयुक्त परिसरों और लोक मनोरंजन के स्थलों और अन्य गैर–आवासीय उपयोगों,

(iv) पशुओं,

(v) छकड़ों या गाड़ियों, और

(vi) ऐसे अन्य क्रियाकलापों, जिन्हें इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा की आवश्यकता हो,

के लिए अनुज्ञप्ति जारी करने; और

(घ) जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने, के लिए इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों या उप–विधियों के उपबंधों के अनुसार फीसें और जुर्माने उद्गृहीत करने की शक्ति होगी।

106. **विकास प्रभार उद्गृहीत करने की शक्ति.**– (1) नगरपालिका–

(क) चौदह मीटर से अधिक ऊँचाई के किसी आवासीय भवन पर, या किसी गैर–आवासीय भवन पर किसी विशिष्ट प्रवर्ग के मार्ग पर इसकी अवस्थिति, इसके उपयोग की विशेषताओं और मंजूर निर्मित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, और

(ख) किसी विकास योजना के अनुसार, या उस क्षेत्र की किसी उप–विभाजन योजना को अनुमोदित करते समय, किसी विद्यमान क्षेत्र के विकास या पुनर्विकास के लिए,

ऐसा विकास प्रभार उद्गृहीत कर सकेगी, जो समय–समय पर उप–विधियों द्वारा अवधारित किया जाये।

(2) ऐसा कोई भी विकास प्रभार अनुमोदित योजना या उप–विभाजन पर किसी भी क्रियाकलाप का आरम्भ करने के पूर्व विकासकर्ता द्वारा अग्रिम रूप से संदत्त किया जायेगा।

(3) किसी क्षेत्र के पुनर्विकास के मामले में, प्रभार सभी निवासियों और विकास के हिताधिकारियों द्वारा संदेय होंगे।

(4) नगरपालिका ऐसे विकास प्रभार का एक पृथक् लेखा रखेगी और उसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अपयोजित नहीं करेगी।

107. **करारोपण से छूट**.– (1) धारा 102 और 103 में विनिर्दिष्ट करों में से कोई भी कर नगरपालिका द्वारा नगरपालिका की या उसमें निहित किसी भी सम्पत्ति के सम्बन्ध में उद्ग्रहणीय नहीं होगा।

(2) धारा 102 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) तथा धारा 103 की उप–धारा (1) के खण्ड (i) और (ii) में विनिर्दिष्ट करों में से कोई भी कर, ऐसी किन्हीं भी भूमियों, भवनों, यानों, वाहनों और नौकाओं के संबंध में, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के हों या उनमें निहित हों, उद्ग्रहणीय नहीं होगाः

परन्तु जब तक नगरपालिका द्वारा अन्य व्यक्तियों की वैसी ही सम्पत्तियों पर ऐसा कोई कर उद्गृहीत किया जाता रहे तब तक इस उप–धारा की कोई भी बात नगरपालिका को उस कर का उद्ग्रहण करने से नहीं रोकेगी जिसके लिए केन्द्रीय सरकार की कोई भूमियां, भवन, यान, वाहन, नौकाएं 26 जनवरी, 1950 के ठीक पूर्व दायी थे या दायी माने जाते थे:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार की या उसमें निहित कोई भी भूमि, भवन, यान, वाहन या नौका ऐसे किसी भी कर के संदाय से छूट प्राप्त रहेंगे यदि उनका उपयोग मात्र लोक प्रयोजनों के लिए ही किया जाता हो या किया जाना आशयित हो न कि लाभ के प्रयोजनों के लिए।

(3) धारा 102 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट कर ऐसी भूमियों और भवनों के संबंध में उद्ग्रहणीय नहीं होगा जिनका उपयोग मात्र सार्वजनिक पूजा–स्थलों के रूप में किया जाता है और जो नगरपालिका द्वारा इस रूप में सम्यक् रूप से मान्यताप्राप्त हैं।

(4) राज्य सरकार यदि उसकी राय में ऐसा करने के युक्तियुक्त आधार विद्यमान हों, तो इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय किसी कर के संदाय से, राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसी छूट मंजूर और परिनिश्चित कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे।

108. **कर अधिरोपित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया**.–नगरपालिका धारा 103 के अधीन कर का अधिरोपण करने के पूर्व, निम्नलिखित प्रारम्भिक प्रक्रिया का पालन करेगी, अर्थात्:–

(क) वह साधारण बैठक मे पारित संकल्प द्वारा धारा 103 में विनिर्दिष्ट करों में से किसी एक या अन्य कर का इस प्रयोजन के लिए चयन करेगी और कर विहित करने वाले नियमों का एक प्रारूप तैयार करेगी और ऐसे नियमों में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करेगी–

(i) उन व्यक्तियों या सम्पत्ति अथवा दोनों के वर्ग, जिन्हें नगरपालिका दायी बनाने का प्रस्ताव करती है और कोई भी छूटें, जिन्हें देने का वह प्रस्ताव करती है,

(ii) वह रकम या रेट जिस पर नगरपालिका प्रत्येक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को निर्धारित करने का प्रस्ताव करती है,

(iii) भवनों या भूमियों या दोनों पर रेट के मामले में, प्रत्येक वर्ग के लिए मूल्यांकन का वह आधार, जिस पर ऐसी रेट अधिरोपित की जानी है, और

(iv) ऐसे अन्य समस्त मामले जिनको उनमें विनिर्दिष्ट किये जाने की राज्य सरकार अपेक्षा करे;

(ख) जब ऐसा संकल्प पारित कर दिया गया हो तब नगरपालिका इस प्रकार तैयार किये गये प्रारूप–नियमों को प्रथम अनुसूची में दिये गये प्ररूप में एक नोटिस के साथ, प्रकाशित करेगी;

(ग) उक्त कर के अधिरोपण के या प्रस्तावित रकम या रेट के, या उसके दायी बनाये जाने वाले व्यक्तियों या सम्पत्ति के वर्गों के, या प्रस्तावित किसी छूट के सम्बन्ध में आपत्ति करने वाला नगरपालिका का कोई भी निवासी उक्त नोटिस के प्रकाशन से एक मास के भीतर–भीतर, नगरपालिका को अपनी लिखित आपत्ति भेज सकेगा, और वह नगरपालिका ऐसी समस्त आपत्तियों पर विचार करेगी, या उन पर विचार करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए किसी समिति को प्राधिकृत करेगी, और, जब तक कि वह प्रस्तावित कर को त्यागने का विनिश्चिय न करे, विशेष संकल्प द्वारा ऐसी तारीख से कर के अधिरोपण का निदेश देगी जो संकल्प में विनिर्दिष्ट की जाये।

109. **कर का अधिरोपण आदि.**–(1) धारा 108 में निर्दिष्ट विशेष संकल्प पारित करने के पश्चात्, नगरपालिका नियत तारीख से कर का अधिरोपण राजपत्र में अधिसूचित करेगी।

(2) उप–धारा (1) के अधीन कर के अधिरोपण की अधिसूचना इस बात का निश्चायक सबूत होगी कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कर अधिरोपित कर दिया गया है:

परन्तु–

(क) वार्षिक रूप से उद्ग्रहणीय कर–

(i) निम्नलिखित तारीखों में से किसी एक तारीख पर के सिवाय प्रवृत्त नहीं होगा अर्थात् उस शासकीय वर्ष, जिसमें ऐसा नोटिस प्रकाशित किया जाये, की अप्रैल के प्रथम दिवस, जुलाई के प्रथम दिवस, अक्टूबर के प्रथम दिवस या जनवरी के प्रथम दिवस से, और

(ii) यदि वह अप्रैल के प्रथम दिवस से भिन्न किसी अन्य दिवस से प्रवृत्त हो तो वह आगामी अप्रैल के प्रथम दिवस तक त्रैमासिक रूप से उद्ग्रहणीय होगा;

(ख) नगरपालिका, इस धारा के अधीन नोटिस जारी किये जाने वाले दिवस को या उसके पूर्व, ऐसे और विस्तृत नियम, जो अपेक्षित हों, उनमें विनिर्दिष्ट कर के उद्ग्रहण और वसूली के ढंग और ऐसी तारीखें जिन पर वह या उसकी किस्तें, यदि कोई हों, संदेय होंगी, को विहित करते हुए, प्रकाशित करेगी; और

(ग) यदि किसी कर का या किसी कर के किसी विशेष भाग का उद्ग्रहण केवल किसी कालावधि के लिए मंजूर किया गया हो, तो उद्ग्रहण, उस असंदत्त बकाया के सिवाय, जो उस कालावधि में देय हो गया हो, उस कालावधि की समाप्ति पर समाप्त हो जायेगा।

110. **करों में परिवर्तन करने के लिए प्रक्रिया.**– धारा 103 के अधीन अधिरोपित कर को समाप्त करने या उसमें परिवर्तन करने की प्रक्रिया, जहां तक हो सके, वही प्रक्रिया होगी जो उसके अधिरोपण के लिए धारा 108 और 109 द्वारा विहित है।

111. **कर को स्थगित करने या प्रतिषिद्ध करने या उसमें सुधार करने की सरकार की शक्ति**.–यदि राज्य सरकार को, शिकायत किये जाने पर या अन्यथा, ऐसा प्रतीत हो कि धारा 102 और 103 के अधीन नगरपालिका द्वारा उद्गृहीत किसी भी कर का भार अनुचित है या उसका या उसके किसी भाग का उद्ग्रहण जनसाधारण के हित के प्रतिकूल है या उसके लिए हानिकारक है तो राज्य सरकार उक्त नगरपालिका से किसी भी त्रुटि या आक्षेप के, जो उसे उक्त कर के बारे में या उसके निर्धारण या संग्रहण की रीति में विद्यमान प्रतीत हो, ऐसी कालावधि के भीतर–भीतर, जो वह इस निमित्त नियत करे, निराकरण के उपाय करने की अपेक्षा कर सकेगी और यदि इस प्रकार नियत की गयी कालावधि के भीतर–भीतर ऐसी अपेक्षा राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप में क्रियान्वित नहीं की जाये तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर या उसके किसी भी भाग के उद्ग्रहण को ऐसे समय तक के लिए स्थगित कर सकेगी जब तक कि ऐसी त्रुटि या आक्षेप का निराकरण न कर दिया जाये या ऐसे कर को समाप्त या कम कर सकेगी।

112. **कर को स्थगित या समाप्त करने की नगरपालिका की शक्ति**.– राज्य सरकार के किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के अध्यधीन रहते हुए, कोई नगरपालिका, यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा किया जाना लोकहित में है, किसी ऐसे कर को स्थगित या समाप्त कर सकेगी, जो धारा 103 के अधीन अधिरोपित किया गया है या अधिरोपित किया गया समझा गया है।

113. **कर का निर्धारण और कर–निर्धारकों की नियुक्ति**.–(1) नगरपालिक कर निर्धारण के लिए राज्य सरकार कर–निर्धारकों की नियुक्ति कर सकेगी, जो ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो राज्य

सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों में अधिकथित की जाये, कर निर्धारित करेंगे।

(2) कर–निर्धारकों को राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा कोई ऐसा अन्य कार्य समनुदेशित किया जा सकेगा।

114. **कतिपय जानकारियां देना और उन्हें देने में विफल रहने का परिणाम**.– (1) कर–निर्धारक की अध्यपेक्षा पर, धारा 102 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भवन या भूमि या दोनों का स्वामी या अधिभोगी, ऐसी युक्तियुक्त कालावधि में, जो अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट की जाये, निम्नलिखित के लिए बाध्य होगाः–

(i) ऐसे प्ररूप में विवरणी देने के लिए, जो विहित की जाये; और

(ii) ऐसी जानकारी देने के लिए जो उस व्यक्ति का अवधारण करने के लिए अपेक्षित हो, जिससे धारा 120 के अधीन कर मूलतः उद्ग्रहणीय है।

(2) यदि ऐसा स्वामी या अधिभोगी, अध्यपेक्षा का अनुपालन उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर–भीतर करने में विफल रहता है या उसका अनुपालन करने से इनकार करता है तो इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबन्ध के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कर–निर्धारक, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, ऐसे भवन या भूमि या दोनों पर अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार संदेय कर का निर्धारण करेगा।

115. **संशोधन के प्रयोजनों के लिए सूचना देने की बाध्यता**.– (1) जब कोई भवन, निर्मित या परिवर्धित किया जाये तब उसका स्वामी ऐसे निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्धन के पूर्ण होने की तारीख से या ऐसे भवन का अधिभोग करने की तारीख से, जो भी तारीख पहले हो, एक मास के भीतर–भीतर नगरपालिका को उसकी सूचना देगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उप–धारा (1) द्वारा अपेक्षित सूचना देने में विफल रहता है तो नगरपालिका उस पर पांच सौ रुपये से अनधिक या उक्त भवन या परिवर्धन पर तीन मास की कालावधि के लिए संदेय कर की रकम का दस गुना, जो भी अधिक हो, ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगी, जो नगरपालिका ठीक समझे।

116. **भवनों या भूमियों पर करों के संदाय के लिए मूलतः दायी व्यक्तियों द्वारा हक के समस्त अन्तरणों के विषय में नगरपालिका को सूचना देना**.–(1) जब कभी किसी भवन या भूमि या दोनों पर अधिरोपित कर के संदाय के लिए मूलतः दायी किसी व्यक्ति के हक का अन्तरण किया जाये तब वह व्यक्ति, जिसके हक का इस प्रकार अन्तरण किया गया है और वह व्यक्ति जिसको ऐसा हक अन्तरित किया जायेगा, नगरपालिका को ऐसे अन्तरण की लिखित सूचना देंगे।

(2) यथापूर्वोक्त मूलतः दायी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में, वह व्यक्ति, जिसको वारिस के रूप में या अन्यथा मृत व्यक्ति के हक का अन्तरण हो, नगरपालिका को ऐसे अन्तरण की सूचना देगा।

117. **सूचना का प्ररूप**.–(1) अन्तिम पूर्ववर्ती धारा के अधीन दी वाली सूचना या तो द्वितीय अनुसूची या, यथास्थिति, तृतीय अनुसूची के प्ररूप में होगी, और इसमें उक्त प्ररूप द्वारा अपेक्षित समस्त विशिष्टियों का स्पष्ट तौर पर और सही–सही कथन किया जायेगा।

(2) ऐसी कोई सूचना प्राप्त होने पर नगरपालिका, यदि वह आवश्यक समझे, अन्तरण की लिखत, यदि कोई हो, या उसकी प्रतिलिपि पेश किये जाने की अपेक्षा कर सकेगी।

118. **अन्तरिती के नाम का नगरपालिक रजिस्टरों में प्रतिस्थापन किया जाना**.–जब कभी या तो ऐसी सूचना द्वारा या अन्यथा ऐसा अन्तरण, नगरपालिका की जानकारी में आये और ऐसी जांच करने के पश्चात, जो

आवश्यक हो, नगरपालिक रजिस्टर में उस व्यक्ति के स्थान पर, जो मूलतः दायी है, अन्तरिती का नाम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा।

119. **अन्तरण की सूचना के अभाव में भवनों या भूमियों पर करों के संदाय के दायित्व का बना रहना**.–(1) किसी भवन या भूमि या दोनों पर अधिरोपित कर के संदाय के लिए मूलतः दायी प्रत्येक व्यक्ति, जो नगरपालिका को यथापूर्वोक्त ऐसे अन्तरण की सूचना दिये बिना अपने हक का अन्तरण कर देता है, उसके संबंध में समय–समय पर संदेय समस्त करों के संदाय के लिए तब तक दायी रहेगा जब तक वह ऐसी सूचना न दे दे या जब तक नगरपालिका के रजिस्टर में अन्तरण को अभिलिखित न कर लिया जाये।

(2) इस धारा की कोई भी बात उक्त कर के लिए अन्तरिती के दायित्व को कम करने वाली या नगरपालिका के परिसरों पर देय कर की वसूली के लिए धारा 140 द्वारा प्रदत्त उन पर पूर्विकता के दावे को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जायेगी।

120. **कर मूलतः किससे उद्गृहणीय है.–(1)** भवनों या भूमियों या दोनों पर अधिरोपित प्रत्येक कर मूलतः उस सम्पत्ति के वास्तविक अधिभोगी से उद्ग्रहणीय होगा जिस पर ऐसा कर–निर्धारण किया गया है, यदि वह भवन या भूमि या दोनों का स्वामी हो या वह उनको राज्य सरकार से या नगरपालिका से भवन या अन्य पट्टे पर, या किसी भी व्यक्ति से भवन या अन्य पट्टे पर धारण करता हो।

(2) उप–धारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, कर मूलतः निम्नलिखित से उद्ग्रहणीय होगा, अर्थात्:–

(क) यदि सम्पत्ति पट्टे पर दी गयी हो, तो पट्टाकर्ता से;

(ख) यदि सम्पत्ति उप–पट्टे पर दी गयी हो, तो वरिष्ठ पट्टाकर्ता से;

(ग) यदि सम्पत्ति पट्टे पर न दी गयी हो, तो उस व्यक्ति से, जिसमें उसे पट्टे पर देने का अधिकार निहित हैः

परन्तु मूलतः दायी व्यक्ति से ऐसे कर के मद्धे शोध्य किसी राशि की वसूली में विफलता पर, भवन या भूमि के किसी भाग के अधिभोगी से राशि का ऐसा भाग वसूल किया जा सकेगा, जो ऐसे भाग के सम्बन्ध में आनुपातिक रूप से संदेय होः

परन्तु यह और कि ऐसे किसी अधिभोगी द्वारा, जो इस धारा के अधीन मूलतः दायी नहीं है, संदत्त या उससे वसूल की गयी किसी भी राशि के लिए वह मूलतः दायी व्यक्ति से मुजराई प्राप्त करने का हकदार होगा।

121. **कराधान से संबंधित अपीलें**.–कर–निर्धारण या कर–निर्धारण में किसी परिवर्तन के विरुद्ध अपील, और ऐसे समस्त मामलों में, जिनमें यथापूर्वोक्त कोई अपील नहीं की गयी है, धारा 130 के अधीन मांग के नोटिस के विरुद्ध अपील, कलक्टर को या ऐसे अन्य अधिकारी को, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाये, की जा सकेगी।

122. **परिसीमा और दावाकृत कर का पूर्व–निक्षेप**.– ऐसी कोई भी अपील तब तक सुनी और अवधारित नहीं की जायेगी जब तक कि–

(क) वह अपील, भवनों या भूमियों या दोनों पर निर्धारित कर के मामले में आदेश की संसूचना की तारीख के पश्चात् अगले तीस दिवस के भीतर–भीतर (ऐसे आदेश की प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय को छोड़कर) और किसी अन्य कर के मामले में कर–निर्धारण के या कर–निर्धारण में परिवर्तन के नोटिस की प्राप्ति की तारीख के पश्चात् अगले तीस दिवस के भीतर–भीतर, या यदि कोई नोटिस नहीं दिया गया हो तो कर–निर्धारण या कर–निर्धारण में परिवर्तन के अधीन प्रथम मांग की तारीख के पश्चात् अगले तीस दिवसों के भीतर–भीतर, न कर दी जाये; और

(ख) आवेदक ने उससे दावाकृत रकम नगरपालिक कार्यालय में जमा न करा दी हो:

परन्तु अपील प्राधिकारी लेखबद्ध कारणों से और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो वह अधिरोपित करे, खण्ड (ख) में उल्लिखित रकम को जमा कराये बिना, या ऐसी कम राशि जमा कराने पर, जिसके लिए उक्त प्राधिकारी निदेश दे, अपील ग्रहण कर सकेगा।

123. **खर्चे**.– (1) प्रत्येक अपील में खर्चे दिलाना, अपील का विनिश्चय करने वाले अधिकारी के विवेकाधीन होगा।

(2) इस धारा के अधीन नगरपालिका को दिलाये गये खर्चे, नगरपालिका द्वारा इस अध्याय में उपबंधित रीति से वसूलीय होंगे।

(3) यदि नगरपालिका किसी अपीलार्थी को दिलाये गये खर्चे का संदाय, नगरपालिका को उसके संदाय के आदेश से संसूचित किये जाने की तारीख के पश्चात् तीस दिवस के भीतर करने में विफल रहती है तो खर्चे दिलाने वाला अधिकारी नगरपालिक निधि के अतिशेष की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति को उक्त रकम के संदाय का आदेश दे सकेगा।

124. **कराधान के मामले में सिविल और दाण्डिक न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन**.– (1) इस अधिनियम में उपबंधित से भिन्न किसी रीति से और किसी भी प्राधिकारी द्वारा, किसी मूल्यांकन या निर्धारण पर कोई आक्षेप नहीं किया जायेगा और न ही निर्धारित या कराधान किये जाने वाले किसी व्यक्ति के दायित्व को प्रश्नगत किया जायेगा।

(2) मूल्यांकन या कर–निर्धारण, या कर–निर्धारण या कराधान के दायित्व के संबंध में किसी आदेश की पुष्टि करने, उसे अपास्त करने या उपान्तरित करने का अपील प्राधिकारी का आदेश अन्तिम होगा:

परन्तु अपील प्राधिकारी के लिए, आवेदन किये जाने पर या स्वप्रेरणा से, अपने द्वारा अपील में पारित किसी आदेश का, मूल आदेश की

तारीख से तीन मास के भीतर–भीतर कोई और आदेश पारित करके पुनर्विलोकन करना विधिपूर्ण होगा।

125. **व्यावृत्तियां.**– (1) कोई भी कर–निर्धारण सूची या अन्य सूची, नोटिस, बिल या ऐसा ही अन्य दस्तावेज, जो किसी कर, प्रभार, किराये या फीस के संदर्भ में किसी व्यक्ति, सम्पत्ति, वस्तु या परिस्थिति को विनिर्दिष्ट करे या विनिर्दिष्ट करने के लिए तात्पर्यित हो, केवल व्यक्ति के नाम, निवास–स्थान, कारोबार या उपजीविका के स्थान, सम्पत्ति, वस्तु या परिस्थिति के वर्णन में किसी भूल के कारण या मात्र कोई लेखन की गलती, या उसके स्वरूप की किसी त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगा तथा यह पर्याप्त होगा कि पहचान के प्रयोजन के लिए व्यक्ति, सम्पत्ति, वस्तु या परिस्थिति का वर्णन पर्याप्त रूप से कर दिया जाये तथा किसी कर के संबंध में दायी सम्पत्ति के स्वामी या अधिभोगी को नामित करना आवश्यक नहीं होगा।

(2) करों का उद्ग्रहण सम्पत्ति का हक नहीं समझा जायेगा।

126. **दायित्व प्रकट करने की बाध्यता.**–(1) नगरपालिका, मुख्य नगरपालिक अधिकारी, कर–निर्धारक या नगरपालिका द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी, लिखित संसूचना द्वारा, नगरपालिका के किसी निवासी से ऐसी जानकारी देने के लिए अपेक्षा कर सकेगा, जो निम्नलिखित को अभिनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो:–

(क) क्या ऐसा निवासी इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कर संदत्त करने का दायी है;

(ख) रकम, जिस पर उसका निर्धारण होना चाहिए,

(ग) स्वामी का नाम और पता।

(2) यदि कोई निवासी, जिससे इस प्रकार जानकारी देने की अपेक्षा की जाये, जानकारी नहीं देता है या ऐसी जानकारी देता है जो असत्य है

तो वह दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने का दायी होगा, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा।

127. **करों को वसूल करने का कर्तव्य**.– मुख्य नगरपालिक अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी धारा 102 और 103 अधीन अधिरोपित करों के उचित उद्ग्रहण और वसूली के लिए उत्तरदायी होगा।

128. **कर के बिल का प्रस्तुत किया जाना**.– जब कोई रकम–

(क) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध द्वारा या उसके अधीन, इस अध्याय द्वारा उपबंधित रीति से वसूलीय घोषित की जाये, या

(ख) नगरपालिका को, उसमें निहित किसी भवन या भूमि के संबंध में, किराये के पेटे देय हो गयी हो,

तब नगरपालिका, यथासम्भव शीघ्र उसके संदाय के लिए दायी व्यक्तियों को बकाया के रूप में दावाकृत राशि का बिल प्रस्तुत करवायेगी।

129. **बिल की अन्तर्वस्तु**.– ऐसे प्रत्येक बिल में,–

(क) वह कालावधि जिसके लिए, और

(ख) वह सम्पत्ति, उपजीविका, परिस्थिति या वस्तु जिसके सम्बन्ध में–

राशि का दावा किया गया है, विनिर्दिष्ट होंगे और उसमें–

(i) संदाय के व्यतिक्रम में उपगत होने वाले दायित्व, और

(ii) अवधि, जिसके भीतर–भीतर इस अधिनियम में यथाउपबंधित अपील की जा सकेगी,

की सूचना भी दी जायेगी।

130. **मांग का नोटिस**.– यदि उस राशि का, जिसके लिए पूर्वोक्त रूप से कोई बिल प्रस्तुत कर दिया गया है, संदाय, उसके प्रस्तुत किये जाने से पन्द्रह दिवस के भीतर–भीतर नगरपालिका कार्यालय में या किसी

नियम द्वारा इस निमित्त ऐसा संदाय प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को नहीं किया जाता है तो नगरपालिका ऐसे व्यक्ति पर, जिसे ऐसा बिल प्रस्तुत किया गया है, चौथी अनुसूची के प्ररूप में या वैसे ही आशय का मांग का नोटिस तामील करवा सकेगी।

131. **किन मामलों में वारण्ट जारी किया जा सकेगा**.– (1) यदि कोई व्यक्ति, जिस पर धारा 130 के अधीन मांग का नोटिस तामील किया गया है, ऐसे मांग के नोटिस की तामील से पन्द्रह दिवस के भीतर–भीतर, न तो–

(क) नोटिस में मांगी गयी राशि का संदाय करे; या

(ख) न ही नगरपालिका के या ऐसे अधिकारी के, जिसे नगरपालिका नियम द्वारा इस निमित्त नियुक्त करे, या मुख्य नगरपालिक अधिकारी, यदि कोई हो, के समाधानप्रद रूप में इस बात का कारण बताये कि क्यों उसे उक्त राशि का संदाय नहीं करना चाहिए; या

(ग) न ही मांग के विरुद्ध धारा 121 के उपबन्धों के अनुसार अपील करे,–

तो ऐसी राशि, वसूली के समस्त खर्चों सहित व्यतिक्रमी की किसी सम्पति की कुर्की और विक्रय द्वारा उद्गृहीत की जा सकेगी और किसी जंगम सम्पत्ति की कुर्की के मामले में मुख्य नगरपालिक अधिकारी द्वारा वारण्ट पांचवीं अनुसूची के प्ररूप में या वैसे ही आशय का जारी करवाया जायेगा तथा किसी स्थावर सम्पत्ति की कुर्की के मामले में नगरपालिका द्वारा वारण्ट ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाये, जारी करवाया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका को देय किसी राशि की वसूली के लिए उप–धारा (1) के अधीन कुर्की और विक्रय के लिए कोई वारण्ट उस तारीख से तीन वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् जारी

नहीं किया जायेगा जिसको ऐसा वारण्ट उस उप–धारा के अधीन जारी किया जा सकता था:

परन्तु तीन वर्ष की उक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नगरपालिका, नगरपालिका को देय किसी राशि की वसूली भू–राजस्व के बकाया की भांति करने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों से अनुरोध करने की हकदार होगी।

(3) प्रत्येक वारण्ट मुख्य नगरपालिक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और जारी किया जायेगा।

(4) जहां ऐसी सम्पत्ति नगरपालिका की अधिकारिता के भीतर हो वहां वारण्ट नगरपालिका के किसी अधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा।

(5) जहां ऐसी सम्पत्ति किसी दूसरी नगरपालिका में हो या ऐसे स्थान में हो, जो नगरपालिका न हो, वहां वारण्ट संबंधित नगरपालिका के मुख्य नगरपालिक अधिकारी को या, यथास्थिति, तहसीलदार को सम्बोधित किया जायेगा:

परन्तु ऐसा मुख्य नगरपालिक अधिकारी या तहसीलदार ऐसे वारण्ट को किसी अधीनस्थ अधिकारी को पृष्ठांकित कर सकेगा।

132. **वारंट का निष्पादन करने के लिए बलपूर्वक प्रवेश**.–किसी भी ऐसे अधिकारी के लिए, जिसको धारा 131 के अधीन जारी किया गया वारण्ट सम्बोधित या पृष्ठांकित किया गया हो, यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार हों कि ऐसे भवन में ऐसी सम्पत्ति है जो वारंट के अधीन अभिग्रहणीय है और यदि वह अपना प्राधिकार और प्रयोजन अधिसूचित करने और प्रवेश के लिए सम्यक् रूप से मांग करने के पश्चात्, वह अन्यथा प्रवेश नहीं कर सकता है तो वारण्ट में निदेशित कुर्की करने के लिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय, किसी भवन का बाहर या भीतर का कोई दरवाजा या खिड़की तोड़कर खोलना, विधिपूर्ण होगा:

परन्तु ऐसा अधिकारी महिलाओं के लिए काम में आने वाले किसी कमरे में तब तक प्रवेश नहीं करेगा या उसके दरवाजे को तोड़कर नहीं खोलेगा जब तक कि उसने अपने आशय का तीन घण्टे का नोटिस न दे दिया हो, और ऐसी महिलाओं को हट जाने का अवसर न दे दिया हो।

133. **वारण्ट को निष्पादित करने की रीति**.– (1) ऐसे किसी अधिकारी के लिए धारा 131 के अधीन जारी किये गये वारण्ट में व्यतिक्रमी के रूप में नामित व्यक्ति की किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का, जहां कहीं भी वह पायी जाये, निम्नलिखित उप–धाराओं के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, कुर्की करना विधिपूर्ण होगा।

(2) निम्नलिखित सम्पत्ति की कुर्की नहीं की जायेगी, अर्थात्:–

(i) व्यतिक्रमी, उसकी पत्नी और बच्चों के पहनने के आवश्यक वस्त्र तथा बिस्तर,

(ii) उसके भोजन पकाने के बर्तन,

(iii) शिल्पियों के औजार, और

(iv) जब व्यतिक्रमी कृषक हो, तब उसके खेती के उपकरण, बीज और ऐसे पशु जो व्यतिक्रमी को उसकी जीविका का उपार्जन करने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों।

(3) जंगम संपत्ति की कुर्की अत्यधिक नहीं होगी, अर्थात् कुर्क की गयी जंगम सम्पत्ति मूल्य में वारण्ट के अधीन वसूलीय रकम के यथाशक्य निकटतम अनुपात में होगी, और यदि ऐसी किन्हीं वस्तुएं कुर्क कर ली गयी हैं जो धारा 131 की उप–धारा (3) के द्वारा या उसके अधीन वारण्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति की या ऐसे व्यक्ति की, जिसको वारण्ट सम्बोधित हो, राय में इस प्रकार कुर्क नहीं की जानी चाहिए थीं, तो वे तुरन्त लौटा दी जायेंगी।

(4) अधिकारी, जंगम सम्पत्ति कुर्क करने पर, तुरन्त उसकी सूची बनायेगा और ऐसी सम्पत्ति हटाने के पूर्व, कुर्की करने के समय उस पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को छठी अनुसूची के प्ररूप में लिखित नोटिस देगा।

(5) जब संपत्ति स्थावर हो तो,–

(i) कुर्की, व्यतिक्रमी को किसी भी तरीके से सम्पत्ति का अंतरण करने या प्रभारित करने से, और सभी व्यक्तियों को ऐसे अंतरण या प्रभार से कोई लाभ लेने से, प्रतिषिद्ध करते हुए कोई आदेश करके की जायेगी, और

(ii) आदेश, सम्पत्ति पर या उसके समीप किसी स्थान पर ढोल बजाते हुए या अन्य परम्परागत तरीके से उद्घोषित किया जायेगा, और आदेश की एक प्रति ऐसी सम्पत्ति के किसी सहजदृश्य भाग पर, और नगरपालिका के कार्यालय के किसी सहजदृश्य भाग पर, और जब सम्पत्ति राज्य सरकार को राजस्व संदत्त करने वाली भूमि हो तब, उस जिले के, जिसमें ऐसी भूमि स्थित है, कलक्टर के कार्यालय में भी, चिपकायी जायेगी।

(6) ऐसी कुर्की के पश्चात् और मुख्य नगरपालिक अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना, कुर्क की गयी सम्पत्ति या उसमें किसी हित का अन्तरण या उस पर सृजित कोई प्रभार कुर्की के अधीन प्रवर्तनीय नगरपालिका के समस्त दावों के विरुद्ध शून्य होगा।

134. **कुर्क की गयी सम्पत्ति का विशेष मामलों में विक्रय**.–(1) जब अभिगृहीत सम्पत्ति शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील हो या जब वसूल की जाने वाली रकम को मिलाकर उसे अभिरक्षा में रखे जाने का व्यय, उसके मूल्य से अधिक हो जाने की सम्भावना हो तो मुख्य नगरपालिक अधिकारी उस

व्यक्ति को, जिसके कब्जे में सम्पति कुर्की के समय थी, इस आशय का नोटिस तुरन्त देगा कि उसका विक्रय तुरन्त किया जायेगा, और तदनुसार, जब तक कि वारण्ट में बतायी गयी रकम का संदाय तुरन्त न किया जाये या उस रकम के बराबर प्रतिभूति न दे दी जाये, उसका विक्रय कर देगा।

(2) यदि उप–धारा (1) के अधीन सम्पत्ति का विक्रय तुरन्त न कर दिया गया हो तो कुर्क की गयी सम्पत्ति या उसके पर्याप्त भाग का, जब तक कि नोटिस, वारण्ट, कुर्की और सम्पत्ति के निरोध के आनुषंगिक समस्त खर्चों सहित व्यतिक्रमी द्वारा देय राशि संदत्त न कर दी गयी हो, राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से, मुख्य नगरपालिक अधिकारी के आदेशों के अधीन लोक नीलाम द्वारा विक्रय किया जा सकेगा और आगम या उसका ऐसा भाग, जो अपेक्षित हो, देय राशि और यथापूर्वोक्त ऐसे समस्त आनुषंगिक खर्चों के उन्मोचन में उपयोजित किया जायेगा।

(3) अधिशेष, यदि कोई हो, तुरन्त नगरपालिक निधि में जमा किया जायेगा, उसी समय ऐसे व्यक्ति को, जिसके कब्जे में सम्पत्ति कुर्की के समय थी, ऐसी जमा का नोटिस दिया जायेगा किन्तु यदि इस उप–धारा के अधीन दिये गये नोटिस की तारीख से एक वर्ष के भीतर–भीतर नगरपालिका को लिखित आवेदन देकर उसके लिए दावा किया जाये तो ऐसे व्यक्ति को उसका प्रतिदाय कर दिया जायेगा। ऐसी कोई राशि, जिसके लिए ऐसे नोटिस की तारीख से एक वर्ष के भीतर–भीतर कोई दावा नहीं किया गया हो, नगरपालिका की सम्पत्ति हो जायेगी।

135. **नगरपालिका के बाहर कुर्की और विक्रय.**–जहां वारण्ट का निष्पादन नगरपालिका के बाहर किया जाना हो, वहां वारण्ट जारी करने वाला प्राधिकारी पृष्ठांकन द्वारा उस अधिकारी को, जिसे वारण्ट सम्बोधित किया जाये, कुर्क की गयी सम्पत्ति के विक्रय का निदेश दे सकेगा और ऐसे मामले में, ऐसे अधिकारी के लिए सम्पत्ति का विक्रय करना और विक्रय संबंधी समस्त आनुषंगिक कार्य करना विधिपूर्ण होगा और पूर्वगामी

उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। ऐसा अधिकारी, उसके द्वारा वसूली के लिए किये गये समस्त खर्चे घटाने के पश्चात्, वारण्ट के अधीन वसूल की गयी रकम वारण्ट जारी करने वाले प्राधिकारी को भेज देगा जो उसका निपटारा धारा 131 के उपबन्धों के अनुसार करेगा।

136. **उन व्यक्तियों के विरुद्ध संक्षिप्त कार्यवाही की जा सकेगी, जो नगरपालिका छोड़ने ही वाले हों**.–(1) यदि नगरपालिका के पास किसी भी समय यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति, जिससे इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन वसूलीय कोई राशि शोध्य है या शोध्य होने वाली है, नगरपालिक क्षेत्र से अपने आपको हटाने वाला है तो मुख्य नगरपालिक अधिकारी, शोध्य राशि या शोध्य होने वाली राशि के लिए ऐसे व्यक्ति को बिल प्रस्तुत करवा सकेगा और उसके तुरन्त संदाय की मांग कर सकेगा।

(2) यदि उक्त व्यक्ति, ऐसा बिल प्रस्तुत किये जाने पर, उससे शोध्य राशि या शोध्य होने वाली राशि का तुरन्त संदाय न करे तो ऐसी रकम, इसमें इसके पूर्व विहित रीति से, व्यतिक्रमी की जंगम या स्थावर सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा उद्ग्रहणीय होगी, सिवाय इसके कि व्यतिक्रमी पर मांग का नोटिस तामील करना आवश्यक नहीं होगा और कुर्की तथा विक्रय के लिए वारण्ट अविलम्ब जारी और निष्पादित किया जा सकेगा।

137. **व्यावृत्तियां**.– बिल, मांग के नोटिस, वारण्ट, सूची या तत्संबंधी अन्य कार्यवाहियों में हुई किसी गलती, त्रुटि या प्ररूप के अभाव के कारण इस अधिनियम के अधीन की गयी कोई कुर्की या विक्रय विधि विरुद्ध नहीं समझा जायेगा और न ही ऐसा करने वाला व्यक्ति अतिचारी समझा जायेगा।

138. **समस्त संदायों के लिए रसीद का दिया जाना**.– इस अधिनियम के अधीन किसी कर के मद्धे संदत्त सभी राशियों के लिए उस

व्यक्ति द्वारा, जो ऐसी रकम प्राप्त करता है, रसीद निविदत्त की जायेगी, जिसमें उस रकम और उस कर का, जिसके मद्धे वह संदत्त की गयी है, उल्लेख होगा।

139. **वाद लाने की अनुकल्पी शक्ति**.–मुख्य नगरपालिक अधिकारी, कुर्की और विक्रय द्वारा कार्यवाही करने के बजाय या उसके द्वारा मांग की पूर्णतः या अंशतः वसूली करने में विफल रहने की दशा में, उसका संदाय करने के दायी व्यक्ति के विरुद्ध, अधिकारिता रखने वाले किसी सक्षम न्यायालय में वाद ला सकेगा।

140. **करों के लिए भूमि, भवन आदि पर दायित्व**.– भूमियों या भवनों या दोनों पर अधिरोपित किसी कर के मद्धे शोध्य समस्त राशियां, राज्य सरकार को शोध्य भू–राजस्व, यदि कोई हो, के पूर्व संदाय के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे भवन या भूमि पर जिसके सम्बन्ध में ऐसा कर उद्ग्रहणीय है, और ऐसी जंगम सम्पत्ति, यदि कोई हो, जो ऐसे भवन या भूमि में या उस पर पायी जाये और जो ऐसे कर के लिए दायी व्यक्ति की हो, पर प्रथम प्रभार होंगीः

परन्तु ऐसे किसी कर की कोई बकाया ऐसे किसी अधिभोगी से, जो स्वामी न हो, वसूल नहीं की जायेगी, यदि वह एक वर्ष से अधिक समय से या ऐसी अवधि के लिए, जिसमें कि ऐसे अधिभोगी का अधिभोग नहीं था, शोध्य रही हो।

## अध्याय 8
## उधार

141. **समग्र ऋण परिसीमा नीति**.– राज्य सरकार, अन्य बातों के साथ–साथ, नगरपालिकाओं द्वारा लिए जाने वाले उधारों को शासित करने वाले साधारण सिद्धांतों, वह सीमा जिस तक नगरपालिका अपनी वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए उधार ले सकेगी, ऐसे उधारों पर संदत्त

किये जाने वाले ब्याज की दर और उसके पुनर्संदाय की कालावधि को सम्मिलित करते हुए शर्तों और निबंधनों को अधिकथित करते हुए, नगरपालिका द्वारा लिए जाने वाले उधारों, जिसमे अल्पकालिक उधार भी सम्मिलित हैं, के मामले में लागू होने वाली कोई समग्र ऋण परिसीमा नीति विरचित करेगी।

142. **उधार लेने की नगरपालिका की शक्ति**.–(1) नगरपालिका समय–समय पर, नगरपालिका की बैठक में इस निमित्त पारित प्रस्ताव द्वारा धारा 141 के अधीन विरचित समग्र ऋण परिसीमा नीति द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर रहते हुए, कोई भी ऐसी धन राशि, जो निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो, उधार ले सकेगीः–

(क) इस अधिनियम के अधीन संकर्मों का संनिर्माण, या

(ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भूमियों और भवनों का अर्जन, या

(ग) राज्य सरकार को शोध्य किसी ऋण का भुगतान, या

(घ) इस अधिनियम के अधीन लिये गये उधार का प्रतिसंदाय, या

(ङ) किसी ऐसे लोक उपयोगिता समुत्थान का अर्जन, जो ऐसी सेवाएं प्रदान करता हो, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन प्रदान करने के लिए नगरपालिका प्राधिकृत हो, या

(च) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक यानों और अन्य मशीनरी का क्रय, या

(छ) कोई भी अन्य प्रयोजन जिसके लिए नगरपालिका इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उधार लेने के लिए प्राधिकृत हैः

परन्तु कोई भी ऐसा उधार, जिसका लिया जाना प्रस्तावित है, यथापूर्वोक्त समग्र ऋण परिसीमा नीति द्वारा स्थापित सीमाओं से परे हो जाता है, तो उसके लिए, उसके प्रयोजनों, परिमाण, ब्याज की दर और

प्रतिसंदाय की कालावधि और अन्य शर्तों तथा निबंधनों, यदि कोई हों, के संबंध में राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगीः

परन्तु यह और कि नगरपालिका यथापूर्वोक्त उधारों के अतिरिक्त, राज्य सरकार या किसी कानूनी निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के निगम से भी उधार ले सकेगी।

परन्तु यह भी कि राज्य सरकार नगरपालिका को, उसकी प्रतिसंदाय क्षमता विहित रीति से अभिनिश्चित करने के अध्यधीन रहते हुए, कोई उधार या उसके द्वारा लिये गये किसी उधार की प्रत्याभूति मंजूर करेगी।

(2) जब उप–धारा (1) के अधीन कोई भी उधार लिया गया हो, तब–

(क) उसका कोई भी भाग, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, किसी भी ऐसे प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जायेगा, जिसके लिए वह लिया गया है, और

(ख) उस उप–धारा में निर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए लिए गये किसी उधार का कोई भी भाग नगरपालिका के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी, उनके अलावा जो अनन्य रूप से उस प्रयोजन के लिए नियोजित किये गये हैं जिसके लिए उधार लिया गया है, के वेतन या भत्तों के संदाय में प्रयुक्त नहीं किया जायेगा।

**स्पष्टीकरण**.–उप–धारा (1) में अभिव्यक्ति ''इस अधिनियम के अधीन शोध्य'' में उस उप–धारा के खण्ड (ङ) के प्रयोजनों के लिए उस खण्ड में निर्दिष्ट लोक उपयोगिता समुत्थान से उद्‌भूत होने वाली आय सम्मिलित समझी जायेगी।

143. **बैंक में क्रेडिट खाता खोलने की नगरपालिका की शक्ति**.– धारा 142 में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, नगरपालिका, जहां उक्त धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा उधार लिए जाने की मंजूरी दे दी गयी है, वहां ऐसा उधार या उसका कोई भाग लेने के बजाय ऐसी शर्तों पर, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जायें, किसी अनुसूचित बैंक से ऐसे उधार या उसके किसी भी भाग की सीमा तक नगरपालिका के नाम से नकद खाते में रखे जाने के लिए केडिट ले सकेगी और ऐसी क्रेडिट की रकम के, या ऐसे नकद खाते पर समय–समय पर दी गयी राशि के ब्याज सहित प्रतिसंदाय को प्रतिभूत करने के लिए, राज्य सरकार की मंजूरी से, नगरपालिका में निहित समस्त या किन्हीं भी सम्पत्तियों का बंधक मंजूर कर सकेगी।

144. **नगरपालिका की अल्पावधि उधार लेने की शक्ति**.–इस अध्याय में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, नगरपालिका, धारा 141 के अधीन विरचित समग्र ऋण परिसीमा नीति द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर, समय–समय पर, ऐसे प्रयोजन के लिए जो धारा 142 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट प्रयोजन न हो, किसी अन्य अनुसूचित बैंक से ऐसी कालावधि के भीतर, जो बारह मास से अधिक नहीं हो, प्रतिसंदेय अल्पावधि उधार, ऐसे निबन्धनों पर, और ऐसे उधार के प्रतिसंदाय के लिए ऐसी प्रतिभूति देने पर, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाये, ले सकेगी।

145. **निक्षेप निधि की स्थापना**.–नगरपालिका धारा 142 के अधीन लिए गये प्रत्येक उधार के सम्बन्ध में, उधार ली गयी धन राशियों, के प्रतिसंदाय के लिए एक निक्षेप निधि की स्थापना करेगी और प्रत्येक वर्ष ऐसी निक्षेप निधि में ऐसी राशि का संदाय करेगी जो ऐसे उधार के लिए नियत कालावधि के भीतर उधार ली गयी धन राशियों के प्रतिसंदाय के लिए पर्याप्त हो।

**146. निक्षेप निधि का उपयोजन**.–निक्षेप निधि या उसके किसी भाग का उपयोजन ऐसे उधार या उधार के भाग के उन्मोचन के लिए किया जायेगा जिसके लिए उस निधि का सृजन किया गया था, और जब तक उस उधार या उसके भाग का पूर्णतः उन्मोचन नहीं हो जाता है, तब तक ऐसी निधि का उपयोजन किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

147. **निक्षेप निधि में संदाय रोकने की शक्ति**.– यदि धारा 145 के अधीन किसी उधार के प्रतिसंदाय के लिए स्थापित निक्षेप निधि में जमा राशि की रकम किसी भी समय इतनी हो जाती है कि यदि उसे धारा 142 की उप–धारा (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन मंजूर ब्याज की दर पर संचित होने दिया जाये तो वह उक्त परन्तुक के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कालावधि के भीतर–भीतर उस उधार को चुकाने के लिए पर्याप्त होगी, तो ऐसी निधि में आगे और संदाय रोका जा सकेगा।

148. **निक्षेप निधि में जमा रकम का विनिधान.**– (1) किसी निक्षेप निधि में संदत्त समस्त धन का नगरपालिका द्वारा, यथाशक्यशीघ्र, निम्नलिखित में विनिधान किया जायेगा–

(क) सरकारी प्रतिभूतियां, या

(ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रतिभूतियां, या

(ग) ऐसी अन्य लोक प्रतिभूतियां, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जायें,

और उसे नगरपालिका द्वारा लिए गये उधारों का समय–समय पर प्रतिसंदाय करने के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा धारित किया जायेगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन किसी विनिधान के सम्बन्ध में प्राप्त समस्त राशियां, उनकी प्राप्ति के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, निक्षेप निधि में

संदत्त की जायेंगी और उनका उक्त उप–धारा में अधिकथित रीति से विनिधान किया जायेगा।

(3) दो या अधिक निक्षेप निधियों में जमा धन का, नगरपालिका के विवेकाधीन, सामान्य निधि के रूप में एक साथ विनिधान किया जा सकेगा और नगरपालिका के लिए ऐसे विनिधानों में धारित प्रतिभूतियों को विभिन्न निक्षेप निधियों में आवंटित करना आवश्यक नहीं होगा।

(4) उप–धारा (1) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, इस धारा के अधीन किया गया कोई विनिधान, समय–समय पर, परिवर्तित या पक्षांतरित किया जा सकेगा।

149. **उधारों के प्रतिसंदाय की रीति.**– धारा 142 के अधीन नगरपालिका द्वारा लिए गये प्रत्येक उधार का प्रतिसंदाय उक्त धारा के अधीन अनुमोदित समय के भीतर–भीतर किया जायेगा और ऐसा प्रतिसंदाय या तो ऐसे उधार के संबंध में धारा 145 के अधीन स्थापित निक्षेप निधि में से या भागतः ऐसी निक्षेप निधि में से और उस सीमा तक जिस तक ऐसी निक्षेप निधि ऐसे उधार के प्रतिसंदाय के लिए अपेक्षित राशि से कम हो, भागतः धारा 142 के अधीन इस प्रयोजन के लिए, लिये गये उधार में से, जैसा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाये, किया जायेगा।

150. **वार्षिक विवरण.**– (1) मुख्य नगरपालिक अधिकारी, प्रत्येक वर्ष के अंत में, निम्नलिखित को दर्शाते हुए एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा और उसे नगरपालिका को प्रस्तुत करेगा–

(क) वह रकम, जो वर्ष के दौरान धारा 145 के अधीन निक्षेप निधि या निक्षेप निधियों में संदत्त कर दी गयी है,

(ख) वर्ष के दौरान किये गये अंतिम विनिधान की तारीख,

(ग) वर्ष के अंत में नगरपालिका के पास प्रतिभूतियों की सकल रकम, और

(घ) वह सकल रकम, जो धारा 149 के अधीन उधार के प्रतिसंदाय के प्रयोजन के लिए उपयोजित कर ली गयी है।

(2) ऐसे प्रत्येक वार्षिक विवरण की प्रति मुख्य नगरपालिक अधिकारी द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

151. **निक्षेप निधियों की वार्षिक परीक्षा**.– (1) इस अधिनियम के अधीन स्थापित समस्त निक्षेप निधियां संपरीक्षक द्वारा वार्षिक परीक्षा के अध्यधीन होंगी, जो यह अभिनिश्चित करेगा कि क्या ऐसी निक्षेप निधियों से संबंधित नकद और प्रतिभूतियों का मूल्य ऐसी रकम के बराबर है जो ऐसी निक्षेप निधि में जमा होनी चाहिए, क्या धारा 148 के अधीन विनिधान नियमित रूप से कर दिया गया है और क्या ऐसे विनिधान से उद्भूत होने वाला ब्याज नियमित रूप से अभिप्राप्त किया गया है।

(2) उस रकम की गणना, जो किसी निक्षेप निधि में जमा होनी चाहिए, धारा 145 के अधीन ऐसी निक्षेप निधि में संदत्त की गयी राशि के आधार पर की जायेगी।

(3) निक्षेप निधि से संबंधित प्रतिभूतियों का मूल्य, ऐसी प्रतिभूतियों का वर्तमान मूल्य होगा, जब तक कि ऐसी प्रतिभूतियां परिपक्वता से पहले ही उनके अंकित मूल्य पर या उससे ऊपर मोचन के लिए शोध्य नहीं हो जायें, जिस दशा में उनका मोचन मूल्य ही वर्तमान मूल्य माना जायेगा।

(4) नगरपालिका किसी निक्षेप निधि में ऐसी रकम तुरन्त संदत्त करेगी जिसको संपरीक्षक ऐसी निक्षेप निधि के संबंध में कम होना प्रमाणित करे जब तक कि राज्य सरकार ऐसी कमी का क्रमिक पुनर्समायोजन विशिष्टतः मंजूर न करे।

(5) यदि निक्षेप निधि में जमा नकद और प्रतिभूतियों का मूल्य उस रकम से अधिक हो जो ऐसी निक्षेप निधि में होनी चाहिए तो संपरीक्षक ऐसी आधिक्य राशि की रकम को प्रमाणित करेगा और नगरपालिका तदुपरांत

ऐसी आधिक्य राशि को नगरपालिक निधि के साधारण खाते में अंतरित करेगी।

(6) यदि उप–धारा (4) या उप–धारा (5) के अधीन किसी प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट किसी कमी या आधिक्य की शुद्धता के बारे में कोई विवाद उत्पन्न हो तो नगरपालिका ऐसी कमी के संदाय या, यथास्थिति, ऐसे आधिक्य के अंतरण के पश्चात् मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट करेगी जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

## अध्याय 9

## वाणिज्यिक परियोजनाएं, निजी क्षेत्र सहभागिता करार और अन्य अभिकरणों को समनुदेशन

152. **वाणिज्यिक परियोजनाएं और उनसे प्राप्तियां**.– नगरपालिका या तो स्वयं या सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के अभिकरणों के माध्यम से जिला केन्द्रों, शॉपिंग सेंटरों, बस या ट्रक टर्मिनलों और वाणिज्यिक परिसरों सहित पर्यटक बासों और वाणिज्यिक आधार पर किसी अन्य प्रकार की वाणिज्यिक परियोजनाओं को सम्मिलित करते हुए वाणिज्यिक अवसंरचना परियोजनाओं के योजना बनाने, संनिर्माण, प्रचालन, रख–रखाव या प्रबंध का जिम्मा ले सकेगी।

153. **नगरपालिका या किसी अन्य अभिकरण द्वारा परियोजना का जिम्मा लेना**.– इस अधिनियम में अन्यत्र अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, किन्तु नगरपालिक अवसंरचना और सेवाओं की योजना, विकास, प्रचालन, रख–रखाव और प्रबंध से संबंधित किसी भी राज्य विधि के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कोई नगरपालिका धारा 45, धारा 46 और धारा 47 में विनिर्दिष्ट अपने कृत्यों के निर्वहन में,–

(क) नगरपालिका की ऐसी परियोजना के वित्तपोषण, सन्निर्माण, रख–रखाव और प्रचालन में किसी कम्पनी, फर्म, सोसाइटी,

न्यास या किसी निगमित निकाय या किसी संस्था, या किसी सरकारी अभिकरण या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अभिकरण की सहभागिता से नगरीय अवसंरचना या सेवाओं के प्रदाय के लिए किसी परियोजना की जिम्मेदारी लेने को, उसकी लागत पर विचार किये बिना, प्रोत्साहित कर सकेगी,

(ख) किसी कम्पनी, या फर्म, या सोसाइटी, या निगमित निकाय द्वारा किसी निजी क्षेत्र सहभागिता करार के निबंधनों के अनुसार, या ऐसे किसी अभिकरण के साथ संयुक्त रूप से, नगरीय अवसंरचना या सेवाओं से संबंधित किसी परियोजना की जिम्मेदारी लिए जाने पर विचार कर सकेगी और उसका अनुमोदन कर सकेगी, और

(ग) किसी संस्था, या सरकारी अभिकरण या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन किसी अभिकरण द्वारा, या ऐसे किसी अभिकरण के साथ संयुक्त रूप से, नगरीय अवसंरचना या सेवाओं से संबंधित किसी परियोजना की जिम्मेदारी लिऐ जाने पर विचार कर सकेगी और उसका अनुमोदन कर सकेगी।

154. **निजी क्षेत्र सहभागिता करारों के प्रकार**.–(1) निजी क्षेत्र सहभागिता करार ऐसे होंगे, जो विहित किये जायें।

(2) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे करारों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः–

(क) निर्माण–स्वामित्व–प्रचालन–अंतरण करार,

(ख) निर्माण और अंतरण करार,

(ग) निर्माण–पट्टा–अंतरण करार,

(घ) निर्माण–प्रचालन–अंतरण करार,

(ङ) पट्टा और प्रबंध करार,

(च) प्रबंध करार,

(छ) पुनर्वास–प्रचालन–अंतरण करार,

(ज) पुनर्वास–स्वामित्व–प्रचालन–अंतरण–करार,

(झ) सेवा संविदा करार, और

(ञ) प्रदाय–प्रचालन–अंतरण करार।

155. **नगरपालिका या अन्य अभिकरणों को समनुदेशित कृत्य**.– धारा 47 के अधीन समनुदेशित अपने दायित्वों के निर्वहन में नगरपालिका, जब कभी भी लोकहित में ऐसा किया जाना समुचित समझे,–

(क) अपने किन्हीं भी दायित्वों का स्वयं निर्वहन कर सकेगी, या

(ख) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो करार में उपबंधित किये जायें कोई निजी क्षेत्र सहभागिता करार कर सकेगी।

## अध्याय 10

## आर्थिक और विकास योजना

156. **नगर विकास योजना**.–(1) प्रत्येक नगरपालिका ऐसी नियतकालिकता की, और ऐसे अध्यायों, सामग्री और स्कीमों को अन्तर्विष्ट करने वाली, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित की जायें, एक नगर विकास योजना बनायेगी। नगर विकास योजना जिला कलक्टर और सरकार के निम्नलिखित विभागों के अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के परामर्श से तैयार की जायेगी, अर्थात्:–

(i) सार्वजनिक निर्माण विभाग;

(ii) जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग;

(iii) सिंचाई विभाग;

(iv) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग;

(v) शिक्षा विभाग;

(vi) स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग;

(vii) योजना विभाग;

(viii) नगर सुधार न्यास/नगर विकास प्राधिकरण, यदि कोई हो; और

(ix) कोई अन्य विभाग या अभिकरण, जिससे नगरपालिका परामर्श करना आवश्यक समझे।

(2) नगरपालिका नगर विकास योजना की तैयारी के लिए जिला कलक्टर के समन्वय में पूर्वोक्त विभागों की सहायता से विशेषज्ञों और ज्ञानवान व्यक्तियों से सहायता ले सकेगी।

(3) उस दशा में जहां नगरपालिका किसी महानगर क्षेत्र का कोई भाग है, उप–धारा (1) के अधीन तैयार की गयी नगर विकास योजना, महानगर क्षेत्र विकास योजना में सम्मिलित किये जाने के लिए महानगर योजना समिति को भेजी जायेगी; और समस्त अन्य दशाओं में, वह जिला मास्टर योजना में सम्मिलित किये जाने के लिए जिला योजना समिति को भेजी जायेगी।

(4) महानगर योजना समिति या, यथास्थिति, जिला योजना समिति, समिति में और संबंधित नगरपालिका के साथ सम्यक् विचार–विमर्श करने के पश्चात, नगर विकास योजना या ऐसी योजना के ऐसे तत्वों को, जिन्हें वह समुचित समझे, महानगर क्षेत्र विकास योजना या, यथास्थिति, जिला मास्टर विकास योजना में सम्मिलित करेगी; और तत्पश्चात् वह अपने द्वारा तैयार की गयी योजना को राज्य योजना में सम्मिलित किये जाने के लिए और योजना के निष्पादन के लिए सरकार से संसाधनों के आबंटन के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

157. **महानगर योजना के लिए समिति**.— (1) सम्पूर्ण महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए 10 लाख या अधिक की जनसंख्या वाले प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में एक महानगर योजना समिति गठित की जायेगी, जिसे इस धारा में इसके पश्चात् 'समिति' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। यह योजना ''महानगरक्षेत्र विकास योजना'' के नाम से जानी जायेगी।

(2) समिति में इतने सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत किये जायें।

(3) समिति के सदस्यों की कुल संख्या इस प्रकार नियत करने में राज्य सरकार क्रमशः नामनिर्देशित सदस्यों और निर्वाचित सदस्यों की संख्या विनिर्दिष्ट करेगीः

परन्तु ऐसी समिति के सदस्यों के दो—तिहाई से अन्यून, महानगरीय क्षेत्र में की नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा, और उनमें से, ऐसे महानगरीय क्षेत्र में के नगरपालिक क्षेत्र की जनसंख्या और उस क्षेत्र में की पंचायतों की जनसंख्या के बीच के अनुपात में निर्वाचित किये जायेंगे।

(4) निर्वाचित सदस्य ऐसी रीति से चुने जायेंगे, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विरचित नियमों में विहित की जाये।

(5) नामनिर्देशित सदस्यों में—

(क) भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति;

(ख) राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति; और

(ग) ऐसे संगठनों और संस्थाओं का, जिनकी राज्य सरकार द्वारा पहचान की जाये, प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति,

हो सकेंगे।

(6) उप–धारा (5) में निर्दिष्ट व्यक्तियों का नामनिर्देशन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा, तथापि, वह इस शर्त के अध्यधीन होगा कि भारत सरकार का या केन्द्रीय सरकार के किसी भी संगठन या संस्था का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के मामले में भारत सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त की जायेगी।

(7) नामनिर्देशन या तो नाम से या पदाभिधान से किया जा सकेगा।

(8) समिति के, –

(i) महानगरीय क्षेत्र के लिए योजना और समन्वय के सम्बन्ध में ऐसे कृत्य होंगे, जो उसे राज्य सरकार द्वारा समनुदिष्ट किये जायें; और

(ii) ऐसी शक्तियां और कृत्य होंगे जो उसे इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त या प्रत्यायोजित या न्यस्त किये जायें।

(9) समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(10) प्रत्येक महानगरीय योजना समिति, महानगर क्षेत्र विकास योजना का प्रारूप तैयार करते समय निम्नलिखित को ध्यान में रखेगीः–

(i) महानगरीय क्षेत्र की नगरपालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार की गयी योजनाएं;

(ii) पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच के सामान्य हित के विषय, जिसमें क्षेत्र की समन्वित स्थानिक योजना, जल और अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों की हिस्सेदारी, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण सम्मिलित हैं;

(iii) भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समग्र लक्ष्य और प्राथमिकताएं; और

(iv) भारत सरकार के और राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा महानगरीय क्षेत्र में किये जाने के लिए संभावित विनिधानों और अन्य उपलब्ध संसाधनों का, चाहे वे वित्तीय हों या अन्यथा, विस्तार और स्वरूप।

(11) प्रत्येक महानगरीय योजना समिति का अध्यक्ष, ऐसी समिति द्वारा यथाप्रारूपित महानगरीय क्षेत्र विकास योजना को राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

**स्पष्टीकरण**.– इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए साधारणतः पद ''महानगरीय क्षेत्र'' और ''पंचायत'' के अर्थ क्रमशः वही होंगे जो उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 243त में समनुदिष्ट किये गये हैं।

**158. जिला योजना के लिए समिति**.– राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 121 के उपबन्धों के अधीन गठित की गयी जिला योजना समिति भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 यघ के अधीन गठित की गयी समिति समझी जायेगी।

## अध्याय 11

## नगरीय विकास और नगर योजना

159. **नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजनाएं तैयार करना**.– (1) तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नगरपालिका, नगर के नियोजित और समेकित विकास और भूमि के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि से नगर का एक विस्तृत सर्वेक्षण करवायेगी और मास्टर विकास

योजना और कानून द्वारा अपेक्षित अन्य योजनाएं तैयार करेगी। नगरपालिका इस प्रयोजन के लिए महानगर योजना समिति या, यथास्थिति, जिला योजना समिति के साथ–साथ राज्य के मुख्य नगर नियोजक से भी समन्वय स्थापित करेगी। इसमें वर्णित योजनाएं निम्नलिखित समय–परिप्रेक्ष्य में तैयार की जायेंगी, अर्थात्:–

(i) मास्टर विकास योजना–बीस वर्ष की कालावधि के लिए;

(ii) निष्पादन योजना– पांच वर्ष की कालावधि के लिए; और

(iii) वार्षिक नगरपालिक कार्य योजना–एक वर्ष की कालावधि के लिए।

(2) मास्टर विकास योजना, निष्पादन योजना और वार्षिक नगरपालिक कार्य योजना के अतिरिक्त नगरपालिका प्रत्येक वार्ड के लिए, ऐसी अन्य योजनाएं तैयार कर सकेगी जो वह समुचित समझे या जैसा राज्य सरकार समय–समय पर निदेश दे।

(3) मास्टर विकास योजना नगरपालिका के विकासशील क्षेत्र की आवश्यकताओं का हितसाधन करने के लिए लोक उपयोगिताओं, नागरिक सुविधाओं, सामुदायिक प्रसुविधाओं, आवास, संचार और यातायात के नेटवर्क, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और विकास की परियोजनाओं या स्कीमों के लिए समयबद्ध विकास को संक्षेप में स्पष्ट करेगी और जहां अपेक्षित हो वहां निम्नलिखित मामलों के लिए उपबंध कर सकेगी–

(i) यातायात और संचार, जैसे सड़क, राजमार्ग, रेल, नहरें, अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों, एयरकार्गो काम्प्लेक्स और बस सेवा, उनके विकास को सम्मिलित करते हुए;

(ii) विद्युत और गैस को सम्मिलित करते हुए जलप्रदाय, जल–निकास, मल–वहन, मलनिस्तारण और अन्य लोक उपयोगिताएं, सुख–सुविधाएं और सेवाएं;

(iii) प्राकृतिक दृश्यावली, शहरी वन, वन्य जीवन, प्राकृतिक संसाधनों और भू–दृश्य चित्रणों के क्षेत्रों का परिरक्षण, संरक्षण और विकास;

(iv) ऐतिहासिक, प्राकृतिक, स्थापत्य या वैज्ञानिक रुचि और शैक्षिक मूल्य की वस्तुओं, आकृतियों, संरचनाओं और स्थानों का परिरक्षण;

(v) भूक्षरण का निरोध, वनीकरण और पुनः वनीकरण का उपबंध, जलाभिमुख क्षेत्रों, नदियों, नालियों, झीलों और जलाशयों का सुधार;

(vi) सिंचाई, जलप्रदाय और जल–विद्युत संकर्म, बाढ़ नियंत्रण और जल तथा वायु प्रदूषण का निरोध;

(vii) शैक्षिक और चिकित्सीय सुविधाएं;

(viii) जिला व्यापार केन्द्र, अन्य शॉपिंग काम्प्लेक्स, निर्यातोन्मुखी औद्योगिक क्षेत्र और क्लियरिंग हाउस, स्थायी प्रदर्शनी केन्द्र, पशु मेले और बाजार;

(ix) राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्पर्धाएं कराने योग्य खेलकूद और स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स;

(x) मनोरंजन पार्क, जिसमें कृत्रिम झीलें और जलाशय सम्मिलित हैं;

(xi) सांस्कृतिक काम्प्लेक्स, जिसमें नाट्यशाला, सिनेमाघर, स्टूडियो, आमोद–प्रमोद के केन्द्र, कांफ्रेंस हॉल काम्प्लेक्स, कन्सर्ट हॉल, टाउन हॉल और ओडिटोरिया सम्मिलित हैं;

(xii) पर्यटक काम्प्लेक्स, जिसमें होटल ओर मोटल, कार भाड़ा सम्बन्धी सेवाएं, संगठित टूर और ट्रेक सम्मिलित हैं;

(xiii) भिन्न–भिन्न उपयोगों के लिए भूमि का आबंटन, भूमि का साधारण वितरण और साधारण अवस्थिति और वह सीमा, जिस तक भूमि आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक कृषि, या वन के रूप में या खनिज निष्कर्षण के लिए या अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा सकेगी;

(xiv) खुले स्थानों, उद्यानों, मनोरंजन केन्द्रों, चिड़ियाघरों, नेचर–रिजर्व, पशु अभयारण्य, डेयरी और स्वास्थ्य रिसोर्ट और अन्य प्रयोजनों के लिए क्षेत्रों का आरक्षण;

(xv) अधिक जनसंख्या और औद्योगिक रूप से संकुलित क्षेत्रों से जनसंख्या या उद्योगों का स्थान परिवर्तन और जनसंख्या के घनत्व या संकुचित क्षेत्रों का अंकन तथा ऐसे क्षेत्र में अनुज्ञात किये जाने वाले जनसंख्या घनत्व या उद्योग संकेन्द्रण का अंकन;

(xvi) आवासन;

(xvii) नीचे, दलदली या अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों को भरना या उनका पुनरुद्धार करना या भूमियों को समतल करना; और

(xviii) विद्यमान निर्मित क्षेत्रों का पुनः विकास और सुधार।

(4) मास्टर विकास योजना, जहां अपेक्षित हो, उन विभिन्न जोनों को भी परिभाषित कर सकेगी जिनमें नगरपालिका विकास के प्रयोजनों के लिए विभाजित की जा सकेगी और ऐसी रीति उपदर्शित कर सकेगी जिसमें विकासात्मक कार्य किये जाने हैं, और ऐसी रीति उपदर्शित कर सकेगी जिसमें प्रत्येक जोन में भूमि का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है (चाहे उसमें विकासात्मक कार्य करते हुए या अन्यथा) और उन प्रक्रमों को उपदर्शित कर सकेगी जिनमें ऐसा कोई विकासात्मक कार्य किया जायेगा

और उस आधारभूत प्रतिमान ढ़ांचे के रूप में कार्य करेगी जिसके अन्तर्गत विभिन्न जोनों के लिए जोन विकास योजनाएं तैयार की जा सकेंगी:

परन्तु नगरपालिका, यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझे तो किसी जोन के क्षेत्र को परिवर्तित कर सकेगी।

(5) नगरपालिका ऊपर वर्णित कानून द्वारा अपेक्षित अन्य योजनाओं के मामले में उनमें सम्मिलित की जाने वाली विकास की मदों और अपेक्षित सर्वेक्षणों की सीमा के बारे में विनिश्चय कर सकेगी।

(6) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, नगरपालिका मास्टर विकास योजना में सम्मिलित किसी स्कीम का, उसके वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, जिम्मा ले सकेगी।

160. **योजना तैयार करने और उसकी मंजूरी के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया.–** (1) किसी भी योजना को अंतिम रूप से तैयार करने के पूर्व नगरपालिका योजना का एक प्रारूप तैयार करेगी और उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध करायी जाकर, योजना के संबंध में किसी भी व्यक्ति के आक्षेपों और सुझावों को, ऐसी तारीख के पूर्व, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये, आमंत्रित करते हुए एक नोटिस ऐसे प्ररूप में और रीति से प्रकाशित करते हुए, जो उप–विधियों द्वारा अवधारित की जाये, प्रकाशित करेगी।

(2) नगरपालिका, यदि वह समुचित समझे, प्रारूप योजना को अंतिम रूप देने के पूर्व उस पर विचार करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी एक सलाहकार समिति का गठन कर सकेगी:–

(i) नगरपालिका के समस्त सदस्य;

(ii) उद्योग, वाणिज्य और व्यापार तथा वृत्तियों के संगमों के प्रतिनिधि;

(iii) नगर में अवस्थित शैक्षिक संस्थानों से छह प्रतिनिधि;

(iv) नगर में अवस्थित प्रमुख गैर–सरकारी संगठनों से छह प्रतिनिधि; और

(v) नगर के कोई भी अन्य छह प्रमुख नागरिक।

(3) सलाहकार समिति के समस्त आक्षेपों, सुझावों, अभ्यावेदनों और सिफारिशों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् नगरपालिका योजना को अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के पास भेजेगी और राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् योजना को अंतिम रूप से मंजूर करेगी।

(4) योजना के प्ररूप और अंतर्वस्तु तथा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में और ऐसी योजना के तैयार किये जाने और मंजूरी से संबंधित किसी भी अन्य मामले के संबंध में उपबंध उप–विधियों द्वारा किये जा सकेंगे।

161. **योजना के प्रवर्तन की तारीख**.– नगरपालिका द्वारा योजना मंजूर किये जाने के तुरंत पश्चात् उसे लोक नोटिस द्वारा यह उल्लेख करते हुए कि योजना का अनुमोदन किया जा चुका है और उस स्थान का नाम देते हुए, जहां योजना की प्रति का समस्त समुचित कालांशों में निरीक्षण किया जा सकता है, प्रकाशित किया जायेगा और उपर्युक्त नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख को यह योजना प्रवर्तन में आ जायेगी।

162. **योजना का पश्चात्‌वर्ती उपांतरण**.– (1) धारा 161 के उपबंधों के अनुसार योजना के प्रवर्तन में आने के पश्चात् किसी भी समय नगरपालिका, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, योजना में ऐसे कोई भी उपान्तरण कर सकेगी, जो वह ठीक समझे, ऐसे उपान्तरण जो उसकी राय में योजना के स्वरूप में तात्विक उपान्तरण नहीं करते हैं और जो भूमि के उपयोगों की सीमा या जनसंख्या घनत्व के मानकों से संबंधित नहीं हैं।

(2) योजना में कोई भी उपान्तरण करने के पूर्व नगरपालिका, ऐसी तारीख के पूर्व, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये, आक्षेप आमंत्रित करते

हुए, नोटिस प्रकाशित करेगी और उन समस्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगी, जो नगरपालिका को प्राप्त हों।

(3) इस धारा के उपबंधों के अधीन किया गया प्रत्येक उपान्तरण प्रकाशित किया जायेगा और वह उपान्तरण या तो प्रकाशन की तारीख से या ऐसी तारीख से, जो नगरपालिका राजपत्र में प्रकाशित नोटिस द्वारा नियत करे, प्रवर्तन में आयेगा तदुपरांत उपान्तरित योजना इस अधिनियम के समस्त आशयों और समस्त प्रयोजनों के लिए प्रवर्तन में आयेगी।

(4) किसी भी उपान्तरित योजना के प्रवर्तन में आने पर इस अध्याय की पूर्वगामी धाराओं के सिवाय, किसी भी अन्य धारा में मास्टर विकास योजना या किसी भी अन्य योजना के प्रति निर्देश को इस धारा के उपबंधों के अधीन यथा–उपान्तरित मास्टर विकास योजना या, यथास्थिति, किसी भी अन्य योजना के प्रति निर्देश के रूप में अर्थान्वित किया जायेगा।

(5) इस धारा के अधीन योजना का कोई भी उपान्तरण तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उसका अंतिम रूप से अनुमोदन न हो जाये।

163. **योजना का क्रियान्वयन**.– किसी भी योजना के प्रवर्तन में आने के पश्चात् नगरपालिका, योजना के क्रियान्वयन के लिए ऐसी कार्रवाई आरम्भ कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, आवश्यक समझी जाये।

164. **इस अधिनियम के पूर्व तैयार की गयी योजनाएं इस अधिनियम के अधीन तैयार की गयी समझी जायेंगी**.– इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन तैयार की गयी कोई मास्टर विकास योजना इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन तैयार की गयी समझी जायेगी, जिस पर मास्टर योजना/मास्टर विकास योजना की मंजूरी, उपान्तरण और प्रवर्तन से संबंधित पूर्वगामी धाराओं के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगेः

परन्तु जैसे ही इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई योजना मंजूर की जाती है, विधि के किन्हीं भी अन्य उपबंधों के अधीन नगरपालिका के लिए मंजूर किसी मास्टर विकास योजना प्रवर्तन में नहीं रहेगी।

165. **योजना का पुनरीक्षण**.– इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, यदि राज्य सरकार या नगरपालिका की, उस तारीख से दस वर्ष के भीतर, जिसको कोई योजना इस अधिनियम के अधीन प्रवर्तन में आती है, कभी भी यह राय हो कि ऐसी योजना का पुनरीक्षण आवश्यक है तो राज्य सरकार नगरपालिका को पुनरीक्षण का निदेश दे सकेगी या नगरपालिका स्वप्रेरणा से, नया नागरिक सर्वेक्षण, यदि आवश्यक हो, करवाने और विद्यमान भू–उपयोग मानचित्र तैयार करवाने के पश्चात् ऐसी योजना का पुनरीक्षण कर सकेगी और तदुपरांत इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंध, जहां तक वे लागू किये जा सकें, ऐसी योजना के पुनरीक्षण पर वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी योजना की तैयारी, प्रकाशन और मंजूरी के संबंध में लागू होते हैं।

166. **विकास क्षेत्रों की घोषणा** .– (1) धारा 161 में उपबन्धित रूप से किसी योजना के प्रवर्तन में आने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र नगरपालिका, राज्य सरकार के अनुमोदन से और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नगर में किसी भी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित कर सकेगी।

(2) राजपत्र में उप–धारा (1) के अधीन प्रकाशित अधिसूचना की तारीख को या उसके पश्चात् कोई भी व्यक्ति नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी भूमि का उपयोग आरंभ या उसमें परिवर्तन नहीं करेगा या भूमि पर कोई भी विकास कार्य नहीं करेगा:

परन्तु निम्नलिखित के लिए ऐसी कोई अनुज्ञा आवश्यक नहीं होगी:–

(i) किसी भवन के रख–रखाव, सुधार या उसमें अन्य परिवर्तन के लिए ऐसे संकर्मों के कार्यान्वयन के लिए जो भवन के केवल आंतरिक भाग को प्रभावित करते हों या जो उसके बाह्य स्वरूप को तात्विक रूप से प्रभावित नहीं करते हों;

(ii) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन किसी भी प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी भी आदेश या निदेश के अनुपालन में किये जाने वाले संकर्मों के लिए;

(iii) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन नगरपालिका द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किये जाने वाले संकर्मों के लिए;

(iv) केन्द्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किये जाने वाले ऐसे किन्हीं संकर्मों के लिए जो–

(क) किसी राजमार्ग, सड़क या लोकमार्ग के रख–रखाव या सुधार के लिए अपेक्षित हों और वे ऐसे संकर्म हों जो ऐसे राजमार्ग, सड़क या लोकमार्ग की सीमाओं के भीतर की भूमि पर किये गये हों; और

(ख) किन्हीं नालियों, मलनालियों, मुख्य प्रणालों, पाइपों, केबलों, टेलीफोनों या अन्य साधित्रों का निरीक्षण, मरम्मत या नवीकरण करने के प्रयोजन के लिए हों;

(v) खेती करने के मामूली अनुक्रम में किये गये उत्खनन (कुओं सहित) के लिए हों;

(vi) ऐसी किसी सड़क के संनिर्माण के लिए जो केवल कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि पर पहुंचने के लिए आशयित हो;

(vii) उस भूमि के सामान्य उपयोग के लिए जिसका अस्थायी रूप से अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा हो; और

(viii) ऐसी भूमि के मामले में, जिसका उपयोग सामान्यतः एक प्रयोजन के लिए किया जाता है और यदाकदा किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है, यदाकदा उस अन्य प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने के लिए।

167. **अप्राधिकृत विकास या योजना से असंगत उपयोग के लिए शास्ति**.– (1) कोई व्यक्ति, जो स्वप्रेरणा से या किसी अन्य व्यक्ति की प्रेरणा पर ऐसा कोई विकास प्रारम्भ करता है, विकास का दायित्व लेता है या उसे कार्यान्वित करता है या किसी भूमि के उपयोग का परिवर्तन करता है जो–

(क) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के बिना किया जाता है; या

(ख) मंजूर की गयी किसी अनुज्ञा के अनुसार नहीं है या किसी ऐसी शर्त के उल्लंघन में है जिसके अध्यधीन ऐसी अनुज्ञा मंजूर की गयी थी; या

(ग) विकास की अनुज्ञा का सम्यक् रूप से प्रतिसंहरण करने के पश्चात् किया जाता है; या

(घ) ऐसी अनुज्ञा के उल्लंघन में है जिसका सम्यक् रूप से उपान्तरण किया गया है,

दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, और अपराध के जारी रहने पर ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथम बार के अपराध के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें अपराध जारी रहता है, एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसा करने की अनुज्ञा के बिना किसी योजना के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी भूमि या भवन का उपयोग जारी रखता है या उपयोग करना अनुज्ञात करता है, या, जहां ऐसे उपयोग को जारी रखने के लिए इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञा दी गयी हो, वहां ऐसा उपयोग उस कालावधि के पश्चात् भी, जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी थी, या उन निबन्धनों और शर्तों का अनुपालन किये बिना, जिनके अधीन ऐसा उपयोग जारी रखने की अनुज्ञा दी गयी है, जारी रखता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, और अपराध जारी रहने पर ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथम बार के अपराध के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें ऐसा अपराध जारी रहता है, पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

168. **अप्राधिकृत विकास को हटाने की अपेक्षा करने की शक्ति**.– (1) जहां भूमि का कोई विकास धारा 167 की उप–धारा (1) में उपदर्शितानुसार किया गया हो वहां नगरपालिका इस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, स्वामी को नोटिस दे सकेगी, जिसमें उससे अपेक्षा की जायेगी कि वह नोटिस की तामील के पश्चात् उसमें विनिर्दिष्ट ऐसी कालावधि के भीतर–भीतर जो एक मास से अधिक की नहीं होगी, निम्नलिखित में से ऐसे कदम उठाए जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किये जायें:–

(क) धारा 167 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) या (ग) में विनिर्दिष्ट मामलों में भूमि को उसी स्थिति में प्रत्यावर्तित करना, जो स्थिति उक्त विकास के पूर्व विद्यमान थी;

(ख) धारा 167 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) या (घ) में विनिर्दिष्ट मामलों में शर्तों या यथाउपान्तरित अनुज्ञा का अनुपालन सुनिश्चित करना:

परन्तु जहां नोटिस में भूमि के किसी उपयोग को रोकना अपेक्षित हो वहां नगरपालिका अधिभोगी पर भी नोटिस की तामील करायेगी।

(2) विशिष्टतया ऐसे नोटिस में उप–धारा (1) के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा की जा सकेगी कि–

(क) किसी भवन या संकर्म को तोड़ दिया जाये या उसमें परिवर्तन किया जाये;

(ख) भूमि पर किसी भवन का निर्माण या अन्य संक्रियाएं की जायें; या

(ग) भूमि के किसी उपयोग को रोक दिया जाये।

(3) ऐसे नोटिस से व्यथित कोई भी व्यक्ति नोटिस में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर–भीतर और उप–विधियों द्वारा अवधारित रीति से, भूमि पर किसी भवन या संकर्म के प्रतिधारण के लिए या भूमि के किसी उपयोग को जारी रखने के लिए, जिससे नोटिस संबंधित है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सकेगा; और आवेदन का अन्तिम रूप से अवधारण लम्बित होने या उसे वापस ले लिए जाने के दौरान भवनों या संकर्म के प्रतिधारण या ऐसे उपयोग को जारी रखने पर केवल नोटिस का कोई प्रभाव नहीं होगा।

(4) आवेदित अनुज्ञा यदि मंजूर कर दी जाती है तो नोटिस प्रत्याहृत माना जायेगा; किन्तु आवेदित अनुज्ञा यदि मंजूर नहीं की जाती है तो नोटिस यथावत बना रहेगा; या यदि ऐसी अनुज्ञा केवल कुछ भवनों या संकर्मों के प्रतिधारण के लिए या भूमि के केवल किसी भाग के उपयोग को जारी रखे जाने के लिए मंजूर की जाती है तो नोटिस ऐसे भवनों या संकर्मों या भूमि के ऐसे भाग के संबंध में प्रत्याहृत माना जायेगा, किन्तु अन्य भवनों या संकर्मों या, यथास्थिति, भूमि के अन्य भागों के संबंध में यथावत बना रहेगा; और तदुपरांत स्वामी से अपेक्षा की जायेगी कि वह

ऐसे अन्य भवनों, संकर्मों या भूमि के भाग के संबंध में उप–धारा (1) के अधीन नोटिस में विनिर्दिष्ट कदम उठाये।

(5) यदि नोटिस में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर–भीतर या उप–धारा (4) के अधीन आवेदन के निपटारे के पश्चात् उसी कालावधि के भीतर–भीतर नोटिस का या जितना वह यथावत रहता है उसका, अनुपालन नहीं किया जाता है तो नगरपालिका–

(क) नोटिस का अनुपालन न करने पर स्वामी को और जहां नोटिस में भूमि के किसी उपयोग को जारी न रखे जाने की अपेक्षा की गयी हो वहां किसी अन्य व्यक्ति को भी, जो भूमि का उपयोग करता है या नोटिस के उल्लंघन में भूमि का उपयोग कराता है या उसकी अनुज्ञा देता है, अभियोजित कर सकेगी; और

(ख) जहां नोटिस में किसी भवन या संकर्म को तोड़ दिये जाने या उसमें परिवर्तन करने या किसी भवन या अन्य संक्रियाओं के निष्पादन की अपेक्षा की गयी हो, वहां स्वयं विकास होने के पहले वाली स्थिति का प्रत्यावर्तन करायेगी और अनुज्ञा की शर्तों या यथाउपान्तरित अनुज्ञा का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु किसी भवन या संकर्म को तोड़ने या उसमें परिवर्तन करने या किसी निर्माण या अन्य संक्रिया के निष्पादन सहित ऐसे कदम उठायेगी जो नगरपालिका आवश्यक समझे; और इस निमित्त उसके द्वारा उपगत खर्चों की रकम स्वामी से भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करेगी।

(6) उप–धारा (5) के खण्ड (क) के अधीन अभियोजित कोई भी व्यक्ति, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, और अपराध जारी रहने पर उसे ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथम

बार के अपराध के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें अपराध जारी रहता है, दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

169. **अप्राधिकृत विकास को रोकने की शक्ति**.– (1) जहां धारा 167 की उप–धारा (1) में उपदर्शितानुसार भूमि का कोई विकास किया जा रहा हो किन्तु पूर्ण न हुआ हो, वहां नगरपालिका, स्वामी और विकास करने वाले व्यक्ति पर नोटिस की तामील की तारीख से भूमि के विकास को रोकने की अपेक्षा करते हुए नोटिस तामील कर सकेगी, और तदुपरांत ऐसे नोटिस के संबंध में धारा 168 की उप–धाराओं (3),(4),(5) और (6) के उपबंध, जहां तक लागू हो सकें, वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे धारा 168 के अधीन नोटिस के संबंध में लागू होते हैं।

(2) कोई व्यक्ति, ऐसे नोटिस की तामील होने के पश्चात् भी, चाहे स्वयं के लिए या स्वामी या अन्य किसी भी व्यक्ति के निमित्त भूमि का विकास करना जारी रखता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, और अननुपालन जारी रहने पर, नोटिस की तामील की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें ऐसा अननुपालन जारी रहा है या रहता है, ऐसे और जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(3) इस अध्याय में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के अधीन नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् भी अप्राधिकृत विकास करना जारी रखता है, वहां नगरपालिका या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को, किसी अभियोजन या अन्य कार्यवाही या कार्रवाई, जो इस अधिनियम के अधीन प्रारम्भ की जा सकती हो, के अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति को, जिसके द्वारा ऐसा निर्माण कार्य करना जारी रखा गया हो और उसके समस्त सहायकों और कर्मकारों को ऐसे अप्राधिकृत विकास के स्थान से, ऐसे समय के भीतर जो अध्यपेक्षा में

विनिर्दिष्ट किया जाये, हटाने के लिए किसी पुलिस अधिकारी से अपेक्षा करने की शक्ति होगी और ऐसा पुलिस अधिकारी अध्यपेक्षा का तदनुसार अनुपालन करेगा। ऐसे व्यक्तियों को हटाये जाने के अतिरिक्त नगरपालिका ऐसी संनिर्माण सामग्रियों, औजारों आदि को भी अधिहृत कर सकेगी जिन्हें ऐसा व्यक्ति अप्राधिकृत विकास के लिए उपयोग में ले रहा था।

(4) उप–धारा (3) के अधीन किसी अध्यपेक्षा आदेश का अनुपालन कर दिये जाने के पश्चात्, अप्राधिकृत विकास तत्पश्चात् भी जारी रखने वाला कोई व्यक्ति या उसके सहायक और कर्मकार, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, और अपराध के जारी रहने पर ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथम बार के अपराध के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें ऐसा अपराध जारी रहता है, दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होंगे।

(5) इस अधिनियम के अधीन अप्राधिकृत विकास को रोकने के परिणामस्वरूप उठाई गयी किसी भी हानि के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी नुकसानी का दावा नहीं किया जायेगा।

170. **अप्राधिकृत अस्थायी विकास का संक्षिप्ततः हटाया जाना या रोकना**.– (1) इस अध्याय में इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां किसी व्यक्ति ने धारा 167 की उप–धारा (1) में उपदर्शितानुसार किसी अस्थायी प्रकृति का कोई विकास अप्राधिकृत रूप से किया है, वहां नगरपालिका लिखित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे आदेश की प्राप्ति के पन्द्रह दिवस के भीतर–भीतर यथापूर्वोक्त अप्राधिकृत रीति से निर्मित किसी संरचना या कार्य को हटाने या भूमि के उपयोग को रोकने का निदेश दे सकेगी और यदि तत्पश्चात् वह व्यक्ति आदेश की अनुपालना उक्त कालावधि के भीतर–भीतर नहीं करता है तो नगरपालिका या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, बिना किसी नोटिस के आदेश में यथानिदेशित रूप से ऐसे कार्य को संक्षिप्ततः हटवा सकेगा या

ऐसे उपयोग को संक्षिप्ततः रुकवा सकेगा; और पुनः किये गये किसी भी अप्राधिकृत विकास को बिना यथापूर्वोक्त किसी भी आदेश के संक्षिप्ततः हटा दिया या रोक दिया जायेगाः

परन्तु खड़ी फसलें संक्षिप्ततः नहीं हटायी जायेंगी और फसलों को काटने और एकत्रित करने के लिए, नगरपालिका द्वारा संबंधित व्यक्ति को छह मास से अनधिक की युक्तियुक्त कालावधि अनुज्ञात की जायेगी।

(2) इस प्रश्न पर, कि अस्थायी प्रकृति का विकास क्या है, नगरपालिका का विनिश्चय अंतिम होगा।

171. **भूखंड के उप–विभाजन या निजी मार्ग बनाने के लिए मंजूरी.**– (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 161 के अधीन योजना के कार्यान्वयन की तारीख को या उसके पश्चात् अपनी भूमि या भूखंड का उप–विभाजन करने या ऐसी भूमि या भूखंड पर निजी मार्ग बनाने का आशय रखता है,ऐसे प्रयोजन के लिए आशयित अभिन्यास योजना, ऐसे विवरणों और ऐसी फीस के साथ, जो उप–विधियों या सरकारी आदेशों द्वारा अवधारित किये जायें, नगरपालिका को मंजूरी के लिए प्रस्तुत करेगा।

(2) नगरपालिका, उप–विधियों में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर–भीतर, ऐसी योजना को या तो बिना उपांतरणों के या ऐसे उपातंरणों या शर्तों के अध्यधीन, जिन्हें वह समीचीन समझे, मंजूरी दे सकेगी या, यदि नगरपालिका की यह राय हो कि ऐसा विभाजन या मार्ग बनाना किसी भी तरह से योजना के प्रस्तावों से संगत नहीं है, मंजूरी देने से इनकार कर सकेगी ।

(3) मंजूरी से इन्कार के लिए या मंजूरी में उपांतरणों या शर्तों के अधिरोपण के लिए कोई प्रतिकर संदेय नहीं होगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति, उप–धारा (1) के उल्लंघन में, या उप–धारा (2) के अधीन दी गयी किसी भी मंजूरी में के उपांतरणों या शर्तों के उल्लंघन में, या उक्त उप–धारा (2) के अधीन मंजूरी देने से इनकार कर

देने के बावजूद, कोई कार्य करता है तो नगरपालिका ऐसे व्यक्ति को लिखित नोटिस द्वारा, किसी चालू कार्य को रोकने का निदेश दे सकेगी और उप–विधियों द्वारा अवधारित रीति से जांच करने के पश्चात् किसी भी कार्य को हटा सकेगी या गिरा सकेगी या भूमि को उसकी मूल स्थिति में प्रत्यावर्तित कर सकेगी।

(5) कोई भी व्यक्ति, जो ऐसे नोटिस की तामील हो जाने के पश्चात् भी, चाहे स्वयं के लिए या स्वामी के या किसी अन्य व्यक्ति के निमित्त, भूमि का विकास करना जारी रखता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, और अननुपालन जारी रहने पर, नोटिस की तामील की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें ऐसा अननुपालन जारी रहा है या रहता है, ऐसे और जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

172. **उपगत व्यय की वसूली**.– नगरपालिका द्वारा धाराओं 168,169,170 और 171 के अधीन उपगत कोई भी व्यय, व्यतिक्रमी व्यक्ति या भूमि अथवा भू–खंड के स्वामी से इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका को शोध्य रकम होगी और भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जायेगी।

173. **परियोजनाओं और स्कीमों का बनाया जाना और विषयवस्तु**.– (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए नगरपालिका, किसी भी योजना के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए या अन्यथा, नगर या उसके किसी भाग के एकीकृत विकास के लिए ऐसी परियोजनाएं और स्कीमें बना सकेगी जैसी आवश्यक समझी जायें।

(2) कोई परियोजना या स्कीम निम्नलिखित में से सभी या किसी भी मामले के लिए उपबंध कर सकेगी, अर्थात्:–

(क) लोक उपयोगिताओं, जैसे सड़कों, मार्गों, खुले स्थानों, उद्यानों,बागों, मनोरंजन और खेल के मैदानों, अस्पतालों, औषधालयों, शैक्षिक संस्थाओं, हरित पट्टियों, डेयरियों, आवास विकास, बाजारों का विकास, शॉपिंग सेन्टरों, वाणिज्यिक काम्प्लेक्सों, सांस्कृतिक केन्द्रों, प्रशासनिक केन्द्रों, परिवहन सुविधाओं, और सभी प्रकार के लोक उद्देश्यों के प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन, विकास, आरक्षण और विक्रय या पट्टे पर देना;

(ख) स्कीम में समाविष्ट किसी भूमि की अभिन्यास योजना तैयार करना;

(ग) स्कीम में समाविष्ट सम्पत्ति के स्वामियों से संबंधित स्थलों का पुनः वितरण;

(घ) मानव निवास के लिए अनपयुक्त भवनों या भवन के भाग को बंद करना या तोड़ना;

(ङ) बाधाकारी भवन या उसके भाग को तोड़ना;

(च) भवनों का संनिर्माण या पुनःसंनिर्माण;

(छ) निजी मार्गों सहित मार्गों का संनिर्माण और परिवर्तन करना;

(ज) मार्गों की प्रकाश व्यवस्था, जलप्रदाय, जल–निकास और अन्य सुविधाएं;

(झ) खुले स्थानों का उपबंध;

(ञ) स्कीम में समाविष्ट क्षेत्र के लिए अपेक्षित स्वच्छता इंतजाम;

(ट) निवासियों के किसी भी वर्ग के लिए आवास का उपबंध;

(ठ) संचार के लिए सुविधाओं के उपबंध;

(ड) स्कीम में समाविष्ट किसी भी संपत्ति का विक्रय, पट्टे पर देना या विनिमय;

(ढ) भवनों, सड़कों, जलनिकास, जिसमें मल–वहन, सतही और अधोमृदा जलनिकास, मल निस्तारण सम्मिलित है, और अन्य ऐसी ही सुविधाओं के प्रयोजन के लिए भू–खण्डों का पुनःसंनिर्माण;

(ण) भवनों, पुलों और अन्य संरचनाओं का संनिर्माण, परिवर्तन और हटाया जाना;

(त) ऐतिहासिक या राष्ट्रीय अभिरूचि या प्राकृतिक सौन्दर्य की वस्तुओं और धार्मिक उद्देश्यों के लिए वास्तव में प्रयुक्त किये जाने वाले भवनों का परिरक्षण;

(थ) विकलांग, निःशक्तजन, और मानसिक रूप से मंदित व्यक्तियों तथा असहाय बुजुर्ग व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और समाज के कमजोर तबके के सदस्यों के लिए आवास–स्थान उपलब्ध करवाने के प्रयोजन के लिए भूमि का किसी भी स्कीम में ऐसी सीमा तक आरक्षण करना, जो राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में विहित किया जाये;

(द) भवनों के चारों तरफ रखे जाने वाले खुले स्थान, किसी भू–खंड के लिए भवन के क्षेत्रफल के

प्रतिशत, विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अनुज्ञात भवन की संख्या, आकार, ऊंचाई और विशेषता; वे प्रयोजन, जिनके लिए भवन या विनिर्दिष्ट क्षेत्रों का उपयोग किया या नहीं किया जा सकेगा, भूखंडों के उप–विभाजन, किसी विनिर्दिष्ट कालावधि में किसी भी क्षेत्र में भूमि के आपत्तिकारक उपयोगों को रोकने, किसी भी भवन के लिए पार्किंग स्थान और सामान चढ़ाने और उतारने के स्थान और बहिर्गत भागों, विज्ञापन संकेतों और होर्डिंगों का आकार और अवस्थिति के संबंध में शर्तों और निर्बंधनों का अधिरोपण;

(ध) ऐसी प्रकृति के कोई भी अन्य कार्य जो पर्यावरण सुधारों के लिए हों, जो नगरपालिका द्वारा हाथ में लिए जायें और ऐसे समस्त अन्य मामले जो इस अधिनियम के उद्देश्यों से असंगत न हों।

(3) परियोजना या स्कीम के प्रारूप में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात्:–

(क) प्रत्येक मूल भूखंड का क्षेत्र, स्वामित्व और धृति;

(ख) उप–धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन आबंटित या आरक्षित भूमि की विशिष्टियां, जिसमें उन उपयोगों का, जिसके लिए ऐसी भूमि प्रयुक्त की जानी है, और उन निबंधनों और शर्तों का, जिनके अध्यधीन रहते हुए ऐसी भूमि को ऐसे उपयोग के लिए प्रयुक्त किया जाना है, साधारण संकेत होगा;

(ग) वह सीमा जिस तक मूल भूखंडों की परिसीमाओं में परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है;

(घ) समुचित नगरपालिका द्वारा वहन की जाने वाली स्कीम की शुद्ध लागत का प्राक्कलन;

(ङ) उप–धारा (2) के अधीन, जो लागू हो, स्कीम के समस्त ब्यौरों का पूर्ण विवरण;

(च) भूमि, चाहे वह खाली हो या उस पर पहले से ही निर्माण किया हुआ हो, का अभिविन्यास या पुनर्अभिन्यास;

(छ) नीचे, दलदली या अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों को भरना या उनका पुनरुद्धार करना अथवा भूमि को समतल करना; और

(ज) कोई भी अन्य विशिष्टि, जो उप–विधियों द्वारा अवधारित की जाये।

174. **परियोजनाओं और स्कीमों की तैयारी**.– (1) नगरपालिका किसी विकास क्षेत्र में, संकल्प द्वारा, धारा 173 में यथा–उपबंधित किसी परियोजना या स्कीम की तैयारी के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी।

(2) ऐसी परियोजना या स्कीम बनाने के आशय की ऐसी घोषणा की तारीख से तीस दिवस के अपश्चात् नगरपालिका, ऐसी घोषणा, राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति से जो उप–विधियों द्वारा अवधारित की जाये, प्रकाशित करेगी।

(3) उप–धारा (2) के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के अपश्चात् नगरपालिका, प्रारूप के रूप में परियोजना या स्कीम तैयार करेगी और उसे, उक्त प्रारूप परियोजना या स्कीम के संबंध में किसी भी व्यक्ति से ऐसी तारीख के पूर्व, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये और जो नोटिस के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस से पहले की नहीं होगी, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए नोटिस के साथ, ऐसे प्ररूप में

और ऐसी रीति से प्रकाशित करेगी, जो उप–विधियों द्वारा अवधारित की जाये।

(4) उप–धारा (3) के अधीन नोटिस में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर–भीतर प्राप्त होने वाले समस्त आक्षेपों और सुझावों पर नगरपालिका विचार करेगी और ऐसे व्यक्तियों को, जो उससे प्रभावित हों और सुने जाने के इच्छुक हों युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् यथाप्रकाशित प्रारूप परियोजना या स्कीम का प्रारूप अनुमोदित करेगी या उसमें ऐसे उपांतरण करेगी, जो वह उचित समझे।

(5) उप–धारा (4) के अधीन उपांतरणों सहित या उपांतरणों के बिना किसी परियोजना या स्कीम के अनुमोदन के तुरन्त पश्चात् नगरपालिका राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति से, जो उप–विधियों द्वारा अवधारित की जाये, अंतिम परियोजना या स्कीम प्रकाशित करेगी और वह तारीख विनिर्दिष्ट करेगी जिसको वह प्रवर्तन में आयेगी।

(6) पूर्ववर्ती उप–धाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, उनमें यथा अधिकथित प्रक्रिया का उस दशा में अनुसरण करना आवश्यक नहीं होगा, जहां परियोजना या स्कीम नगरपालिका में निहित किसी भूमि पर कार्यान्वित की जानी है और उसके निष्पादन में किसी भी भवन का तोड़ा जाना या वहां रहने वाले लोगों को हटाया जाना अन्तर्वलित नहीं है।

175. **पुनर्विकास स्कीम**.– जहां मुख्य नगरपालिक अधिकारी का किसी भी क्षेत्र के संबंध में, उसके कब्जे में की किसी सूचना के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि–

(क) किसी भी क्षेत्र के भवन बेमरम्मती या अस्वच्छता की दशाओं के कारण मानव निवास के लिए अनुपयुक्त हैं या उनके खराब इंतजामों या संकड़ेपन या गली के खराब इंतजाम या प्रकाश, वायु, संवातन या समुचित सुविधाओं की कमी के कारण उस क्षेत्र के

निवासियों के स्वास्थ्य के लिए संकटपूर्ण या हानिकारक हैं, और

(ख) उस क्षेत्र की दशाओं से निपटने का सबसे संतोषप्रद तरीका पुनर्विकास स्कीमों के अनुसार गलियों और भवनों का पुनर्ईतजाम और पुनर्संनिर्माण है,

तो वह उस क्षेत्र के संबंध में कोई पुनर्विकास स्कीम विरचित कर सकेगा। ऐसी स्कीम धारा 173 और 174 में यथा–उपबंधित नियमित स्कीम की समस्त अपेक्षाओं को पूरा करेगी।

176. **परियोजना और स्कीम को अनुमोदन के लिए नगरपालिका को प्रस्तुत करना**.– प्रत्येक विकास स्कीम, उसके विरचित किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, मुख्य नगरपालिक अधिकारी द्वारा नगरपालिका को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जायेगी और नगरपालिका, या तो स्कीम का बिना किसी उपांतरण के या ऐसे उपांतरणों सहित, जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदन कर सकेगी या स्कीम को अस्वीकार कर सकेगी और मुख्य नगरपालिक अधिकारी से ऐसे निदेशों के अनुसार जो नगरपालिका दे, कोई नयी स्कीम विरचित करने की अपेक्षा कर सकेगी।

177. **किसी स्कीम की घोषणा के पश्चात् भूमि के उपयोग और विकास पर निर्बंधन**.– (1) धारा 174 के अधीन प्रारूप स्कीम के प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात् कोई भी व्यक्ति, परियोजना या स्कीम में सम्मिलित किये गये क्षेत्र के भीतर किसी भी भूमि या भवन के उपयोग का प्रारम्भ या उसमें परिवर्तन या किसी विकास का कार्यान्वयन तब तक नहीं करेगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने इस निमित्त बनायी गयी उप–विधियों के अनुसार नगरपालिका से ऐसा करने की आवश्यक अनुज्ञा के लिए आवेदन नहीं कर दिया हो और ऐसी अनुज्ञा प्राप्त न कर ली हो:

परन्तु किसी भी व्यक्ति के लिए ग्राम आबादी सीमाओं के भीतर ग्राम पंचायत द्वारा मंजूर अनुज्ञा के अनुसार, जहां तक कि ऐसी अनुज्ञा

ऐसी प्रारूप–स्कीम या स्कीम से संगत हो, ऐसा विकास करना विधिपूर्ण होगा।

(2) धारा 174 की उप–धारा (4) के अधीन अनुमोदित परियोजना या स्कीम पर धारा 166 से 172 के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।

178. **स्कीम का व्यपगत होना**.– यदि नगरपालिका धारा 174 की उप–धारा (4) के अधीन अनुमोदित परियोजना या स्कीम को, धारा 174 की उप–धारा (5) के अधीन उसके प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर क्रियान्वित करने में विफल रहती है तो उक्त दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति पर वह परियोजना या स्कीम व्यपगत हो जायेगी।

179. **परियोजना या स्कीम का उपांतरण या प्रत्याहरण**.–(1) यदि नगरपालिका की, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, यह राय है कि ऐसा किया जाना आवश्यक या समीचीन है तो वह राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि धारा 174 की उप–धारा (4) के अधीन अनुमोदित परियोजना या स्कीम प्रत्याहृत की जाती है और ऐसी घोषणा होने पर, ऐसी परियोजना या स्कीम के संबंध में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(2) यदि नगरपालिका धारा 174 की उप–धारा (4) के अधीन किसी परियोजना या स्कीम के अनुमोदन के पश्चात् किसी भी समय उसमें कतिपय ऐसे उपांतरण करना आवश्यक समझती है, जो उसकी राय में परियोजना और स्कीम के स्वरूप में कोई तात्विक परिवर्तन नहीं करते हैं, तो वह उपयुक्त उपांतरण कर सकेगी।

180. **नगरपालिका से स्कीम बनाने की अपेक्षा करने की राज्य सरकार की शक्ति**.– नगरपालिका, मुख्य नगरपालिक अधिकारी को नगर के किसी क्षेत्र के संबंध में कोई विकास स्कीम तैयार करने का निदेश दे

सकेगी और यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये तो ऐसा निदेश देगी।

181. **किसी भी परियोजना या स्कीम की व्यावृत्ति.**– इस अधिनियम के किसी भी उपबंध में या तदधीन मंजूर की गयी किसी योजना में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, नगरपालिका को उक्त योजना के अन्तर्गत नहीं आने वाली किसी परियोजना या स्कीम को बनाने और उसे कार्यान्वित करने की स्वतन्त्रता होगी, यदि नगरपालिका की राय में ऐसा किया जाना आवश्यक है या लोकहित में समीचीन है, और उक्त योजना उस सीमा तक उपांतरित की गयी समझी जायेगी।

182. **भूमि के उपयोग के परिर्वतन पर निर्बन्धन और भूमि के उपयोग का परिर्वतन अनुज्ञात करने की राज्य सरकार की शक्ति.**– (1) कोई भी व्यक्ति किसी भी नगरपालिक क्षेत्र में स्थित किसी भूमि का उपयोग, उस प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए जिसके लिए ऐसी भूमि राज्य सरकार, किसी नगरपालिका, किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य निकाय या प्राधिकारी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अनुसार किसी व्यक्ति को मूलतः आबंटित या विक्रीत की गयी थी, या किसी मास्टर योजना, जहां कहीं भी वह प्रर्वतन में हो, में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से अन्यथा नहीं करेगा या करने की अनुज्ञा नहीं देगा।

(2) ऐसी किसी भूमि के मामले में जो यथापूर्वोक्त रूप में आबंटित या विक्रीत नहीं की गयी है और उप–धारा (1) के अन्तर्गत नहीं आती है, कोई भी व्यक्ति, नगरपालिक क्षेत्र में स्थित ऐसी किसी भूमि का उपयोग उस प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए नहीं करेगा या करने की अनुज्ञा नहीं देगा जिसके लिए ऐसी भूमि का उपयोग इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके पूर्व किया जा रहा था।

(3) उप–धारा (1) या उप–धारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी, किसी

ऐसी भूमि के स्वामी या धारक को उसके उपयोग में परिवर्तन करने के लिए, यदि लोकहित में ऐसा करने का उसका समाधान हो जाता है तो, ऐसी दरों पर संपरिर्वतन प्रभारों के संदाय पर और पड़ौसियों से, ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, आक्षेप आमंत्रित करने और उनको सुनने के पश्चात् उपयोग में निम्नलिखित परिवर्तनों के संबंध में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुज्ञा दे सकेगा, अर्थात्:–

(i) आवासीय से वाणिज्यिक या कोई भी अन्य प्रयोजन; या

(ii) वाणिज्यिक से कोई भी अन्य प्रयोजन; या

(iii) औद्योगिक से वाणिज्यिक या कोई भी अन्य प्रयोजन; या

(iv) सिनेमा से वाणिज्यिक या कोई भी अन्य प्रयोजन; या

(v) होटल से वाणिज्यिक या कोई भी अन्य प्रयोजन; या

(vi) पर्यटन से वाणिज्यिक या कोई भी अन्य प्रयोजन; या

(vii) संस्थागत से वाणिज्यिक या कोई भी अन्य प्रयोजन;

परन्तु संपरिवर्तन प्रभार, की दरें भिन्न–भिन्न क्षेत्रों के लिए और भिन्न–भिन्न प्रयोजनों के लिए भिन्न–भिन्न हो सकेंगी।

(4) जहां राज्य सरकार या उप–धारा (3) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने, जिसे इस धारा के अधीन अनुज्ञा या नियमन के लिए आवेदन करना चाहिए था, आवेदन नहीं किया है और ऐसी अनुज्ञा मंजूर की जा सकती है या भूमि के उपयोग को नियमित किया जा सकता है, तो वह सम्यक् नोटिस देने और पक्षकार या पक्षकारों को सुनने के पश्चात् संपरिवर्तन प्रभारों के अवधारण के लिए अग्रसर होगा और ऐसे प्रभार, जो विहित किये जाएं, नगरपालिका को शोध्य होंगे और उप–धारा (6) के अधीन वसूलीय होंगे। नगरपालिका इस कार्य को शीघ्र करने के लिए कैम्प लगा सकेगी और साथ ही किसी भी अभिकरण की सहायता ले सकेगी:

परन्तु ऐसे मामलों में, जहां भूमि का मूल उपयोग किसी लोक प्रयोजन जैसे शिक्षा, चिकित्सा, या किसी पूर्त प्रयोजन के लिए था, और आबंटन किसी रियायती दर पर किया गया था, तो वहां भूमि के परिवर्तन का नियमन तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि आबंटन की मूल दर और प्रचलित दर का अन्तर संदत्त नहीं कर दिया जाता और उस प्राधिकारी की, जिसने मूल आबंटन किया था, विनिर्दिष्ट सहमति प्राप्त नहीं कर ली जाती।

(5) इस प्रकार वसूल किये गये संपरिवर्तन प्रभार नगरपालिका की निधि में जमा किये जायेंगे।

(6) इस धारा के अधीन प्रभार, ऐसी भूमि के संबंध में, जिसका उपयोग परिवर्तित किया गया है, ऐसे प्रभारों को संदत्त करने के दायी व्यक्ति के हित पर प्रथम प्रभार होगा, और भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगा।

183. **सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन.–** (1) प्रत्येक नगरपालिका, नगरपालिका के भीतर किसी सार्वजनिक मार्ग के किसी भी ओर या दोनों ओर कोई लाइन विहित करेगी और यदि नगरपालिका ऐसे सार्वजनिक मार्ग या उसके किसी भाग को चौड़ा करने के प्रयोजन के लिए ऐसी नयी लाइन विहित करना आवश्यक समझे तो इस प्रकार विहित की गयी किसी लाइन या उसके किसी भाग के स्थान पर समय–समय पर नयी लाइन विहित कर सकेगी:

परन्तु–

(क) नगरपालिका ऐसी लाइन या, यथास्थिति, नयी लाइन, विहित करने से कम से कम एक मास पूर्व, उस मार्ग में या उसके उस भाग में, जिसके लिए ऐसी लाइन या नयी लाइन विहित करने का प्रस्ताव हो, उसका विशेष नोटिस लगायेगी और ऐसे संरेखण से

प्रभावित भूमियों के स्वामियों या अधिभोगियों को भी इसका नोटिस देगी;

(ख) नगरपालिका ऐसे समय के भीतर–भीतर जो ऐसे विशेष नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाये, नगरपालिका के कार्यालय में ऐसे प्रस्ताव के बारे में परिदत्त किसी लिखित आक्षेप या सुझाव पर विचार करेगी; और

(ग) नगरपालिका उक्त लाइन और संबंधित मार्ग के भीतर समाविष्ट क्षेत्र का नक्शा और उससे घिरी भूमियों को विनिर्दिष्ट करते हुए एक विवरण तैयार करवायेगी, जो जन–साधारण के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

(2) तत्समय इस प्रकार विहित लाइन सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन कहलायेगी।

(3) कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के भीतर किसी भवन के किसी भी भाग का निर्माण या पुनर्निर्माण नहीं करेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति उप–धारा (3) के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो दो हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा और नगरपालिका–

(क) निदेश देगी कि ऐसा निर्माण या पुनर्निर्माण रोक दिया जाये, और

(ख) लिखित नोटिस देकर, इस प्रकार निर्मित या पुनर्निर्मित भवन या उसके किसी भाग को तोड़ दिये जाने की अपेक्षा करेगी।

(5) उप–धारा (4) के अधीन नगरपालिका के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से, उसकी प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय को छोड़कर, तीस दिवस के भीतर–भीतर कलक्टर को अपील कर सकेगा और अपील प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा और उसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा।

184. **भूमिगत उपयोगिताओं के लिए मार्ग का अधिकार.**– भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 13), विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 36) और ऐसी अन्य विधियों, जो राज्य सरकार द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित की जायें, के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार नियमों द्वारा निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेगी, अर्थात्:–

(क) राज्य सरकार, या किसी कानूनी निकाय या ऊपर उल्लिखित किन्हीं भी अधिनियमों या अन्य विधियों के अधीन किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी विभिन्न लोक उपयोगिताओं, जिनमें विद्युत प्रदाय, टेलीफोन या अन्य दूरसंचार प्रसुविधाएं, गैस पाइप, जल–प्रदाय, जल–निकास, और मलनिकास, तथा भूमिगत रेलवे प्रणाली, पैदल सब–वे, शॉपिंग प्लाजा, भाण्डागार प्रसुविधाएं और उनसे सम्बन्धित साधित्र के लिए किसी नगरपालिक क्षेत्र में की सार्वजनिक और निजी मार्गों की अधोमृदा में मार्ग के विनिर्दिष्ट अधिकारों की नगरपालिका द्वारा मंजूरी,

(ख) यथापूर्वोक्त किन्हीं भी अधिनियमों या अन्य विधियों के अधीन किसी भी फीस या प्रभारों का उद्ग्रहण,

(ग) नगरपालिका को ऐसे नक्शे, रेखाचित्र और ऐसे विवरण उपलब्ध करवाना जिससे वह नगरपालिक क्षेत्र में

भूमिगत उपयोगिताओं के स्थान का अभिलेख ठीक–ठीक संकलित और संधारित करने में समर्थ हो सके,

(घ) कार्य के निष्पादन के लिए समय–सीमा नियत करना और इस संबंध में ऐसी शर्तें अधिरोपित करना, जिन्हें नगरपालिका समुचित समझे,

(ङ) कार्य पूरा करने में विलम्ब के मामले में शास्ति अधिरोपित करना, और

(च) किसी नगरपालिका मार्ग या किसी अन्य नगरपालिका संपत्ति को पूर्वोक्त अधिकारों के प्रयोग में लाये जाने के दौरान हुई क्षति की सम्बन्धित विभाग के खर्चे पर मरम्मत या मूल स्थिति में लौटाना।

185. **भूमिगत उपयोगिताओं के नक्शे**.– मुख्य नगरपालिक अधिकारी, नगरपालिक क्षेत्रों में समस्त भूमिगत उपयोगिताओं के संपूर्ण सर्वेक्षण नक्शे, रेखाचित्र और वर्णन, और फायर हाईड्रेन्ट्स तथा मल–वहन मेनहॉलों के नक्शों का संधारण ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से करवायेगा जैसा उप–विधियों द्वारा उपबंधित किया जाये, और सूचना के अधिकार से संबंधित किसी भी विधि के उपबंधों के अनुरूप उसकी गोपनीयता सुनिश्चित करेगा।

186. **केन्द्रीय या राज्य सरकार से संबंधित मार्गों के विषय में विशेष उपबन्ध.**– (1) यदि कोई राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, या कोई मार्ग जो केन्द्रीय सरकार या, यथास्थिति, राज्य सरकार में निहित है,–

(क) नगरपालिका, ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या मार्ग के संबंध में ऐसा कोई कार्य करने के लिए अनुज्ञा, केन्द्रीय सरकार या, यथास्थिति, राज्य सरकार

की मंजूरी के सिवाय, मंजूर नहीं करेगी जिसका उसकी लिखित अनुज्ञा के बिना किये जाने से इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन होगा, और

(ख) यदि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये तो नगरपालिका ऐसे मार्ग के संबंध में इस अधिनियम या किन्हीं भी उप–विधियों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगी।

(2) राज्य सरकार में निहित और नगरपालिक क्षेत्र से गुजरने वाली सड़कों के मामले में नगरपालिका का ऐसी सड़कों पर, जहां तक उसके अस्थायी अधिभोग की अनुज्ञा और उस पर से अधिक्रमण को हटाने का संबंध है, नियंत्रण होगा, किन्तु ऐसी सड़कों के रख–रखाव का जिम्मा राज्य सरकार का ही रहेगा।

187. **उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी परिनिर्माण**.– (1) मुख्य नगरपालिक अधिकारी, त्यौहारों और उत्सवों के अवसरों पर, ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसी शर्तों पर, जो नगरपालिका द्वारा उप–विधियों द्वारा अवधारित की जायें और ऐसी कालावधि के लिए, जो अनुज्ञा–पत्र में उल्लिखित की जाये, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई बूथ, पांडाल या किसी अन्य संरचना के अस्थायी निर्माण के लिए लिखित अनुज्ञा मंजूर कर सकेगा:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी अनुज्ञा, नगरपालिक क्षेत्र में यातायात के प्रभारी पुलिस अधिकारी से परामर्श के बिना नहीं दी जायेगी।

(2) वह व्यक्ति, जिसको ऐसी अनुज्ञा मंजूर की जाती है, मैदान को भरेगा और उसको मुख्य नगरपालिक अधिकारी के समाधानप्रद रूप में ऐसी कालावधि के भीतर–भीतर, जो अनुज्ञा–पत्र में उल्लिखित की जाये, यथापूर्व करेगा।

188. **मार्ग, नाली या परिसर के संनिर्माण या मरम्मत के दौरान पूर्वावधानियां**.– ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो उप–विधियों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, मुख्य नगरपालिक अधिकारी, किसी भी सार्वजनिक मार्ग या किसी भी नगरपालिक नाली या नगरपालिका में निहित किसी भी परिसर के संनिर्माण या मरम्मत के दौरान,–

(क) उसके बाड़ लगवायेगा और सुरक्षित करवायेगा;

(ख) सार्वजनिक मार्ग या लगे हुए भवनों को प्रभावित करने वाली दुर्घटना के विरुद्ध उचित पूर्वावधानी बरतेगा;

(ग) उसकी लिखित अनुज्ञा के बिना, किसी भवन निर्माण सामग्री को जमा कराने, या किसी सार्वजनिक मार्ग पर किसी पाड़ या किसी अस्थायी निर्माण करने को प्रतिषिद्ध करेगा;

(घ) किसी भी मार्ग को यातायात के लिए पूर्णतः या भागतः बन्द करेगा;

(ङ) जहां कहीं आवश्यक हो, वहां यातायात का आवश्यक मोड़ उपलब्ध करायेगा;

(च) किसी सार्वजनिक मार्ग को यथापूर्व करना या किसी नाली या परिसरों को उनके मूल रूप में लाना सुनिश्चित करेगा; और

(छ) ऐसे किसी स्थान की, जो उसकी राय में किसी मार्ग के यातायात के लिए या ऐसे व्यक्तियों के लिए, जो उसमें विधिक पहुँच रखते हैं, या उसके पड़ौस के लिए, खतरनाक है या असुविधा कारित करने वाला है, मरम्मत करने या उसे बन्द करने के लिए कदम उठायेगा, और ऐसे मरम्मत कार्य का खर्चा ऐसे स्थान या परिसर के स्वामी या अधिभोगी से वसूल करेगा।

189. **बिना अनुज्ञा किसी मार्ग में न तो काष्ठ जमा किया जायेगा और न गड्ढे खोदे जायेंगे**.– (1) नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना या ऐसी शर्तों के अनुसार, जो उसमें विहित की जायें, से अन्यथा कोई भी व्यक्ति, किसी भी मार्ग में कोई गड्ढा नहीं खोदेगा या उस पर कोई काष्ठ, पत्थर, ईंट, मिट्टी या अन्य सामान, जिसे भवनों के लिए प्रयुक्त किया गया है या प्रयुक्त किये जाने के लिए आशयित है, परिनिर्मित या जमा नहीं करेगा और ऐसी अनुज्ञा नगरपालिका के विवेक पर समाप्य होगी और जब ऐसी अनुज्ञा किसी व्यक्ति को मंजूर की जाये तब वह अपने स्वयं के खर्चे पर ऐसी सामग्री या ऐसे गड्ढे पर पर्याप्त रूप से बाड़ लगवायेगा तथा उसकी घेराबन्दी करवायेगा, जो उस समय तक बनी रहेगी जब तक कि वह सामग्री हटा न दी जाये या वह गड्ढा भर न दिया जाये अथवा उसे नगरपालिका के समाधानप्रद रूप से अन्यथा सुरक्षित न कर दिया जाये, और रात्रि में उस पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करवायेगा।

(2) जो कोई उप–धारा (1) के उपबंधों में से किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करता है वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा और ऐसी प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् ऐसा उल्लंघन जारी रहने वाले प्रत्येक दिवस या, यथास्थिति, रात्रि के लिए, अतिरिक्त जुर्माने से, जो पचास रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

190. **फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध**.– (1) नगरपालिका, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए, यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी चौड़ाई के जो विहित की जाये, सभी सार्वजनिक मार्गों पर, ऐसे सार्वजनिक मार्गों से लगे हुए फुटपाथ बना दिये गये हैं।

(2) विद्यमान स्थिति के होने पर भी, भवन अनुज्ञा और संकर्म समिति फुटपाथों की भिन्न–भिन्न न्यूनतम चौड़ाइयां ऐसे विनिर्दिष्ट करेगी कि किसी भी दशा में प्रत्येक तरफ की चौड़ाई डेढ़ मीटर से कम न हो:

परन्तु सार्वजनिक मार्ग के प्रत्येक प्रवर्ग के संस्पर्शी फुटपाथ के लिए एक से अधिक न्यूनतम चौड़ाइयां विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी ताकि भिन्न–भिन्न संस्पर्शी भूमि उपयोगों की भिन्न–भिन्न आवश्यकताओं के लिए उपबंध किया जा सके:

परन्तु यह और कि किसी सार्वजनिक मार्ग की कोई भी नियमित लाइन विहित या पुनरीक्षित करते समय यह नियत किया जायेगा कि फुटपाथों के लिए न्यूनतम चौड़ाई के विनिर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(3) उप–धारा (2) में निर्दिष्ट न्यूनतम चौड़ाइयां भवन अनुज्ञा और संकर्म समिति द्वारा पुनरीक्षित की जा सकेंगी।

191. **मार्गों के कोने पर भवन**.– (1) नगरपालिका, दो मार्गों के कोने पर बनने वाले किसी भी भवन के, ऐसी ऊंचाई तथा ऐसी सीमा तक, जो वह अवधारित करे, गोलाकार या घुमावदार या अन्यथा होने की अपेक्षा कर सकेगी और कोने पर स्थल के ऐसे किसी भी भाग को, जिसे वह लोक–सुविधा या सुख–सुविधा के लिए आवश्यक समझे, अर्जित कर सकेगी।

(2) इस प्रकार अर्जित किसी भी भूमि के लिए नगरपालिका प्रतिकर संदत्त करेगी।

(3) ऐसे प्रतिकर का अवधारण करने में मार्गों के सुधार से उक्त भवन को प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे के लिए कटौती की जायेगी।

192. **बहिर्गत भवनों को पीछे करना**.– (1) यदि किसी भवन का कोई भाग धारा 183 के अधीन यथाविहित किसी सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन से बाहर निकला हुआ हो तो नगरपालिका,–

(क) यदि उसका बहिर्गत भाग, मुख्य भवन के बाहर का बरामदा, सीढ़ी या कोई अन्य संरचना हो तो किसी भी समय, या

(ख) यदि बहिर्गत भाग यथापूर्वोक्त ऐसी बाह्य संरचना न हो तो जब कभी ऐसे भवन का अधिकांश भाग या जब कभी ऐसे बहिर्गत भाग का कोई महत्वपूर्ण भाग गिरा दिया गया हो या जला दिया गया हो या गिर गया हो,

लिखित नोटिस देकर अपेक्षा कर सकेगी कि या तो उक्त नियमित लाइन के बाहर निकले हुए भाग को या उसके कुछ भाग को हटा दिया जाये या ऐसे भवन को, जब उसका पुनर्निर्माण किया जाये, उक्त नियमित लाइन तक या और पीछे हटा दिया जाये और इस प्रकार पीछे किये जाने या हटाये जाने के कारण मार्ग में जुड़ जाने वाली भूमि का वह भाग उसके बाद से सार्वजनिक मार्ग का भाग समझा जायेगा और नगरपालिका में निहित हो जायेगा।

(2) यदि कोई भूमि, जो नगरपालिका में निहित न हो, चाहे खुली हो या घिरी हुई, किसी सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के भीतर स्थित हो और जो कोई चबूतरा, बरामदा, सीढ़ी या अन्य बाह्य संरचना से भिन्न किसी भवन के दखल में न हो तो नगरपालिका, ऐसी भूमि के स्वामी को, अपने आशय का कम से कम पूर्ण पन्द्रह दिवस का लिखित नोटिस देने के पश्चात्, या यदि ऐसी भूमि राज्य सरकार में निहित हो तो ऐसे अधिकारी की, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त या प्राधिकृत किया जाये, लिखित अनुज्ञा लेकर उक्त भूमि का, चार दीवारी, झाड़बन्दी या बाड़ सहित, यदि कोई हो, कब्जा कर सकेगा और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटवा सकेगा; और इसके बाद से इस प्रकार अर्जित भूमि सार्वजनिक मार्ग का भाग समझी जायेगी और नगरपालिका में निहित हो जायेगी।

(3) उप–धारा (1) के अधीन किसी मार्ग में जोड़ी गयी या उप–धारा (2) के अधीन अर्जित किसी भूमि के स्वामी को, उक्त भूमि के मूल्य के लिए और उक्त उप–धाराओं में से किसी के भी अधीन नगरपालिका द्वारा की गयी कार्रवाई के परिणामस्वरूप किसी भवन के स्वामी को हुई किसी हानि, नुकसान या उसके द्वारा उपगत व्यय के लिए नगरपालिका द्वारा प्रतिकर संदत्त किया जायेगा, जिसकी रकम, विवाद होने की दशा में धारा 295 में उपबंधित रीति से अभिनिश्चित और अवधारित की जायेगी; परन्तु ऐसा प्रतिकर उन मामलों में देय नहीं होगा जिन पर धारा 243 लागू होती है।

(4) जब प्रतिकर की रकम इस प्रकार अभिनिश्चित और अवधारित कर ली गयी हो या जब उप–धारा (1) के अधीन आने वाला कोई ध्वंसक या खतरनाक भवन धारा 243 के उपबन्धों के अधीन गिरा दिया गया है तो नगरपालिका, प्रतिकर, यदि कोई हो, की संदेय रकम, को निविदत्त करके मार्ग में इस प्रकार जोड़ी गयी भूमि पर कब्जा कर सकेगी और उसकी सफाई करा देगी।

193. **भवनों की सतह**.– इसके पश्चात् कोई भी भवन ऐसी सतह से नीची सतह पर नहीं बनाया जायेगा जिससे उस भवन का जल–निकास, उस समय विद्यमान या नगरपालिका द्वारा निकाली हुई किसी सार्वजनिक मलनाली या नाली अथवा किसी जलप्रवाह या किसी मलकूप में अथवा नगरपालिका द्वारा अनुमोदित किसी अन्य उपयुक्त स्थान में न हो सके।

194. **समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित उपबन्ध.–** (1) किसी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर,–

(क) नया भवन निर्मित करने; या

(ख) भवन को पुनर्निर्मित करने या भवन में तात्विक परिवर्धन करने; या

(ग) भवन के किसी बहिर्गत भाग को निर्मित या पुनर्निर्मित करने; या

(घ) किसी भी प्रकार का कुंआ या बोरिंग बनाने या उसका विस्तार करने का आशय रखने वाला कोई व्यक्ति,

संनिर्माण आरम्भ करने के पूर्व उप–धारा (2) के अधीन अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विहित प्ररूप में नगरपालिका को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

**स्पष्टीकरण.–** पद ''तात्विक परिवर्धन'' से विद्यमान सेट बेक, कवरेज, ऊँचाई, भूमि उपयोग और पार्किंग क्षेत्र, जहां कहीं भी ऐसे पार्किंग क्षेत्र विधि के अधीन अनिवार्य हो, में कोई भी परिवर्तन अभिप्रेत है,

(2) (क) उप–धारा (1) में यथावर्णित आवेदन के साथ निम्नलिखित होगा, अर्थात्:–

(i) भूमि या, यथास्थिति, भवन के हक के समर्थन में सभी दस्तावेजों के साथ–साथ दस्तावेजों की असलियत और भूमि या भवन पर अविवादित हक के बारे में शपथ पर व्यक्तिगत शपथपत्र;

(ii) नगरपालिका में जमा करायी गयी विहित फीस की रसीद की फोटोप्रति;

(iii) नक्शे (भिन्न–भिन्न रंगों में प्रस्तावित कार्य का ब्यौरा दर्शाते हुए) और स्थल योजना की छह प्रतियां। नक्शे में विशेष रूप से संनिर्माण के विनिर्देश, भवन की ऊंचाई, अनुज्ञेय आवृत क्षेत्र, खुले स्थान, सैट बैक, पार्किंग स्थान, संवातन इत्यादि दर्शाया जायेगा; और

(iv) कोई अन्य सूचना या दस्तावेज जो नगरपालिका द्वारा अपने समाधान के लिए समय–समय पर अपेक्षित हो;

(ख) खण्ड (क) के अधीन अपेक्षित नक्शे, नगरपालिका, नगर सुधार न्यास, जयपुर विकास प्राधिकरण, राज्य के मुख्य नगर नियोजक द्वारा या समय–समय पर ऐसे प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा सशक्त किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत और अनुमोदित किये गये अर्हित वास्तुविद् या अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

(3) (क) नगरपालिका द्वारा हक के कागजातों की संवीक्षा यह सुनिश्चित किये जाने तक निर्बंधित रहनी चाहिए कि भूमि या, यथास्थिति, भवन, सरकार या किसी सार्वजनिक अभिकरण का नहीं है;

(ख) आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आवेदन की तारीख को आवेदक के पास भूमि या भवन का वैध कब्जा होना चाहिए:

परन्तु नगरपालिका द्वारा भवन निर्माण योजनाओं की मंजूरी आवेदक के पक्ष में किसी भी प्रकार से हक का सृजन करने की कोटि में नहीं आयेगी।

(4) (क) नगरपालिका उप–विधियों द्वारा यह उपबंध कर सकेगी कि उप–धारा (2) के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज इलैक्ट्रोनिक प्ररूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे;

(ख) नगरपालिका आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो मास की कालावधि के भीतर–भीतर आवेदन विनिश्चित करेगी और अपने लिखित आदेश से संसूचित करेगी। नगरपालिका या अनुज्ञा मंजूर करने के लिए सशक्त कोई भी प्राधिकारी या कोई

समिति नक्शा मंजूर करने या नामंजूर करने या उपांतरित करने अथवा ऐसी अन्य शर्तें या निर्बंधन अधिरोपित करने, जो आवश्यक समझे जायें, के लिए भी सक्षम होगी। ऐसे मामलों में, जहां नगरपालिका दो मास के भीतर–भीतर अपने विनिश्चय से संसूचित करने में विफल रहती है, वहां आवेदक, नगरपालिका को उस आशय का एक मास का स्पष्ट नोटिस देने के पश्चात् इसे दी हुई अनुज्ञा मानते हुए संनिर्माण कर सकेगा। तथापि, आवेदक और वास्तुविद् या अभियंता का यह उत्तरदायित्व होगा कि मानी गयी अनुज्ञा के समस्त मामलों में अधिनियम, नियमों और उप–विधियों के उपबन्धों का अतिक्रमण नहीं किया जाये।

(5) जहां उप–धारा (1) के अधीन प्रस्तुत किया गया आवेदन किसी बहु–मंजिला भवन अर्थात् पन्द्रह मीटर से अधिक की ऊँचाई वाला कोई भवन, या पांच सौ वर्ग मीटर से अधिक के क्षेत्र में कोई संस्थागत काम्प्लेक्स या व्यावसायिक काम्प्लेक्स से संबंधित हो तो नगरपालिका ईप्सित अनुज्ञा मंजूर करने से पूर्व राज्य सरकार के क्षेत्रीय नगर नियोजक की सलाह प्राप्त करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रस्तावित योजना और संनिर्माण नियमों, उप–विधियों और लोक सुविधा से असंगत नहीं है।

(6) (क) नगरपालिका इस धारा के अधीन प्रस्तुत आवेदन की शर्तों, निर्बंधनों, मानकों, विनिर्देशों और प्रक्रिया की रीति के सम्बन्ध में एकरूपता लागू करने के लिए धारा 339 और 340 के अधीन नियम और उप–विधियां विरचित करेगी;

(ख) जहां उप–धारा (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन गैर–आवासिक भवन, बहु–मंजिला भवन, काम्प्लेक्स, या तहखाने के संनिर्माण से संबंधित है, वहां नगरपालिका ईप्सित अनुज्ञा मंजूर करने के पूर्व उस क्षेत्र के नगर नियोजक की सलाह प्राप्त करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रस्तावित योजना और संनिर्माण नियमों, उप–विधियों और लोक सुविधा से असंगत नहीं है।

(7) (क) कोई भी व्यक्ति नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी भी प्रकार का संनिर्माण प्रारम्भ नहीं करेगा, और नगरपालिका सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो मास की कालावधि के भीतर–भीतर उसका आवेदन विनिश्चित करेगी;

(ख) यदि दो मास की कालावधि के भीतर–भीतर विनिश्चय से आवेदक को सूचित नहीं किया जाता है तो वह संनिर्माण आरम्भ करने के पूर्व उस कालावधि के भीतर–भीतर अपना आवेदन विनिश्चित करने की अपेक्षा करते हुए नगरपालिका को एक मास का स्पष्ट नोटिस देगा;

(ग) यदि नगरपालिका तब भी आवेदन का निपटारा करने में या कार्रवाई, जो उस मामले में की जा रही हो, की सूचना उस व्यक्ति को देने में विफल रहती है तो आवेदक इसे नगरपालिका की दी हुई अनुज्ञा मानते हुए संनिर्माण प्रारम्भ कर सकेगा किन्तु वह इस अधिनियम, और तदधीन बनाये गये नियमों

या उप–विधियों के किसी भी उपबंध का अतिक्रमण नहीं करेगा;

(घ) लिखित अनुज्ञा वहां अपेक्षित नहीं होगी, जहां किसी व्यक्ति ने उप–धारा (1) के अधीन 250 वर्गमीटर से कम के क्षेत्र पर के लिए आवेदन किया हो, प्रस्ताव प्रथम तल तक एकल आवासिक इकाई के संनिर्माण के लिए हो, और भवन की कुल ऊंचाई छत की मोटाई और किसी भी अन्य संरचना सहित सड़क की सतह से दस मीटर से अधिक न हो। तथापि, यह उपबंध किसी परकोटे वाले शहरी क्षेत्र में, जहां पृथक् उप–विधियां विद्यमान हैं या ऐसे किसी क्षेत्र में, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी हेरिटेज क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, लागू नहीं होगा।

(ङ) मुख्य नगरपालिक अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या अनुज्ञा प्रदान करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत समिति के अध्यक्ष को स्थल या भवन का निरीक्षण करने, और आवेदन विनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए किसी भी समय नापजोख करने, या यह सुनिश्चित करने, कि कार्य मंजूर की गयी योजना के अनुसार ही किया जा रहा है, की शक्ति होगी। मुख्य नगरपालिक अधिकारी भवन के निर्माण या पुनर्निर्माण के समय, मंजूर योजना और उसमें अधिरोपित शर्तों का अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा और ऐसे निर्माण या किसी

भी निर्माण जिससे मंजूर योजना का अतिक्रमण होता हो, को हटाने या दूर करने के लिए ऐसे व्यक्ति से कहना उसके लिए विधिपूर्ण होगा। जहां निर्माण अनुज्ञा के बिना किया जा रहा हो, वहां निर्माण रोकने के लिए संबंधित व्यक्ति को निदेशित करना भी मुख्य नगरपालिक अधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा ;

(च) इस धारा के उपबन्धों को प्रवर्तित करने के लिए सम्पूर्ण परिसर या उसके भाग को अभिगृहीत करना और अपने कब्जे में लेना और नोटिस में उसके द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए ऐसे परिसर का उपयोग प्रतिषिद्ध करना मुख्य नगरपालिक अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा।

(8) नगरपालिका किसी ऐसे आवेदन को विनिश्चित नहीं करेगी जिसमें भूमि के वर्तमान उपयोग का परिवर्तन अन्तर्वलित है और ऐसे परिवर्तन के लिए धारा 182 के अधीन अनुज्ञा की आवश्यकता है। इस उप–धारा में उल्लिखित आवेदनों को, आवेदक को सूचना देते हुए और उसे कार्य प्रारम्भ नहीं करने के निदेशों के साथ, राज्य सरकार को या संबंधित प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा।

(9) (क) 15 मीटर से अधिक की ऊँचाई वाले किसी भवन के पूर्ण होने के पश्चात् किन्तु इसके अधिभोग के पूर्व, भवन का स्वामी अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन (वास्तुविद्/अभियंता द्वारा सुरक्षा के प्रमाणपत्र और अन्य तथ्यों के सत्यापन के साथ) प्रस्तुत करेगा। मुख्य नगरपालिक अधिकारी, आवश्यक निरीक्षण की

व्यवस्था करने के पश्चात् ऐसा प्रमाणपत्र जारी करेगा या ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर उन त्रुटियों को, यदि कोई हों, जैसा उसे आवश्यक प्रतीत हो, हटाने के लिए कहेगा। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि आवेदक ने मंजूर नक्शे का उल्लंघन नहीं किया है। यह स्वामी का उत्तरदायित्व होगा कि अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना ऐसे भवन का अधिभोग न करे या अधिभोग किया जाना अनुज्ञात न करे;

(ख) जो कोई खण्ड (क) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो तीस हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा और उल्लंघन जारी रहने के मामले में, ऐसे उल्लंघन के प्रत्येक दिवस के लिए, जब तक ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पांच सौ रुपये से, दण्डित किया जायेगा।

(10) (क) यदि उप–धारा (1) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किये बिना, कोई व्यक्ति किसी प्रकार का निर्माण या पुनर्निर्माण प्रारम्भ करता है, जारी रखता है, या पूर्ण करता है, या किसी भवन या उसके भाग में कोई सारवान् परिवर्तन करता है, या भवन के ऐसे किसी बहिर्गत भाग को, निर्मित करता है या पुनः परिनिर्मित करता है, जिसके संबंध में नगरपालिका उस बहिर्गत भाग को हटाया जाना प्रवर्तित करने या सेट बेक की नियमित लाईन को प्रत्यावर्तित करने के लिए धारा 192 के अधीन

सशक्त है, या कुएं या बोरिंग के संनिर्माण या विस्तार करने में स्वयं को नियोजित करता है तो सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर, ऐसे सादा कारावास से, जो एक मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो तीन मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा;

(ख) यदि कोई व्यक्ति मंजूर योजना के उल्लंघन में या उस पर अधिरोपित मानकों, शर्तों, निर्बंधनों का अतिक्रमण करते हुए निर्माण या पुनर्निर्माण आरम्भ करता है, या जारी रखता है या पूर्ण करता है अथवा किसी भवन या उसके भाग में कोई तात्विक परिवर्तन करता है तो वह सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर, ऐसे सादा कारावास से, जो पन्द्रह दिवस से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पैंतालीस दिवस तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा, किन्तु जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा;

(ग) यदि कोई व्यक्ति, जिसने उप–धारा (1) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया है और उप–धारा (7) के खण्ड (घ) के अधीन उपबंधित सुविधा का उपयोग किया है, ऐसे संनिर्माण के लिए विहित शर्तों, निर्बंधनों और मानकों का उल्लंघन करता है तो वह सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर, ऐसे सादा कारावास से, जो पन्द्रह दिवस से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पैंतालीस

दिवस तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा, किन्तु जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा;

(घ) यदि यह पाया जाता है कि वास्तुविद् या अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित नक्शा इस धारा या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों, उप–विधियों या किये गये आदेशों के उपबन्धों से असंगत है तो नगरपालिका द्वारा ऐसे वास्तुविद् या अभियंता का नाम काली सूची में रख दिया जायेगा और नगरपालिका द्वारा उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जायेगा और वह सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर, ऐसे सादा कारावास से, जो एक मास से कम का नहीं होगा, किन्तु जो दो मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या प्रत्येक मामले में दोनों से, दण्डित किया जायेगा;

(ङ) यदि यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति ने नगरपालिका की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए गढ़े हुए या कूटरचित या मिथ्या दस्तावेजों को प्रस्तुत किया है अथवा गलत और मिथ्या कथन किया है अथवा शपथपत्र में तात्विक तथ्यों को छिपाया है तो वह सुसंगत विधियों के अधीन गढ़न, कपट और छिपाव के लिए अभियोजित किये जाने का दायी होगा। उक्त कार्य में लिप्त ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों, जिसमें नगरपालिका का पदाधिकारी, यदि कोई हो, सम्मिलित

है, के विरुद्ध अविलम्ब दाण्डिक कार्यवाहियां आरम्भ करना मुख्य नगरपालिक अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा;

(च) यदि उप–धारा (1) के अधीन प्राप्त आवेदन के निपटारे के लिए और उप–धारा (4) के खण्ड (ख) के अधीन प्राप्त किसी भी नोटिस के मामले में नियत कालावधि की जानबूझकर उपेक्षा की जाती है तो इस धारा के प्रवर्तन के लिए सशक्त अधिकारी या प्राधिकारी या इस प्रयोजन के लिए अभिलेख रखने वाला पदधारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। ऐसी उपेक्षा के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर, एक मास के सादा कारावास से या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा;

(छ) नगरपालिका का कोई कर्मचारी, जिसे क्षेत्र–विशेष के लिए कर्तव्य समनुदेशित किये गये हैं और इस धारा के उपबन्धों के उल्लंघन के मामले की रिपोर्ट करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे उल्लंघन की रिपोर्ट अविलम्ब उचित रूप से की गयी है और उसकी प्रविष्टि इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में कर दी गयी है तथा अप्राधिकृत निर्माण रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा और यदि यह साबित हो जाता है कि उसने ऐसे अप्राधिकृत निर्माण को रोकने में और उसकी रिपोर्ट करने में जानबूझकर उपेक्षा की है तो उसे धारा

245 की उप–धारा (18) के उपबन्धों के अनुसार दण्डित किया जायेगा;

(ज) नगरपालिका को, अनुज्ञा के बिना प्रारम्भ किये गये या मंजूर नक्शे के मानकों का अतिक्रमण करने वाले या आवेदन प्रस्तुत किये बिना किये गये किसी कार्य को रोकने की शक्ति होगी;

(झ) व्यतिक्रमी के अभियोजन के अतिरिक्त, नगरपालिका को ऐसे सम्पूर्ण संनिर्माण या उसके भाग को तोड़ डालने की शक्ति होगी, जिसे अनुज्ञा के बिना या अनुज्ञा का अतिक्रमण करते हुए किया गया है, या जहां अनुज्ञा इस धारा में यथावर्णित कपट इत्यादि द्वारा प्राप्त की गयी थी।

(11) कोई भी नगरपालिका शुष्क तहारतों के सन्निर्माण को अनुज्ञात नहीं करेगी और यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र में शुष्क तहारत का सन्निर्माण या संधारण करता है तो वह नगरपालिका उक्त तहारतों के ध्वंस हेतु कदम उठायेगी।

(12) नगरपालिका या उसके द्वारा सशक्त समिति के किसी आदेश या विहित प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर, ऐसे आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

195. **निवासियों के संगम द्वारा अपार्टमेन्ट काम्प्लेक्सों का रख–रखाव**.– (1) भवन–निर्माता या विकासकर्ता, साथ ही काम्प्लेक्स की इकाइयों के स्वामियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे, जैसे ही काम्प्लेक्स अधिभोग के लिए तैयार हो, काम्प्लेक्स के रख–रखाव के लिए, निवासियों

का एक संगम स्थापित करेंगे। भवन निर्माता के अन्य उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगे,–

(i) संनिर्माण की अनुज्ञा के लिए आवेदन करते समय, स्वामियों और निवासियों को पार्किंग स्थान सहित सामान्य सुविधाओं के ब्यौरे बताना;

(ii) काम्प्लेक्स के रख–रखाव के लिए एक निकाय निधि का गठन करना और उसे संगम के प्रवर्तन में आते ही, सौंपना;

(iii) सुरक्षा, भवन में उपलब्ध सामान्य सुविधाएं और उनका रख–रखाव संगम के प्रवर्तन में आते ही, यथाशीघ्र, उसे सौंपना;

(iv) संगम को निम्नलिखित दस्तावेज सौंपनाः–

(क) अनुमोदित भवन निर्माण योजना की प्रति और काम्प्लेक्स के संनिर्माण के लिए अनुज्ञा की मंजूरी वाला पत्र;

(ख) लिफ्ट, जल–प्रदाय उपस्कर, जेनरेटर या भवन में स्थापित किये गये अन्य किसी भी महत्वपूर्ण उपस्कर की वारण्टी दस्तावेजों की प्रतियां;

(ग) भूमि के स्वामी के साथ करार की प्रति, यदि कोई हो;

(घ) भवन में स्थापित किये गये मल–वहन और जल–प्रदाय के डिजाइन।

(2) नगरपालिका तब तक पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं करेगी जब तक कि उप–धारा (1) में वर्णित औपचारिकताएं भवन निर्माता या विकासकर्ता द्वारा पूरी नहीं कर ली गयी हैं।

**स्पष्टीकरण.–** इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(i) ''स्वामी'' से उस भूमि का स्वामी अभिप्रेत है जिस पर काम्प्लेक्स का संनिर्माण किया गया है और इसमें वह व्यक्ति, जिसने उस काम्प्लेक्स में रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा किसी इकाई को क्रय किया है, सम्मिलित है;

(ii) ''निवासी'' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वामी या भवन निर्माता के साथ किसी भी व्यवस्था के अधीन उस समय इकाई के अधिभोग में है;

(iii) ''निवासियों का संगम'' से किसी काम्प्लेक्स के स्वामियों और निवासियों का सुसंगत विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत संगम, जिसे काम्प्लेक्स के रख–रखाव के लिए स्थापित किया गया है, अभिप्रेत है।

196. **अनुज्ञा और संनिर्माण की विशिष्टियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाना.–** (1) नगरपालिक क्षेत्र के भीतर, कोई संनिर्माण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति या अभिकरण, कोई भी निर्माण आरंभ करने के पूर्व, प्रस्तावित संनिर्माण से संबंधित निम्नलिखित विशिष्टियां, भवन–स्थल पर किसी प्रमुख स्थान पर जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाये, कार्ड बोर्ड या सादे कागज को छोड़कर, जब तक कि नगरपालिका द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाये, किसी भी दृढ़ पदार्थ से बने 4 x 4 फुट के आकार के बोर्ड पर प्रदर्शित करेगाः–

(i) संनिर्माण करने वाले व्यक्ति या अभिकरण का नाम, पता और टेलीफोन नम्बर, यदि कोई हो, सहित;

(ii) भवन–स्थल की विशिष्टियां जिनमें स्वामी का नाम, पता और टेलीफोन नम्बर, यदि कोई हों, सम्मिलित हैं;

(iii) नगरपालिका या किसी भी अन्य प्राधिकारी या नगर सुधार न्यास से प्राप्त की गयी अनुज्ञा का संख्यांक और तारीख, यदि अपेक्षित हो;

(iv) प्रस्तावित संनिर्माण की प्रमुख विशिष्टियां अर्थात् प्रस्तावित उपयोग, तलों की कुल संख्या, इकाइयों की संख्या, संनिर्माण का वर्ग फुट में प्रस्तावित क्षेत्र, सार्वजनिक पार्किंग इकाइयों की संख्या;

(v) संनिर्माण प्रारंभ करने और समाप्त करने की तारीख; और

(vi) भवन निर्माण की अनुज्ञा अपेक्षित न होने के मामले में कारण।

(2) जो कोई भी उप–धारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा।

197. **मरम्मत इत्यादि के दौरान होर्डिंग लगाना**.– (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसी स्थिति या ऐसी परिस्थितियों में किसी भवन के निर्माण का या किसी भवन को गिराने का या किसी भवन के बाह्य भाग को परिवर्तित करने या उसकी मरम्मत करने का आशय रखता है, कि उस कार्य से किसी मार्ग में बाधा, खतरा, असुविधा होने की संभावना है या हो सकती है तो वह ऐसा कार्य आरंभ करने से पूर्व–

(क) ऐसा करने के लिए नगरपालिका से पहले लिखित अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा, और

(ख) मार्ग से उस भवन को, जहां पर ऐसे कार्य किये जा रहे हैं, अलग रखने के लिए, पर्याप्त होर्डिंग या बाड़ लगवायेगा और ऐसे समय के दौरान जो लोक सुरक्षा या सुविधा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी बाड़ या होर्डिंग को नगरपालिका के समाधानप्रद रूप में खड़ी हुई और अच्छी हालत में

रखेगा और उसे रात्रि में पर्याप्त रूप से प्रकाशित करवायेगा और जब नगरपालिका द्वारा निदिष्ट किया जाये तो उसे हटा देगा।

(2) जो कोई भी इस धारा के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है वह ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा और प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिवस या, यथास्थिति, रात्रि के लिए, जिसको ऐसा उल्लंघन जारी रहता है ऐसे और जुर्माने से, जो पचास रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

198. **सुख–सुविधाओं के रख–रखाव का उत्तदायित्व लेना.**– तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी नगरपालिका, किसी प्राधिकारी, अभिकरण या व्यक्ति द्वारा किसी भी स्कीम या कालोनी में उपलब्ध करवायी गयी सुख–सुविधाओं के रख–रखाव का कोई भी उत्तदायित्व तब तक नहीं लेगी जब तक कि–

(i) ऐसी सुख–सुविधाओं की योजनाओं, विनिर्देशों और डिजाइनों सहित समस्त सुसंगत अभिलेख नगरपालिका को प्रस्तुत न कर दिया जाये; और

(ii) नगरपालिका का यह समाधान न हो जाये कि ऐसी सुख–सुविधाएं इस निमित्त तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के उपबंधों के अनुसार विकसित या संनिर्मित की गयी हैं:

परन्तु यदि नगरपालिका, उसको प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की परीक्षा पर, या सुख–सुविधाओं के निरीक्षण पर यह पाती है कि सुख–सुविधाओं के संनिर्माण या प्रचालन में ऐसी कमियां हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है तो वह उस प्राधिकारी, अभिकरण या व्यक्ति से, जिसने ऐसी

स्कीम या कालोनी विकसित की है, कमियों को नगरपालिका के समाधानप्रद रूप में सुधारने या नगरपालिका को ऐसे कमी–प्रभारों का संदाय करने की अपेक्षा करेगी, जिन्हें नगरपालिका ऐसी कमी को सुधारने के लिए उचित समझे और कमियों के सुधार लेने पर या, यथास्थिति, कमी के प्रभार के संदाय पर, नगरपालिका ऐसी सुख–सुविधाओं के रख–रखाव का उत्तदायित्व फिर से आरंभ कर सकेगी।

**स्पष्टीकरण**.– इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''सुख–सुविधाओं'' में सड़कें, पुल, संसूचना के कोई भी अन्य साधन, परिवहन, मार्ग, खुले स्थान, उद्यान, मनोरंजन के मैदान, खेल के मैदान, जल, गैस और विद्युत प्रदाय, और ऊर्जा के स्रोत, मार्ग की प्रकाश व्यवस्था, मल–वहन, जल–निकास, सफाई, लोक कार्य, और ऐसी अन्य उपयोगिताएं, सेवाएं और सुविधाएं सम्मिलित हैं जिन्हें राज्य सरकार, नगरपालिका के परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कोई सुख–सुविधा होना विनिर्दिष्ट करे।

199. **अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों का सौंपा या ग्रहण किया जाना**.– कोई भी नगरपालिका, किसी भी अन्य प्राधिकारी, अभिकरण या व्यक्ति द्वारा विकसित की गयी किसी स्कीम या कालोनी का ग्रहण तब तक नहीं करेगी जब तक कि उसकी योजनाएं नगरपालिका द्वारा अग्रिम तौर पर अनुमोदित न कर दी गयी हों और अन्य मामलों में स्कीम या कालोनी, विद्यमान विधियों और नियमों के अनुसार न हो। नगरपालिका स्वयं का यह समाधान भी करेगी कि विहित सुख–सुविधाएं पहले से ही धारा 198 में उपदर्शितानुसार उपलब्ध करवा दी गयी हैं या आवश्यक कमी–प्रभार संदत्त कर दिये गये हैं और हक का सबूत, ऐसी स्कीमों या कालोनियों की योजनाएं, विनिर्देश और डिजाइनों को सम्मिलित करते हुए समस्त सुसंगत अभिलेख नगरपालिका को प्रस्तुत कर दिये गये हैं। नगरपालिका को, इस प्रकार के ग्रहण के पश्चात्, स्कीम के उपबंधों के

अनुसार कालोनी में सम्मिलित समस्त संपत्तियों के व्ययन के पूरे अधिकार होंगे। ऐसी समस्त स्कीमें, कालोनियां और सुख–सुविधाएं, ऐसे ग्रहण के पश्चात् नगरपालिका में निहित होंगी।

## अध्याय 12

## नगरपालिक शक्तियां और अपराध

**200. नालियों आदि पर नगरपालिका का नियंत्रण**.– (1) नगरपालिका के भीतर समस्त मलनालियां, नालियां, शौचालय, फ्लश शौचालय, घरों की नालियां और मलकूप नगरपालिका के सर्वेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

(2) समस्त ढकी हुई मलनालियों और नालियों तथा समस्त मलकूपों, चाहे वे सार्वजनिक हों या निजी, के लिए नगरपालिका या अन्य व्यक्ति द्वारा, जिनके वे पृथक्–पृथक् स्वामित्व में हों, उचित जालियों या अन्य ढक्कनों या संवातन के साधनों की व्यवस्था की जायेगी, और नगरपालिका, लिखित नोटिस द्वारा, ऐसी किन्हीं ढकी हुई मल–नालियों, नालियों या मलकूपों के स्वामी से तदनुसार व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सकेगी।

201. **नालियां आदि बनाने की शक्तियां**.– (1) किसी जल–निकास स्कीम को क्रियान्वित करने के लिए, किसी मार्ग या मार्ग के रूप में अभिन्यस्त या मार्ग के लिए आशयित किसी स्थान में होकर, उसके आर–पार या उसके नीचे से, अथवा किसी मार्ग के नीचे स्थित किसी गोदाम या तहखाने के नीचे से और स्वामी या अधिभोगी को लिखित रूप में युक्तियुक्त नोटिस देने के पश्चात् नगरपालिका के भीतर किसी भी भूमि में, उसमें से होकर या उसके नीचे से कोई नाली, मलनाली, नलिका, सुरंग, पुलिया, पाइप या जल मार्ग ले जाना, नगरपालिका के लिए विधिपूर्ण होगा।

(2) नगरपालिका या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कोई भी अधिकारी, ऐसी किसी भूमि पर जिस पर नगरपालिका में निहित कोई नाली पहले से ही बनी हुई है, प्रवेश कर सकेगा और विद्यमान नाली के स्थान पर नयी नाली बनवा सकेगा अथवा नगरपालिका में निहित किसी नाली की मरम्मत या उसमें परिवर्तन कर सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए कोई अनावश्यक नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा और ऐसे व्यक्ति को जिसे ऐसी शक्ति के प्रयोग से नुकसान हुआ हो, नगरपालिका द्वारा प्रतिकर संदत्त किया जायेगा, जो विवाद की दशा में धारा 295 में उपबंधित रीति से अभिनिश्चित और अवधारित किया जायेगा।

202. **भवन से प्रभावी जल–निकास**.– (1) किसी भवन का निर्माण या किसी भवन का पुनर्निर्माण करना या किसी नवनिर्मित या पुननिर्मित किये जाने वाले भवन को अधिभोग में लेना, तब तक विधिपूर्ण नहीं होगा जब तक–

(क) ऐसे आकार, सामग्री और प्रकार की, ऐसी सतह पर और ऐसे ढलान की, जो ऐसे भवन से प्रभावी जल–निकास के लिए नगरपालिका को आवश्यक प्रतीत हो, कोई नाली नहीं बनायी जाये;

(ख) ऐसे भवन और उससे अनुलग्न भूमि के लिए और उसमें, ऐसे सभी साधित्रों और फिटिंग्स की, जो नगरपालिका को उक्त भवन और उक्त भूमि के जल–निकास को एकत्र करने और ग्रहण करने और उसे दूर ले जाने और उक्त भवन और उससे संबंधित प्रत्येक फिक्सचर की नाली को प्रभावी रीति से फ्लश करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक प्रतीत हों, व्यवस्था न कर दी गयी हो।

(2) पूर्वोक्त रीति से बनायी जाने वाली नाली, नगरपालिका की नाली में या ऐसे स्थान में, जो ऐसे भवन से पचास फुट से अधिक की दूरी पर स्थित न हो और जो जल–निकास के निस्सारण के लिए विधिक रूप से नियत हो, गिरेगी किन्तु यदि ऐसी दूरी के भीतर ऐसी नाली या स्थान न हो तो ऐसी नाली ऐसे मलकूप में गिरेगी जिसके लिए नगरपालिका निदेश दे।

(3) पूर्ववर्ती उप–धाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी प्रसाधन कक्ष, रसोई और स्नानघर से अपशिष्ट जल के समुचित निस्सारण के लिए मल–वहन प्रणाली के क्षेत्र से, जैसे ही वह किसी अभिकरण द्वारा उस क्षेत्र में स्थापित की जाये, विहित रीति से संबंध प्राप्त करना किसी भी भवन या भूमि के प्रत्येक स्वामी या अधिभोगी के लिए आज्ञापक होगा ।

(4) जहां कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के अधीन दिये गये नगरपालिकाओं के निदेशों की अवज्ञा करता है, वह दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

203. **भवनों या भूमियों के स्वामियों और अधिभोगियों का नगरपालिका की नालियों में उत्सारण करने का अधिकार.**– नगरपालिका के भीतर किसी भवन या भूमि का स्वामी या अधिभोगी अपनी नाली नगरपालिका की मल–नालियों में गिराने का हकदार होगा, बशर्ते कि वह पहले नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा प्राप्त कर ले और ऐसी शर्तों का पालन करे जो नगरपालिका वह ढंग, जिससे और अधीक्षण, जिसके अधीन उन नालियों, जो नगरपालिका में निहित नहीं हैं और उन नालियों, जो नगरपालिका में इस प्रकार निहित हैं, के बीच संचार को विहित करे।

204. **मल और वर्षा–जल की नालियों का पृथक्–पृथक् होना.**– जब कभी अधिनियम में यह उपबंधित हो कि किसी परिसर के प्रभावी जल–निकास के लिए कार्यवाही की जाये तो नगरपालिका यह अपेक्षा कर

सकेगी कि एक नाली घृणोत्पादक पदार्थ और मल के लिए हो और दूसरी नाली वर्षा–जल और अदूषित अधोमृदा–जल के लिए हो और उनमें से प्रत्येक नाली, नगरपालिका की पृथक्–पृथक् नालियों में या नगरपालिका द्वारा जल–निकास के निस्सारण के लिए अन्य स्थानों में या अन्य उपयुक्त स्थानों में गिरे।

205. **अन्य व्यक्ति की भूमि पर से या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार.–नगरपालिका द्वारा कैसे और किन शर्तों पर प्राधिकृत किया जायेगा.**– (1) यदि किसी भवन या भूमि का स्वामी या अधिभोगी, नगरपालिका के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दे कि वह किसी अन्य व्यक्ति की या उसके अधिभोग में या उपयोग में की किसी भूमि में होकर नाली बनाने से अन्यथा उसे नगरपालिक नाली से संसक्त नहीं कर सकता तो नगरपालिका, ऐसे अन्य व्यक्ति को उस आवेदन के संबंध में कोई आक्षेप करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और यदि कोई आक्षेप न किया जाये और यदि कोई आक्षेप किया जाये तो ऐसा आक्षेप नगरपालिका की राय में अपर्याप्त हो, लिखित आदेश द्वारा प्रथम–वर्णित स्वामी या अधिभोगी को अपनी नाली उक्त भूमि में, उसमें से होकर, या उसके नीचे से या, यथास्थिति, उक्त नाली में ले जाने के लिए किराए या प्रतिकर के संदाय के विषय में और उक्त नाली के रख–रखाव, मरम्मत, फ्लशिंग, सफाई और खाली करने के पक्षकारों के अपने–अपने उत्तरदायित्वों के विषय में ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों पर, जो उसे पर्याप्त और समतायुक्त प्रतीत हों, ले जाने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।

(2) ऐसा प्रत्येक आदेश, ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पक्ष में वह किया जाये या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियोजित किसी अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति के लिए, उक्त भूमि या नाली के स्वामी या अधिभोगी को उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट प्रतिकर या किराया, यदि कोई हो,

देने या निविदत्त करने के पश्चात् और उक्त आदेश की शर्तों को यथासम्भव अन्यथा पूरी करने पर और उक्त स्वामी या अधिभोगी को उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट भूमि पर सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच अपने सहायकों और कर्मकारों के साथ किसी समय प्रवेश करने का युक्तियुक्त लिखित नोटिस देने के पश्चात् और इस अधिनियम के समस्त उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए ऐसे सभी कार्य करने और ऐसे सभी संनिर्माण कार्य निष्पादित करने का पूर्ण प्राधिकार होगा जो–

(क) नाली के संनिर्माण या उसे संसक्त करने के लिए, जैसा उक्त आदेश द्वारा प्राधिकृत किया जाये; या

(ख) आदेश के निबन्धनों के अधीन उक्त नाली या उसके किसी भाग के रख–रखाव, मरम्मत, फ्लशिंग, उसकी सफाई या उसे खाली करने संबंधी उसके किसी उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हों।

206. **संकर्म किस प्रकार किया जाना है**.– धारा 205 के अधीन कोई संकर्म इस प्रकार निष्पादित किया जायेगा जिससे नुकसान यथासम्भव कम से कम हो और उस भवन या भूमि का स्वामी या अधिभोगी, जिसके फायदे के लिए संकर्म किया जाता है–

(क) संकर्म को यथासाध्य अविलम्ब निष्पादित करवायेगा,

(ख) उक्त संकर्म को निष्पादित करने के प्रयोजन के लिए भूमि या किसी भवन या अन्य संनिर्माण के खोले गये, तोड़े गये या हटाये गये किसी भाग को अपने खर्चे से और यथासाध्य अविलम्ब भरेगा, पुनः स्थापित करेगा और पूर्व दशा में लायेगा, और

(ग) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसे उक्त संकर्म के निष्पादन से नुकसान पहुंचे, प्रतिकर देगा।

207. **जिस भूमि पर से नाली ले जायी जाये उस पर पश्चात्वर्ती भवन निर्माण के संबंध में उसके स्वामी का अधिकार**.– यदि ऐसी किसी भूमि का स्वामी, जिसमें, जिस पर या जिसके नीचे से धारा 205 के अधीन कोई नाली उस समय ले जायी गयी हो जब उस भूमि पर कोई निर्माण नहीं किया गया था, किसी पश्चात्वर्ती समय पर उस भूमि पर कोई भवन निर्मित करना चाहे तो नगरपालिका, यदि वह ऐसे भवन निर्माण की मंजूरी देती है, उस भवन या भूमि के स्वामी या अधिभोगी को, जिसके फायदे के लिए वह नाली बनायी गयी थी, उस नाली को बन्द करने, हटाने या उसकी दिशा बदलने के लिए तथा प्रस्तावित भवन का निर्माण या उसका सुरक्षित उपभोग निश्चित करने के लिए उस भूमि को ऐसी रीति से, जो नगरपालिका आवश्यक समझे, भरने, पुनः स्थापित करने तथा पूर्व दशा में लाने की अपेक्षा करते हुए लिखित नोटिस दे सकेगी और भवन का निर्माण करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति से भी उसे लिखित नोटिस देकर अपेक्षा कर सकेगी कि वह उस नाली को ध्यान में रखते हुए भवन के स्थल में या भवन के निर्माण के ब्यौरों में ऐसे परिवर्तन ऐसे निबन्धनों पर कर ले जो नगरपालिका नाली को संसक्त रखने के लिए आवश्यक समझे।

208. **शौचालयों आदि की व्यवस्था.–** (1) जहां नगरपालिका की यह राय हो कि किसी–किसी भवन में या भूमि पर शौचालय या मलकूप या अतिरिक्त शौचालयों या मलकूपों की व्यवस्था की जानी चाहिए या किसी नगरपालिका में, जिसमें फ्लश शौचालय पद्धति आरम्भ की गयी है, किसी भवन में या भूमि पर विद्यमान शौचालयों या मलकूपों के स्थान पर फ्लश शौचालय प्रतिस्थापित किये जाने चाहिए या उनमें या उन पर अतिरिक्त फ्लश शौचालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए वहां नगरपालिका, ऐसे भवन या भूमि के स्वामी को लिखित नोटिस देकर ऐसे शौचालयों, मलकूपों या फ्लश शौचालयों की, जो नगरपालिका उचित समझे, व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सकेगी।

(2) नगरपालिका लिखित नोटिस द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से जो बीस से अधिक कर्मकारों या श्रमिकों को नियोजित करते हों या जो किसी बाजार, विद्यालय या नाट्यशाला अथवा सार्वजनिक समागम के किसी अन्य स्थान के स्वामी अथवा प्रबन्धक हों, यह अपेक्षा कर सकेगी कि वे ऐसे तहारतों और मूत्रालयों की व्यवस्था करें, जैसा नगरपालिका निदेश दे तथा उनका उचित प्रकार से रख–रखाव करें और प्रतिदिवस साफ करायें।

(3) नगरपालिका लिखित नोटिस द्वारा किसी ऐसी भूमि के, जिस पर कोई शौचालय हो, स्वामी या अधिभोगी से अपेक्षा कर सकेगी कि वह पड़ौसियों या मार्ग में आने जाने वाले व्यक्तियों या पड़ोस के निवासियों की दृष्टि से छिपा हुआ रखने के लिए ऐसे शौचालय को पर्याप्त छत या दीवार या घेरे द्वारा बन्द कर दे अथवा किसी शौचालय द्वार या छंद द्वार में जो किसी मार्ग की ओर खुलता हो और जिसे वह न्यूसेन्स समझती हो, ऐसा परिवर्तन करे जैसा वह निदेश दे।

(4) किसी भी व्यक्ति को उसके शौचालय से विष्ठा, नगरपालिका की नाली में या उसकी प्राइवेट नाली में बहाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(5) इस धारा के अधीन दिये गये नगरपालिका के निदेश की अवज्ञा करने वाला कोई भी व्यक्ति इस धारा के अधीन दोषसिद्धि पर ऐसे सादा कारावास से, जो एक मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो मास तक का हो सकेगा, और जुर्माने से, जो दो हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

**209. कारखानों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों में तहारत और मूत्रालय का निर्माण.**– (1) नगरपालिका व्यावसायिक काम्प्लेक्सों, विद्यालयों, प्राइवेट अस्पतालों, होटलों, रेस्टोरेंटों, विश्राम गृहों, बाजारों, सामुदायिक

केन्द्रों, विवाह हॉलों, सिनेमा हॉलों, सभा भवनों, क्लबों, मनोरंजन केन्द्रों, मनोरंजन पार्कों, और अन्य ऐसे प्राइवेट स्थानों के स्वामी, अधिभोगी या नियंत्रक को ऐसे स्थानों के उपयोक्ताओं की सुविधा के लिए पर्याप्त तहारत और मूत्रालय निर्मित करने के लिए नोटिस दे सकेगी, जिसे नगरपालिक प्राधिकारी उपयुक्त समझे। ऐसे तहारत और मूत्रालय को साफ व गंधहीन बनाये रखने या रखने के लिए ऐसे स्थानों के प्रबंधन को निदेशित करना भी मुख्य नगरपालिक अधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा। मुख्य नगरपालिक अधिकारी को ऐसे स्थानों के प्रबंधन को महिलाओं के लिए अलग से तहारतों और मूत्रालयों के रख–रखाव के लिए भी निदेश करना चाहिए।

(2) मुख्य नगरपालिक अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी समय–समय पर ऐसे तहारत/मूत्रालय में यह सुनिश्चित करने के लिए जायेंगे कि स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

(3) ऐसे स्थानों का प्रबंधन इस संबंध में मुख्य नगरपालिक अधिकारी के आदेशों और निदेशों का पालन करने के लिए आबद्ध होगा ।

(4) ऐसे स्थानों का प्रभारी व्यक्ति दोषसिद्धि होने पर ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा, जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो मुख्य नगरपालिक अधिकारी के आदेशों या निदेशों की अननुपालना के मामले में बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा।

210. **शौचालयों आदि में परिवर्तन करने, उनकी मरम्मत करने और उनको ठीक दशा में रखने का खर्चा.**– (1) नगरपालिका के भीतर स्थित समस्त मल–नालियां, नालियां, शौचालय, फ्लश शौचालय, गृह–नालियां और मलकूप जब तक कि वे नगरपालिका के खर्चे से न बनाये गये हों, उस भूमि या भवन के स्वामी, जिसके वे हैं अथवा जिसके उपयोग के लिए वे बनाये गये हों या चालू रखे जाते हों, के खर्चे से तथा उसके प्रभारों पर

उन्हें परिवर्तित किया जायेगा, उनकी मरम्मत की जायेगी तथा उन्हें ठीक दशा में रखा जायेगा और नगरपालिका लिखित नोटिस द्वारा ऐसे स्वामी से अपेक्षा कर सकेगी कि वह, ऐसी रीति से, जो नगरपालिका ठीक समझे, उनमें परिवर्तन करे, उनकी मरम्मत करे तथा उनको ठीक दशा में रखे।

(2) नगरपालिका लिखित नोटिस द्वारा स्वामी से किसी ऐसे शौचालय या मलकूप को तोड़ देने या बन्द करने की अपेक्षा कर सकेगी, चाहे वह इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व बनाया गया हो या पश्चात्, जो नगरपालिका की राय में, न्यूसेन्स हो अथवा इस प्रकार निर्मित हो कि जिसे समुचित रूप से साफ नहीं किया जा सकता हो या जिसे ठीक दशा में नहीं रखा जा सकता हो।

211. **विद्यमान प्राइवेट नालियों को बन्द करने की शक्ति**.– जब नगरपालिका के भीतर स्थित किसी भवन या भूमि की कोई नाली किसी मलकूप या मल–नाली से संसक्त हो तो नगरपालिका, यदि वह समझे कि ऐसी नाली यद्यपि ऐसे भवन या भूमि के जल–निकास के लिए पर्याप्त हो और जो यद्यपि अन्यथा आपत्तिजनक न हो, नगरपालिका की मल–वहन की सामान्य पद्धति के अनुकूल नहीं है, तब ऐसे भवन या भूमि के जल–निकास के लिए समान रूप से प्रभावी नाली या नालियों की व्यवस्था करके ऐसी नाली तथा ऐसे मलकूप या मल–नाली को बन्द कर सकेगी, चाहे वह नगरपालिका में निहित भूमि में हो या न हो और नगरपालिका इस प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई भी कार्य कर सकेगी।

212. **अप्राधिकृत रीति से निर्मित, पुनर्निर्मित या जारी रखी जाने वाली मल–नालियों के संबंध में शक्ति**.– यदि कोई नगरपालिक सीमाओं के भीतर की किसी भूमि पर–

(क) नगरपालिका की सम्मति के बिना अथवा उसके आदेशों, निदेशों, साधारण उप–विधियों या नगरपालिका की उप–विधियों के प्रतिकूल या उस समय, जबकि मल–नाली

का ऐसा निर्माण, पुनर्निर्माण या उसे जारी रखने का काम किया जाये, प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के प्रतिकूल, और

(ख) ऐसी भूमि के नगरपालिका का भाग होने के पश्चात्, किसी मलनाली, नाली, शौचालय, फ्लश–शौचालय, गृहनाली या मलकूप का निर्माण या पुनर्निर्माण करे या उसे जारी रखे तो नगरपालिका लिखित नोटिस द्वारा प्रत्येक ऐसे व्यक्ति से, जिसने ऐसा निर्माण, पुनर्निर्माण या जारी रखने का काम किया हो, यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसी मलनाली, नाली, शौचालयों, फ्लश–शौचालय, गृह–गली या मलकूप को, जैसा भी नगरपालिका उचित समझे, नष्ट, संशोधित या परिवर्तित कर दे, भले ही ऐसा व्यक्ति ऐसा नोटिस प्राप्त करे या न करे, या उसका अनुपालन करे या न करे, ऐसी शास्ति जिसका वह ऐसे अननुपालन के लिए दायी हो, के अतिरिक्त ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम का नहीं होगा, किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

213. **नगरपालिका की नालियों आदि का अतिक्रमण**.– (1) जो कोई नगरपालिका की लिखित पूर्व सम्मति प्राप्त किये बिना, नगरपालिका में निहित किन्हीं मलनालियों या नालियों में से किसी में जाने वाली या उसके बाहर निकलने वाली कोई नाली बनाता है या बनवाता है तो उसे जुर्माने से, दण्डित किया जा सकेगा, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा और नगरपालिका लिखित नोटिस देकर उस व्यक्ति से ऐसी नाली को तोड़ने, परिवर्तित करने या पुननिर्मित करने या उसके सम्बन्ध में अन्य कोई कार्रवाई करने की, जैसा कि नगरपालिका ठीक समझे, अपेक्षा कर सकेगी।

(2) नगरपालिका की लिखित सम्मति के बिना नगरपालिका में निहित किसी मलनाली, नाली, पुलिया या गटर के ऊपर किसी भवन का नवनिर्माण या पुनर्निर्माण नहीं किया जायेगा और नगरपालिका लिखित नोटिस देकर उस व्यक्ति से, जिसने ऐसे भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण किया हो, उस भवन को गिराने या उसके सम्बन्ध में अन्य किसी प्रकार की कार्रवाई करने की, जैसा नगरपालिका ठीक समझे, अपेक्षा कर सकेगी।

214. **नालियों आदि का निरीक्षण**.– (1) मुख्य नगरपालिक अधिकारी या उसके द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, किसी मलनाली, नाली, शौचालय, फ्लश शौचालय, गृहनाली या मलकूप का निरीक्षण कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच किसी भी समय अपने सहायकों और कर्मकारों के साथ किसी भी भूमि पर या भवन में प्रवेश कर सकेगा और यथासंभव कम से कम नुकसान करते हुए उस जगह जहां वह ठीक समझे, भूमि को खुदवा सकेगा।

(2) ऐसे निरीक्षण का तथा जमीन भरवाने और उसे पहले जैसी कराने का खर्चा जब तक कि मलनाली, नाली, शौचालय, फ्लश–शौचालय, गृहनाली या मलकूप अव्यवस्थित दशा या खराब हालत में न पाया जाये अथवा उसका निर्माण तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति या नगरपालिका की किसी भी उप–विधि के उपबन्धों के उल्लंघन में न किया गया हो तो नगरपालिका द्वारा उठाया जायेगा, अन्यथा कुल खर्चों के दस प्रतिशत की दर से प्रशासनिक और पर्यवेक्षण प्रभारों सहित वह खर्चा ऐसी मलनाली, नाली, शौचालय, फ्लश–शौचालय, गृहनाली या मलकूप के स्वामी द्वारा संदत्त किया जायेगा और उसी रीति से वसूलीय होगा जैसा इस अधिनियम के अधीन वसूलीय किसी कर के मद्धे दावाकृत किसी रकम की वसूली होती है।

215. **कतिपय संकर्मों को स्वामी से कराने के बजाय स्वयं निष्पादित करने की नगरपालिका की शक्ति**.– (1) नगरपालिका, यदि वह उचित समझे तो इस प्रकार की प्रकृति के किसी कार्य को जिस पर यह अध्याय लागू होता है, उस व्यक्ति को जो अन्यथा उसका निष्पादन करता, पहले करने का विकल्प न देकर अपने आदेशाधीन किसी नगरपालिक या अन्य अभिकरण द्वारा निष्पादित करा सकेगी।

(2) इस प्रकार किये गये किसी कार्य का, कुल खर्चों के दस प्रतिशत की दर से प्रशासनिक और पर्यवेक्षण प्रभारों सहित खर्चा पूर्वोक्त व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जायेगा, जब तक कि नगरपालिका किसी सामान्य या विशेष आदेश या संकल्प द्वारा, ऐसे कार्य का निष्पादन नगरपालिक निधि से किये जाने की मंजूरी न दे, जैसी मंजूरी देने के लिए उसे इसके द्वारा सशक्त किया जाता है।

(3) प्राइवेट भवनों या भूमियों के जलनिकास के लिए या उससे संसक्त कोई पाइप, फिटिंग्स, आधान या अन्य साधित्र, यदि वे नगरपालिका के खर्चे पर प्रदत्त किये, निर्मित किये या बनाये गये हों तो वे तब तक नगरपालिका की सम्पत्ति समझे जायेंगे जब तक कि नगरपालिका उनमें अपने हित को ऐसे भवनों या भूमियों के मालिकों को अन्तरित नहीं कर देती।

216. **जल–प्रणाल आदि ले जाने की शक्ति**.– राज्य सरकार का जलप्रदाय विभाग या, यथास्थिति, नगरपालिका को, जिसमें नगरपालिका को जलप्रदाय करने के लिए जलप्रदाय संबंधी कार्यों का निर्माण तथा रख–रखाव का कर्तव्य निहित है, नगरपालिका के भीतर या बाहर जल–प्रणाल, पाइप और प्रणालिका ले जाने, उसे नवीकृत करने और उसकी मरम्मत करने के बारे में वही शक्तियां प्राप्त होंगी और वह उन्हीं निर्बन्धनों के अधीन होगी जो नगरपालिका के भीतर नालियों को ले जाने उन्हें नवीकृत करने और उनकी मरम्मत करने के लिए इस अधिनियम में

अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन नगरपालिका को प्राप्त हैं और जिन उपबंधों के अधीन नगरपालिका है।

217. **व्यवसायिक बहिःस्राव के संबंध में विशिष्ट उपबंध.**– इस अधिनियम के उपबंधों और तदधीन बनायी गयी उप–विधियों और तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अध्यधीन रहते हुए, किसी भी व्यवसायिक परिसर का अधिभोगी, नगरपालिका के अनुमोदन से या, इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी उप–विधियों या तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि द्वारा जहां तक अनुज्ञात किया जाये, ऐसे अनुमोदन के बिना, नगरपालिका की नाली में, ऐसे परिसरों से होने वाले कोई व्यवसायिक बहिःस्राव का निस्सारण कर सकेगा।

218. **व्यवसायिक बहिःस्राव के जलनिकास से संबंधित विशेष उपबंध**.– इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या उप–विधियों या किसी रूढ़ि, प्रथा या करार में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, जहां मुख्य नगरपालिक अधिकारी की राय में–

(i) कोई भी व्यवसायिक परिसर प्रभावी जलनिकास के समुचित साधनों और व्यवसायिक बहिःस्राव के पर्याप्त उपाय के बिना है; या

(ii) उसकी नालियां, यद्यपि अन्यथा आपत्तिकारक नहीं है, उन्हें नगरपालिक क्षेत्र की सामान्य जलनिकास प्रणाली में मिलाया नहीं गया है; या

(iii) बहिःस्राव विनिर्दिष्ट शुद्धता का नहीं है,

वहां मुख्य नगरपालिक अधिकारी, लिखित नोटिस द्वारा ऐसे परिसर के स्वामी या अधिभोगी से अपेक्षा कर सकेगा कि–

(क) व्यवसायिक बहिःस्राव का निस्सारण ऐसी रीति से, ऐसे समय पर, ऐसी नालियों में होकर और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की गयी

हों, किया जाये और नोटिस के अनुसार से अन्यथा बहिःस्राव के निस्सारण को रोक दे,

(ख) किसी नगरपालिक नाली में निस्सारण से पूर्व व्यवसायिक बहिःस्राव का शोधन करे और व्यवसायिक बहिःस्राव के शोधन के लिए ऐसे साधित्र, उपकरण, फिटिंग और संयंत्र स्थापित करे जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किये जायें,

(ग) ऐसी सामग्री, आकार और विवरण की नाली का निर्माण करे, और ऐसे स्तर पर और ऐसे संरेखण के अनुसार और ऐसे ढलान और निकास के साथ लगाये, जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाये,

(घ) किसी शोधन संयंत्र, विद्यमान नाली, उपकरण, संयंत्र–फिटिंग या किसी भी नगरपाालिक या गृह–नाली के संबंध में प्रयुक्त वस्तु में परिवर्तन, संशोधन, मरम्मत या नवीकरण करे।

219. **जल–प्रणालों या नगरपालिका की नालियों पर बिना अनुज्ञा के भवन, रेलवे और प्राइवेट मार्गों का परिनिर्माण या संनिर्माण नहीं किया जाना.**– (1) नगरपालिका द्वारा संनिर्मित या रख–रखाव की गयी या उसमें निहित किसी भी नगरपालिका की नाली पर मुख्य नगरपालिक अधिकारी की अनुज्ञा के बिना, कोई भवन, दीवार, बाड़ या अन्य ढांचा परिनिर्मित नहीं किया जायेगा और किसी रेलवे या प्राइवेट मार्ग का संनिर्माण नहीं किया जायेगा।

(2) किसी भी नाली या जल संकर्म पर बिना उपरोक्त अनुज्ञा के यदि कोई भवन, दीवार, बाड़ या अन्य ढंाचा निर्मित किया गया है या कोई भी रेलवे या प्राइवेट मार्ग संनिर्मित किया गया है तो मुख्य नगरपालिक

अधिकारी ऐसे परिनिर्माण या संनिर्माण को ऐसी रीति से, जो वह ठीक समझे, हटा सकेगा या उस पर अन्यथा कार्रवाई कर सकेगा।

(3) मुख्य नगरपालिक अधिकारी द्वारा उप–धारा (2) के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने में उपगत किया गया व्यय, प्राइवेट मार्ग या भवन, बाड़, दीवार या अन्य ढांचे के स्वामी द्वारा या रेलवे प्रशासन या, यथास्थिति, उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जायेगा और इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूलीय होगा।

220. **कतिपय मामलों में रेल प्रशासन को सूचित करना**.– यदि मुख्य नगरपालिक अधिकारी किसी भी रेलवे लाइन के आर–पार कोई पाइप या नाली रखना या ले जाना या जल आपूर्ति से संबंधित कोई अन्य कार्य या जलनिकास करना चाहता है तो वह रेलवे प्रशासन को सूचित करेगा, जो नगरपालिका के खर्चे पर उसका निष्पादन करेगा।

221. **परिसर के स्वामी को अन्य व्यक्तियों की भूमि में होकर पाइप लगाने और नाली रखने की शक्ति**.– (1) यदि मुख्य नगरपालिक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी भी परिसर के जल–निकास का एक मात्र या सर्वाधिक सुविधापूर्ण माध्यम, अन्य व्यक्ति की स्थावर सम्पत्ति के ऊपर, नीचे, साथ–साथ या आर–पार पाइप या नाली ले जाना है तो मुख्य नगरपालिक अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे परिसर के स्वामी को ऐसी स्थावर सम्पत्ति के ऊपर, नीचे, साथ–साथ या आर–पार पाइप या नाली लगाने या ले जाने के लिए प्राधिकृत कर सकेगाः

परन्तु ऐसा कोई आदेश देने के पूर्व, मुख्य नगरपालिक अधिकारी, ऐसे समय के भीतर–भीतर, जैसा कि उसके द्वारा लिखित आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये, स्थावर संपत्ति के स्वामी को यह हेतुक दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देगा कि आदेश क्यों नहीं किया जायेः

परन्तु यह और कि ऐसी स्थावर संपत्ति जिसके ऊपर, नीचे, साथ–साथ या आर–पार ऐसे पाइप या नाली रखी गयी है या ले जायी

गयी है, में परिसर के स्वामी को उपयोक्ता के अधिकार के अलावा कोई अधिकार अर्जित नहीं होंगे।

(2) उप–धारा (1) के अधीन आदेश पर, परिसर का स्वामी, उसके ऐसा करने के आशय का युक्तियुक्त नोटिस देने के पश्चात् ऐसी स्थावर संपत्ति के ऊपर, नीचे, साथ–साथ, आर–पार पाइप रखने या नाली ले जाने के प्रयोजन के लिए या ऐसे पाइप या नाली की मरम्मत करने के प्रयोजन के लिए सहायकों और कर्मकारों के साथ सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ऐसी स्थावर संपत्ति में किसी भी समय प्रवेश कर सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन पाइप या नाली रखने या ले जाने में, जहां तक संभव हो ऐसी स्थावर संपत्ति को कम से कम हानि पहुंचायी जायेगी और परिसर का स्वामी–

(क) न्यूनतम संभव विलंब करते हुए पाइप रखवायेगा या नाली ले जायेगा;

(ख) ऐसे पाइप रखने या नाली ले जाने के प्रयोजन के लिए कोई खुदी हुई, तोड़ी हुई या हटायी गयी भूमि को, स्वयं के खर्चे पर और न्यूनतम संभव विलंब करते हुए भरेगा, पुनः स्थापित करेगा और पूर्वस्थिति में लायेगा; और

(ग) ऐसी स्थावर संपत्ति के स्वामी और ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसको ऐसे पाइप या नाली रखने या ले जाने से हानि हुई है, प्रतिकर का संदाय करेगा।

(4) यदि ऐसी स्थावर संपत्ति, जिसके ऊपर, नीचे, साथ–साथ या आर–पार पाइप या नाली इस धारा के अधीन रखी या ले जायी जा चुकी है, जब कि ऐसी स्थावर संपत्ति पर कोई भवन निर्मित नहीं किया गया था, का स्वामी ऐसी स्थावर सम्पति पर कोई भवन निर्मित करना चाहता है तो मुख्य नगरपालिक अधिकारी लिखित नोटिस द्वारा परिसर के स्वामी से

पाइप या नाली को ऐसी रीति से जैसी कि उसके द्वारा अनुमोदित की जाये, बन्द करने, हटाने या मोड़ने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसी स्थावर संपत्ति को भरने, पुनःस्थापित करने और पूर्वस्थिति में लाने की अपेक्षा कर सकेगा मानो कि पाइप या नाली ऐसी स्थावर संपति के उपर, नीचे, साथ–साथ या आर–पार न रखे या न ले जाये गये हों:

परन्तु इस उप–धारा के अधीन कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि मुख्य नगरपालिक अधिकारी की राय में प्रस्तावित भवन के निर्माण या इसके सुरक्षित उपभोग के लिए यह आवश्यक या समीचीन न हो कि पाइप या नाली को बन्द किया जाये, हटाया जाये या उसे मोड़ा जाये।

222. **दायी व्यक्ति को नोटिस देने के पश्चात् मुख्य नगरपालिक अधिकारी की कार्य निष्पादित करने की शक्ति**.– (1) जब इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, कोई व्यक्ति नगरपालिक क्षेत्र के भीतर जलनिकास और मल–वहन से संबंधित कार्य निष्पादित करने के लिए अपेक्षित या दायी है, तब मुख्य नगरपालिक अधिकारी इस अधिनियम और तदधीन बनायी गयी उप–विधियों के उपबंधों के अनुसार, ऐसे व्यक्ति को ऐसा कार्य ऐसे समय के भीतर–भीतर, जो उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किया जाये, निष्पादित करने का अवसर देने के पश्चात् ऐसा कार्य निष्पादित करायेगा।

(2) मुख्य नगरपालिक अधिकारी द्वारा ऐसे कार्य के निष्पादन में उपगत व्यय या संभावित उपगत व्यय ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय होंगे और मुख्य नगरपालिक अधिकारी द्वारा ऐसे कार्य के रख–रखाव या ऐसे कार्य द्वारा प्रदत्त संभावित सुविधाओं और प्रसुविधाओं के संबंध में उपगत व्यय ऐसी सुविधाओं और प्रसुविधाओं का उपभोग करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा संदेय होगा।

(3) उप–धारा (2) में निर्दिष्ट व्यय इसके लिए दायी व्यक्ति या व्यक्तियों से इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूलीय होगा।

**223. कार्य का अनुज्ञप्तिधारी प्लम्बर द्वारा किया जाना.**– (1) नगरपालिका, अनुज्ञप्तिधारी प्लम्बर के रूप में कार्य करने के लिए ऐसी तकनीकी अर्हताएं या अनुभव, जिन्हें उप–विधियों द्वारा अवधारित किया जाये, रखने वाले किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगी।

(2) अनुज्ञप्तिधारी प्लम्बर से भिन्न कोई भी व्यक्ति इस अध्याय में वर्णित कोई भी कार्य निष्पादित नहीं करेगा, और कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे कार्य को किसी अनुज्ञप्तिधारी प्लम्बर द्वारा के सिवाय निष्पादित किये जाने की अनुमति नहीं देगाः

परन्तु यदि मुख्य नगरपालिक अधिकारी की राय में कार्य मामूली प्रकृति का है तो वह अनुज्ञप्तिधारी प्लम्बर से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए लिखित अनुज्ञा मंजूर कर सकेगा।

(3) नगरपालिका उप–विधियों द्वारा निम्नलिखित के लिए उपबंध करेगी–

(क) ऐसे अनुज्ञप्तिधारी प्लम्बरों के नियोजन के निबंधन और शर्तें,

(ख) उनके कर्तव्य और उत्तरदायित्व, और उनके कृत्यों के लिए मार्गदर्शन,

(ग) विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए उन्हें संदत्त किये जाने वाले प्रभार,

(घ) उनके कार्य के संबंध में किसी परिसर के स्वामियों या अधिभोगियों द्वारा की गयी शिकायतों की सुनवाई और उनका निस्तारण, और

(ङ) किसी भी ऐसे प्लम्बर द्वारा किन्हीं ऐसी उप–विधियों के उल्लंघन के मामले में ऐसी अनुज्ञप्ति का निलम्बन या रद्दकरण, चाहे उसे इस अधिनियम के अधीन अभियोजित किया जाये या नहीं।

224. **कतिपय कार्यों का प्रतिषेध**.– (1) कोई व्यक्ति–

(क) मुख्य नगरपालिक अधिकारी की प्राधिकारिता के अधीन, किसी कार्य की रूपरेखा बनाने में या ऐसे कार्य की रूप रेखा बनाने के प्रयोजन से भूमि में गाड़े गए किसी स्तम्भ, खम्भे या शाफ्ट को खींचने या हटाने वाले व्यक्ति को जानबूझकर कोई बाधा नहीं पहुंचायेगा, या ऐसे प्रयोजन के लिए किन्हीं कार्यों को विरूपित या नष्ट नहीं करेगा, या

(ख) नगरपालिका से संबंधित किसी ताले, काक, वाल्व, पाइप, मीटर या अन्य कार्य या उपकरण को जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक न तोड़ेगा, न हानि पहुंचायेगा, न घुमायेगा, न खोलेगा, न बन्द करेगा, न शटआफ करेगा या अन्यथा हस्तक्षेप नहीं करेगा, या

(ग) नगरपालिका से संबंधित किसी जल संकर्म या किसी ऐसे जल–मार्ग, जिसके द्वारा किसी ऐसे जल संकर्म की आपूर्ति की जाती है, के प्रवाह या फ्लश, ड्रा–आफ को विधिविरुद्धतया बाधित नहीं करेगा या नहीं मोड़ेगा या उससे जल नहीं लेगा, या

(घ) नगरपालिका से संबंधित मलवाही संकर्म के प्रवाह या फ्लश, ड्रा–आफ को विधिविरुद्धतया बाधित नहीं

करेगा या नहीं मोड़ेगा या नहीं लेगा या नगरपालिका द्वारा रखी गयी किसी विद्युत पारेषण लाइन को नहीं तोड़ेगा या क्षतिग्रस्त नहीं करेगा, या

(ङ) नगरपालिका की किसी नाली या मलनाली में प्लास्टिक की थैलियों और पात्रों या डेयरियों, सुअर पालन और फार्मों के अपशिष्ट सहित कोई भी पदार्थ नहीं फेंकेगा, या

(च) इस अध्याय के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले नगरपालिका के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को बाधित नहीं करेगा, या किसी जल या मल संबंधी संकर्म के संबंध में कोई प्रवेश, निरीक्षण, परीक्षा या उसके अधीन जांच करने के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराने से इनकार नहीं करेगा या जानबूझकर उपेक्षा नहीं करेगा, या

(छ) किसी जल संकर्म में, पर, या उस पर स्नान नहीं करेगा, या उसमें किसी पशु को नहीं धोयेगा या नहीं फेंकेगा या उसका प्रवेश नहीं करवायेगा या किसी जल–संकर्म में कोई कूड़ाकरकट, गंदगी या कीचड़ नहीं फेंकेगा, या उसमें कोई कपड़ा, ऊन या चमड़ा या किसी पशु की खाल को नहीं धोयेगा या साफ नहीं करेगा, या किसी सिंक या नाली या वाष्प–इंजन या बायलर या किसी भी प्रदूषित जल को किसी जल–संकर्म में नहीं मोड़ेगा, या नहीं लायेगा, या ऐसा कोई भी अन्य कार्य नहीं करेगा जिससे जल संकर्मों में जल दूषित होता हो या होने की संभावना हो।

(2) उप–धारा (1) के खण्ड (ख) में की कोई भी बात उपभोक्ता के परिसर को जल की आपूर्ति करने वाले सर्विस पाइप पर लगायी गयी स्टाप–काक को बन्द करने वाले उपभोक्ता पर लागू नहीं होगी, जहां तक कि उसने ऐसे किसी अन्य उपभोक्ता की सम्मति प्राप्त कर ली हो जिसकी जल–आपूर्ति उससे प्रभावित होगी।

225. **मलवाही संकर्मों के प्रवर्तन और रख–रखाव का सौंपा जाना और मल–वहन प्रभारों का बिल बनाना और उनका संग्रहण**.– नगरपालिका, राज्य सरकार के अनुमोदन से नगरपालिक क्षेत्र में मल–वहन संकर्मों का कार्यान्वयन और रख–रखाव किसी को सौंप सकेगी और मल–वहन प्रभार या मल–वहन उपकर के बिल बनाने और उनके संग्रहण का कार्य, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अभिकरण को या किसी प्राइवेट अभिकरण को सौंप सकेगी।

226. **ठोस अपशिष्ट प्रबंध और उनके हस्तन के संबंध में नगरपालिका का कर्तव्य.**–(1) धारा 4 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए नगरपालिका, नगरपालिक क्षेत्र के भीतर, केन्द्र सरकार द्वारा, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनिमय सं. 29) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिक ठोस अपशिष्टों के प्रबंध और हस्तन को विनियमित करने और ऐसे ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन के लिए, अवसंरचना के विकास के लिए बनाये गये नियमों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) धारा 4 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नगरपालिका या तो स्वयं, या इसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण द्वारा,–

(क) नगरपालिक ठोस अपशिष्ट का संग्रहण निम्न में से किसी एक रीति, जैसे कि सामुदायिक बिन संग्रहण (केन्द्रीय कचरा–पात्र), घर–घर से संग्रहण और

नियमित पूर्व–सूचित समयों और कार्यक्रमों पर संग्रहण, से करेगी,

(ख) होटलों, भोजनालयों, कार्यालय काम्प्लेक्सों और वाणिज्यिक क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए गंदी बस्तियों और अनधिवासी क्षेत्रों और अन्य इलाकों से अपशिष्टों के संग्रहण का उपाय करेगी,

(ग) इस प्रकार खण्ड (क) और (ख) के अधीन संगृहीत किये गये समस्त ठोस अपशिष्ट को दैनिक आधार पर व्ययन के लिए नियमित अन्तराल पर हटायेगी, और

(घ) वधशालाओं, मांस और मछली बाजारों, और फल और सब्जी बाजारों से जैव–व्याह्रासन योग्य अपशिष्टों का पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य रीति से उपयोग करने की व्यवस्था करेगी।

227. **ठोस अपशिष्टों का प्रबंध और हस्तन और बिल बनाने और प्रभारों के संग्रहण का सौंपा जाना**.– इस अधिनियम में अन्यत्र कहीं भी अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नगरपालिक ठोस अपशिष्टों के प्रबंध और हस्तन के प्रयोजनों के लिए और ऐसे ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन के लिए अवंसरचना, यदि कोई हो, के विकास के लिए प्रभार उद्गृहीत किया जायेगा और उसका संदाय ऐसी दर पर किया जायेगा, जो नगरपालिका समय–समय पर नियत करेः

परन्तु यथा–उपरोक्त प्रभार, जहां तक साध्य हो, ऐसा होगा जो नगरपालिक ठोस अपशिष्टों के प्रबंध और हस्तन और उनके संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन के लिए अवंसरचना, यदि कोई हो, के विकास के मद्धे होने वाले खर्च को और ऋण–सेवा,

संयत्र और मशीनों का अवक्षयण, और अन्य प्रभार, यदि कोई हो, के खर्च को भी समाविष्ट करे:

परन्तु यह और कि मुख्य नगरपालिक अधिकारी, नगरपालिका के पूर्व अनुमोदन से, ठोस अपशिष्टों के सग्रंहण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन के लिए अवसंरचना के विकास और नगरपालिक ठोस अपशिष्टों के प्रबंध और हस्तन का कार्य और बिल बनाने और उपरोक्त प्रभारों के संग्रहण का कार्य तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अभिकरण या अन्य किसी भी अभिकरण को सौंप सकेगी।

228. **ठोस अपशिष्टों का नगरपालिका की संपत्ति होना**.– लोक पात्रों, डिपो और धारा 226 के अधीन उपलब्ध करवाये गये या नियत किये गये स्थानों में जमा समस्त ठोस अपशिष्ट, और नगरपालिक कर्मचारियों या ठेकेदारों या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण द्वारा संगृहीत समस्त ठोस अपशिष्ट नगरपालिका की संपत्ति होंगे और नगरपालिका, जैसा वह उचित समझे, इसका व्ययन कर सकेगी।

229. **ठोस अपशिष्टों के व्ययन और अंतिम व्ययन के लिए स्थान नियत करना**.– नगरपालिका, या तो स्वयं या अन्य किसी अभिकरण के माध्यम से ठोस अपशिष्टों का नगरपालिक क्षेत्र के भीतर या बाहर, ऐसे स्थान या स्थानों पर और ऐसी रीति से, जैसी कि वह उपयुक्त समझे, व्ययन करा सकेगी :

परन्तु ऐसे किसी भी स्थान का, जिसका उपयोग इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व, इस धारा में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए नहीं किया गया है, इस प्रकार उपयोग नहीं किया जायेगा, सिवाय कि वह–

(i) विकास योजना और भू–उपयोग नियंत्रण से संबंधित किसी भी राज्य विधि के उपबंधों या इससे संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुरूप हो, या

(ii) ऐसी किसी विधि के अभाव में, राज्य सरकार के अनुमोदन से:

परन्तु यह और कि ठोस अपशिष्टों का अंतिम रूप से व्ययन ऐसी किसी भी रीति से नहीं किया जायेगा जिसको राज्य सरकार अननुज्ञात करना ठीक समझे।

230. **परिसरों के स्वामियों और अधिभोगियों का ठोस अपशिष्टों के उत्पन्न होने के स्रोत पर ही भंडारण करने का कर्तव्य.–** नगरपालिक क्षेत्रों में की समस्त भूमियों और भवनों के स्वामियों और अधिभोगियों का यह कर्तव्य होगा कि–

(क) परिसरों में नियमित आधार पर झाडू लगवायें और सफाई करवायें,

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट आपस में मिलें नहीं, निम्नलिखित के भंडारण के लिए पृथक पात्र या निस्तारण थैलियां उपलब्ध करवायें–

(i) कार्बनिक और जैव–व्याह्रासनीय अपशिष्ट,

(ii) पुनःप्रसंस्करण योग्य और गैर–जैव–व्याह्रासनीय अपशिष्ट, और

(iii) घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट,

(ग) ऐसे पात्रों को अच्छी दशा में और व्यवस्थित रखना, और

(घ) कूड़ाकरकट, घृणोत्पादक पदार्थ, गंदगी, व्यवसायिक कूड़ा, मृत जानवरों के शव, जीव–चिकित्सा अपशिष्ट और अन्य प्रदूषित और घृणित पदार्थों को सम्मिलित करते हुए ऐसे समस्त अपशिष्ट को जो उनके

अपने–अपने परिसरों से संगृहीत किये जाने हैं और सामुदायिक कचरा पात्र में या पात्रों में ऐसे समय और ऐसे स्थानों पर जमा किये जाने हैं, जैसा कि मुख्य नगरपालिक अधिकारी नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करे, एकत्र करना।

231. **सहकारी आवासन सोसाइटी, अपार्टमेन्ट स्वामी संगम आदि का कर्तव्य**.– सहकारी आवासन सोसाइटियों, अपार्टमेन्ट स्वामी संगमों, निवासीय और गैर–निवासीय भवन काम्प्लेक्सों, शैक्षिक भवनों, वाणिज्यिक भवनों, औद्योगिक भवनों, भंडारण भवनों और परिसंकटमय भवनों के प्रबंधनों का यह कर्तव्य होगा कि वे अपशिष्टों (पुनः प्रसंस्करणीय अपशिष्टों के अलावा), परिसंकटमय अपशिष्टों, और जीव–चिकित्सा अपशिष्टों के अस्थायी भंडारण के लिए और उनके पश्चात्वर्ती संग्रहण तथा नगरपालिका द्वारा हटाये जाने के लिए उनके परिसरों में सामुदायिक कचरा–पात्र या ऐसे समुचित आकार की निस्तारण थैलियां उपलब्ध करवायें, जैसी कि नगरपालिका द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

232. **प्रतिषेध**.– कोई भी व्यक्ति और किसी भूमि या भवन का कोई भी स्वामी या अधिभोगी–

(क) किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी ठोस अपशिष्ट को नहीं फैलायेगा या जमा नहीं करेगा,

(ख) भवन के कूड़ा करकट को किसी सार्वजनिक मार्ग, सार्वजनिक स्थान या खुली भूमि पर जमा नहीं करेगा,

(ग) सार्वजनिक स्थानों पर किसी गंदगी वाले पदार्थ को फैलाने नहीं देगा, या

(घ) मृत जानवरों के शव या उसके किसी भी भाग को ऐसे स्थान पर जमा या अन्यथा व्ययन नहीं करेगा

जो ऐसे प्रयोजन के लिए उपलब्ध या नियत नहीं किया गया है।

233. **मार्गों को गंदा करने और कोई ठोस अपशिष्ट जमा करने या फेंकने के लिए दण्ड.–** जो कोई भी इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान को गंदा करता है या किसी भी स्थान पर कोई ठोस अपशिष्ट या भवन का कूड़ाकरकट जमा करता है या फेंकता है या जमा करवाता है या फिंकवाता है या जमा करवाना या फिंकवाना अनुज्ञात करता है या अपने परिसर से किसी गंदगी वाले पदार्थ का प्रवाह अनुज्ञात करता है, वह नगरपालिका द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाने वाली पांच सौ रुपये से अनधिक की शास्ति मौके पर ही संदत्त करने का दायी होगा।

234. **जीव–चिकित्सा अपशिष्ट**.– यह नगरपालिका का कर्तव्य होगा कि या तो वह स्वयं या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 29) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाये गये नियमों के उपबंधों का जीव–चिकित्सा अपशिष्टों के प्रबंध और हस्तन को उस सीमा तक जहां तक, ऐसे नियम नगरपालिका पर लागू होते हों, विनियमित करने के लिए क्रियान्वयन करावे।

235. **परिसंकटमय अपशिष्ट**.– यह नगरपालिका का कर्तव्य होगा कि या तो वह स्वयं या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 29) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाये गये नियमों के उपबन्धों का परिसंकटमय अपशिष्टों के प्रबंध और हस्तन को उस सीमा तक जहां तक

ऐसे नियम नगरपालिका पर लागू होते हों, विनियमित करने के लिए क्रियान्वयन करावे।

236. **कतिपय बहिर्गत भागों के लिए अनुज्ञा आवश्यक है**.– (1) नगरपालिका, यातायात की बहुलता और लोक सुविधा को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक मार्गों में के भवनों के स्वामियों या अधिभोगियों को उक्त भवनों की किसी ऊपर वाली मंजिल, से इस निमित्त बनायी गई उप–विधियों के उपबंधों के अनुसरण में खुले बरामदे, बालकनियां या कमरे बनवाने की लिखित अनुज्ञा दे सकेगी।

(2) यथा–पूर्वोक्त प्रकार से ऐसे किसी बहिर्गत भाग का ऐसी अनुज्ञा के बिना या ऐसे आदेशों के उल्लंघन में निर्माण करने वाला स्वामी या अधिभोगी ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो पांच हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, और यदि ऐसा स्वामी या अधिभोगी यथा–पूर्वोक्त किसी बहिर्गत भाग को, जिसके संबंध में वह इस धारा के अधीन दण्डित किया गया है, हटाने में असफल रहता है तो वह ऐसे और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए, जब तक ऐसी चूक या उपेक्षा चालू रहे, पचास रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा।

(3) नगरपालिका लिखित सूचना द्वारा, किसी भवन के स्वामी या अधिभोगी से, किसी बहिर्गत भाग, अतिक्रमण या अवरोध, जो चाहे ऐसे भवन के क्षेत्र के नगरपालिका का भाग बन जाने के पूर्व या इसके पश्चात बना हो, ऐसे भवन के सामने या आगे निर्मित या स्थापित किया गया हो, और जो–

(क) किसी सार्वजनिक मार्ग में इस प्रकार मुड़ा हुआ या प्रक्षिप्त हो अथवा उस पर किसी ऐसी रीति से आगे निकला हुआ हो या अतिक्रमण करता हो जिससे कि

वह ऐसे मार्ग पर सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन के लिए अवरोध बन गया हो, या

(ख) ऐसे मार्ग में के किसी अनावृत जलसेतु, नाली या मल–नाली में या उस पर इस प्रकार आगे निकला हुआ हो और अतिक्रमण करता हो जिससे कि ऐसे जलसेतु, नाली या मल–नाली में अथवा उसके उचित रीति से कार्य करने में अवरोध या बाधा उत्पन्न करता हो या किसी भी रूप में भवन रेखा को कम करने वाला हो,

को हटाने या परिवर्तित करने की अपेक्षा कर सकेगी:

परन्तु सदैव यह कि यदि ऐसा बहिर्गत भाग, अतिक्रमण या अवरोध किसी ऐसे स्थान में उस तारीख से पूर्व जिसको कि ऐसा स्थान किसी नगरपालिका का भाग बना हो, या ऐसी तारीख के बाद में नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा से निर्मित किया गया हो तो नगरपालिका ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसको ऐसे हटाये जाने या परिवर्तन से नुकसान पहुंचे, उचित प्रतिकर देगी और यदि ऐसे प्रतिकर की रकम के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसका अभिनिश्चय और अवधारण धारा 295 में उपबन्धित रीति से किया जायेगा।

237. **वर्षा जल के लिए द्रोणी और पाइप**.– (1) नगरपालिका, लिखित नोटिस द्वारा, किसी मार्ग में प्रत्येक भवन के स्वामी से ऐसे भवन की छत और अन्य भागों से जल के ग्रहण और उसका वहन करने और उसे ऐसी रीति से जो वह उचित समझे, निकालने के लिए, जिससे कि वह मार्ग में आने जाने वाले व्यक्तियों पर न पड़े या मार्ग को नुकसान न पहुंचाये, उचित द्रोणी और पाइप की व्यवस्था करने और अच्छी दशा में रखने की अपेक्षा कर सकेगी।

(2) जहां भवन का कोई स्वामी या अधिभोगी उप–धारा (1) के अधीन नोटिस में परिकल्पित अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहता

है और तद्द्वारा उसके उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा, जो एक हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा।

**238. वर्षा जल संग्रहण संरचना का उपबंध.–** (1) सरकार, या सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी कानूनी निकाय या कम्पनी या संस्था के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अधिभुक्त प्रत्येक भवन में वर्षा–जल संग्रहण संरचना सरकार द्वारा या ऐसे कानूनी निकाय, या कम्पनी या, यथास्थिति, संस्था द्वारा, ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाये, उपलब्ध करवायी जायेगी।

(2) उप–धारा (1) में निर्दिष्ट से भिन्न किसी भवन का स्वामी या अधिभोगी, भवन में वर्षा–जल संग्रहण सरंचना ऐसी रीति से और ऐसी कालावधि के भीतर, जो उप–विधियों में या अन्यथा विहित की जाये, उपलब्ध करायेगा।

**स्पष्टीकरण.–** जहां कोई भवन एक से अधिक व्यक्ति द्वारा स्वामित्वाधीन या अधिभुक्त हों वहां प्रत्येक ऐसा व्यक्ति इस उप–धारा के अधीन दायी होगा।

(3) ऐसी किसी कार्रवाई पर, जो इस अधिनियम के अधीन की जाये, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां भवन का स्वामी या अधिभोगी उप–धारा (2) के अधीन विहित कालावधि के भीतर–भीतर उस भवन में वर्षा जल संग्रहण संरचना उपलब्ध कराने में विफल रहता है तो वह दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा, जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा।

(4) किसी लोक जलप्रदाय प्रणाली से, नवनिर्मित भवन में कोई भी जल–संबंध तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका स्वामी या अधिभोगी संबंधित नगरपालिका का इस आशय का प्रमाणपत्र

प्रस्तुत न कर दे कि उस भवन में वर्षा–जल संग्रहण संरचना उपलब्ध करा दी गयी है।

239. **मकानों पर ब्रकेट इत्यादि लगाना**.– नगरपालिका, तेल या गैस से जलाये जाने वाले लैम्पों के लिए या, बिजली के सम्बन्ध में प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बिजली से या अन्यथा जलायी जाने वाली बत्तियों के लिए, या टेलीग्राफ के संबंध में प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, टेलीग्राफ के तारों या टेलीफोन के तारों के लिए, या लोकोमोटिव्ज के लिए बिजली ले जाने या अन्य प्रयोजनों हेतु ब्रकेट या ऐसे पाइप, जो वह मल–नालियों और जल संकर्मों के उचित संवातन के लिए आवश्यक समझे, किसी भवन के बाहर बना सकेगी या अवस्थित कर सकेगी और ऐसे ब्रकेट और पाइप इस प्रकार बनाये जायेंगे कि उनसे उक्त भवन या पड़ौस के किन्हीं अन्य भवनों को असुविधा या न्यूसेंस न हो।

240. **मार्गों के नाम रखना और मकानों का संख्यांकन**.– (1) नगरपालिका, समय–समय पर प्रत्येक मार्ग और सार्वजनिक स्थान के अंत में या उसके समीप, कोने पर या प्रवेश पर किसी भवन के किसी सहजदृश्य भाग पर वह नाम, जिससे कि ऐसे मार्ग या सार्वजनिक स्थान को जाना जाये, लगाये जाने या पेंट किये जाने की व्यवस्था कर सकेगी:

परन्तु राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका को किसी मार्ग, कालोनी, मोहल्ला, मार्केट, बाजार, पुल, फ्लाईओवर, उद्यान या किसी भी अन्य लोक स्थान या पथ को विनिर्दिष्ट नाम से अभिहित करने के लिए निदेश देना विधिपूर्ण होगा और ऐसा निदेश नगरपालिका पर बाध्यकारी होगा।

(2) नगरपालिका समय–समय पर भवन के बाहर मुख्य प्रवेश द्वार पर किसी सहजदृश्य स्थान पर संख्यांक की प्लेट लगा सकेगी और उस प्लेट का खर्चा उस मकान के स्वामी द्वारा वहन किया जायेगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति ऐसे किसी नाम या संख्यांक प्लेट को नष्ट करे, हटाये या विरूपित करे अथवा नगरपालिका द्वारा लगाये गये नाम या संख्यांक से भिन्न कोई नाम या संख्यांक लगाये तो दोषसिद्धि पर वह ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

241. **मूर्तियों की स्थापना** .– (1) किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर कोई मूर्ति स्थापित किये जाने के लिए अनुमति या अनुज्ञा, राज्य सरकार या इसके द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं दी जायेगी।

(2) कोई व्यक्ति जो, नगरपालिका की सीमाओं के भीतर उप–धारा (1) के अनुसार स्थापित या परिनिर्मित की गयी किसी मूर्ति को नष्ट करता है, गिराता है या विकृत करता है या कोई व्यक्ति या प्राधिकारी जो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना या उसके द्वारा विहित शर्तों के उल्लंघन में कोई मूर्ति स्थापित करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे सादा कारावास से, जो दो मास से कम नहीं होगा किन्तु जो छह मास तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

**242. झाड़ियों, वृक्षों आदि का हटाया जाना और उनकी काट–छांट.**–(1) नगरपालिका, लिखित नोटिस द्वारा, किसी भूमि के स्वामी या अधिभोगी से किसी सार्वजनिक मार्ग की सीमा पर स्थित झाड़ियों की छंटाई या काट–छांट इस प्रकार करने के लिए कि जिससे उक्त झाड़ी की मार्ग तल से ऐसी ऊँचाई और ऐसी चौड़ाई उतनी से अधिक न हो जाये जितनी कि नगरपालिका निदेश दे, और ऐसे सभी वृक्ष या झाड़ियां, जो किसी प्रकार किसी सार्वजनिक मार्ग पर झुकते हों, खतरा पैदा करते हों या बाधा उत्पन्न करते हों, या जिन्हें नगरपालिका सार्वजनिक मार्ग पर

सम्भवतया झुकने वाले, खतरा पैदा करने वाले या बाधा उत्पन्न करने या सार्वजनिक मार्ग को नुकसान पहुंचाने वाला मानती है, या जो किसी सार्वजनिक तालाब, कुएं या जल प्रदाय की अन्य व्यवस्था पर इस प्रकार झुकते हैं जिससे कि उसका पानी गन्दा होता हो या उसके पानी के गन्दा होने की सम्भावना हो, काट डालने, उनकी शाखाए काटने या उनकी छँटाई करने की अपेक्षा कर सकेगी।

(2) यदि स्वामी या अधिभोगी उप–धारा (1) के अधीन उसे जारी किये गये नोटिस का अनुपालन नोटिस में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर–भीतर करने में विफल रहता है तो नगरपालिका ऐसी झाड़ियों की छंटाई या काट–छांट करवा सकेगी और छंटाई या काट–छांट का व्यय उसी रीति से वसूल कर सकेगी जिससे नगरपालिक बकायाओं की वसूली की जाती है।

243. **खतरनाक भवन**.– (1) यदि कोई भवन या उस पर लगी हुई कोई वस्तु नगरपालिका द्वारा, ध्वस्त हालत में या गिरने की दशा में अथवा किसी अन्य प्रकार से ऐसे भवन के निवासी के लिए या किसी पड़ोस के भवन अथवा उसके अधिभोगी के लिए या राहगीरों के लिए, खतरनाक समझी जाये तो नगरपालिका, यदि उसे आवश्यक प्रतीत हो, राहगीरों की रक्षा के लिए तुरन्त उचित प्रकार की पाड़ अथवा बाड़ लगवा देगी। इस उप–धारा के अधीन नगरपालिका द्वारा उपगत किया गया समस्त व्यय ऐसे भवन के स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा संदत्त किया जायेगा और उसी तरह वसूलीय होगा जिस प्रकार से इस अधिनियम के अधीन किसी कर के मद्धे दावाकृत रकम वसूलीय होती है:

परन्तु यह सदैव कि यदि खतरा अति आसन्न न हो तो यह नगरपालिका के विवेकाधीन होगा कि वह अपनी ओर से उचित पाड़ अथवा बाड़ लगाने के बजाय पहले उसके स्वामी अथवा अधिभोगी को उचित पाड़ अथवा बाड़ लगाने के लिए लिखित नोटिस दे और स्वामी अथवा अधिभोगी

द्वारा, उस पर ऐसा नोटिस तामील हो जाने के दो दिवस के भीतर–भीतर, पाड़ अथवा बाड़, जिसे कि नगरपालिका मामले की परिस्थितियों में पर्याप्त समझे, लगाये जाने में विफल रहने पर, नगरपालिका स्वतः तुरन्त ऐसी पाड़ अथवा बाड़ लगवा देगी और तत्पश्चात् नगरपालिका द्वारा उपगत व्यय को वसूल करने के लिए जैसा कि इस उप–धारा में उपबंधित है, अग्रसर होगी।

(2) नगरपालिका, स्वामी अथवा अधिभोगी से यह अपेक्षा करते हुए कि ऐसे भवन अथवा उस पर लगी हुई वस्तु को, जैसा कि मामले में अपेक्षित हो, तुरन्त गिरा दिया जाये, सुरक्षित कर दिया जाये अथवा उसकी मरम्मत कर दी जाये, ऐसे स्वामी अथवा अधिभोगी को लिखित नोटिस भी देगी, और यदि ऐसा स्वामी अथवा अधिभोगी ऐसे नोटिस की तामील होने से तीन दिवस के भीतर–भीतर और आपातकाल के मामलों में तुरन्त ऐसे भवन अथवा वस्तु की मरम्मत करना, नीचे गिराना अथवा सुरक्षित करना शुरू नहीं करता है और उसे तत्परता से पूरा नहीं करता है तो नगरपालिका ऐसे भवन अथवा वस्तु को पूर्णतः अथवा उसके इतने भाग को, जो वह आवश्यक समझे, नीचे गिरा देगी, उसकी मरम्मत करा देगी अथवा उसको अन्य प्रकार से सुरक्षित करा देगी।

(3) यदि स्वामी या अधिभोगी इस धारा के अधीन जारी नोटिस का अनुपालन करने में विफल रहता है और वह भवन गिर जाता है तो भवन का स्वामी और अधिभोगी, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के उपबंधों के अधीन उनके विरुद्ध की जाने वाली किसी भी कार्रवाई पर प्रभाव डाले बिना, ऐसे भवन के मलबे से कारित किसी भी क्षति के लिए संयुक्ततः और पृथकतः दायी होगा।

244. **पटरियों आदि को हटाना**.– (1) जो कोई नगरपालिका की अथवा अन्य विधिपूर्ण प्राधिकारी की लिखित सम्मति के बिना किसी सार्वजनिक मार्ग की पटरी, गटर, बरसाती पानी की नाली, पत्थर की

चौकियों या अन्य सामग्रियों, अथवा उसकी बाड़ों, दीवारों या खम्भों, या नगरपालिका के किसी लैम्प, लैम्प के खम्भे, ब्रेकेट, नल–स्तम्भ, दिशा सूचक स्तम्भ, बम्बे, जल पाइप को अथवा उसमें की, उस पर की अथवा उसके नीचे की, नगरपालिका की अन्य किसी सम्पत्ति को हटाता है, नुकसान पहुँचाता है, उखाड़ता है अथवा उसमें कोई परिवर्तन करता है अथवा उसमें अन्यथा हस्तक्षेप करता है तो वह ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा और नगरपालिका को वास्तविक क्षति की रकम और प्रशासनिक प्रभारों के रूप में उसका दस प्रतिशत संदत्त करने का भी दायी होगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो किसी सार्वजनिक मार्ग की ऐसी पटरी, गटर, बरसाती पानी की नाली, पत्थर की चौकियों अथवा अन्य सामग्रियों में या बाड़ों, दीवारों, खम्भों, नगरपालिका के लैम्पों, लैम्पों के खम्भों, ब्रेकेट्स, जल स्तम्भों, दिशा सूचक स्तम्भों, बम्बों, जल पाइपों अथवा नगरपालिका की किसी अन्य सम्पत्ति को हटाने, नुकसान पहुंचाने, उखाड़ने अथवा परिवर्तन करने या अन्यथा हस्तक्षेप करने के बाद उनको नगरपालिका के समाधानप्रद रूप में वापस ठीक करने में, ऐसा करने का नोटिस मिलने पर भी, विफल रहता है, वह ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा और ऐसा कोई भी व्यय संदत्त करेगा जो मार्ग को पुनः पहले वाली हालत में लाने में उपगत हो, और ऐसा व्यय उसी रीति से वसूलीय होगा जिस प्रकार से इस अधिनियम के अधीन किसी भी कर के मद्धे दावाकृत रकम वसूलीय होती है।

245. **सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या बाधा**.–(1) जो कोई भी ऐसी किसी भी भूमि या स्थान पर, जो कि निजी सम्पत्ति नहीं है, चाहे ऐसी भूमि या स्थान नगरपालिका का हो या नहीं या उसमें निहित हो या नहीं,

किसी भी सार्वजनिक मार्ग में नालियों के ऊपर बनायी गयी सीढ़ियों के सिवाय, कोई अतिक्रमण करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे सादा कारावास से, जो तीन मास से कम नहीं होगा किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो तीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगाः

परन्तु न्यायालय निर्णय में उल्लिखित किये जाने वाले किन्हीं भी पर्याप्त या विशेष कारणों से, तीन मास से कम अवधि के कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा।

(2) जो कोई भी नगरपालिका की पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी किसी भी भूमि या स्थान पर, जो कि निजी सम्पत्ति नहीं है, चाहे ऐसी भूमि या स्थान नगरपालिका का हो या नहीं या उसमें निहित हो या नहीं, किसी भी सार्वजनिक मार्ग में नालियों के ऊपर बनायी गयी सीढ़ियों के सिवाय, अस्थाई बाधा उत्पन्न करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे सादा कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

(3) नगरपालिका या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अधिकारी को ऐसी किसी बाधा या अतिक्रमण को हटाने की शक्ति होगी और ऐसे हटाये जाने का व्यय उस व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जायेगा जिसने उक्त बाधा या अतिक्रमण कारित किया है।

(4) इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत न होते हुए जो कोई भी यथापूर्वोक्त किसी भी भूमि या स्थान से मिट्टी, रेत या अन्य सामग्री को हटाता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे कारावास से, जो दो मास से कम नहीं होगा किन्तु जो छह मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो तीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

(5) पूर्वगामी उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, नगरपालिका या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को, इस धारा में यथा उपबन्धित की गयी कार्रवाई के अतिरिक्त, इस धारा में निर्दिष्ट भूमि या स्थान पर औजारों और यानों के साथ–साथ पायी गयी या, यथास्थिति, ऐसी भूमि या स्थान से संलग्न, या ऐसी भूमि या स्थान से संलग्न किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण करने या उसे कुर्क करने की शक्ति भी होगी।

(6) जहां नगरपालिका द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा कोई सम्पत्ति अभिगृहीत या कुर्क की जाती है, वहां वह नगरपालिका को ऐसे अभिग्रहण या कुर्की की रिपोर्ट तत्काल करेगा।

(7) नगरपालिका, अधिहरण की कार्यवाहियों के निष्कर्ष के लम्बित रहते, अभिगृहीत या कुर्क सम्पत्ति की समुचित अभिरक्षा के लिए ऐसे आदेश कर सकेगी जो वह उचित समझे और यदि सम्पत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील हो या ऐसा करना अन्यथा समीचीन हो तो नगरपालिका उसे विक्रय या अन्यथा व्ययनित किये जाने के आदेश दे सकेगी।

(8) जहां कोई सम्पत्ति यथापूर्वोक्त विक्रीत की जाती है तो उसके विक्रय आगम का संदाय, ऐसे किसी विक्रय के व्ययों या उससे सम्बन्धित अन्य आनुषंगिक व्ययों में कटौती के पश्चात् –

(क) जहां नगरपालिका द्वारा अधिहरण का कोई आदेश अन्ततोगत्वा पारित नहीं किया गया हो; या

(ख) जहां अपील में पारित किसी आदेश के द्वारा ऐसा अपेक्षित हो,

उसके स्वामी को या उस व्यक्ति को किया जायेगा जिससे वह अभिगृहीत या कुर्क की गयी है।

(9) जहां उप–धारा (5) के अधीन कोई सम्पत्ति अभिगृहीत या कुर्क की जाती है वहां नगरपालिका ऐसी सम्पत्ति के अधिहरण का आदेश दे सकेगी।

(10) उप–धारा (9) के अधीन किसी सम्पत्ति के अधिहरण का आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि ऐसी सम्पत्ति के स्वामी को या उस व्यक्ति को, जिससे कि वह अभिगृहीत या कुर्क की गयी है,–

(क) उन आधारों की उसे सूचना देने वाला एक लिखित नोटिस, जिन पर सम्पत्ति का अधिहरण करना प्रस्तावित है;

(ख) अधिहरण के आधारों के विरुद्ध ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाये, एक लिखित अभ्यावेदन करने का अवसर; और

(ग) मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर,

न दे दिया जाये।

(11) इस धारा के अधीन किसी अधिहरण का और किसी अतिक्रमण को हटाने का आदेश ऐसे किसी भी दण्ड के अधिरोपण को निवारित नहीं करेगा जिसका प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दायी है।

(12) उप–धारा (7) या उप–धारा (9) के अधीन किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश की उसे संसूचना की तारीख से एक मास के भीतर, उसके विरुद्ध उस जिले के जिला न्यायाधीश को अपील कर सकेगा जिसमें ऐसी सम्पत्ति अभिगृहीत या कुर्क की गयी है।

(13) ऐसी अपील पर जिला न्यायाधीश, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अपील के निपटारे के लंबित रहते आदेश के रोके जाने का निदेश दे सकेगा या आदेश को उपान्तरित,

परिवर्तित या बातिल कर सकेगा और कोई ऐसा और आदेश दे सकेगा जो न्यायोचित हो।

(14) जब कभी कोई सम्पत्ति इस धारा के अधीन अधिहरण के लंबित रहते अभिगृहीत या कुर्क की जाये तब, ऐसी सम्पत्ति के कब्जे, परिदान, व्ययन, निर्मुक्ति या वितरण के सम्बन्ध में आदेश करने की अधिकारिता नगरपालिका या जिला न्यायाधीश को होगी और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, किसी अन्य न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण को नहीं होगी।

(15) जहां कोई व्यक्ति उप–धारा (1), उप–धारा (2) या उप–धारा (4) के अधीन के किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाता है, वहां यह साबित करने का भार, कि वह अपराध उसने नहीं किया है, उसी व्यक्ति पर होगा।

(16) इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, नगरपालिका को, किसी सार्वजनिक मार्ग पर त्यौहारों और समारोहों के अवसरों पर अस्थायी अधिभोग करने अथवा उस पर अस्थायी निर्माण करने अथवा गलियों में और आस–पास की जगह में ऐसे समय के लिए जो सात दिवस से अधिक नहीं हो और जिससे जनता अथवा किसी व्यक्ति को कोई असुविधा नहीं हो, ईंधन इकट्ठा करने की अनुमति देने से नहीं रोकेगी।

(17) इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, धारा 236 की उप–धारा (1) के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी बहिर्गत भाग के लिए अथवा किसी ऐसे मामले में, जहां इस धारा की उप–धारा (16) के अधीन अनुज्ञा प्रदान की गयी हो, लागू नहीं होगी।

(18) अतिक्रमण या बाधा को हटाने या बन्द करने या रोकने के कर्तव्य से विनिर्दिष्ट रूप से न्यस्त जो कोई भी नगरपालिका का कर्मचारी होते हुए या सरकार के किसी विभाग से नगरपालिका में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए स्वयं अतिक्रमण करता है या अतिक्रमण में दूसरों की सहायता

करता है, या ऐसे अतिक्रमण या बाधा को हटाने या बन्द करने या रोकने में जानबूझकर या जानते हुए उपेक्षा करता है या जानबूझकर लोप करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो तीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा :

परन्तु कोई भी न्यायालय, नगरपालिका की पूर्व मंजूरी के सिवाय, ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध इस उप–धारा के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(19) इस धारा के अधीन के किसी अपराध का कोई भी अन्वेषण पुलिस उप अधीक्षक की रैंक से नीचे के किसी अधिकारी के द्वारा नहीं किया जायेगा। तथापि, ऐसा अन्वेषण, नगरपालिका की ओर से मुख्य नगरपालिक अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदधारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट फाइल करने की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर पूरा किया जायेगा और रिपोर्ट न्यायालय में फाइल की जायेगी।

(20) धारा 298 के उपबंधों और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मुख्य नगरपालिक अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके द्वारा किसी सरकारी या नगरपालिक भूमि पर अतिक्रमण किया जाना संभावित हो, ऐसा कोई अतिक्रमण करने से उसे रोकने के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही दाखिल करे और मुख्य नगरपालिक अधिकारी की आशंका की युक्तियुक्तता के बारे में समाधान कर लेने पर मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से उसके अच्छे व्यवहार के लिए एक वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए, जो मजिस्ट्रेट ठीक समझे, प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित किये जाने की अपेक्षा करने में सक्षम होगा। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के अध्याय 8 में अन्तर्विष्ट प्रक्रिया इस उप–धारा के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाहियों पर, यथावश्यक

परिवर्तनों सहित, ऐसे लागू होगी मानो ऐसी कार्यवाहियां दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 107 के अधीन कार्यवाहियां हों।

246. **खतरनाक खुदाई**.– यदि नगरपालिका की राय में किसी खान की खुदाई अथवा किसी स्थान पर जमीन से पत्थर, मिट्‌टी या अन्य पदार्थ निकालना, उसके पड़ोस में रहने वाले या वहां तक विधिसम्मत पहुंच रखने वाले व्यक्तियों के लिए खतरनाक है, अथवा न्यूसेंस पैदा करता है अथवा सम्भवतः कर सकता है तो नगरपालिका लिखित नोटिस द्वारा उक्त खान या स्थान के स्वामी या उस पर कार्य करने अथवा पदार्थ को हटाने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसी खान की खुदाई या ऐसे पदार्थ को हटाने का कार्य जारी न रखे अथवा इसकी अनुमति न दे अथवा ऐसी खान या स्थान के लिए ऐसी व्यवस्था करे जैसा कि नगरपालिका खतरे के निवारण के लिए अथवा उससे उत्पन्न होने वाले या हो सकने वाले न्यूसेंस को कम करने के लिए निदेश दे:

परन्तु यदि ऐसी खान अथवा स्थान राज्य सरकार में निहित हो अथवा यदि उसकी इस प्रकार खुदाई अथवा वहां से पूर्वोक्त प्रकार से पदार्थों को हटाया जाना राज्य सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से या राज्य सरकार की अनुज्ञा या प्राधिकार के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा हो तो नगरपालिका ऐसी कार्रवाई तब तक नहीं करेगी जब तक कि राज्य सरकार ने उसको ऐसा करने की सम्मति न दे दी हो:

परन्तु यह और कि यदि इस धारा में निर्दिष्ट किसी मामले में किसी आसन्न संकट को रोकने के लिए आवश्यक प्रतीत हो तो नगरपालिका ऐसी खान अथवा स्थान के पास आने–जाने वालों की रक्षा के लिए उचित पाड़ अथवा बाड़ तुरन्त लगवा देगी, और इस धारा के अधीन की गयी कार्रवाई में नगरपालिका द्वारा उपगत कोई व्यय ऐसे पूर्वोक्त

स्वामी अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जायेगा और इस अधिनियम के अधीन किसी कर की बकाया के रूप में वसूलीय होगा।

247. **परिसरों का अनुज्ञप्ति के बिना पशु रखने, या मुर्गी पालन के लिए उपयोग में नहीं लिया जाना**.– कोई भी व्यक्ति किसी भूमि या परिसरों का ढोर, घोड़ा, सुअर, कुत्ता या अन्य चौपाया पशुओं को रखने या किसी भी प्रकार के मुर्गी पालन के लिए, किसी भी प्रयोजन के लिए, चाहे जो हो, नगरपालिका द्वारा, ऐसी फीस के संदाय पर जो नगरपालिका द्वारा उप–विधियों द्वारा अवधारित की जाये, मंजूर की गयी अनुज्ञप्ति के निबंधनों के बिना या उसके अनुरूप से अन्यथा उपयोग नहीं करेगा या उपयोग किये जाने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा:

परन्तु नगरपालिका किसी लिखित आदेश द्वारा पशुओं या पक्षियों के किसी वर्ग को ऐसी अनुज्ञप्ति से या किसी ऐसे प्रयोजन से, जिसके लिए पशुओं या पक्षियों के ऐसे वर्ग रखे जा सकेंगे, छूट प्रदान कर सकेगी।

248. **कतिपय पशुओं या पक्षियों का अभिग्रहण**.– (1) यदि कोई ढोर, घोड़ा, सुअर, कुत्ता या अन्य चौपाया पशु या पक्षी, इस अध्याय के उपबंधों के उल्लंघन में किसी भूमि या परिसर में रखा जाता है या किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर घूमता हुआ या भटका हुआ या रस्सी से बंधा हुआ पाया जाता है या जनता के लिए उत्पात या खतरा कारित करता हुआ पाया जाता है तो मुख्य नगरपालिक अधिकारी, नगरपालिका के किसी अधिकारी या कर्मचारी को ऐसे ढोर, घोड़ा, सुअर, कुत्ता या अन्य चौपाया पशु या पक्षी का अभिग्रहण करने के लिए निदेश दे सकेगा और उसको ऐसे स्थान पर, परिबद्ध करवायेगा या हटवायेगा और रखवायेगा, जो नगरपालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियत किया जाये; और ऐसे

अभिग्रहण और परिबद्ध करने या हटाने और बनाये रखने की लागत ऐसे पशु या पक्षी के विक्रय या, यथास्थिति, नीलाम द्वारा वसूलीय होगीः

परन्तु ऐसे पशु या पक्षी का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, ऐसे अभिग्रहण के सात दिवस के भीतर, नगरपालिका द्वारा ऐसे पशु या पक्षी का अभिग्रहण, परिबद्ध करने या हटाने या बनाये रखने में उपगत किये गये समस्त व्यय के संदाय पर और उसके दावे के समर्थन में ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने पर, जैसा कि मुख्य नगरपालिक अधिकारी पर्याप्त समझे, उसको छुड़ा सकेगा।

(2) किसी पशु या पक्षी की उप–धारा (1) के अधीन नीलाम द्वारा विक्रय से प्राप्त आगम को, ऐसे पशु या पक्षी के अभिग्रहण, परिबद्ध करने या हटाने और बनाये रखने और ऐसा विक्रय करवाने के मद्धे उपगत होने वाले व्ययों को पूरा करने में काम में लिया जायेगा, और अधिशेष, यदि कोई हो, मुख्य नगरपालिक अधिकारी द्वारा जमा कर लिया जायेगा और यदि ऐसे पशु या पक्षी के स्वामी द्वारा ऐसे विक्रय की तारीख से नब्बे दिवस की कालावधि के भीतर दावा नहीं किया जाता है तो नगरपालिक निधि में जमा करवा दिया जायेगा।

249. **संक्रमित कुत्तों या पशुओं पर कार्रवाई करने की शक्ति**.– मुख्य नगरपालिक अधिकारी–

(क) ऐसे किसी कुत्ते या अन्य पशु को, जो रेबीज से ग्रसित है या ग्रसित होने की युक्तियुक्त रूप से संभावना है, या जिसे रेबीज से ग्रसित या जिसके ग्रसित होने वाले संभावित किसी कुत्ते या अन्य पशु द्वारा काटा गया हो, नष्ट करा सकेगा या ऐसी अवधि के लिए, जैसा वह निदेश दे, परिसीमित करा सकेगा;

(ख) लोक नोटिस द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि ऐसी तारीख के पश्चात्, जिसे नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाये, कुत्ते, जो अनुज्ञंप्ति के बिना हैं प्राइवेट सम्पत्ति के रूप में उन्हें अलग करते हुए और मार्गों पर या अपने मालिकों, यदि कोई हों, के घरों के अहाते के बाहर भटकते हुए पाये जाते हैं, परिसीमित किये जायें और यदि आवश्यक हो तो उन पर अन्यथा कार्रवाई की जाये या उन्हें नष्ट किया जाये।

250. **परिसरों के भीतर पशुओं से न्यूसेंस रोकने की शक्ति**.– (1) जब कभी भी मुख्य नगरपालिक अधिकारी की यह राय हो कि किसी पशु या पक्षी को रखने के लिए किसी परिसर का उपयोक्ता, चाहे अनुज्ञप्तिधारी हो, न्यूसेंस कारित करता है और ऐसा न्यूसेंस तुरन्त रोका जाना चाहिए तो मुख्य नगरपालिक अधिकारी आदेश द्वारा, ऐसे परिसर के स्वामी या अधिभोगी से ऐसा न्यूसेंस, ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, रोकने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) यदि, ऐसी कालावधि की समाप्ति पर न्यूसेंस रोका नहीं जाता है तो मुख्य नगरपालिक अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, ऐसे परिसर के ऐसे उपयोग को ऐसे साधनों से रूकवा सकेगा, जिन्हें वह ठीक समझे और ऐसे स्वामी या अधिभोगी को हेतुक दर्शित करने के लिए, कि क्यों नहीं ऐसे पशु या, यथास्थिति, पक्षी को रखने की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया जाये, निदेश दे सकेगा।

(3) यदि ऐसा स्वामी या अधिभोगी, मुख्य नगरपालिक अधिकारी के समाधान के लिए हेतुक दर्शित नहीं करता है या यदि न्यूसेंस का उपशमन नहीं होता है तो इसके लिए अनुज्ञप्ति को रद्द करने के पश्चात्, परिसर में

पाये गये पशु या पक्षी के अभिग्रहण और नीलाम द्वारा न्यूसेंस को रोका जायेगा।

251. **डेयरियों को अनुज्ञप्ति देना**.– (1) कोई व्यक्ति व्यापार के प्रयोजनों के लिए किसी स्थान का, नगरपालिका से अनुज्ञप्ति के निबंधनों के अधीन और अनुसार के सिवाय दुधारू पशु के लिए या दूध के भंडारण या विक्रय के लिए, या मक्खन बनाने, या विक्रय के लिए उपयोग नहीं करेगा या उपयोग किये जाने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा।

(2) नगरपालिका ऐसी अनुज्ञप्ति ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें वह ठीक समझे, मंजूर कर सकेगी, और किसी भी समय ऐसी अनुज्ञप्ति को, अनुज्ञप्तिधारी को एक माह का नोटिस देकर, प्रत्याहृत कर सकेगीः

परन्तु जहां अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञप्ति की शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है तो वह ऐसे किसी नोटिस के बिना प्रत्याहरण कर सकेगी।

(3) जो कोई भी उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, ऐसी अनुज्ञप्ति के बिना या इसकी शर्तों में से किसी शर्त के उल्लंघन में या इसके प्रत्याहरण के पश्चात् या इसके निलंबन के दौरान, किसी स्थान का उपयोग करता है या उपयोग किये जाने के लिए अनुज्ञात करता है तो वह ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा और निरंतर अपराध की दशा में ऐसे और जुर्माने से, जो ऐसे प्रथम अपराध के लिए दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें ऐसा अपराध निरंतर रहता है, पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(4) उप–धारा (3) के अधीन किसी स्थान के संबंध में दोषसिद्धि प्राप्त होने पर, मुख्य नगरपालिक अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी किन्तु अन्यथा नहीं, के आवेदन पर मजिस्ट्रेट, ऐसे

स्थान को बन्द करने का आदेश देगा और ऐसे स्थान को इस प्रकार उपयोग में लिये जाने से रोकने के लिए उस पर व्यक्तियों को नियुक्त करेगा या अन्य कदम उठायेगा।

252. **कतिपय प्रकार के यातायात के लिए सार्वजनिक मार्गों के उपयोग को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति**.– (1) नगरपालिका, लिखित में नोटिस द्वारा,–

(क) किसी भी सार्वजनिक मार्ग या उसके किसी भाग में वाहनों के यातायात को या तो अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से प्रतिषिद्ध या विनियमित कर सकेगी ताकि जनता को होने वाले खतरों, बाधा या असुविधा को रोका जा सके या किसी भी इलाके में शान्ति सुनिश्चित की जा सके,

(ख) किसी सार्वजनिक मार्ग या उसके किसी भाग के संबंध में ऐसे प्रकार, स्वरूप, संरचना, वजन, उत्सर्जन, या आकार के किसी भी यान को, या ऐसी भारी या स्थूल वस्तु से लदे हुए किसी यान को, जिससे सड़क मार्गों को या उन पर के किसी संनिर्माण को क्षति कारित होने की संभावना हो, या लोक सुविधा के आधार पर किसी यान के अभिवहन का समय, कर्षण या संचलन का ढंग, सड़क मार्गों के संरक्षण के लिए उपकरणों का उपयोग, बत्तियों और सहायकों की संख्या, और अन्य साधारण पूर्वावधानियों के बारे में, ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसे प्रभारों के संदाय पर, जो नगरपालिका द्वारा प्रत्येक मामले में साधारणतया या विशिष्टतया

विनिर्दिष्ट किये जायें, के सिवाय, प्रतिषिद्ध कर सकेगी।

(ग) किसी भी यान के आवागमन के प्रवेश को पूरे समय के लिए या किन्हीं भी विशिष्ट घंटों के लिए प्रतिषिद्ध कर सकेगी, या ऐसे आवागमन वाले किसी भी विशिष्ट सार्वजनिक मार्ग से किसी परिसर में ऐसे यान के आवागमन के निकास को प्रतिषिद्ध कर सकेगी;

(घ) जल–निकास, जल–आपूर्ति या प्रकाश व्यवस्था से संबंधित किसी कार्य को पूरा करने या मरम्मत के लिए या इस अधिनियम के किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए किसी भी मार्ग को यातायात के लिए अस्थायी रूप से बंद कर सकेगी:

परन्तु ऐसा कार्य युक्तियुक्त गति के साथ पूरा किया जायेगा और ऐसा मार्ग यातायात के लिए पुनः खोला जायेगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन कोई नोटिस, यदि ऐसा नोटिस किसी विशिष्ट सार्वजनिक मार्ग को लागू होता है तो ऐसे सार्वजनिक मार्ग या उसके किसी भाग पर जिस पर ऐसा नोटिस लागू होता है, सुस्पष्ट स्थानों पर या दोनों अंतिम सिरों पर चिपकाया जायेगा या, यदि ऐसा नोटिस सामान्य रूप से सभी सार्वजनिक मार्गों पर लागू होता है तो विज्ञापित किया जायेगा।

(3) उप–धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नगरपालिका लिखित में नोटिस द्वारा घोषित कर सकेगी कि कोई भी पैदल रास्ता या उसका भाग साईकिल और पैदल पथ के रूप में उपयोग में लिया जायेगा।

(4) उप–धारा (3) में निर्दिष्ट नोटिस, ऐसे सार्वजनिक मार्ग या उसके किसी भाग पर, जिस पर उप–धारा (3) के उपबंध लागू होते हैं, सुस्पष्ट स्थान पर या दोनों सिरों पर चिपकाया जायेगा।

253. **सार्वजनिक स्थानों पर निजी यानों की पार्किंग का विनियमन.**– नगरपालिका, यातायात के सरल बहाव को सुनिश्चित करने और सामान्य जनता की असुविधा की रोक–थाम के लिए, फुटपाथों और सड़क के किनारों सहित सार्वजनिक स्थानों पर यानों की पार्किंग का विनियमन करेगी। किसी भी दशा में सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग तब तक अनुज्ञात नहीं की जायेगी जब तक कि पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं हो:

परन्तु नगरपालिका, पर्याप्त स्थान की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, ऐसी दर पर कोई पार्किंग फीस, जो नगरपालिका द्वारा विहित की जाये, के संदाय के अध्यधीन रहते हुए साधारण या विशेष आदेश द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग अनुज्ञात कर सकेगी।

254. **सार्वजनिक मैदानों पर यानों या जानवरों को ठहराना**.– जहां नगरपालिका में किसी भूमि को या किसी सार्वजनिक स्थान को नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी यान अथवा जानवर को ठहराने के स्थान के रूप में या पड़ाव स्थल के रूप में उपयोग में लाया जाता है तो उस यान या जानवर का स्वामी या पालक या, यथास्थिति, पड़ाव डालने वाला व्यक्ति दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने का, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा और निरंतर उसके भंग की दशा में ऐसे और जुर्माने का, जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए, जिसके लिए अपराधी के लिए यह सिद्ध हो कि वह लगातार अपराध करने में संलग्न रहा है, पचास रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दायी होगा।

255. **अग्नि की रोकथाम के लिए व्यवस्था**.– नगरपालिका, उप–विधियों द्वारा, नगरपालिक क्षेत्र में के समस्त या किन्हीं परिसरों के स्वामी या अधिभोगी से, ऐसी व्यवस्थाएं करने की अपेक्षा कर सकेगी जो वह नगरपालिक क्षेत्र में अग्नि की रोकथाम और अग्नि सुरक्षा के लिए वह आवश्यक समझे और स्वामी या अधिभोगी से एक अनापत्ति प्रमाणपत्र ऐसी रीति में और ऐसे प्राधिकारी से, जो ऐसी उप–विधियों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, प्राप्त करने की अपेक्षा भी कर सकेगी।

256. **अग्निशमन दल की स्थापना और उसका रख–रखाव**.– नगरपालिका अग्निशमन दल की स्थापना और उसका रखरखाव कर सकेगी और किन्हीं औजारों, मशीनों अथवा आसूचना देने के साधनों की, जिन्हें वह आग के निवारण और बुझाने के लिए आवश्यक समझे, व्यवस्था कर सकेगी।

257. **आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल और अन्य व्यक्तियों की शक्तियां**.– (1) किसी नगरपालिक क्षेत्र में आग लगने के अवसर पर कोई भी मजिस्ट्रेट, नगरपालिका का कोई सदस्य, मुख्य नगरपालिक अधिकारी, नगरपालिका का कोई भी अन्य अधिकारी, अग्निशमन दल की कार्रवाई के संचालन का निदेशन करने वाला उसका कोई सदस्य अथवा कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का कोई भी पुलिस अधिकारी–

(क) किसी व्यक्ति को, जो कि अपनी उपस्थिति से आग बुझाने अथवा जान या माल की रक्षा करने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है अथवा अड़चन डालता है, हटा सकेगा या हटाये जाने का आदेश दे सकेगा;

(ख) किसी मार्ग अथवा रास्ते को, जिसमें या जिसके पास आग जल रही हो, बन्द कर सकेगा;

(ग) आग को बुझाने के प्रयोजन के लिए किसी भवन अथवा भूमि में प्रवेश कर सकेगा अथवा उसमें से होकर पार निकल

सकेगा अथवा उसे गिरा सकेगा या उसमें प्रवेश करवा सकेगा अथवा उसमें होकर पार निकलवा सकेगा या उसको गिरवा सकेगा, अथवा उन्हें मकानों या अन्य साधित्रों से गुजरने के लिए उपयोग में ला सकेगा;

(घ) मुख्य प्रणालों तथा पाइपों को बन्द करवा सकेगा ताकि उस स्थान में अथवा उस स्थान के पास, जहां पर आग लग गयी है, तेज दबाव से जल पहुंचाया जा सके;

(ङ) ऐसी सहायता जो सम्भव हो, देने के लिए अग्निशमन इंजन के भारसाधक व्यक्ति की मांग कर सकेगा; और

(च) सामान्यतः ऐसे उपाय कर सकेगा जो जान और माल के परिरक्षण के लिए आवश्यक हों।

(2) कोई भी व्यक्ति उप–धारा (1) के अधीन अपने द्वारा सद्भावना से किये गये किसी कार्य के लिए नुकसानी संदत्त करने का दायी नहीं होगा।

**258. प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण आदि को निर्बंधित करने या उस पर पाबंदी लगाने की शक्ति.–** (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि और राज्य सरकार के किसी साधारण या विशेष आदेश के अध्यधीन, नगरपालिका को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सम्पूर्ण नगरपालिक क्षेत्र में या उसके किसी भाग में किसी भी प्रकार की प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण, विक्रय या उपयोग को निर्बंधित करने या उस पर पाबंदी लगाने की शक्ति होगी।

(2) जो कोई भी उप–धारा (1) के अधीन अधिरोपित निर्बंधन या पाबंदी का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक सौ रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, तथा

ऐसे और जुर्माने से, जो प्रत्येक ऐसे दिवस या, यथास्थिति, रात्रि के लिए, जिस पर ऐसा अपराध प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् जारी रहता है, पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

259. **कनेक्शन नहीं लेना या मल आदि बहाना.–** जो कोई अपने नियंत्रणाधीन किसी भवन अथवा भूमि से धारा 202 में यथा उपबंधित मल–वहन प्रणाली से कनेक्शन नहीं लेता है या नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी होदी अथवा मल–नाली के पानी को, किसी अन्य तरल पदार्थ अथवा अन्य वस्तु को, जो दुर्गन्धपूर्ण है अथवा जिसके दुर्गन्धपूर्ण हो जाने की सम्भावना है, किसी मार्ग या खुले स्थान में बहाता है, निकालता है या फेंकता है, या किसी बाहरी दीवार में सोखने देता है अथवा इन कार्यों की अनुज्ञा देता है या किसी मल–नाली अथवा शौचालय से किसी दुर्गन्धपूर्ण पदार्थ को किसी मार्ग में सतह पर की नाली में बहाता है, निकालता है या फेंकता है, या ऐसा करने की अनुज्ञा देता है, या जो ऐसी अनुज्ञा में विहित किन्हीं शर्तों के पालन में विफल रहता है वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा।

260. **गन्दे भवन आदि**.– (1) जो कोई, किसी भवन अथवा भूमि का स्वामी या अधिभोगी होते हुए उसे गन्दी तथा अस्वास्थ्यकर हालत में रखता है अथवा नगरपालिका की राय में पड़ोस में रहने वालों के लिए न्यूसेंस होने देता है, या उसमें नागफनी अथवा उग्रगन्ध तथा दुर्गन्धपूर्ण वनस्पति उगने देता है और नगरपालिका द्वारा उसे साफ करने अथवा कटवा डालने अथवा उसे अन्यथा अच्छी हालत में करने के लिखित नोटिस के पश्चात् युक्तियुक्त समय में ऐसे नोटिस में अन्तर्विष्ट अध्यपेक्षा की पालना नहीं करता है तो वह ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, तथा ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् उक्त नोटिस के अनुपालन में विफलता जारी रहने के प्रत्येक दिवस के लिए पचास रुपये

से कम नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(2) यदि किसी भवन की हालत ऐसी हो कि वह नगरपालिका की विवेकबुद्धि में मानव निवास के लिए अनुपयुक्त है तो वह लिखित नोटिस द्वारा उसे तब तक प्रयोग में लाने का, जब तक कि उसे रहने योग्य न बना दिया जाये, प्रतिषेध भी कर सकेगी।

(3) यदि कोई भवन, जीर्णावस्था में, उपेक्षित, परित्यक्त अथवा अप्रयुक्त अथवा किरायेदार विहीन दशा में रहता है तथा उस कारण–

(क) बेकार तथा उपद्रवी व्यक्तियों का अथवा ऐसे व्यक्तियों का, जिनके जीविका निर्वाह का कोई दृश्यमान साधन न हो अथवा जो स्वयं का परिचय समाधानप्रद रूप से नहीं दे सकते हों, आश्रय स्थल बन जाता है; या

(ख) किन्हीं अस्वास्थ्यकर अथवा अनैतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में आने लगा हो; या

(ग) सर्पों, चूहों या अन्य खतरनाक अथवा संतापकारी जीवों का शरण स्थल हो गया हो,

तो उसके बारे में यह आपत्ति उठायी जा सकती है कि वह पड़ोस अथवा ऐसे भवन के पास से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूसेंस हो गया है, इस रूप में अस्वास्थ्यकर या भद्दा हो कि उसके कारण तकलीफ, असुविधा या क्षोभ हो तो यदि नगरपालिका, यह समझे कि ऐसी आपत्ति का, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन, अन्यथा निवारण नहीं किया जा सकता है तो यदि नगरपालिका के भीतर कोई ऐसा ज्ञात व्यक्ति अथवा निवासी हो जो ऐसे भवन का स्वामी होने का दावा रखता हो तो ऐसे व्यक्ति को निदेशित लिखित नोटिस द्वारा, अथवा अन्य किसी दशा में, उस भवन के बाहर के दरवाजे पर अथवा अन्य किसी सहजदृश्य स्थान पर लिखित नोटिस चिपकाकर, उसमें हितबद्ध समस्त व्यक्तियों से नोटिस

में उल्लिखित कालावधि के भीतर ऐसे भवन के संबंध में ऐसी व्यवस्था, जैसी कि नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये, करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(4) नोटिस में उल्लिखित अवधि के भीतर उसकी अपेक्षाओं के अननुपालन की दशा में नगरपालिका, नोटिस में विनिर्दिष्ट ऐसे आदेश को प्रश्नगत भवन के स्वामी अथवा उसमें हितबद्ध व्यक्तियों के खर्चे पर क्रियान्वित करवायेगी और यदि वह भवन गिराया जाता है तो उसके समस्त मलबे को वहां से हटवा देगी तथा तुरन्त विक्रय करवा देगी।

(5) किसी भवन के मलबे का विक्रय किये जाने की दशा में, विक्रय आगमों को, नगरपालिका द्वारा प्रथमतः उस भवन को गिराने तथा उसके मलबे को हटवाने तथा बेचने में उपगत व्यय को चुकाने में उपयोजित किया जायेगा और इस तरह न चुक सकने वाले समस्त व्यय उसी रीति से वसूलीय होंगे जिस प्रकार किसी कर के पेटे दावाकृत रकम इस अधिनियम के अधीन वसूल की जाती है:

परन्तु ऐसे समस्त व्यय चुकाने के बाद यदि कोई रकम अधिशेष रहे तो वह विक्रय की तारीख से छह मास के भीतर आवेदन किये जाने पर स्वामी को अथवा उसमें हितबद्ध व्यक्तियों को संदेय होगी।

261. **नहाने के स्थान**.– (1) नगरपालिका, नहाने के लिए उपयोग में लाने के उद्देश्य से पर्याप्त सार्वजनिक स्थान अलग से नियत कर सकेगी और निवासियों के नहाने के लिए पर्याप्त संख्या में सुविधाजनक तालाबों अथवा जल–प्रवाहों का प्रबन्ध भी कर सकेगी अथवा उनको अलग से नियत कर सकेगी; और जानवरों अथवा कपड़ों को धोने के लिए और निवासियों के स्वास्थ्य, सफाई तथा सुख से संबंधित समस्त प्रयोजनों के लिए अलग तालाब या जलाशय या जल–प्रवाह भी नियत कर सकेगी और इस धारा में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए नगरपालिका के भीतर किसी सार्वजनिक स्थान को अथवा समस्त सार्वजनिक स्थानों को उपयोग में लाने का प्रतिषेध कर सकेगी।

(2) ऐसे समस्त आदेशों और नोटिसों की प्रतियां, जो नगरपालिका द्वारा पारित और जारी किये गये हैं और जो तत्समय इस धारा के अधीन प्रवृत्त हैं, नगरपालिका के कार्यालय में रखी जायेंगी और समस्त युक्तियुक्त समय पर जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी।

262. **कलुषित जल.**– (क) जो कोई धारा 261 या किसी अन्य उप–विधि के अधीन नगरपालिका के किसी आदेश की अवज्ञा करते हुए नगरपालिका के स्वामित्व के किसी जलकुण्ड, तालाब, जलाशय, कुएं, हौज, नलके या जलसेतु में नहाता है या उसके अन्दर किसी जानवर या अन्य किसी वस्तु, चाहे जो कोई भी हो, को धोता है या धुलवाता है अथवा किसी जानवर या अन्य वस्तु को उसमें फेंकता, डालता या बहाता है या उसमें प्रवेश करवाता है या उसके अन्दर कोई ऐसी चीजें, जो न्यूसेंस हों या न्यूसेंस हो सकती हैं, डालता, प्रवाहित करता या लाता है या ऐसा कोई भी काम करता है, चाहे जो कोई भी हो, जिससे उसमें उसका पानी किसी भी सीमा तक गंदा या दूषित हो जाये, और

(ख) जो कोई नगरपालिका की अनुज्ञा के बिना नगरपालिका के भीतर या उसकी सीमा पर किसी तालाब या खाई में किसी जानवर, सब्जी या खनिज पदार्थ को डालता है, जो ऐसे तालाब या खाई के पानी को संतापकारी अथवा न्यूसेंसकारी बना दे, ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

263. **कुंओं आदि से पैदा होने वाले न्यूसेंस का उपशमन.**– (1) यदि नगरपालिका की राय में–

(क) कोई जलकुण्ड, खाई, खान, गड्ढा, गर्त, तालाब, कुआं, जलाशय, नाली, जल–प्रवाह अथवा कोई जल संग्रह, या

(ख) कोई हौज अथवा जल का कोई अन्य पात्र चाहे वह किसी भवन के अन्दर हो या बाहर, या

(ग) कोई भूमि, जिस पर पानी इकट्ठा होता है और जो किसी निवास गृह के रूप में उपयोग में लाये जाने वाले किसी भवन से सौ मीटर के फासले के अन्दर स्थित है, जो मच्छरों के पैदा होने की जगह है या उसके ऐसा बन जाने की सम्भावना है या वह अन्य रूप से न्यूसेंस है,

तो नगरपालिका लिखित सूचना द्वारा उसके स्वामी से उसे भरने, ढकने अथवा उसे इस ढंग से और ऐसी सामग्री के साथ बहाने अथवा न्यूसेंस को हटाने या उसका उपशमन करने के लिए ऐसी व्यवस्था करने की जो नगरपालिका निदिष्ट करे, अपेक्षा कर सकेगी।

(2) (क) नगरपालिका की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई नया तालाब या जलाशय खोदा या बनाया नहीं जायेगा, और

(ख) यदि ऐसी अनुज्ञा के बिना ऐसा कोई कार्य शुरू किया जाता है अथवा पूरा किया जाता है तो नगरपालिका या तो–

(i) लिखित नोटिस द्वारा उसके स्वामी से या अन्य व्यक्ति से जिसने कि वह कार्य किया है, उसको उस रीति से भरने या गिराने की अपेक्षा कर सकेगी, जैसा कि नगरपालिका निदिष्ट करे; या

(ii) ऐसे कार्य के बने रहने की लिखित अनुज्ञा प्रदान कर सकेगी, किन्तु ऐसी अनुज्ञा ऐसे स्वामी को इस उप–धारा के खण्ड (क) के

उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए की जाने वाली कार्यवाहियों से मुक्त नहीं करेगी।

264. **कतिपय प्रकार की खेती का नियमन या प्रतिषेध.**– निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या स्थानीय चिकित्सा अधिकारी की इस रिपोर्ट पर कि नगरपालिका की सीमाओं के भीतर किसी स्थान में किसी उपज विशेष की खेती अथवा किसी प्रकार के खाद का उपयोग अथवा भूमि की सिंचाई जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो नगरपालिका राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, सार्वजनिक नोटिस द्वारा ऐसी हानिकारक बतायी गयी खेती, खाद के उपयोग या सिंचाई का विनियमन अथवा प्रतिषेध कर सकेगीः

परन्तु जब ऐसी खेती, उपयोग या सिंचाई ऐसे सार्वजनिक नोटिस की तारीख से पिछले पांच वर्षों में ऐसे अनवरत रूप से, जो कृषि के सामान्य अनुक्रम के अनुसार संभव हो, की गयी है तो ऐसे पूर्ण प्रतिषेध से उनको हुए किसी प्रकार के नुकसान के लिए उसमें हितबद्ध समस्त व्यक्तियों को नगरपालिक की निधि से प्रतिकर संदत्त किया जायेगा।

265. **दुर्गन्धपूर्ण खाद आदि को उपयोग में लाना**.– जो कोई नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा और ऐसी अनुज्ञा में बताये गये किसी तरीका, यदि कोई हो, के सिवाय मल अथवा संतापकारी दुर्गन्ध उत्सर्जित करने वाला अन्य खाद एकत्रित करता है अथवा उपयोग में लाता है, वह ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

266. **कोई क्षोभकारी खेल खेलना**.– जो कोई भी, उपेक्षा से पतंग उड़ाता है, या पटाखे अथवा अग्नि गुब्बारे छोड़ता है या जलाता है या किसी खेल में ऐसी रीति से लगता है कि वहां से गुजरने वाले या पड़ोस में निवास करने वाले या कार्य करने वालों को खतरा या क्षोभ कारित होता है या कारित होने की संभावना है या संपत्ति की क्षति का जोखिम कारित

करता है वह ऐसे जुर्माने से, जो एक सौ रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

267. **अन्य न्यूसेंसों का प्रतिषेध**.– (1) किसी नगरपालिका में कोई भी व्यक्ति,–

(क) किसी सार्वजनिक मार्ग में अथवा सार्वजनिक स्थान पर–

(i) मल मूत्र विसर्जन नहीं करेगा या उसके प्रभार में रहने वाले बच्चे को मलमूत्र विसर्जन नहीं करायेगा; या

(ii) मांस को बिना ढंके इस तरह नहीं ले जायेगा कि आम लोगों की उस पर नजर पड़े; या

(iii) पशुओं या छकड़ों को इकट्ठा नहीं करेगा; या

(iv) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या उप–विधियों के अनुसार लगाये हुए या प्रदर्शित किसी विज्ञापन, नोटिस अथवा अन्य दस्तावेज को नहीं हटायेगा, नष्ट नहीं करेगा, विकृत नहीं करेगा या अन्यथा नहीं मिटायेगा; या

(v) खुले यान में कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं ले जायेगा; या

(ख) किसी ऐसे स्थान पर जो ऐसे प्रयोजन के लिए अलग से नियत नहीं किया गया है, कोई कब्र, समाधि या स्मारक नहीं बनायेगा, न किसी शव को जलायेगा या दफनायेगा; या

(ग) किसी जानवर को इस प्रकार खुला नहीं छोड़ेगा कि वह किसी व्यक्ति को क्षति, खतरा, भय अथवा क्षोभ उत्पन्न करे, न उपेक्षापूर्वक किसी जानवर को ऐसा करने देगा, या

(घ) किसी ऐसे स्थान को जो ऐसे प्रयोजन के लिए आशयित नहीं है, शौच–स्थान के रूप में उपयोग नहीं करेगा, न ऐसा उपयोग किये जाने की अनुज्ञा देगा।

(2) जो कोई उप–धारा (1) के उपबन्धों में से किसी का भी उल्लंघन करता है, ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

268. **धुएं को खपा देना.**– (1) नगरपालिका के लिए सार्वजनिक नोटिस द्वारा ऐसा निदेश देना विधिपूर्ण होगा कि नगरपालिका की सीमाओं के भीतर किन्हीं संकर्मों अथवा भवनों में किसी व्यवसाय अथवा विनिर्माण जो भी हो, के प्रयोजन के लिए उपयोग में लायी जाने के लिए लगायी गयी अथवा लगायी जाने वाली प्रत्येक भट्ठी, चाहे उसमें वाष्प इंजन उपयोग में अथवा काम में लाया जाये अथवा नहीं, प्रत्येक दशा में इस प्रकार बनायी, अनुपूरित या परिवर्तित की जाये ताकि ऐसी भट्ठी में से निकलने वाले धुएं को यथासाध्य खपाया अथवा नष्ट या कम किया जा सके।

(2) ऐसे निदेश के पश्चात् यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार अनिर्मित अननुपूरित या अपरिवर्तित भट्ठी का उपयोग करेगा या उसका उपयोग करने की अनुमति देगा या इतनी उपेक्षा से ऐसी किसी भट्ठी का उपयोग करेगा अथवा उपयोग करने की अनुमति देगा कि उससे निकलने वाला धुआं प्रभावकारी ढंग से नहीं खपाया जाये अथवा यथासाध्य नष्ट न किया जाये तो उक्त कार्यों अथवा भवनों का स्वामी या अधिभोगी होते हुए इस

प्रकार का अपराध करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अथवा उसका प्रबन्ध करने हेतु ऐसे स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा नियोजित कोई अभिकर्ता अथवा अन्य व्यक्ति ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, और इसके पश्चात्वर्ती किसी दोषसिद्धि पर दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगाः

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी रेलपथ पर यातायात के प्रयोजन के लिए या सड़कों की मरम्मत के लिए उपयोग में लाये जाने वाले लोकोमोटिव इंजन के लिए लागू नहीं समझी जायेगी।

269. **बाजारों, वधशालाओं और कतिपय कारबार के लिए अनुज्ञप्ति देना.–** (1) नगरपालिका के लिए यह निदेश करना विधिपूर्ण होगा कि उससे असंबंधित अथवा उसमें अनिहित कोई स्थान धारा 340 की उप–धारा (1) के खण्ड (ञ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, नगरपालिका से प्राप्त अनुज्ञप्ति के अधीन और उसकी शर्तों के अनुसार से अन्यथा, उपयोग में नहीं लाया जायेगा जिसे नगरपालिका या तो सामान्य रूप से अथवा वैयक्तिक प्रकरणों में ऐसी अनुज्ञप्तियां समय–समय पर मंजूर, निलम्बित, विधारित अथवा प्रत्याहृत कर सकेगी।

(2) जो कोई ऐसे निदेश के प्रतिकूल यथापूर्वोक्त अपेक्षित अनुज्ञप्ति के बिना या उसकी किसी शर्त के उल्लंघन में, या उसके निलम्बन की अवधि में या ऐसी अनुज्ञप्ति के वापस लिये जाने के पश्चात् किसी स्थान का उपयोग करता है अथवा उपयोग करने की अनुज्ञा देता है तो ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(3) इस धारा की उप–धारा (2) के अधीन किसी स्थान के संबंध में दोषसिद्धि पर, नगरपालिका के आवेदन पर, न कि अन्यथा, मजिस्ट्रेट, ऐसे स्थान को बन्द करने का आदेश देगा, और तत्पश्चात् ऐसे स्थान को

इस प्रकार उपयोग में लाने से रोकने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करेगा या अन्य कदम उठायेगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उसके बन्द किये जाने के आदेश किये जाने के पश्चात् ऐसे स्थान को इस प्रकार उपयोग में लाये या उपयोग में लाने की अनुज्ञा दे, ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए, जिसके दौरान वह उस स्थान को इस प्रकार बन्द किये जाने का आदेश दिये जाने के पश्चात् इस प्रकार उपयोग में लेना जारी रखे या ऐसे उपयोग की अनुज्ञा दे, ऐसे जुर्माने से, जो पचास रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(4) उप–धारा (1) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को मंजूर करने, उसका निलम्बन करने, उसको रोकने अथवा वापस लेने के नगरपालिका के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से, उसकी प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय को कम करके, तीस दिवस के भीतर कलक्टर को अपील कर सकेगा और अपील प्राधिकारी का आदेश अन्तिम होगा और किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत किये जाने के दायित्व के अधीन नहीं होगा।

270. **बाजारों और वधशालाओं का खोला जाना, बन्द किया जाना तथा किराये पर दिया जाना.**– (1) नगरपालिका समय–समय पर कोई सार्वजनिक बाजार अथवा वधशाला खोल सकेगी अथवा बन्द कर सकेगी। वह या तो किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे बाजार अथवा वधशाला के उपयोग के लिए स्टालों के लिए प्रभार अथवा अन्य किराया या फीस भी ले सकेगी अथवा सार्वजनिक नीलाम के द्वारा या अन्यथा समय–समय पर ऐसे बाजार या वधशाला में के किसी ऐसे स्टॉल या स्थान के, या अन्यथा उपयोग के, अधिभोग के विशेषाधिकार का विक्रय कर सकेगी।

(2) कोई व्यक्ति, जो नगरपालिका की अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति के बिना उक्त बाजार में कोई वस्तु विक्रय करेगा अथवा विक्रय करने के लिए प्रदर्शित करेगा या उक्त वधशाला का उपयोग करेगा वह ऐसे जुर्माने से,

जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(3) नगरपालिका के लिए एक समय पर एक वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए सार्वजनिक नीलाम द्वारा अथवा निजी संविदा द्वारा किसी किराये अथवा फीस के संग्रहण का, जो उप–धारा (1) के अधीन अधिरोपित की जाये, पट्टा देना विधिपूर्ण होगा।

271. **नगरपालिक सीमाओं के बाहर वधशालाएं आदि**.– राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अथवा प्राधिकृत ऐसे अधिकारी की मंजूरी से नगरपालिका के लिए, नगरपालिका की सीमाओं के बाहर वधशालाएं अथवा पशुओं के शवों का निर्वर्तन करने के स्थान स्थापित करना विधिपूर्ण होगा, और नगरपालिक सीमाओं के भीतर ऐसे स्थानों से सम्बन्धित इस अधिनियम और तदधीन प्रवृत्त उप–विधियों के समस्त उपबंध उनमें ऐसे प्रवृत्त होंगे मानो वे स्थान नगरपालिक सीमाओं के भीतर हों।

**272. नयी वधशालाओं का खोला जाना.–** इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, नगरपालिका नयी वधशाला की स्थापना करते समय या स्थापना की अनुज्ञा देते समय सार्वजनिक सुविधा और साधारण जनता की राय को ध्यान में रखेगी और जनता से प्राप्त युक्तियुक्त आक्षेपों पर विचार करेगी।

273. **वे शक्तियां जिनका खतरनाक रोगों को रोकने के लिए प्रयोग किया जा सकेगा**.– (1) प्रत्येक नगरपालिका, ऐसी परिसीमाओं, निर्बन्धनों और शर्तों के अध्यधीन, जो इस संबंध में विहित की जायें, उप–धारा (2) में विनिर्दिष्ट समस्त अथवा किसी शक्ति का प्रयोग खतरनाक बीमारियों को रोकने के लिए कर सकेगी।

(2) शक्तियां, जो पूर्ववर्ती उप–धारा के अधीन प्रयोग में लायी जा सकेंगी, निम्नलिखित हैं–

(क) आदेश द्वारा, जो या तो विशेष या सामान्य तौर पर लागू होते हों, ऐसा निदेश देने की शक्ति, कि प्रत्येक चिकित्सा व्यवसायी जो यह जानता है अथवा जिसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसे वह किसी निवास गृह में, जो कि अस्पताल नहीं है, अपनी व्यावसायिक हैसियत से देखने गया था अथवा किसी कारखाने या शैक्षिक संस्था का प्रत्येक प्रबन्धक अथवा कुटुम्ब का प्रत्येक मुखिया जो यह जानता है अथवा जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जो ऐसे प्रबन्धक या कुटुम्ब के मुखिया की व्यवस्था अथवा नियन्त्रण के अधीन किसी निवास गृह में रहता है, किसी खतरनाक रोग से पीड़ित है, उसकी सूचना यथासाध्य अविलम्ब ऐसे व्यक्ति को देगा जिसे इस संबंध में नगरपालिका द्वारा अभिहित किया जाये;

(ख) किसी स्थान का, जिसमें कोई खतरनाक रोग होने की रिपोर्ट हो अथवा उसका संदेह विद्यमान हो, निरीक्षण करने तथा ऐसे स्थान के परे ऐसे रोग के प्रसार को रोकने के उपाय करने के लिए निदेशित अथवा प्राधिकृत व्यक्ति को बिना सूचना के अथवा ऐसी सूचना देकर, जो युक्तियुक्त प्रतीत हो, निरीक्षण करने का निदेश देने अथवा प्राधिकृत करने की शक्ति;

(ग) किसी ऐसे कुएं, तालाब या अन्य स्थान से, जो नगरपालिका को, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्राधिकारियों, स्वास्थ्य अधिकारी की सलाह पर, किसी खतरनाक रोग का प्रसार करने की संभावना वाला

प्रतीत होता हो, पीने के लिए जल लेने को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति;

(घ) नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी या नगरपालिका द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी सम्यक् रूप में अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र पर किसी व्यक्ति को जो कि बिना समुचित आवास अथवा वास–सुविधा के हो अथवा जो एक से अधिक कुटुम्ब द्वारा अधिभुक्त किसी कमरे अथवा कक्ष समूह में आवासित हो, अथवा ऐसे स्थान में जहां पर उसकी उपस्थिति आस–पड़ोस के लिए खतरा हो, तथा जो किसी संक्रामक रोग से पीड़ित हो, किसी अस्पताल अथवा ऐसे स्थान से, जहां उक्त रोग से पीड़ित व्यक्ति चिकित्सा संबंधी उपचार के लिए भर्ती किये जाते हैं, हटाने का आदेश देने अथवा हटवाने की शक्ति और इस प्रकार हटाये गये व्यक्ति को ऐसे अस्पताल अथवा स्थान से नगरपालिका की अनुज्ञा के बिना छोड़ने पर प्रतिबन्ध लगाने की शक्ति;

(ङ) लिखित नोटिस द्वारा किसी भवन या भवन के किसी भाग के स्वामी अथवा अधिभोगी से या उसमें की किसी वस्तु के स्वामी अथवा प्रभारी व्यक्ति से ऐसे भवन अथवा उसके भाग को या वस्तु को अपने स्वयं के व्यय पर या गरीबी की हालत में या किसी अन्य कारण से, जिसे कि नगरपालिका मामले की परिस्थिति में युक्तियुक्त समझे, नगरपालिका के व्यय पर उसे साफ करने और रोगाणुरहित करने की अपेक्षा करने की शक्ति;

(च) किसी होटल, धर्मशाला या मुसाफिरखाने में कोई व्यक्ति किसी खतरनाक रोग से पीड़ित रहा है या यह विश्वास करने का कारण है कि उसमें ऐसा पीड़ित व्यक्ति रहा है तो ऐसी वास–सुविधा को किराये पर देने या किसी को उसमें जगह देने का तब तक प्रतिषेध करने की शक्ति, जब तक कि ऐसी वास–सुविधा को इस प्रकार किराये पर देने अथवा उसमें जगह देने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति नगरपालिका या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त ऐसे अधिकारी का इस विषय में समाधान न कर दे कि भवन या उसके किसी भाग और उसमें की किसी वस्तु को, जिसके संक्रमित होने की सम्भावना हो, रोगाणुरहित कर दिया गया है;

(छ) प्रत्येक मामले में मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा से किन्हीं गन्दी झोंपड़ियों या शेडों को, जिनके लिए यह विश्वास करने का कारण हो कि इनमें व्यक्ति किसी खतरनाक रोग से पीड़ित रहे हैं, नष्ट करने की शक्ति;

(ज) कपड़ों अथवा ऐसी अन्य वस्तुओं को जो किसी खतरनाक रोग से संक्रमण के लिए खुली रही हैं, रोगाणुरहित करने अथवा धोने के लिए साधन उपलब्ध कराने और स्थान विहित करने या उनके नष्ट करने का निदेश देने की शक्ति;

(झ) (i) खतरनाक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क ले जाने के लिए उपयुक्त वाहनों की व्यवस्था करने तथा उनका संधारण करने की शक्ति;

(ii) जहां ऐसी व्यवस्था कर दी गयी है वहां ऐसे व्यक्तियों को समस्त या किसी सार्वजनिक वाहन में ले जाना प्रतिषिद्ध करने की शक्ति; और

(iii) यह निदेश देने की शक्ति कि ऐसे वाहन जो ऐसे व्यक्तियों को ले जाने के लिए किसी समय प्रयुक्त किये जायें, तुरन्त रोगाणुरहित किये जायेंगे;

(ञ) (i) खतरनाक रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति को किसी मार्ग में अथवा किसी विद्यालय या कारखाने में या किसी होटल, धर्मशाला, मुसाफिरखाना या लोक आवागमन के अन्य स्थान में उक्त रोग के फैलने के विरुद्ध समुचित पूर्वावधानी बरते बिना अपने आपको जानबूझकर अभिदर्शित करने से प्रतिषिद्ध करने की शक्ति; और

(ii) ऐसे रोगग्रस्त व्यक्ति के प्रभारी व्यक्ति को रोगी को इस प्रकार अभिदर्शित करने से प्रतिषिद्ध करने की शक्ति; और

(ट) किसी ऐसी वस्तु को, रोगाणुरहित करने के प्रयोजन से अन्यथा किसी अन्य स्थान पर हटाने या किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने से किसी भी व्यक्ति को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति, जिसके बारे में प्रतिषिद्ध किया गया व्यक्ति यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह वस्तु किसी खतरनाक रोग से किसी भी प्रकार से संक्रमित होने के लिए खुली रह चुकी है।

(3) नगरपालिका ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसे इस धारा के अधीन, किसी सम्पत्ति के नष्ट होने से सारभूत क्षति उठानी पड़ी हो, प्रतिकर दे

सकेगी किन्तु नगरपालिका द्वारा यथा अनुज्ञात के सिवाय उसमें विनिर्दिष्ट शक्तियों के किसी प्रयोग से हुई किसी हानि या क्षति के लिए प्रतिकर का कोई दावा नहीं होगा।

(4) नगरपालिका में कोई व्यक्ति, तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसे आदेश की, जो इस धारा द्वारा उसे प्रदत्त किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका द्वारा पारित किया गया है, अवज्ञा करता है या नगरपालिका के किसी अधिकारी या नगरपालिका के प्राधिकार के अन्तर्गत कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे किसी आदेश की क्रियान्विति किये जाने में बाधा डालता है, ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(5) राज्य सरकार किसी भी समय–

(क) इस धारा के द्वारा या इसके अधीन किसी नगरपालिका को प्रदत्त कोई शक्ति वापस ले सकेगी, या

(ख) ऐसी किसी शक्ति के संबंध में विहित किसी परिसीमा, निर्बन्धन या शर्त को रद्द या उपान्तरित कर सकेगी, या

(ग) ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी नगरपालिका द्वारा पारित किसी आदेश को रद्द कर सकेगी।

**274. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अति भीड़ वाले क्षेत्रों के संबंध में विशेष शक्तियां, जो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त की जा सकेंगी.–** (1) यदि राज्य सरकार की यह राय है कि या तो किसी क्षेत्र के किसी अधिभोगी के लिए या उस क्षेत्र के पड़ोस के किन्हीं निवासियों के लिए निम्नलिखित दोषों में से किसी के कारण रोग का खतरा पैदा हो गया है अथवा पैदा होने की सम्भावना है, अर्थात्–

(क) वह ढंग जिसमें या तो भवन अथवा भवन–ब्लाक, जो पहले से विद्यमान या उनमें बहिर्गत हैं, भीड़युक्त हैं अथवा भीड़युक्त बन सकते हैं, या

(ख) पहले से विद्यमान या परियोजित किन्हीं ऐसे भवनों अथवा ब्लाकों को साफ करने की असाध्यता, या

(ग) जल–निकास अथवा मैला साफ करने की व्यवस्था की कमी अथवा पूर्वोक्त किन्हीं ऐसे भवनों अथवा ब्लाकों में जल–निकास या मैला साफ करने के प्रबन्ध में कठिनाई, या

(घ) मार्गों अथवा भवनों या भवनों के समूहों में तंगी, समीपता, कुप्रबन्ध अथवा खराब हालत,

तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नगरपालिका को उप–धारा (2) में विनिर्दिष्ट समस्त अथवा कोई शक्ति प्रदत्त कर सकेगी और इस संबंध में विहित परिसीमाओं, निर्बन्धनों, उपान्तरणों, शर्तों अथवा उप–विधियों, यदि कोई हों, के अध्यधीन उस क्षेत्र के भीतर नगरपालिका इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी ।

(2) वे समस्त या कोई शक्तियां जो उप–धारा (1) के अधीन नगरपालिका को प्रदत्त की जा सकेंगी, निम्नलिखित हैं:–

(क) जब किसी भवन अथवा ब्लाक जो पहले से विद्यमान हैं अथवा निर्माणाधीन है, उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी दोष के कारण पूर्वोक्त प्रकार का कोई जोखिम पैदा हो गया है अथवा नगरपालिका की राय में जोखिम पैदा होने की संभावना है, ऐसे भवन अथवा भवन समूह के किसी सहजदृश्य भाग पर लिखित नोटिस चिपकाकर तथा या तो उसके स्वामियों से या

ऐसी भूमि जिस पर ऐसे भवन अथवा ब्लाक खड़े हैं अथवा निर्मित हो रहे हैं, के स्वामियों से, जो भी नगरपालिका उचित समझे, यह अपेक्षा करने की शक्ति कि इस प्रकार सम्बोधित व्यक्ति नोटिस में विनिर्दिष्ट युक्तियुक्त समय के भीतर उक्त भवन अथवा ब्लाक को या तो गिरा दे या हटा दे या ऐसे संकर्मों को निष्पादित करे अथवा उसके सम्बन्ध में ऐसी कार्रवाई करे जो नगरपालिका रोग के ऐसे समस्त जोखिमों की रोकथाम के लिए आवश्यक समझे;

(ख) यदि उक्त नोटिस द्वारा सम्बोधित व्यक्ति उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर उक्त भवन अथवा ब्लाक को गिराने अथवा हटाने अथवा ऐसे संकर्म निष्पादित करने या ऐसी कार्रवाई करने में उपेक्षा करे, तो नगरपालिका अथवा अन्य अभिकरण द्वारा ऐसा करने की शक्ति;

(ग) किसी अधिकारी को जिसे इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया जाये और जिसका निर्णय निश्चायक होगा, अपील करने के अधिकार के अध्यधीन, ऐसे किसी स्थल अथवा स्थान के स्वामी तथा अधिभोगी को संबोधित लिखित नोटिस द्वारा तथा आम नोटिस द्वारा निम्नलिखित पर किसी भवन के निर्माण अथवा किसी भवन के विनिर्दिष्ट परिमाण से अधिक निर्माण को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति –

(i) किसी ऐसे भवन के स्थल पर जो खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट शक्ति के प्रयोग से पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से गिरा दिया गया है, या

(ii) किसी स्थान पर जिस पर भवन न हो चाहे ऐसी जगह निजी सम्पत्ति हो अथवा न हो और वह अहातायुक्त हो अथवा न हो,

यदि नगरपालिका का यह मत हो कि यथापूर्वोक्त ऐसे जोखिम को रोकने के लिए ऐसे स्थल अथवा स्थान पर निर्माण नहीं किया जाना चाहिए, तो या तो–

(क) ऐसे स्थल अथवा स्थान का अर्जन करने की शक्ति, या

(ख) ऐसी शर्तें, जिन्हें उसके स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा उसका उपयोग करने अथवा उपयोग की अनुज्ञा देने के संबंध में नगरपालिका आवश्यक समझे, विहित करने की शक्तिः

परन्तु प्रत्येक मामले में किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके अधिकार ऐसे प्रतिषेध के कारण प्रभावित हुए हैं, प्रतिकर दिया जायेगा, विवाद के मामले में जिसकी रकम का अभिनिश्चय तथा अवधारण, धारा 295 में उपबंधित रीति से किया जायेगा।

(3) उप–धारा (2) के अधीन किसी नोटिस के अनुसरण में जब कोई भवन गिराया जाता है तो, यदि वह इस अधिनियम या तदधीन प्रवृत्त किन्हीं उप–विधियों के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं बनाया गया हो तो नगरपालिका ऐसे स्वामी अथवा अधिभोगी को, जिसको उसके द्वारा नुकसान हुआ है, युक्तियुक्त प्रतिकर संदत्त करेगी और विवाद के मामले में इस रकम का अभिनिश्चय या अवधारण धारा 295 में उपबंधित रीति से किया जायेगा।

(4) राज्य सरकार इस धारा के अधीन उसके द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को ऐसी ही अधिसूचना द्वारा, किसी भी समय वापस ले सकेगी या ऐसी शक्ति के संबंध में किसी परिसीमा, निर्बन्धन, उपान्तरण, शर्त या विनियम को रद्द या उपान्तरित कर सकेगी ।

275. **शव गाड़ना और कब्रिस्तान.**– नगरपालिका, निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी–

(क) कब्रिस्तानों और श्मशानों का संनिर्माण और रख–रखाव; और

(ख) मृतक के निर्वर्तन के लिए स्थानों का अर्जन, रख–रखाव, बदलाव और नियमन।

276. **कब्रिस्तानों और श्मशानों के संबंध में शक्ति.**–(1) नगरपालिका, सार्वजनिक नोटिस द्वारा नगरपालिक सीमाओं में अथवा उससे एक किलोमीटर के भीतर स्थित किसी कब्रिस्तान अथवा श्मशान भूमि को, जिसे निदेशक, जन स्वास्थ्य अथवा जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक प्रमाणित किया गया है, सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से बन्द किये जाने का आदेश दे सकेगी और ऐसे मामले में यदि युक्तियुक्त दूरी के भीतर दफनाने अथवा जलाने के लिए कोई उपयुक्त स्थान न हो तो पूर्वोक्त तारीख से पहले इस प्रयोजन के लिए उचित स्थान की व्यवस्था करेगी।

(2) नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना और ऐसी अनुज्ञा की शर्तों और निबन्धनों के अनुसार से अन्यथा कोई नया कब्रिस्तान अथवा श्मशान भूमि नहीं बनायी जायेगी।

(3) यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका की अनुज्ञा के बिना, किसी स्थान पर जो कब्रिस्तान अथवा श्मशान भूमि नहीं है अथवा जलाने या दफनाने के ऐसे किसी स्थान में जो इस धारा के उपबन्धों के प्रतिकूल बनाया या काम में लाया गया है या उसको बन्द करने के लिए उनके अधीन नियत तारीख के पश्चात् किसी शव को दफनाता है या जलाता है अथवा दफनाने या जलाने की अनुज्ञा देता है तो वह ऐसे जुर्माने से, जो

एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(4) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन नगरपालिका द्वारा किये गये किन्हीं आदेशों से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से उसकी प्रति प्राप्त करने के अपेक्षित समय को कम करके तीस दिवस के भीतर, कलक्टर को अपील कर सकेगा और ऐसे आदेश को ऐसी अपील से अन्यथा प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

(5) अपील प्राधिकारी यदि उचित समझे तो उप–धारा (4) के अधीन अपील के लिए अनुज्ञात समय की कालावधि को बढ़ा सकेगा।

(6) नोटिस या आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, पर अपील प्राधिकारी का पुष्ट, अपास्त या उपान्तरित करने वाला आदेश अन्तिम होगाः

परन्तु नोटिस अथवा आदेश को तब तक उपान्तरित या अपास्त नहीं किया जायेगा जब तक कि अपीलार्थी और नगरपालिका को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो।

(7) जब उप–धारा (4) के अधीन कोई अपील संस्थित कर दी गयी हो तो ऐसे आदेश को प्रवर्तित करने की समस्त कार्यवाहियां और उसके किसी भंग के सम्बन्ध में समस्त अभियोजन, अपील के निर्णय तक निलम्बित कर दिये जायेंगे, तथा यदि ऐसा आदेश अपील पर अपास्त कर दिया जाता है तो उसकी अवज्ञा अपराध नहीं समझी जायेगी।

277. **शवों को ले जाने का विनियमन.–**(1) नगरपालिका, सार्वजनिक नोटिस द्वारा, ऐसे मार्ग विहित कर सकेगी, केवल जिन मार्गों से विभिन्न कब्रिस्तानों या श्मशान भूमियों में शवों को ले जाया जा सकेगा।

(2) जो कोई भी किसी शव को इस प्रकार विहित मार्ग से भिन्न किसी मार्ग से कब्रिस्तान या श्मशान भूमि को ले जाता है तो वह ऐसे

जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

278. **श्मशान भूमियों पर ईंधन की दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति देने की शक्ति.**– (1) नगरपालिका अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पत्र देने वाले व्यक्तियों को और ऐसी फीस का, जो नगरपालिका नियत करे, संदाय करने पर, समस्त श्मशानों अथवा उनमें से किसी में ईंधन तथा अन्य वस्तुओं के, जो शवों को जलाने के लिए अपेक्षित या प्रयुक्त हों, विक्रय के लिए धारा 340 में अधिकथित अथवा उसके अधीन विहित रीति से उसके द्वारा बनायी जाने वाली उप–विधियों के अनुसार, अनुज्ञप्ति दे सकेगी तथा उसका नवीकरण कर सकेगी।

(2) नगरपालिका उचित और पर्याप्त कारण बताये जाने पर, उप–धारा (1) के अधीन मंजूर अथवा नवीकृत किसी अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत अथवा प्रत्याहृत कर सकेगी।

(3) यदि किसी श्मशान भूमि के संबंध में उप–धारा (1) के अधीन कोई अनुज्ञप्ति मंजूर की गयी हो अथवा उसका नवीकरण कर दिया गया हो तो–

(क) नगरपालिका शवों को जलाने के लिए अपेक्षित या प्रयुक्त ईंधन और अन्य वस्तुओं के विक्रय के लिए, समय–समय पर, दरों का मापमान विहित करेगी, और

(ख) कोई व्यक्ति, जिसे इस प्रकार से प्राधिकृत नहीं किया गया हो, ऐसी श्मशान भूमि से तीन सौ मीटर के भीतर कोई ऐसा ईंधन या अन्य वस्तुओं का विक्रय नहीं करेगा या विक्रय के लिए प्रस्थापना नहीं करेगा।

(4) जो कोई–

(क) उप–धारा (1) के अधीन मंजूर की गयी अथवा नवीकृत श्मशान भूमि के संबंध में किसी अनुज्ञप्ति का धारक होते हुए श्मशान भूमि पर विक्रय किये जाने वाले ईंधन या अन्य वस्तुओं का उप–धारा (3) के अधीन नगरपालिका द्वारा नियत दर से ऊंची दर पर विक्रय करता है, या

(ख) उप–धारा (2) के अधीन उसकी अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण अथवा प्रत्याहरण हो जाने पर भी ऐसे विक्रय को जारी रखता है, या

(ग) इस प्रकार प्राधिकृत किया गया व्यक्ति न होते हुए कोई व्यक्ति ऐसे श्मशान के तीन सौ मीटर के भीतर, जिसके संबंध में उप–धारा (1) के अधीन मंजूर अथवा नवीकृत की गयी अनुज्ञप्ति प्रवृत्त है, कोई ऐसा ईंधन अथवा अन्य वस्तु का विक्रय करता है,

ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रूपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और खण्ड (क) के अन्तर्गत आने वाले मामले में, अनुज्ञप्ति के रद्द किये जाने का और भागी होगा।

279. **शवों को दफन करवाने या जलवाने की शक्ति .**– (1) नगरपालिका अदावाकृत शवों की दशा में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के चौबीस घंटे से अन्यून समय के पश्चात् और अप्राकृतिक मृत्यु की दशा में, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात् किसी व्यक्ति के शव को दफन करवा या जलवा सकेगी।

(2) ऐसी दशा में, जहां तक सम्भव हो, शव की मृतक के धार्मिक नियमों के अनुसार, जहां तक वे ज्ञात किये जा सकें, अंत्येष्टि की जायेगी।

(3) उप–धारा (4) में अन्तर्विष्ट उपबन्ध के अध्यधीन रहते हुए, इस धारा के अधीन मृतक व्यक्ति के शव को दफन कराने या उसे जलवाने में नगरपालिका द्वारा उपगत व्यय ऐसे व्यक्ति की सम्पदा से शोध्य ऋण के रूप में वसूलीय होगा।

(4) नगरपालिका अपनी सीमाओं के भीतर अकिंचनों के शवों के निःशुल्क दफन या दाह के लिए नगरपालिक निधि में से समय–समय पर उपबंध कर सकेगी।

280. **नगरपालिक क्षेत्र में मृत पशुओं के शवों का हटाया जाना.–** (1) प्रत्येक नगरपालिक क्षेत्र में नगरपालिका पशुओं के शवों के निर्वर्तन हेतु उपयुक्त एवं सुविधाजनक स्थानों की व्यवस्था करेगी।

(2) जब कभी किसी व्यक्ति के प्रभार में का कोई पशु, विक्रयार्थ अथवा धार्मिक प्रयोजन के लिए मारे जाने से भिन्न प्रकार से मर जाता है तो ऐसा व्यक्ति चौबीस घंटों के भीतर, या तो –

(क) उप–धारा (1) के अधीन उपलब्ध कराये गये अथवा नियत स्थान पर या नगरपालिक सीमाओं या आबादी क्षेत्र से, जो भी दूर हो, दो किलोमीटर के बाहर किसी स्थान पर शव को ले जायेगा, या

(ख) मृत्यु की सूचना नगरपालिका को देगा जो तदुपरान्त शव को हटवायेगी तथा उसका निर्वर्तन करवायेगी।

(3) ऐसे किसी परिसर का, जिसमें या जिस पर कोई पशु मर जाये अथवा जिसमें या जिस पर किसी पशु का शव पाया जाये, अधिभोगी भी उप–धारा (2) के अनुसार ऐसे शव के संबंध में कार्रवाई करेगा।

(4) नगरपालिका, उप–धारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन अथवा उप–धारा (3) के अधीन हटाये या निर्वर्तित किये गये ऐसे प्रत्येक मृत पशु के शव के संबंध में नगरपालिका उसकी मृत्यु की सूचना देने वाले व्यक्ति से, ऐसी फीस जो नगरपालिका विहित करे, प्रभारित कर सकेगी और यदि

ऐसी फीस का अग्रिम संदाय न किया जाये तो नगरपालिका सूचना देने वाले व्यक्ति से उक्त फीस नगरपालिक दावों के लिए इस अधिनियम के अधीन उपबंधित रीति से वसूल कर सकेगी।

(5) जो कोई इस धारा की उप–धारा (2) अथवा उप–धारा (3) के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होते हुए, ऐसा कार्य करने से चूक करेगा, तो ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

281. **कतिपय विकारों से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किये गये कार्यों के लिए शास्ति.–** जो कोई, जबकि वह किसी संक्रामक अथवा सांसर्गिक विकारों से पीड़ित हो–

(क) किसी खाद्य अथवा पेय पदार्थ को अथवा किसी औषध या ओषधि को मानव उपभोग हेतु विक्रय के लिए बनाता या प्रस्तुत करता है, या

(ख) किसी ऐसी वस्तु, ओषधि अथवा औषधि को, जबकि वह दूसरों द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तुत की गई हो, जानबूझकर छूता है, या

(ग) गंदे कपड़े धोने अथवा उन्हें ले जाने के कारबार में भाग लेता है,

तो वह दोषसिद्धि पर जुर्माने का, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दायी होगा।

282. **कतिपय व्यवसायों का विनियमन**.– (1) यदि नगरपालिका का समाधान हो जाये कि कोई भवन या स्थान किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है अथवा उपयोग में लाये जाने के लिए आशयित है,–

(क) मांसावशिष्ट, रक्त, हड्डियों, जानवरों की आंतों या चिथड़ों को उबालने या संग्रह करने के लिए,

(ख) मछलियों को छांटने, साफ करने या संग्रह करने के लिए,

(ग) खालों, सींगों या चमड़ों का संग्रह करने के लिए,

(घ) चमड़ों का शोधन करने के लिए,

(ङ) चमड़े के सामान के विनिर्माण के लिए,

(च) रंगाई के लिए,

(छ) साबुन बनाने के लिए,

(ज) ऊन या बालों को धोने या सुखाने के लिए,

(झ) तेल उबालने के लिए,

(ञ) चर्बी या गन्धक पिघलाने के लिए,

(ट) ईंटों, मिट्टी के बर्तनों, चूना या सुर्खी को जलाने या पकाने के लिए,

(ठ) सूखी घास, भूसा, चारा, लकड़ी, कोयला या अन्य ज्वलनशील पदार्थों का संग्रह करने के लिए,

(ड) व्यवसाय के प्रयोजनार्थ अनाज का संग्रह करने के लिए,

(ढ) खान के रूप में,

(ण) गाड़ियों के ठहरने के स्थान के रूप में,

(त) तेल मिल के रूप में,

(थ) विद्युत् शक्ति से अन्यथा, अन्य प्रकार से चलायी जाने वाली आटे की चक्की के रूप में,

(द) आसवनी के रूप में, या

(ध) किसी अन्य प्रकार के कारखाने या कारबार के स्थान के रूप में जहां से संतापकारी या अस्वास्थ्यकर गंध, धूम,

कालिख या गर्द निकलती हो या जिससे आग लगने का जोखिम हो,

ऐसे उपयोग के कारण तथा उसकी स्थिति के कारण आस–पड़ोस के लिए न्यूसेंस होने की सम्भावना है या इस प्रकार से उपयोग में लाया जाता है या इस प्रकार से स्थित है कि वह जीवन, स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिए खतरनाक हो सकता है तो नगरपालिका लिखित नोटिस द्वारा उसके स्वामी या अधिभोगी से अपेक्षा कर सकेगी कि वह –

(i) उस स्थान का, ऐसा उपयोग तुरन्त बन्द करे, या ऐसा उपयोग किये जाने से या किये जाने के लिए इस प्रकार के आशय से विरत हो, या

(ii) उसको ऐसी रीति से या उसमें संरचना संबंधी ऐसे परिवर्तन करने के पश्चात् जैसा कि नगरपालिका ऐसे नोटिस में विहित करे, उपयोग में लाये ताकि वह जीवन,स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिए न्यूसेंसकारी या खतरनाक न बन जाये या न रहे, या

(iii) उसको ऐसे स्थान पर, जो सीमांकित किया जाये, हटाये;

परन्तु खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट किसी प्रकार की अध्यपेक्षा खण्ड (क) से (ञ) तक विनिर्दिष्ट उपजीविका में से किसी के संबंध में नहीं की जायेगी जब वह स्वामी या अधिभोगी द्वारा स्वयं या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा कुटीर उद्योग के रूप में किया जाता हो, जब तक कि नगरपालिका ऐसी उपजीविका चलाने के लिए किसी अन्य स्थान की व्यवस्था न कर दे।

(2) जो कोई, उप–धारा (1) के अधीन नोटिस दिये जाने के पश्चात्, किसी स्थान का, इस तरीके से जिससे वह पड़ोस के लिए न्यूसेंसकारी हो या जीवन, स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिए खतरनाक हो, उपयोग करता है अथवा उपयोग करने की अनुज्ञा देता है तो वह ऐसे

जुर्माने से, जो दो हजार रुपये से कम  नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा तथा ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्दि की तारीख के पश्चात् ऐसे उपयोग अथवा उपयोग की अनुज्ञा के जारी रहने वाले प्रत्येक दिवस के लिए एक सौ रुपये तक हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(3) इस धारा के अधीन दोषसिद्दि हो जाने पर, नगरपालिका के प्रार्थना–पत्र पर, किन्तु अन्यथा नहीं, मजिस्ट्रेट ऐसे स्थान को बन्द किये जाने के लिए आदेश देगा और तदुपरान्त ऐसे स्थान को उप–धारा (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाने से रोकने के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा या अन्य कदम उठायेगा।

(4) जो कोई बिना किसी अनुज्ञप्ति के अथवा उसके निलम्बन के दौरान अथवा अनुज्ञप्ति के प्रत्याहरण के पश्चात् किसी नगरपालिका में जिसमें, वे शर्तें, जिन पर और जिनके अध्यधीन और वे परिस्थितियां, जिनमें और वे क्षेत्र तथा बस्तियां जिनके सम्बन्ध में ऐसे उपयोग को विहित करने वाली तत्समय उप–विधियां प्रवृत्त हों, जिनके अध्यधीन अनुज्ञप्ति मंजूर, अस्वीकृत या निलम्बित और प्रत्याहृत की जाये, उप–धारा (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए किसी स्थान का उपयोग करता है, तो वह ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा तथा ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् ऐसा उपयोग जारी रहने वाले प्रत्येक दिवस के लिए एक सौ रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(5) उप–धारा (1) के अधीन दिये गये नगरपालिका के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिवस के भीतर, उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवश्यक समय को कम करके

कलक्टर के यहां अपील कर सकेगा और अपील प्राधिकारी का आदेश अन्तिम होगा और उसे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

283. **मजदूरों को बुलाने या उनकी छुट्टी करने के लिए सायरन का उपयोग**.– (1) मजदूरों या नियोजित व्यक्तियों को बुलाने अथवा उनकी छुट्टी करने हेतु, नगरपालिका की अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन तथा उनके अनुसार से अन्यथा किसी सायरन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

(2) नगरपालिका ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो वह उपयुक्त समझे, ऐसी अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगी और अनुज्ञप्तिधारी को एक माह का नोटिस देकर तथा प्रस्तावित वापसी के विरुद्ध उसकी सुनवाई करने के पश्चात्, यदि वह ऐसा चाहे, किसी भी समय ऐसी अनुज्ञप्ति वापस ले सकेगी।

(3) जो कोई, ऐसी अनुज्ञप्ति के बिना या उसकी किसी शर्त का उल्लंघन करके या वापस लेने के पश्चात्, ऐसे किसी भी सायरन का उपयोग करता है अथवा काम में लेता है, ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

284. **व्यष्टि को सम्बोधित नोटिसों आदि की तामील.**– (1) इस अधिनियम के अधीन या तदधीन बनाये गये किसी नियम या उप–विधि के अधीन किसी व्यक्ति को, या ऐसे व्यक्ति को जिसे नाम से सम्बोधित किया गया हो, प्रत्येक नोटिस या आदेश की तामील तथा प्रत्येक बिल की प्रस्तुति, यदि उसमें उसके लिए विशिष्ट रूप से अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया हो, प्रत्येक दशा में किसी नगरपालिक अधिकारी या कर्मचारी या नगरपालिका द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित कार्य करते हुए की जायेगी–

(क) उस व्यक्ति को, जिसे वह सम्बोधित किया गया है, ऐसा नोटिस, आदेश या बिल देकर या निविदत्त करके; या

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति न मिले तो उस नोटिस, आदेश या बिल को उसके आवास के अन्तिम ज्ञात स्थान पर छोड़कर या उस नोटिस, आदेश या बिल को उसके कुटुम्ब के वयस्क पुरूष सदस्य या नौकर को देकर या उसको निविदत्त करके; या

(ग) यदि ऐसा व्यक्ति नगरपालिक सीमा में नहीं रहता हो और उसके स्थान का पता नोटिस, आदेश या बिल जारी करने वाले नगरपालिका के अध्यक्ष अथवा पदधारी को मालूम हो तो नोटिस, आदेश या बिल, ऐसे व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत डाक से लिफाफे द्वारा, जिस पर उक्त पता लिखा हो, भेजकर; या

(घ) यदि पूर्वोक्त साधनों में से कोई भी उपलब्ध न हो, या व्यक्ति लेने से इनकार कर दे तो उस बिल, आदेश या नोटिस को उस क्षेत्र के दो व्यक्तियों की उपस्थिति में उस भवन या भूमि, यदि कोई हो, जिससे कि ऐसा बिल, आदेश या नोटिस संबंधित है, के किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपकाकर।

(2) जब किसी नोटिस, आदेश या बिल का किसी भवन या भूमि के स्वामी या अधिभोगी पर तामील किया जाना इस अधिनियम के अधीन या तदधीन बनाये गये किसी नियम या उप–विधि द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात हो तो उसमें स्वामी या अधिभोगी को नामित करना आवश्यक नहीं होगा, और ऐसे मामलों में जिनके विषय में अन्यथा विशेष उपबंध नहीं है, उनकी तामील निम्नलिखित रीति से की जायेगी अर्थात् या तो –

(क) स्वामी या अधिभोगी को, या यदि एक से अधिक स्वामी या अधिभोगी हों तो उनमें से किसी एक को नोटिस, आदेश या बिल देकर या निविदत्त करके; या

(ख) यदि ऐसा स्वामी या अधिभोगी नहीं मिले तो यथापूर्वोक्त ऐसे किसी स्वामी या अधिभोगी के कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरूष सदस्य या नौकर को नोटिस, आदेश या बिल देकर या निविदत्त करके;या

(ग) यदि पूर्वोक्त साधनों में से कोई भी उपलब्ध न हो तो उस नोटिस, आदेश या बिल को दो व्यक्तियों की उपस्थिति में उस भवन या भूमि के, जिससे कि वह संबंधित है, किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपकाकर।

(3) ऐसा प्रत्येक नोटिस, जिसे सार्वजनिक नोटिस के रूप में, या सामान्य तौर पर, या ऐसे उपबंधों द्वारा, जो ऐसे नोटिस को उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को व्यक्तिशः दिये जाने की अपेक्षा न करते हों, दिये जाने या तामील किये जाने के लिए इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या उप–विधि द्वारा नगरपालिका को सशक्त किया गया है, उस दशा में इसे पर्याप्त रूप से दिया गया या तामील किया गया समझा जायेगा यदि उसकी एक प्रति, ऐसी कालावधि के दौरान और ऐसी अन्य रीति से, जो नगरपालिका निदेश दे या उप–विधियों द्वारा विहित करे, नगरपालिक कार्यालय के किसी ऐसे सहजदृश्य भाग पर लगा दी जाये।

(4) प्ररूप की किसी त्रुटि के कारण कोई नोटिस, आदेश या बिल अविधिमान्य नहीं होगा।

(5) जब कोई नोटिस या आदेश किसी ऐसे कार्य को किये जाने की अपेक्षा करता हो, जिसके लिए इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या उप–विधि द्वारा कोई समय निश्चित नहीं किया जाये तो

उस नोटिस या आदेश में उसे करने के लिए युक्तियुक्त समय नियत किया जायेगा।

(6) नोटिस या आदेश के निबंधनों का अनुपालन न किये जाने की दशा में नगरपालिका के लिए ऐसी कार्रवाई करना या ऐसे कदम उठाना जो उस कार्य को, जिसके किये जाने की अपेक्षा उसके द्वारा की गयी है, पूरा करने के लिए आवश्यक हो, विधिपूर्ण होगा तथा उसमें नगरपालिका द्वारा उपगत किया गया समस्त व्यय उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों द्वारा संदत्त किया जायेगा जिन पर नोटिस या आदेश की तामील की गयी थी और ऐसा व्यय धारा 296 में उपबंधित रीति से वसूलीय होगा।

**285. व्यष्टि नोटिस की अवज्ञा.**– यदि इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या उप–विधि के उपबन्धों के अधीन, किसी व्यक्ति से किसी जंगम अथवा स्थावर तथा सार्वजनिक अथवा निजी सम्पत्ति के संबंध में किसी कार्य का निष्पादन करने की, अथवा नोटिस या आदेश में विनिर्दिष्ट समय में उसकी व्यवस्था करने की, या उसे सम्पन्न करने या ऐसा करने से विरत रहने की अपेक्षा करते हुए कोई नोटिस या आदेश दिया गया है और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे नोटिस या आदेश का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो –

(क) नगरपालिका ऐसा कार्य निष्पादित करवा सकेगी या ऐसा कार्य किये जाने की व्यवस्था करवा सकेगी या ऐसा कार्य सम्पन्न करवा सकेगी तथा उसके द्वारा उस पेटे किया गया समस्त व्यय उक्त व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन उपबंधित रीति से वसूल कर सकेगी, और

(ख) उक्त व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने का, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा और भंग के चालू रहने की स्थिति में ऐसे और जुर्माने

का, जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिवस के लिए, जब तक कि अपराधी के विरुद्ध भंग करते रहना सिद्ध होता है, पचास रुपये तक का हो सकेगा, दायी होगा।

286. **सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा.**– जब इस अधिनियम या इसके अधीन जारी किये गये किसी नोटिस या आदेश द्वारा जनता से किसी बात को करने या करने से विरत रहने की अपेक्षा की जाये, कोई व्यक्ति, जो ऐसी अध्यपेक्षा की अनुपालना करने में विफल रहता है, यदि ऐसी विफलता किसी अन्य धारा के अधीन दण्डनीय अपराध नहीं है तो वह किसी मजिस्ट्रेट द्वारा, दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने का, जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु प्रत्येक ऐसी विफलता के लिए पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा तथा, भंग के चालू रहने की दशा में ऐसे और जुर्माने का, जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिवस के लिए, जब तक कि अपराधी के विरुद्ध भंग करते रहना सिद्ध होता है, पचास रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दायी होगा।

287. **स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा व्यतिक्रम करने पर नगरपालिका किसी कार्य को निष्पादित कर सकेगी और उसका व्यय वसूल कर सकेगी.**–(1) जब कभी भी इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी भवन अथवा भूमि के स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा किसी कार्य के निष्पादित किये जाने की अपेक्षा की जाती है और ऐसे कार्य के निष्पादन में व्यतिक्रम किया जाता है तो चाहे ऐसे व्यतिक्रम के लिए किसी शास्ति का उपबन्ध किया गया हो अथवा नहीं, नगरपालिका ऐसा कार्य निष्पादित करवा सकेगी; और उसके द्वारा उपगत व्यय, न्यूनतम एक हजार रूपये के अध्यधीन रहते हुए, कुल व्यय के दस प्रतिशत के साथ, ऐसे व्यक्ति से, जिसके द्वारा ऐसा कार्य निष्पादित किया जाना था, वसूल कर सकेगी, और ऐसी रीति से, जैसे किसी कर के पेटे दावाकृत कोई रकम इस अधिनियम

के अधीन वसूलीय है या तो एकमुश्त या किश्तों में, जैसा नगरपालिका ठीक समझे, वसूलीय होगी:

परन्तु–

(क) जब नगरपालिका द्वारा कोई जल–निकास स्कीम आरम्भ की गयी हो तो इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन उसकी शक्तियों पर विपरीत प्रभाव डाले बिना नगरपालिका के लिए, किसी भवन अथवा भूमि के स्वामी के साथ जल–निकास अथवा जल कनेक्शन की रीति और ऐसी आर्थिक अथवा अन्य सहायता, यदि कोई हो, जो नगरपालिका करे, के संबंध में विशेष करार करना विधिपूर्ण होगा और यदि स्वामी कोई संदाय करने का करार करे तो ऐसी रकम को ऐसे करार के निबन्धनों के अनुसार या व्यतिक्रम होने पर उप–धारा (2) और (3) में वर्णित रीति से वसूल किया जायेगा; और

(ख) जब कोई आदेश धारा 194 या धारा 200 या धारा 202 या धारा 207 या धारा 210 के अधीन पारित किया गया हो, या जब कोई अनुज्ञा धारा 203 के अधीन दी गयी हो, या इस उप–धारा के परन्तुक (क) के अधीन कोई करार किया गया हो, तो नगरपालिका इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि वह उचित समझे, नगरपालिका द्वारा यथापूर्वोक्त किये गये किसी किसी व्यय को, न्यूनतम एक हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए, प्रशासनिक प्रभारों के रूप में कुल व्यय के दस प्रतिशत सहित

सुधार व्यय घोषित कर सकेगी जो कि भवन या भूमि पर प्रभार होगा और प्रतिवर्ष पन्द्रह प्रतिशत की दर से ब्याज सहित उद्गृहीत किया जायेगा और उप–धारा (2) तथा (3) में वर्णित रीति से वसूलीय होगा।

(2) यदि व्यतिक्रमी भवन या भूमि का स्वामी हो तो अतिरिक्त उपाय के रूप में, चाहे ऐसे स्वामी के विरुद्ध कोई वाद चलाया गया हो अथवा कार्यवाही की गयी हो अथवा नहीं, नगरपालिका उप–धारा (3) के उपबंधों के अध्यधीन उस समय स्वामी द्वारा संदेय समस्त व्यय या उसके किसी भाग को उस व्यक्ति से जो उस समय या उसके पश्चात् किसी भी समय, ऐसे स्वामी के अधीन भवन अथवा भूमि का अधिभोगी है, संदाय की अपेक्षा कर सकेगी, और ऐसे अधिभोगी से मांगे जाने पर उसके संदाय में व्यतिक्रम होने की दशा में ऐसे अधिभोगी से उद्गृहीत की जा सकेगी और इस प्रकार उद्गृहीत प्रत्येक रकम उसी रीति से वसूलीय होगी जिस प्रकार किसी कर के पेटे दावाकृत कोई रकम इस अधिनियम के अधीन वसूलीय है; और ऐसा प्रत्येक अधिभोगी, अपने द्वारा भू–स्वामी को दिये जाने वाले किराये में से इतनी रकम, जितनी कि ऐसे किसी व्यय के संबंध में उसके द्वारा संदत की गयी है अथवा जो ऐसे अधिभोगी से वसूल की गयी है, काट लेने का हकदार होगा।

(3) किसी भवन या भूमि का कोई अधिभोगी, उस भवन या भूमि के स्वामी पर इस अधिनियम द्वारा प्रभारित किन्हीं व्ययों के संबंध में ऐसे किराये पर की रकम से, अधिक धन का संदाय करने का दायी नहीं होगा जो उस भवन या भूमि के लिए, जिसके संबंध में उस पर की गयी मांग के समय ऐसा व्यय संदेय है, अधिभोगी से शोध्य है या जो ऐसी मांग के पश्चात् और उसके भू–स्वामी को उसका संदाय न करने के नोटिस के पश्चात् किसी समय प्रोद्भूत हो गया है और ऐसे अधिभोगी द्वारा संदेय हो गया है, सिवाय उस दशा के जब कि वह सत्यतापूर्वक अपने किराये की

रकम और उस व्यक्ति का, जिसे ऐसा किराया संदेय है, नाम व पता, नगरपालिका द्वारा उस प्रयोजन के लिए उसे आवेदन किये जाने पर, बताने में उपेक्षा करे या बताने से इनकार करे, किन्तु यह साबित करने का भार ऐसे अधिभोगी पर होगा कि ऐसे किसी अधिभोगी से मांगी गई राशि, उस किराये से अधिक है, जो ऐसी मांग के समय अधिभोगी द्वारा देय थी या जो तब से प्रोद्भूत हो गयी है:

परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात ऐसे किसी अधिभोगी तथा स्वामी के बीच पूर्वोक्त ऐसे किन्हीं संकर्मों के व्यय के संदाय संबंधी किसी विशिष्ट संविदा को प्रभावित नहीं करेगी।

288. **स्वामी द्वारा व्यतिक्रम किये जाने पर अधिभोगी संकर्म निष्पादित कर सकेगा और किराये में से व्यय काट सकेगा**.– जब किसी भवन अथवा भूमि के स्वामी द्वारा, किसी कार्य को, जिसके निष्पादित किये जाने की नगरपालिका द्वारा उससे अपेक्षा की जाये, करने में व्यतिक्रम किया जाता है तो ऐसे भवन अथवा भूमि का अधिभोगी नगरपालिका के अनुमोदन से ऐसा कार्य निष्पादित करवा सकेगा और उसका व्यय उसे स्वामी द्वारा संदत्त किया जायेगा अथवा उसकी रकम ऐसे स्वामी को उससे देय होने वाले किराये में से काटी जा सकेगी।

289. **कार्यवाहियां, यदि कोई अधिभोगी अधिनियम के निष्पादन का विरोध करता है**.– यदि किसी भवन अथवा भूमि का अधिभोगी उसके स्वामी को, ऐसी भूमि या भवन के संबंध में इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों को क्रियान्वित करने से, ऐसे अधिभोगी को स्वामी द्वारा उनको क्रियान्वित करने के अपने आशय का नोटिस दिये जाने के पश्चात् रोकता है तो कोई मजिस्ट्रेट, स्वामी द्वारा उसका सबूत और आवेदन दिये जाने पर ऐसे अधिभोगी से, उस भवन अथवा भूमि के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित कराने में आवश्यक ऐसे समस्त संकर्मों का निष्पादन करने के लिए स्वामी को अनुज्ञा देने की अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश

दे सकेगा और यदि वह उचित समझे तो अधिभोगी को ऐसे आवेदन या आदेश से संबंधित खर्चे का संदाय स्वामी को करने का आदेश भी दे सकेगा और यदि ऐसे आदेश की तारीख से, आठ दिवस की समाप्ति के पश्चात् ऐसा अधिभोगी ऐसे स्वामी को ऐसे संकर्म निष्पादित करने की अनुज्ञा से इनकार करता रहता है तो ऐसा अधिभोगी जब तक कि वह इनकार जारी रखता है, ऐसे जुर्माने से, जो प्रत्येक दिवस के लिए एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा और प्रत्येक ऐसा स्वामी, ऐसे इनकार के जारी रहने के दौरान उन शास्तियों से विमुक्त रहेगा जिनके लिए ऐसे संकर्मों के निष्पादन में व्यतिक्रम के कारण वह अन्यथा दायी हुआ होता ।

290. **नगरपालिका द्वारा नियोजित व्यक्तियों के काम में बाधा डालने के लिए शास्ति.**– (1) जो कोई इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका द्वारा नियोजित अथवा उसके साथ की गयी संविदा पर रखे गये किसी व्यक्ति को अपने कर्तव्य के पालन में अथवा संविदा को पूरा करने में बाधा डालता है अथवा उसे उत्पीड़ित करता है अथवा इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कार्य का निष्पादन करने के लिए आवश्यक किसी स्तर या दिशा के निदेश को उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए किसी चिन्ह्र को मिटाता है, दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने का, जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दायी होगा।

(2) ऐसे पुलिस अधिकारी को, जिसकी दृष्टि में उप–धारा (1) के अधीन अपराध कारित किया जाये, ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करने की शक्ति होगी।

291. **अधिनियम, नियमों और उप–विधियों के भंग के लिए शास्ति, जो अन्यथा उपबन्धित नहीं है.**– जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन किसी नियम, उप–विधि या आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है

या इसके अधीन जारी किये गये या दिये गये किसी नोटिस, आदेश या निदेश की अनुपालना करने में विफल रहता है, जिसके उल्लंघन या विफलता के लिए इस अधिनियम, या तदधीन बनाये गये नियमों या उप–विधियों में किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, दोषसिद्धि पर जुर्माने का, जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दायी होगा।

292. **अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रवेश.**– मुख्य नगरपालिक अधिकारी या नगरपालिका द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अधिकारी के लिए, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी भी नियम या उप–विधि के किसी भी प्रयोजन के लिए, किसी भी भवन या भूमि में और उस पर, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ऐसे सहायकों सहित, जिन्हें वह आवश्यक समझे, प्रवेश करना विधिपूर्ण होगाः

परन्तु इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी ऐसे भवन या भूमि में, जो उस समय अधिभोगाधीन हो, उसके अधिभोगी की अनुमति के सिवाय तब तक प्रवेश नहीं किया जायेगा, जब तक इसका चौबीस घण्टे का लिखित नोटिस उक्त अधिभोगी को न दे दिया जायेः

परन्तु यह और कि मानव–आवास के रूप में उपयोग में लिये जाने वाले भवनों के मामले में अधिभोगियों की सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों का सम्यक् ध्यान रखा जायेगा।

293. **निवारक निरीक्षण.**– जहां यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी भवन में या किसी भूमि पर, इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये नियमों या उप–विधियों के उपबंधों के उल्लंघन में, किन्हीं नगरपालिक जल–निकास संकर्मों, या किसी नगरपालिक उपक्रम के संबंध में कोई कार्य निष्पादित किया गया है वहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य नगरपालिक अधिकारी या कोई स्वास्थ्य अधिकारी किसी भी समय और नोटिस के बिना ऐसे भवन या भूमि का निरीक्षण कर सकेगाः

परन्तु किसी मानव–आवास के रूप में उपयोग में लिये जाने वाले भवन के मामले में उसके अधिभोगियों की सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों का सम्यक् ध्यान रखा जायेगा।

294. **प्रवेश करने की शक्ति.**– इस अधिनियम की धारा 292 के उपबंधों या इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए, निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजनार्थ किसी दरवाजे, फाटक या अन्य अवरोध को,–

(क) यदि वह ऐसे प्रवेश, निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजनार्थ उसका खोला जाना आवश्यक समझे, और

(ख) यदि स्वामी या अधिभोगी अनुपस्थित है या उपस्थित है तो ऐसे दरवाजे, फाटक या अवरोध को खोलने से इनकार कर देता है,

खोलना या खुलवाना विधिपूर्ण होगा।

295. **कतिपय मामलों में प्रतिकर का अवधारण.**– (1) यदि ऐसे किसी भी प्रतिकर या नुकसानी, जो इस अधिनियम द्वारा संदत्त किये जाने हेतु निदिष्ट है, के संबंध में कोई सहमति नहीं हो तो उसकी रकम और यदि आवश्यक हो तो उसका प्रभाजन ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा इस निमित्त नियुक्त या प्राधिकृत किया जाये, अभिनिश्चित और अवधारित किया जायेगा:

परन्तु इस उप–धारा की कोई भी बात व्यथित पक्षकार को सक्षम अधिकारिता वाले किसी सिविल न्यायालय में प्रतितोष मांगने से निवारित नहीं करेगी।

(2) ऐसे किसी भी मामले में जिसमें किसी भूमि के संबंध में प्रतिकर का दावा किया जाता है, न्यायालय के अवधारण के लिए निर्दिष्ट मामलों में कार्यवाहियों के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का

केन्द्रीय अधिनियम सं.1) द्वारा विहित प्रकिया का, जहां तक हो सके, अनुसरण किया जायेगा।

296. **खर्चें या व्यय कैसे अवधारित और वसूल किये जायें.**– यदि कोई विवाद ऐसे किन्हीं भी खर्चों या व्ययों के संबंध में उद्भूत हो जो इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदत्त किये जाने हेतु निदिष्ट हो तो उसकी रकम और यदि आवश्यक हो तो उसका प्रभाजन उस दशा के सिवाय जब कि इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित हो, नगरपालिका द्वारा अभिनिश्चित की जायेगी और उसी रीति से वसूलीय होंगे जैसा इस अधिनियम के अधीन किसी कर के मद्धे दावाकृत रकम वसूलीय होती है।

297. **राज्य नगरपालिका संघ का गठन और उसके कृत्य**.– (1) राज्य में की समस्त नगरपालिकाएं या उनमें से कोई, एक संघ जिसे राजस्थान राज्य नगरपालिक–बोर्ड संघ कहा जा सकेगा, या किसी ऐसे अन्य नाम से, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, गठित करने हेतु संयोजित हो सकेंगी, परन्तु ऐसा कोई संघ तब तक गठित नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य में की नगरपालिकाओं की आधी से अधिक उसके सदस्य बनने के अपने आशय के संकल्प पृथक्–पृथक् रूप से पारित न कर दें।

(2) इस धारा की उप–धारा (1) के अधीन गठित संघ के कृत्य, निम्नलिखित होंगे–

(i) नगरपालिकाओं के सामान्य हित के विवाद्यकों का परीक्षण;

(ii) ऐसे विवाद्यकों से संबंधित सूचना का प्रसारण;

(iii) सामान्य हित के मामलों पर राज्य सरकार और अन्य अभिकरणों को उपयुक्त अभ्यावेदन करना;

(iv) नगरपालिकाओं को नगरपालिक प्रशासन के सुधार पर सहायता और परामर्शी सेवाएं प्रदान करना; और

(v) ऐसे अन्य कृत्य करना जो राज्य सरकार समय–समय पर उसे समनुदेशित करे।

(3) निम्नलिखित मामले राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा विनियमित और शासित होंगे, अर्थात्:–

(क) संघ का संविधान और उसके लक्ष्य और उद्देश्य;

(ख) नगरपालिकाओं द्वारा संघ को दिये जाने वाले अभिदाय की रकम और उसका ढंग;

(ग) संघ के वित्तपोषण के लेखाओं का रखरखाव और उनकी संपरीक्षा सहित उनका प्रबन्ध और नियंत्रण; और

(घ) ऐसे अन्य मामले जो इस धारा के प्रयोजनार्थ आवश्यक हों:

परन्तु कोई भी व्यक्ति संघ में प्रतिनिधित्व करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह तत्समय किसी नगरपालिका का अध्यक्ष न हो।

## अध्याय 13

## अभियोजन, वाद आदि

298. **नगरपालिका अभियोजित कर सकेगी**.– (1) मुख्य नगरपालिक अधिकारी किसी भी प्रकार के किसी लोक न्यूसेंस या इस अधिनियम के अधीन जारी आदेश या निदेशों के उल्लंघन के लिए अभियोजन का निदेश दे सकेगा और किन्हीं शास्तियों की वसूली के लिए तथा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उप–विधि के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए कार्यवाही किये जाने का आदेश दे सकेगा और ऐसे अभियोजनों या अन्य

कार्यवाहियों का व्यय नगरपालिक निधि में से संदत्त किये जाने का आदेश दे सकेगाः

परन्तु इस अधिनियम या इसके अधीन विरचित नियम या उप–विधि के अधीन किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन ऐसा अपराध कारित किये जाने के पश्चात् छह मास के भीतर के सिवाय संस्थित नहीं किया जायेगा।

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या उप–विधियों के अधीन कोई अभियोजन उसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष संस्थित किया जा सकेगा, और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उप–विधि के अधीन या उसके आधार पर, अधिरोपित प्रत्येक जुर्माना या शास्ति और प्रतिकर या अन्य व्ययों के सभी दावे जिनकी वसूली के लिए इस अधिनियम में अन्यथा कोई विशेष उपबंध न किया गया हो, ऐसे मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर उसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर ऐसे व्यक्ति की, जिस पर धन का दावा किया जा सके, किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति के करस्थम् तथा विक्रय द्वारा वसूल किये जा सकेंगे।

299. **अपराधों के अभियोजन के संबंध में शक्तियां.**– नगरपालिका–

(क) किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसने नगरपालिका की राय में इस अधिनियम या उसके अधीन बनायी गयी किसी उप–विधि के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया हो, समझौता कर सकेगी और ऐसा समझौता कर लिए जाने पर ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे अपराध के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी;

(ख) इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनायी गयी किसी उप–विधि के अधीन अभियोजनों को प्रत्याहृत कर सकेगी;

(ग) इस अधिनियम के या इसके अधीन बनायी गयी किसी उप–विधि के विरुद्ध किये गये ऐसे किसी अपराध का, जो राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा प्रशमनीय घोषित किया गया हो, प्रशमन कर सकेगी:

परन्तु इस धारा के अधीन, अपराधों के संबंध में समझौता करने के लिए सशक्त व्यक्तियों की कार्यवाहियों को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकेगी।

300. **नगरपालिका की सम्पत्ति के नुकसान की पूर्ति कैसे की जाये**.–यदि किसी कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम द्वारा, जिसके कारण कोई व्यक्ति इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित किसी शास्ति का भागी हुआ हो, और यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा नगरपालिका की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया गया हो, तो ऐसी शास्ति की अदायगी के साथ–साथ ऐसे नुकसान की पूर्ति का भी भागी होगा, तथा विवाद की दशा में नुकसानी की रकम उस मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित की जायेगी जिसके द्वारा ऐसी शास्ति का भागी व्यक्ति सिद्धदोष ठहराया गया है और मांग किये जाने पर ऐसी नुकसानी का संदाय न होने की दशा में वह करस्थम् द्वारा उद्गृहीत की जायेगी तथा ऐसा मजिस्ट्रेट तदनुसार वारन्ट जारी करेगा।

301. **कतिपय अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना.–** दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम की धारा 167, 236, और 245, के अधीन दण्डनीय कोई अपराध संज्ञेय और जमानतीय होगा।

302. **प्रक्रिया त्रुटियुक्त होते हुए भी करस्थम् विधिपूर्ण होगा**.– इस अधिनियम के आधार पर उद्गृहीत कोई भी करस्थम् किसी समन, दोषसिद्धि या करस्थम् के वारण्ट या उससे संबंधित अन्य कार्यवाही में प्रक्रिया की त्रुटि के कारण न तो अविधिपूर्ण समझा जायेगा और न ही उसे करने वाला कोई पक्षकार अतिचारी समझा जायेगा और न ही ऐसा

पक्षकार अपने द्वारा तत्पश्चात् की गयी किसी अनियमितता के कारण प्रारम्भ से ही अतिचारी समझा जायेगा, किन्तु ऐसी अनियमितता से व्यथित समस्त व्यक्ति सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में विशेष नुकसान के लिए पूरा अनुतोष वसूल कर सकेंगे।

303. **वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया.**– इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन वसूली की किसी अनुज्ञात प्रक्रिया के बदले में या ऐसी प्रक्रिया द्वारा इस अधिनियम के अधीन वसूलीय सम्पूर्ण रकम या उसके किसी भाग की या इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी प्रतिकर, व्यय, प्रभार या नुकसानी की सम्पूर्ण रकम या उसके किसी भाग की वसूली करने में विफल रहने की दशा में उसके संदाय के दायी व्यक्ति पर सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में वाद लाना नगरपालिका के लिए विधिपूर्ण होगा।

304. **नगरपालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद.**–(1) नगरपालिका के विरुद्ध या नगरपालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध या उनमें से किसी के भी निदेश के अधीन कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी पदीय हैसियत से किये गये या ऐसे किये जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के लिए तब तक कोई वाद संस्थित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका लिखित नोटिस, वाद–हेतुक, चाहे गये अनुतोष का स्वरूप, दावाकृत प्रतिकर की रकम तथा आशयित वादी के नाम और निवास स्थान का स्पष्ट कथन करते हुए नगरपालिका की दशा में उसके कार्यालय में दे दिये जाने और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी या व्यक्ति की दशा में उसे परिदत्त कर दिये जाने या उसके कार्यालय या निवास स्थान पर दे दिये जाने के पश्चात्, दो मास समाप्त न हो गये हों, तथा

वादपत्र में इस बात का कथन होगा कि ऐसा नोटिस इस प्रकार परिदत्त कर दिया गया है या दे दिया गया है।

(2) उप–धारा (1) में यथावर्णित कोई कार्रवाई वाद हेतुकों के उद्भूत होने के पश्चात् अगले छह मास के भीतर ही प्रारम्भ की जायेगी सिवाय उस दशा के जब कि वह स्थावर सम्पत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए या उसके हक की घोषणा के लिए कार्रवाई हो।

(3) उप–धारा (1) की कोई भी बात किसी ऐसे वाद पर लागू नहीं समझी जायेगी जिसमें दावाकृत अनुतोष केवल ऐसा व्यादेश हो जिसका उद्देश्य नोटिस देने अथवा वाद या कार्यवाही के प्रारम्भ को मुल्तवी करने से विफल हो जाये।

305. **कतिपय मामलों में सिविल न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का मंजूर नहीं किया जाना**.– कोई सिविल न्यायालय किसी वाद के अनुक्रम में,–

(क) किसी नगरपालिका के या उसकी समिति या उप–समिति के किसी सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिकारी या कर्मचारी की शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों का निर्वहन करने से किसी व्यक्ति को, इस आधार पर अवरूद्ध करते हुए कि ऐसा व्यक्ति ऐसे सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिकारी या कर्मचारी के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त नहीं किया गया है, या

(ख) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को या किसी नगरपालिका या नगरपालिका की समिति या उप समिति को, कोई निर्वाचन करवाने या किसी विशिष्ट रीति से कोई निर्वाचन करवाने से अवरूद्ध करते हुए,

कोई अस्थायी व्यादेश या कोई अन्तरिम आदेश नहीं देगा।

306. **समझौता करने की शक्ति**.– (1) नगरपालिका उसके द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित किसी वाद के संबंध में या उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन की गयी किसी संविदा से उद्भूत होने वाले किसी दावे या मांग के संबंध में ऐसी धनराशि या अन्य प्रतिकर पर, जो वह पर्याप्त समझे, प्रशमन या समझौता कर सकेगी:

परन्तु किसी संविदा के किये जाने में यदि कोई मंजूरी इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित है तो ऐसी संविदा से उदभूत होने वाले किसी दावे या मांग का प्रशमन या समझौता करने के लिए भी ऐसी मंजूरी अभिप्राप्त की जायेगी।

(2) नगरपालिका इस अधिनियम के अधीन स्वयं में, उसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों में निहित किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के कारण किसी व्यक्ति को हुए किसी नुकसान के लिए नगरपालिक निधि से प्रतिकर दे सकेगी।

(3) नगरपालिक निधि, नगरपालिका की ओर से अभियोजित या प्रतिवादित किसी सिविल कार्यवाही के व्यय का संदाय करने के दायित्वाधीन होगी।

307. **नगरपालिक अभिलेखों को साबित करने की रीति**.– नगरपालिका के कब्जे में की किसी रसीद, आवेदनपत्र, रेखांक, नोटिस, आदेश की प्रतिलिपि, किसी रजिस्टर या अन्य दस्तावेज की प्रविष्टि को यदि उसके वैध अभिरक्षक द्वारा या इस निमित्त प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित कर दिया जाये तो उसे उस प्रविष्टि या दस्तावेज की विद्यमानता के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और प्रत्येक मामले में, उसमें अभिलिखित मामलों और संव्यवहारों के साक्ष्य के रूप में वहां तक तथा उस सीमा तक ग्रहण किया जायेगा, जहां तक तथा जिस सीमा तक मूल प्रविष्टि या दस्तावेज, यदि प्रस्तुत किये जाते, तो ऐसे मामले को साबित करने के लिए ग्राह्य होते।

308. **दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नगरपालिका के कर्मचारियों को समन करने पर निर्बन्धन.**– नगरपालिका के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी से किसी भी विधिक कार्यवाही में जिसमें नगरपालिका पक्षकार नहीं है, कोई रजिस्टर या दस्तावेज जिसकी विषय–वस्तु पूर्ववर्ती धारा के अधीन प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा साबित की जा सकती है, प्रस्तुत करने या उसमें अभिलिखित मामलों तथा संव्यवहारों को साबित करने के लिए साक्षी के रूप में उपसंजात होने की अपेक्षा नहीं की जायेगी जब तक कि विशेष कारण से न्यायालय के आदेश द्वारा ऐसी अपेक्षा न की जाये।

## अध्याय 14

## नियंत्रण

309. **निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति और शक्तियां.–** (1) राज्य सरकार किसी अधिकारी को निदेशक, स्थानीय निकाय के रूप में चाहे किसी भी पदनाम से हो, नियुक्त कर सकेगी जो ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसे इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के द्वारा या अधीन प्रत्यायोजित या प्रदत्त की जायें।

(2) राज्य सरकार इतने अन्य अधिकारियों को भी नियुक्त कर सकेगी जो वह निदेशक की सहायता के लिए ठीक समझे और वे निदेशक के निदेश तथा नियन्त्रण के अधीन रहेंगे।

(3) इस प्रकार नियुक्त अन्य अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे तथा ऐसी स्थानीय अधिकारिता रखेंगे जो उन्हें निदेशक के द्वारा समनुदिष्ट की जाये।

310. **निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण की शक्तियां.**– (1) राज्य सरकार द्वारा किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी को निम्नलिखित शक्तियां होंगी–

(क) किसी नगरपालिका या उसके नियंत्रण या प्रबन्ध के अधीन किसी संस्था के अधिभोग में की किसी स्थावर सम्पत्ति या उसके अधीन या उसके निदेश या नियंत्रण के अधीन चल रहे किसी कार्य के स्थल में प्रवेश तथा निरीक्षण करने या प्रवेश तथा निरीक्षण करवाने;

(ख) किसी नगरपालिका की या किसी समिति की कार्यवाहियों से किसी उद्धरण या नगरपालिका के कब्जे के या नियंत्रणाधीन किसी दस्तावेज या पुस्तक तथा किसी विवरणी, विवरण, लेखे या रिपोर्ट जिसकी ऐसे नगरपालिका से प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना वह उचित समझे, के लिए अपेक्षा करने की;

(ग) किसी नगरपालिका से ऐसी आपत्ति पर, जो उसे किसी ऐसी बात के करने के संबंध में जो ऐसी नगरपालिका द्वारा की जाने वाली हो या की जा रही हो, विद्यमान प्रतीत हो, या किसी ऐसी जानकारी पर, जिसे वह प्रस्तुत करने में समर्थ हो और जो उसे नगरपालिका द्वारा कतिपय बातों के किये जाने के लिए आवश्यक प्रतीत हो, विचार करने की तथा ऐसी बात को करने से विरत न रहने या उसे न करने के संबंध में अपने कारण बतलाते हुए युक्तियुक्त समय के भीतर उसे लिखित उत्तर देने की अपेक्षा करने की; और

(घ) नगरपालिका के किसी मामले में राज्य सरकार द्वारा यथानिदेशित जांच संचालित करने की और सुसंगत

अभिलेख को प्रस्तुत करने की मांग करने के साथ ऐसे अभिलेख को कब्जे में लेने की, जो राज्य सरकार को उसकी जांच रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना है।

(2) ऐसे अधिकारी को, जिसे उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किया जाये, दी गयी समस्त या कोई भी शक्ति उसके द्वारा अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को, जो उप–खण्ड अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो, प्रत्यायोजित की जा सकेगी।

311. **नगरपालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति.**–राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी भी नगरपालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने तथा ऐसी किसी नगरपालिका के अभिलेखों को तलब करने की शक्ति होगी।

312. **नगरपालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलम्बित करने की शक्ति.**– (1) यदि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त या प्राधिकृत ऐसे किसी अधिकारी की राय में नगरपालिका के किसी आदेश या संकल्प का निष्पादन या किसी काम का किया जाना जो नगरपालिका द्वारा या उसकी ओर से किया जाने वाला हो या किया जा रहा हो, जनता को हानि या क्षोभ पहुंचा रहा है या जिसके पहुंचने की सम्भावना है या उससे शांति भंग होती है या वह नगरपालिका के हित में अहितकर या विधिविरुद्ध है तो वह अपने हस्ताक्षरों से लिखित आदेश द्वारा निष्पादन को निलम्बित कर सकेगा या उस काम के किये जाने को प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

(2) जब ऐसा कोई अधिकारी इस धारा के अधीन कोई आदेश करता है तो वह आदेश की एक प्रति उसके किये जाने के कारणों के विवरण सहित राज्य सरकार को तथा उससे प्रभावित नगरपालिका को तत्काल अग्रेषित करेगा और यह राज्य के विवेकाधीन होगा कि वह आदेश

को विखण्डित करे या यह निदेश दे कि वह उपान्तरण सहित या उसके बिना स्थायी रूप से या ऐसी कालावधि के लिए जो वह उचित समझे, प्रवृत्त रहेगा :

परन्तु ऐसे अधिकारी के इस धारा के अधीन पारित किसी भी आदेश को नगरपालिका को उक्त आदेश के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना राज्य सरकार द्वारा पुष्ट, पुनरीक्षित या उपान्तरित नहीं किया जायेगा ।

313. **आपात की दशा में असाधारण शक्तियां.**– (1) आपात की दशा में जिला मजिस्ट्रेट किसी संकर्म के निष्पादन या किसी कार्य के किये जाने के लिए व्यवस्था कर सकेगा जिसे निष्पादित करने या किये जाने के लिए नगरपालिका सशक्त हो और जिसका तुरन्त निष्पादन या किया जाना उसकी राय में जनता के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए आवश्यक हो तथा वह निदेश दे सकेगा कि संकर्म के निष्पादन या कार्य के किये जाने के व्यय का संदाय उसे निष्पादित या कार्य के किये जाने के लिए नियुक्त व्यक्ति को समुचित पारिश्रमिक सहित नगरपालिका द्वारा तत्काल किया जायेगा ।

(2) यदि व्यय तथा पारिश्रमिक का संदाय नहीं किया जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा में उस समय नगरपालिका के निमित्त कोई धन हो, निदेश देते हुए आदेश दे सकेगा कि वह ऐसे धन में से, जो उसके पास हो या जो समय–समय पर उसे प्राप्त हो ऐसे व्यय तथा पारिश्रमिक का संदाय करे और ऐसा व्यक्ति ऐसे आदेश का पालन करने के लिए आबद्ध होगा ।

(3) धारा 312 की उप–धारा (2) के उपबन्ध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन किये गये किसी आदेश पर लागू होंगे ।

314. **आपात समय में नगरपालिका द्वारा कर्मचारियों के लिए सरकार की अध्यपेक्षा का अनुपालन.**– युद्ध, अकाल, दुर्भिक्ष, खतरनाक रोग,

बाढ़ या किसी ऐसे ही आपात की दशा में और, मेलों या अन्य अवसरों को, जिनमें काफी संख्या में लोग एकत्रित होते हों, व्यवस्था करने के लिए नगरपालिका, राज्य सरकार द्वारा या अध्यपेक्षा करने के लिए साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा, उसके चिकित्सा, जनस्वास्थ्य, स्वच्छता, टीका, पशु–चिकित्सा, विद्युत्, जल संकर्म या सार्वजनिक निर्माण विभागों में पद धारण करने वाले नगरपालिका के किसी भी अधिकारी या पदधारी की सेवाओं के लिए या नगरपालिका द्वारा नियोजित किसी वैद्य या हकीम की सेवाओं के लिए की गयी किसी अध्यपेक्षा का, तुरन्त अनुपालन करेगी और अध्यपेक्षा किये जाने से संबंधित प्रभार के ऐसे अनुपात की पूर्ति करेगी जो राज्य सरकार नगरपालिका पर उचित प्रभार के रूप में विनिश्चित करे।

315. **सार्वजनिक संकर्मों के निष्पादन के लिए अभिकरण.**– (1) ऐसे सार्वजनिक संकर्म, जिनके लिए राज्य सरकार की राय में, किसी अंश तक वृत्तिक कुशलता अपेक्षित हो, जो नगरपालिका के प्रबंधनाधीन न हो, राज्य सरकार द्वारा या ऐसे अभिकरण द्वारा जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, कार्यान्वित किये जायेंगे।

(2) नगरपालिका के अन्य समस्त संकर्म इस निमित्त बनाये गये नियमों के अध्यधीन ऐसे अभिकरण द्वारा तथा ऐसे पर्यवेक्षण के अधीन जो नगरपालिका उचित समझे, निष्पादित किये जायेंगे।

(3) जब नगरपालिका के लिए कोई संकर्म राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के आदेशों के अधीन किसी अन्य अभिकरण द्वारा निष्पादित किया जाये तो संकर्म पर उपगत व्यय, पर्यवेक्षण तथा औजारों और संयत्रों के लिए किये गये प्रभारों सहित ऐसी दरों पर जो राज्य सरकार समय–समय पर नियत करे, राज्य सरकार या ऐसे अन्य अभिकरण को संदेय होंगे, सिवाय उस दशा के जब कि उन्हें राज्य सरकार द्वारा अधित्यक्त कर दिया जाये।

(4) यदि उप–धारा (3) के अधीन राज्य सरकार या अन्य अभिकरण को देय रकम का युक्तियुक्त समय के भीतर संदाय नहीं किया जाये तो राज्य सरकार उस व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा में नगरपालिक निधि हो, यह निदेश देते हुए आदेश दे सकेगी कि वह ऐसी निधि में से किसी भी अन्य प्रभार पर पूर्विकता देते हुए उसका संदाय कर दे तथा ऐसा व्यक्ति नगरपालिका की जमा निधि की सीमा तक ऐसे आदेश का पालन करने के लिए आबद्ध होगा।

316. **राज्य सरकार द्वारा निष्पादित संकर्मों के संबंध में विशेष उपबन्ध.**–(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के लिए किसी भी समय नगरपालिका से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित कार्य करना विधिपूर्ण होगा–

(क) स्थायी प्रकृति के किसी संकर्म या संकर्मों का, जो राज्य सरकार की राय में निवासियों के, चाहे वे किसी नगरपालिका के भीतर के हों या बाहर के, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए आवश्यक या वांछनीय है या हैं; पूर्णतः या भागतः निर्माण करना;

(ख) किसी ऐसे संकर्म के प्रबन्ध तथा अनुरक्षण के कार्य को अपने पास या उसे पूर्णतः या भागतः नगरपालिका को सौंप देना या नगरपालिका से वापस लेना;

(ग) किसी ऐसे संकर्म की पूंजी लागत तथा उसके प्रबन्ध तथा अनुरक्षण की लागत, उस पर ऐसी दर से ब्याज सहित, जो राज्य सरकार नियत करे, नगरपालिक निधि से या इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कर या करों के आगमों से वसूल करना।

(2) किसी व्यक्ति का, जिसकी अभिरक्षा में तत्समय, नगरपालिका की ओर से कोई धन हो, यह कर्तव्य होगा कि वह पूर्ववर्ती

उप–धारा के खण्ड (ग) के अधीन नगरपालिका द्वारा संदत्त की जाने वाली राज्य सरकार द्वारा निदिष्ट सभी रकमों का संदाय ऐसे धन से करे, जो उसके पास हो या जो समय–समय पर उसे प्राप्त हो।

317. **नगरपालिक मामलों की सरकार द्वारा जांच**.– (1) राज्य सरकार अपने द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी को किसी नगरपालिका के नगरपालिक प्रशासन से संबंधित किन्हीं मामलों में या ऐसे किन्हीं मामलों की जिनके संबंध में इस अधिनियम के अधीन उसकी मंजूरी, अनुमोदन या सहमति अपेक्षित है, जांच करने का आदेश दे सकेगी।

(2) ऐसी जांच करने वाले अधिकारी को इस प्रयोजनार्थ वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन किसी न्यायालय में निहित हैं:–

(क) प्रकटीकरण तथा निरीक्षण,

(ख) साक्षियों को हाजिर कराना तथा उनके व्ययों को जमा कराने की अपेक्षा करना,

(ग) दस्तावेजों को पेश किये जाने के लिए बाध्य करना,

(घ) शपथ पर साक्षियों की परीक्षा करना,

(ङ) स्थगन देना,

(च) शपथ पत्र पर लिए गये साक्ष्य को ग्रहण करना, और

(छ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना,

और वह स्वप्रेरणा से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी साक्ष्य उसको तात्विक प्रतीत हो, समन कर सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के अर्थान्तर्गत उसे सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

**स्पष्टीकरण.–** साक्षियों को हाजिर कराने के प्रयोजनार्थ राज्य की सीमाएं ही ऐसे अधिकारी की अधिकारिता की सीमाएं होंगी।

(3) साक्ष्य देने के लिए हाजिर होने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उपगत युक्तियुक्त व्यय जांच करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को दिलवाये जा सकेंगे तथा उसे खर्चे का भाग समझा जायेगा।

(4) खर्चों का संदाय राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर होगा और उसको यह निर्धारित करने की कि ऐसे खर्चों का संदाय किसके द्वारा और किसको तथा किस सीमा तक किया जाना है तथा ऐसे खर्चों पर ऐसी दर से ब्याज, जो पंद्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक न हो, अनुज्ञात करने की पूर्ण शक्ति होगी और ऐसे खर्चे तथा ब्याज भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होंगे।

318. **कर्मचारी वर्ग के नियोजन में अपव्यय को रोकने की सरकार की शक्ति**.– (1) यदि राज्य सरकार की राय में नगरपालिका द्वारा अधिकारियों या कर्मचारियों के रूप में नियोजित या नियोजन के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों की संख्या या उन व्यक्तियों या किसी व्यक्ति विशेष के लिए नगरपालिका द्वारा नियत किया गया पारिश्रमिक अत्यधिक हो तो नगरपालिका राज्य सरकार द्वारा अध्यपेक्षा किये जाने पर उक्त व्यक्तियों या व्यक्ति का पारिश्रमिक कम कर देगी।

(2) राज्य सरकार के लिए इस बात की अपेक्षा करना विधिपूर्ण होगा कि–

(i) मुख्य नगरपालिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति में नगरपालिका द्वारा, इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त इस अधिनियम के अधीन या तत्सम प्रवृत्त किन्हीं नियमों के अधीन विधिपूर्वक

उसे प्रत्यायोजित की जा सकने वाली समस्त या कोई शक्तियां विनिहित की जायेंगी;

(ii) धारा 273 में निर्दिष्ट समस्त या उनमें से कोई शक्ति किसी ऐसी नगरपालिका द्वारा, चाहे वहां कोई मुख्य नगरपालिक अधिकारी हो या नहीं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या ऐसे किसी सदस्य को, जो राज्य सरकार उचित समझे, प्रत्यायोजित कर दी जायेगी।

(3) उप–धारा (2) के खण्ड (i) या खण्ड (ii) के अधीन किसी नगरपालिका को जारी की गयी किसी अध्यपेक्षा का ऐसे समय के भीतर, जो राज्य सरकार प्रत्येक मामले में इस निमित्त विहित करे, अनुपालन किया जायेगा।

(4) राज्य सरकार को किसी नगरपालिका में कर्मचारियों की आवश्यकता निर्धारित करने की शक्ति होगी और जहां उसका यह समाधान हो जाये कि कतिपय कर्मचारी अधिक हैं वहां नगरपालिकाओं के कर्मचारियों के किसी भी वर्ग की सेवा को शासित करने वाले तत्समय प्रवृत्त नियमों में अर्न्तविष्ट किसी बात के होने पर भी, वह उन्हें अतिशेष घोषित कर सकेगी और वह रीति, जिससे अतिशेष कर्मचारी अन्य नगरपालिकाओं में आमेलित किये जायेंगे, विहित कर सकेगी।

319. **नगरपालिका द्वारा कर्तव्यों के अनुपालन में व्यतिक्रम करने पर अनुपालना की व्यवस्था करने की सरकार की शक्ति**.– (1) जब राज्य सरकार को शिकायत द्वारा या अन्यथा सूचना मिलती है कि किसी नगरपालिका ने इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य के अनुपालन में व्यतिक्रम किया है, तो राज्य सरकार सम्यक् जांच करने के पश्चात्, यदि उसका समाधान हो जाये कि नगरपालिका

अभिकथित व्यतिक्रम की दोषी है, उस कर्तव्य का अनुपालन कराने के लिए कालावधि नियत कर सकेगी।

(2) यदि नियत कालावधि के भीतर उस कर्तव्य का अनुपालन न किया जाये तोराज्य सरकार उसका अनुपालन कराने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी और यह निदेश दे सकेगी कि उसका अनुपालन कराने के लिए नियुक्त व्यक्ति को युक्तियुक्त पारिश्रमिक सहित, उसका अनुपालन करने के व्यय का संदाय नगरपालिका द्वारा तुरन्त किया जायेगा।

(3) यदि व्यय तथा पारिश्रमिक का इस प्रकार संदाय न किया जाये, तो राज्य सरकार ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा में तत्समय, नगरपालिका की ओर से कोई धन राशियां हों, ऐसी धन राशियों में से जो उसके पास जमा हों या समय–समय पर उसे प्राप्त हों, ऐसे व्यय तथा पारिश्रमिक का संदाय करने का निदेश देते हुए आदेश कर सकेगी और ऐसा व्यक्ति ऐसे आदेश का पालन करने के लिए आबद्ध होगा।

320. **नगरपालिका की स्थापना होने तक उसकी शक्तियों का प्रयोग**.– जब नयी नगरपालिका का सृजन किया जाये, तो ऐसा अधिकारी, समिति या प्राधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाये, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नगरपालिका की स्थापना होने तक नगरपालिका की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों तथा कृत्यों का पालन कर सकेगा और ऐसे अधिकारी, समिति या प्राधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नगरपालिका समझा जायेगा :

परन्तु हमेशा ऐसा अधिकारी, समिति या प्राधिकारी, नगरपालिका के सृजन के छह मास के भीतर प्रथम निर्वाचन करवाने तथा नगरपालिका का गठन हो जाने के पश्चात् शीघ्रता से उसके द्वारा कर्तव्य ग्रहण किये जाने की व्यवस्था करेगा:

परन्तु यह और कि ऐसा अधिकारी, समिति या प्राधिकारी कोई नया कर प्रस्तावित या अधिरोपित करने और उप–विधियां बनाने का हकदार नहीं होगा।

321. **उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में नगरपालिक निधि है सरकारी देयों का संदाय करने का निदेश देने की सरकार की शक्ति**.– यदि कोई नगरपालिका राज्य सरकार को देय किसी रकम का संदाय करने में व्यतिक्रम करे तो राज्य सरकार नगरपालिक निधि की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति को ऐसी निधि में से किसी अन्य प्रभार के संदाय पर पूर्विकता देते हुए उसका संदाय करने का निदेश देते हुए आदेश कर सकेगी और ऐसा व्यक्ति नगरपालिका की जमा निधि की सीमा तक, ऐसे आदेश का पालन करने के लिए आबद्ध होगा ।

322. **क्षमता न होने या दो–तिहाई से कम निर्वाचित सदस्य होने की दशा में नगरपालिका को विघटित करने की सरकार की शक्ति**.–(1) यदि किसी समय राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि कोई नगरपालिका इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन या किसी अन्य विधि द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं है या उनका पालन करने में बारबार व्यतिक्रम करती है या अपनी शक्तियों का अतिक्रमण या दुरुपयोग करती है तो राज्य सरकार ऐसा करने के कारण बताते हुए राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा घोषणा कर सकेगी कि ऐसी नगरपालिका अक्षम या व्यतिक्रमी है, या, यथास्थिति, उसने अपनी शक्तियों का अतिक्रमण या दुरूपयोग किया है, और विघटन के आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से ऐसी नगरपालिका को विघटित कर सकेगीः

परन्तु इस उप–धारा के अधीन कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नगरपालिका को अपने अध्यक्ष के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का तथा सुने जाने का यदि नगरपालिका ऐसा चाहे तो, युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया होः

परन्तु यह और कि इस उप–धारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा–

(i) जब तक कि राज्य सरकार ने नगरपालिका के विरुद्ध आरोपों को स्पष्टतः लेखबद्ध करते हुए विवरण तैयार न कर लिया हो तथा उसे विहित रीति से जांच करने तथा निष्कर्ष निकालने के लिए विहित रीति से गठित अधिकरण को, जिसमें एक अध्यक्ष तथा कम से कम दो सदस्य होंगे, न भेज दिया हो, या

(ii) जब तक कि वह ऐसे निष्कर्षों के अनुरूप न हो।

**स्पष्टीकरण.–**यदि किसी भी कारण से किसी नगरपालिका में रिक्तियों की संख्या स्थानों की कुल संख्या के दो –तिहाई से अधिक हो तो नगरपालिका को उस पर इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने के लिए सक्षम नहीं समझा जायेगा।

(2) राज्य सरकार किसी नगरपालिका को विघटित करेगी यदि किसी भी समय उसके निर्वाचित सदस्य उसके कुल सदस्यों के दो तिहाई से कम रह जायें।

(3) जब किसी नगरपालिका को उप–धारा (1) या इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध के अधीन विघटित कर दिया जाये तो उसके निम्नलिखित परिणाम होंगेः–

(क) नगरपालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए उसके सभी सदस्य, विघटन के आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख को अपने – अपने पद रिक्त कर देंगे किन्तु इससे पुनर्निर्वाचन या पुनर्नियुक्ति की उनकी पात्रता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ; और

(ख) विघटन की कालावधि के दौरान नगरपालिका की सभी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन ऐसे

अधिकारी के द्वारा प्रशासक के रूप में किया जायेगा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे।

(4) किसी नगरपालिका को गठित करने के लिए कोई निर्वाचन उसके विघटन की तारीख से छह मास की कालावधि समाप्त होने के पूर्व पूरा किया जायेगाः

परन्तु जहां वह शेष कालावधि जिस तक, विघटित नगरपालिका बनी रहती, छह मास से कम हो, वहां ऐसी कालावधि के लिए नगरपालिका को गठित करने के लिए इस उप–धारा के अधीन कोई भी निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

(5) अपनी कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व नगरपालिका के विघटन पर गठित कोई नगरपालिका उस शेष कालावधि तक के लिए ही बनी रहेगी जिसके लिए विघटित नगरपालिका धारा 7 के अधीन तब बनी रहती यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की गयी होती।

(6) इस धारा के अधीन किये गये विघटन का कोई आदेश उसके किये जाने के पश्चात् उसके कारणों के कथन के साथ राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष, यथाशक्य शीघ्र रखा जायेगा।

323. **नगरपालिका तथा एक या अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद**.– (1) इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले के संबंध में यदि नगरपालिका तथा एक या अधिक अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच कोई विवाद, जिसके विनिश्चय के लिए इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्ध नहीं है, विद्यमान हो तथा विवाद का सौहार्दपूर्ण रूप से समझौता नहीं होता है तो–

(क) यदि विवाद उसी जिले की किसी अन्य नगरपालिका से या किसी पंचायत से हो तो कलक्टर विवाद का संज्ञान कर सकेगा और स्वयं उसका विनिश्चय कर सकेगा तथा उसका विनिश्चय अंतिम होगा ; और

(ख) अन्य सभी मामलों में मामला संभागीय आयुक्त को निर्दिष्ट किया जायेगा जो विवाद का संज्ञान कर सकेगा और उसका विनिश्चय कर सकेगा तथा संभागीय आयुक्त का विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) उप–धारा (1) में निर्दिष्ट किसी विवाद के संबंध में सिविल न्यायालय द्वारा कोई वाद ग्रहण नहीं किया जायेगा ।

324. **नगरपालिका और नगर सुधार न्यास, नगर विकास प्राधिकरण या किसी अन्य कानूनी बोर्ड के बीच विवाद.**– किसी नगरपालिका और किसी भी नगर विकास न्यास, नगर विकास प्राधिकरण, आवासन बोर्ड या किसी भी अन्य कानूनी बोर्ड के बीच क्षेत्रीय और कृत्यकरण सम्बन्धी अधिकारिता से सम्बन्धित समस्त विवाद, यदि सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं होते तो उन्हें राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा और ऐसे मामले पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

325. **सरकार की नगरपालिकाओं की उप–विधियों तथा नियमों को रद्द या उपान्तरित करने की शक्ति.**– (1) राज्य सरकार किसी भी समय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी नगरपालिका द्वारा बनाये गये किसी भी नियम या उप–विधि को पूर्णतः या भागतः निरसित या उपान्तरित कर सकेगीः

परन्तु इस उप–धारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व राज्य सरकार नगरपालिका को वे आधार, जिन पर वह ऐसा करने की प्रस्थापना करती है, संसूचित करेगी, प्रस्थापना के विरुद्ध हेतुक–दर्शित करने के लिए नगरपालिका के लिए युक्तियुक्त कालावधि नियत करेगी तथा नगरपालिका के स्पष्टीकरण तथा आपत्तियों, यदि कोई हों, पर विचार करेगी।

(2) किसी नियम या उप–विधियों का निरसन या उपान्तरण, यदि अधिसूचना में कोई तारीख विनिर्दिष्ट नहीं की गयी हो तो राजपत्र में

उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा तथा ऐसी तारीख से पूर्व की गयी या लोपित या सहन की गयी किसी बात को प्रभावित नहीं करेगी।

326. **सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन.**– (1) राज्य सरकार द्वारा धाराओं 3,6,7,67,94,102,103,107,111,142,297,318,322,325,337,339 और 340 या इस धारा के प्रयोक्तव्य शक्तियों या इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन अपील प्राधिकारी नियुक्त करने की शक्ति को छोड़कर, इस अधिनियम के अधीन की अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों को अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार यह आदेश भी कर सकेगी कि इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध द्वारा या उसके अधीन या उसके अनुसरण में किसी कलक्टर या राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए ऐसे किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा, जिसे आदेश में नामित किया जाये।

327. **अभिलेख मंगवाने की शक्ति**.– (1) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, किसी नगरपालिका, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, किसी सदस्य या अधिकारी के द्वारा या उसकी ओर से इस अधिनियम के अधीन पारित या पारित किया गया तात्पर्यित किसी आदेश या संकल्प की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में समाधान करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत अभिलेख मंगा सकेगा तथा ऐसा करते समय निदेश दे सकेगा कि ऐसे अभिलेख की परीक्षा होने तक ऐसे आदेश या संकल्प को आस्थगित रखा जायेगा और राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी परीक्षा करने या उप–धारा (2) के अधीन आदेश पारित होने तक उसके बारे में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।

(2) राज्य सरकार या यथा पूर्वोक्त प्राधिकृत अधिकारी, अभिलेख की परीक्षा करने पर ऐसे आदेश या संकल्प को विखंडित कर सकेगा, उलट सकेगा या उपान्तरित कर सकेगा और राज्य सरकार या यथापूर्वोक्त अधिकारी का आदेश अंतिम और नगरपालिका पर बाध्यकारी होगा।

## अध्याय 15

## कर्मचारिवृन्द

328. **राजस्थान नगरपालिक सेवा का सृजन**.– (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, सम्पूर्ण राज्य के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगरपालिक सेवा के नाम से एक सेवा सृजित तथा गठित की जायेगी, जिसे इसमें इसके पश्चात् सेवा कहा गया है।

(2) सेवा विभिन्न प्रवर्गों में विभाजित की जायेगी, प्रत्येक प्रवर्ग को विभिन्न श्रेणियों में उप–विभाजित किया जायेगा तथा उसमें प्रशासनिक तथा तकनीकी अधिकारी समाविष्ट होंगे।

329. **नगरपालिकाओं का वर्गीकरण**.– (1) सेवा के सृजन और गठन के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार समय–समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा–

(क) राज्य की नगरपालिकाओं को उनकी आय या अन्य कारकों जैसे जनसंख्या या स्थानीय क्षेत्र के महत्व और अन्य परिस्थितियों के अनुसार वर्गों में विभाजित कर सकेगी, और

(ख) किसी नगरपालिका को एक वर्ग से दूसरे वर्ग में अन्तरित कर सकेगी।

(2) पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकार ऐसी ही अधिसूचना द्वारा उप–धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रत्येक वर्ग में सम्मिलित सभी

नगरपालिकाओं के लिए सेवा के विभिन्न पदनामों वाले विभिन्न पदों के लिए एक समान वेतनमान भी विहित कर सकेगी।

330. **सेवा में के पदों पर भर्ती.**– (1) सेवा के सृजन तथा गठन पर उसमें के सभी पदों पर नियुक्तियां धारा 337 के अधीन के किन्हीं नियमों के अध्यधीन और धारा 339 के अधीन बनाये गये नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 332, 333 या, यथास्थिति, 335 के उपबंधों के अनुसार ही की जायेंगीः–

(क) सीधी भर्ती द्वारा,

(ख) पदोन्नति द्वारा,

(ग) स्थानान्तरण द्वारा, या

(घ) आपवादिक मामले में, जब नगरपालिक सेवा में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो, प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) राज्य सरकार वे निबंधन और शर्तें अधिकथित करेगी जिन पर राज्य सेवा से स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्तियां की जायेंगी।

(3) राज्य सरकार के अनुमोदन से तथा ऐसे सामान्य या विशेष निदेशों के अनुरूप, जो वह समय–समय पर जारी करे, किसी नगरपालिका के किसी अधिकारी या कर्मचारी को, जो सेवा का सदस्य हो, किसी अन्य नगरपालिका की सेवा में स्थानान्तरित किया जा सकेगा ।

(4) नगरपालिका के लिए निम्नलिखित विधिपूर्ण नहीं होगा,–

(क) राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना राज्य सरकार के किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी या कर्मचारी को लेना,

(ख) राज्य सरकार के आदेशों को प्राप्त किये बिना किसी अधिकारी या कर्मचारी को पदमुक्त कर देना,

(ग) किसी अधिकारी या कर्मचारी को ड्यूटी ग्रहण कराने से मना कर देना या अनुमति नहीं देना, जब ऐसा

कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरित या प्रतिनियुक्त किया गया हो।

331. **आयोग से परामर्श**.– (1) सेवा के संबंध में राज्य लोक सेवा आयोग से, जिसे इसमें इसके पश्चात् आयोग कहा गया है, संविधान के अधीन उसके अपने कृत्यों के अतिरिक्त, निम्न विषयों पर भी परामर्श ली जायेगी,–

(क) सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों से संबंधित सभी मामलों पर, और

(ख) सेवा के सदस्यों को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनिक मामलों पर।

(2) आयोग का, उप–धारा (1) के अधीन उसे निर्दिष्ट किसी भी मामले पर सलाह देने का कर्तव्य होगा।

(3) आयोग का यह भी कर्तव्य होगा कि वह सेवा में या किसी श्रेणी या उसके प्रवर्ग में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं, यदि आवश्यक हों, संचालित कराये।

(4) आयोग, संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (2) के अधीन प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस धारा के अधीन सेवा के संबंध में आयोग द्वारा किये गये कार्य के बारे में एक रिपोर्ट सम्मिलित तथा समाविष्ट करेगा तथा ऐसी रिपोर्ट पर उक्त अनुच्छेद के उक्त खण्ड में यथाउपबंधित रीति से विचार किया जायेगा।

332. **राजस्थान नगरपालिक प्रशासनिक सेवा**.– (1) इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों तथा धारा 337 के अधीन बनाये गये नियमों या इस अध्याय के किसी अन्य उपबंध के अध्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त करेगी –

(i) प्रत्येक नगर निगम के लिए एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

(ii) प्रत्येक नगर निगम और नगर परिषद् के लिए ऐसी संख्या में आयुक्त, जो अवधारित की जाये,

(iii) प्रत्येक नगरपालिक बोर्ड के लिए कार्यपालक अधिकारी,

(iv) ऐसे प्रत्येक नगर निगम या नगर परिषद, जो आयुक्त के अतिरिक्त, सचिव नियुक्त करने का संकल्प करे, के लिए एक सचिव, और

(v) किसी भी नाम और पदनाम से, कोई भी अन्य प्रशासनिक अधिकारी, जो आवश्यक समझा जाये।

(2) धारा 333 या धारा 335 के अधीन या इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन नियुक्त सभी अधिकारी तथा कर्मचारी किसी नगर निगम, परिषद् और नगरपालिक बोर्ड में के क्रमशः मुख्य नगरपालिक अधिकारी, आयुक्त और कार्यपालक अधिकारी के अधीनस्थ होंगे।

(3) मुख्य नगरपालिक अधिकारी, आयुक्त, या, यथास्थिति, कार्यपालक अधिकारी इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उस पर अधिरोपित या उसे प्रत्यायोजित कर्तव्यों के अतिरिक्त, नगर निगम या नगर परिषद् या नगरपालिक बोर्ड के महापौर या सभापति या, यथास्थिति, अध्यक्ष के पूर्ण नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए,–

(क) नगरपालिका के वित्तीय और कार्यपालक नगरपालिक प्रशासन पर निगरानी रखेगा,

(ख) नगरपालिका के लेखाओं की संपरीक्षा के प्रक्रम में उसके नोटिस में लायी गयी या संपरीक्षा–रिपोर्ट में इंगित की गयी किसी त्रुटि या अनियमितता को दूर करने के लिए त्वरित उपाय करेगा,

(ग) नगरपालिका के धन या सम्पत्ति के प्रति कपट, गबन ,चोरी या हानि के सभी मामलों की रिपोर्ट करेगा,

(घ) निगम या परिषद् या बोर्ड द्वारा चाही गयी कोई विवरणी, विवरण, लेखे या रिपोर्ट या उसके प्रभार में का कोई अन्य दस्तावेज या उसकी प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा, और

(ङ) किसी बैठक में विचाराधीन किसी मामले के संबंध में स्पष्टीकरण देगा किन्तु उसमें ''उस'' पर मत नहीं डालेगा या उस पर कोई प्रतिपादन नहीं करेगा।

333. **राजस्थान नगरपालिक तकनीकी सेवा**.– (1) यथापूर्वोक्त के अध्यधीन, राज्य सरकार यदि वह आवश्यक समझे तो इस अधिनियम के अधीन ऐसे विशेष या तकनीकी कर्तव्यों के, जो विहित किये जायें, अनुपालन के लिए स्वास्थ्य अधिकारी, नगरपालिक–अभियंता, जो सहायक अभियंता से नीचे की पंक्ति का न हो, राजस्व अधिकारी, निर्धारक, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन अधिकारी, विधि अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी नियुक्त कर सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन नियुक्त अधिकारियों के बीच कार्य का वितरण अध्यक्ष के अनुमोदन से मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

334. **कर्मचारिवृन्द की संख्या का अवधारण**.– राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये किन्हीं साधारण या विशेष निदेशों के अध्यधीन, कोई नगरपालिका संकल्प द्वारा नगरपालिका के लिए अपेक्षित सफाई निरीक्षकों,

अन्य निरीक्षकों, और लेखाकारों तथा लिपिकवर्गीय स्थापन तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या अवधारित कर सकेगी।

335. **अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय स्थापन तथा अन्य कर्मचारीगण**– (1) धारा 330 और 331 के उपबंधों या धारा 337 के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबंधों या राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य निदेशों या अधिरोपित निर्बन्धनों या इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध के अध्यधीन रहते हुए सफाई निरीक्षक या अन्य निरीक्षक या अधीनस्थ कर्मचारी या लेखाकार या लिपिकवर्गीय स्थापन का कोई सदस्य नगरपालिका द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(2) धारा 337 के अधीन किन्हीं भी नियमों या इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध के अध्यधीन रहते हुए अन्य पदों पर नियुक्तियां, चाहे वे स्थायी हों या अस्थायी, अध्यक्ष के अनुमोदन से मुख्य नगरपालिक अधिकारी द्वारा की जायेंगी।

(3) इस धारा के अधीन नियुक्त ऐसे कर्मचारिवृन्दों को मुख्य नगरपालिक अधिकारी द्वारा, सेवा से पदच्युत या हटाये जाने के दण्ड के सिवाय दण्डित करना विधिपूर्ण होगा।

(4) उप–धारा (1) या उप–धारा (2) के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तत्समय प्रचलित नियमों के अनुसार पदच्युत किया जा सकेगा, हटाया जा सकेगा या अन्यथा दण्डित किया जा सकेगा, ऐसी पदच्युति, हटाया जाना या दण्ड, विहित समय सीमा के भीतर–भीतर निम्नलिखित को अपील के अधिकार के अध्यधीन होगा,–

(i) राज्य सरकार को, यदि आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, नगरपालिका द्वारा पारित किया गया है, और

(ii) नगरपालिका को यदि ऐसा आदेश मुख्य नगरपालिक अधिकारी द्वारा पारित किया गया है।

336. **एक नगरपालिका से दूसरी में स्थानान्तरण.**– (1) नगरपालिका के ऐसे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को, जो किसी अधीनस्थ सेवा, लिपिकवर्गीय सेवा या चतुर्थ श्रेणी सेवा का सदस्य हो, राज्य सरकार द्वारा, एक नगरपालिका की सेवा से दूसरी नगरपालिका की सेवा में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(2) नगरपालिका के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को, राज्य सरकार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण या जोधपुर विकास प्राधिकरण या राजस्थान आवासन बोर्ड या किसी भी नगर सुधार न्यास या किसी भी अन्य स्थानीय निकाय में ऐसे पद पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा, जिसका वेतनमान स्थानान्तरित किये जाने वाले अधिकारी या कर्मचारी के वेतनमान से निम्नतर न हो:

परन्तु इस प्रकार स्थानान्तरित अधिकारी या कर्मचारी का धारणाधिकार पैतृक नगरपालिका में बना रहेगा और जब कभी उस नगरपालिका में उसके संवर्ग में उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाये तो उस पर आगे की पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा।

## अध्याय 16

## नियम, विनियम और उप–विधियां

337. **राज्य सरकार की नियम बनाने तथा आदेश पारित करने की शक्ति.**– (1) राज्य सरकार सामान्यतः इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी या आदेश कर सकेगी और किसी ऐसी कार्यवाही के लिए प्ररूप विहित कर सकेगी जिसके लिए वह समझे कि प्ररूप उपबंधित किया जाना चाहिए।

(2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निम्नलिखित विषयों पर नियम बनायेगीः–

(i) इस अधिनियम द्वारा, विहित किये जाने के लिए, अभिव्यक्ततः अनुज्ञात सभी मामलों के संबंध में;

(ii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों या महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के आबंटन की रीति विहित करने के लिए;

(iii) निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण, उपांतरण, अद्यतन करने और प्रकाशन से संबंधित सभी मामलों के संबंध में;

(iv) वे विशिष्टियां, जो एक से अधिक स्थानों पर निर्वाचन से अभ्यर्थिता के प्रत्याहरण के लिए दिये गये नोटिस में अन्तर्विष्ट होंगी, विहित करने के लिए;

(v) वह रीति, जिससे निर्वाचन में मत दिये जायेंगे और वह रीति जिससे मतदान मशीनों से मत दिये जायेंगे और अभिलिखित किये जायेंगे, विहित करने के लिए;

(vi) निर्वाचन याचिका को प्रस्तुत करने, निर्वाचन याचिका का निपटारा करने में जिला न्यायाधीश द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और प्रयोग की जाने वाली शक्तियों से संबंधित सभी मामलों के संबंध में;

(vii) वह प्ररूप, जिसमें किसी सदस्य द्वारा अपना पदग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान किया जायेगा, विहित करने के लिए ;

(viii) वह रीति विहित करने के लिए जिसमें कोई न्यायिक अधिकारी किसी सदस्य के विरुद्ध आरोप की जांच करेगा और धारा 39 की उप–धारा (5) के खण्ड (क) से (ग) में विनिर्दिष्ट मामलों से भिन्न वे मामले विहित करने के लिए जिनके संबंध में न्यायिक अधिकारी को उपरोक्त आरोपों की जांच करते समय किसी सिविल न्यायालय की शक्ति होगी;

(ix) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की रीति और अध्यक्षों के पदों को आरक्षित करने की रीति विहित करने के लिए और ऐसे मासिक भत्ते और सुविधाएं, जो अध्यक्ष को नगरपालिक निधि में से अनुज्ञात की जा सकेंगी, विहित करने के लिए;

(x) धारा 48 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट से भिन्न कार्यपालक कृत्य विहित करने के लिए;

(xi) मुख्य नगरपालिक अधिकारी की शक्तियां विहित करने के लिए;

(xii) वह रीति विहित करने के लिए जिसमें किसी अध्यक्ष या किसी उपाध्यक्ष के पद का प्रभार सौंपा जायेगा;

(xiii) नगरपालिका की बैठक के कारबार के संचालन के लिए प्रक्रिया विहित करने के लिए;

(xiv) किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष से प्रश्न पूछने और नगरपालिका के प्रशासन से संसक्त मामलों पर संकल्प प्रस्तुत करने की रीति विहित करने के लिए;

(xv) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने का प्रस्ताव करने और उस पर विचार करने की रीति विहित करने के लिए;

(xvi) धारा 55 के अधीन गठित समितियों की शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों और बैठकों के संचालन की प्रक्रिया विहित करने के लिए;

(xvii) वे निर्बन्धन, सीमाएं और शर्तें विहित करने के लिए जिनके अध्यधीन रहते हुए, ऐसी शक्तियां, कर्तव्य या कार्यपालक कृत्य, जिनका नगरपालिका द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग, निर्वहन या पालन किया जायेगा, समितियों को प्रत्यायोजित किये जा सकेंगे, और किसी सदस्य को अध्यक्ष की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य को प्रत्यायोजित करने के लिए नगरपालिका की बैठक बुलाने की रीति विहित करने के लिए;

(xviii) वे निबंधन और शर्तें जिन पर और वे प्रभार या प्रीमीयम, जिनके संदाय के अध्यधीन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–ख के अधीन नगरपालिका के नियंत्रण के अधीन रखी

हुई समझी गयी भूमि नगरपालिका द्वारा आबंटित या नियमित की जा सकेगी, विहित करने के लिए;

(xix) स्थावर सम्पत्ति और भूमि के विक्रय या व्ययन को नियमित करने के लिए;

(xx) नगरपालिका सीमाओं में स्थित नगरीय भूमि के अभिलेखों को तैयार करने और उनके रख–रखाव हेतु रीति विहित करने के लिए;

(xxi) धारा 79 की उप–धारा (2) में विनिर्दिष्ट से भिन्न लेखा शीर्ष विहित करने के लिए और वह रीति और प्ररूप विहित करने के लिए जिसमें लेखा रखे जायेंगे;

(xxii) वह रीति विहित करने के लिए जिसमें नगरपालिक निधि से संदाय किये जायेंगे;

(xxiii) बजट प्राक्कलनों को तैयार करने, प्रस्तुत करने, अंगीकार करने, लेखा और तुलनपत्र इत्यादि को तैयार करने और उनके रख–रखाव से संबंधित समस्त मामलों के संबंध में, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में अधिशेष धन के अन्तरण के लिए;

(xxiv) धारा 102 के अधीन करों के अधिरोपण और उद्ग्रहण की दर, तारीख और रीति विहित करने के लिए;

(xxv) वह रीति विहित करने के लिए जिसमें नगरपालिका के दिवस–प्रतिदिवस के लेखाओं की आंतरिक संपरीक्षा की जा सकेगी;

(xxvi) वह प्ररूप, जिसमें निर्धारक की अध्यपेक्षा पर स्वामी या अधिभोगी द्वारा विवरणी दी जायेगी, विहित करने के लिए;

(xxvii) व्यतिक्रमी की संपत्ति की कुर्की और विक्रय के लिए वारण्ट का प्ररूप विहित करने के लिए और वह रीति विहित करने के लिए जिसमें कुर्क की गयी संपत्ति का विक्रय किया जा सकेगा;

(xxviii) वह रीति विहित करने के लिए जिसमें नगरपालिका को कोई उधार मंजूर करने या उसके द्वारा लिए गये उधार हेतु प्रत्याभूति देने के प्रयोजन के लिए नगरपालिका की प्रतिसंदाय क्षमता अभिनिश्चित की जायेगी;

(xxix) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्राइवेट सेक्टर सहभागिता के करारों के प्रकार विहित करने के लिए;

(xxx) नगर विकास योजना में सम्मिलित किये जाने वाले अध्याय, सामग्री और स्कीमों को विहित करने के लिए;

(xxxi) वह रीति विहित करने के लिए जिसमें महानगर योजना के लिए समिति के निर्वाचित सदस्य चुने जायेंगे;

(xxxii) वह सीमा विहित करने के लिए जहां तक किसी भी स्कीम में निःशक्त, विकलांग और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों और असहाय बुजुर्ग व्यक्तियों सहित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,

पिछड़े वर्गों और समाज के कमजोर तबके के सदस्यों के लिए आवास स्थान उपलब्ध करवाने के प्रयोजन के लिए भूमि आरक्षित की जा सकेगी;

(xxxiii) विभिन्न लोक सुविधाओं के लिए लोक और निजी मार्गों की अधोमृदा में रास्ते के विनिर्दिष्ट अधिकारों की मंजूरी नियमित करने के लिए;

(xxxiv) भूमि के उपयोग के परिवर्तन के लिए संपरिवर्तन प्रभारों की दरें विहित करने के लिए और वह रीति विहित करने के लिए जिसमें भूमि के उपयोग के परिवर्तन के संबंध में आक्षेप आमंत्रित और सुने जायेंगे;

(xxxv) वह रीति और समय विहित करने के लिए, जिसमें सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कानूनी निकाय या कंपनी या संस्था के स्वामित्वाधीन या अधिभुक्त भवनों में जल संग्रहण संरचना उपलब्ध करायी जायेगी;

(xxxvi) वे सीमाएं, निर्बन्धन और शर्तें विहित करने के लिए जिनके अध्यधीन रहते हुए, नगरपालिका खतरनाक रोगों के निवारण के संबंध में शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी;

(xxxvii) वे सीमाएं, निर्बन्धन और शर्तें विहित करने के लिए जिनके अध्यधीन रहते हुए, नगरपालिका उसको धारा 274 के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी;

(xxxviii) राज्य नगरपालिका संघ के कृत्य विहित करने के लिए;

(xxxix) जांच और निष्कर्षों के लिए अधिकरण को नगरपालिका के विरुद्ध आरोपों का विवरण भेजने की रीति विहित करने के लिए; और अधिकरण के गठन की रीति विहित करने के लिए;

(xl) ऐसे विशेष या तकनीकी कर्तव्य, जिनका राजस्थान नगरपालिक तकनीकी सेवा में नियुक्त अधिकारियों द्वारा पालन किया जायेगा, विहित करने के लिए; और

(xli) राजस्थान नगरपालिका सेवा के संबंध में सेवा के निबंधन और शर्तें विहित करने के लिए।

(3) कोई नियम, सभी नगरपालिकाओं के लिए या उन सभी नगरपालिकाओं के लिए जो इसके प्रवर्तन से अभिव्यक्त रूप से छूट प्राप्त न हों, सामान्य हो सकेगा अथवा किसी एक या अधिक नगरपालिकाओं के पूर्ण या किसी भाग के लिए विशेष हो सकेगा, जैसा राज्य सरकार निदेश दे।

(4) धाराओं 339 और 340 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, यदि नगरपालिका विहित किये गये अनुसार किन्हीं नियमों या उप–विधियों को बनाने में विफल रहती है और राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए इसे आवश्यक समझती है, तो वह धाराओं 339 और 340 में प्रगणित मामलों के लिए भी नियम और उप–विधियां बना सकेगी।

(5) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये सभी नियम और आदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को या से प्रभावी होंगे।

(6) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिवस से अन्यून की ऐसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की, समाप्ति के पूर्व राज्य विधान–मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण, उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

338. **राज्य सरकार की विनियम बनाने की शक्ति.–** (1) धारा 337 अथवा इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, मानव स्वास्थ्य के परिरक्षण, या लोक स्थानों और मार्गों में जनता की सुरक्षा अथवा सुविधा या रिक्शा खींचने–वालों की बेहतरी के प्रयोजन के लिए मार्गों और लोक स्थानों में रिक्शे चलाने, उनके खींचे जाने के उपयोग को (शनैः शनैः उसे उत्सादित करने की दृष्टि से) विनियमित अथवा प्रतिषिद्ध करने के लिए और रिक्शा खींचने वालों के काम के घण्टों को विनियमित करने के लिए विनियम द्वारा उपबंध कर सकेगी।

(2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम द्वारा–

(क) वह तारीख विहित की जा सकेगी जिसको और जिसके पश्चात् मार्गों और लोक स्थानों में रिक्शे नहीं चलाये

जायेंगे, नहीं खींचे जायेंगे अथवा उपयोग में नहीं लाये जायेंगे;

(ख) यह उपबंधित किया जा सकेगा कि रिक्शों और रिक्शा खींचने वालों को नयी अनुज्ञप्तियाँ नहीं दी जायेंगी;

(ग) रिक्शों की और रिक्शा खींचने वालों की अनुज्ञप्तियों की इस शर्त के अध्यधीन मंजूरी और नवीकरण के लिए उपबंध किया जा सकेगा कि किसी रिक्शे की अनुज्ञप्ति केवल खींचने वाले के नाम में ही मंजूर या नवीकृत की जायेगी;

(घ) किसी भी क्षेत्र में प्रचालित या निकट भविष्य में संभवतः प्रचालित होने वाले रिक्शों की या किसी अन्य वर्ग के लोक वाहनों की पर्याप्तता को, अथवा उस क्षेत्र में यातायात परिस्थितियों को देखते हुए रिक्शे खींचने वालों की सुरक्षा या सुविधा को ध्यान में रखकर उस क्षेत्र में रिक्शों की संख्या, जिसके लिए अनुज्ञप्तियां मंजूर या नवीकृत की जा सकेंगी, समय–समय पर सीमित करने के लिए किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को प्राधिकृत करने के लिए उपबंध किया जा सकेगा;

(ङ) किसी रिक्शे को चला सकने की ऐसी अधिकतम चालन–कालावधि, जिसकी समाप्ति के पश्चात् वह चलाये जाने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा, विहित की जा सकेगी;

(च) वह रीति जिससे रिक्शा अथवा रिक्शा खींचने वालों की संख्या शनैः शनैः कम की जा सके और वे सिद्धांत,

जो ऐसी कमी करने के लिए अनुसरणीय हो, विहित किये जा सकेंगे,

(छ) रिक्शों की और रिक्शा खींचने वालों की अनुज्ञप्ति की मंजूरी और उसके नवीकरण के निबंधन विहित किये जा सकेंगे;

(ज) इस धारा के अधीन मंजूर या नवीकृत की जाने वाली अनुज्ञप्तियों के लिए संदेय फीस विहित की जा सकेगी ;

(झ) रिक्शों का आकार और डिजाइन तथा अनुज्ञप्तियों की मंजूरी अथवा नवीकरण की शर्तें विहित की जा सकेंगी ;

(ञ) रिक्शे खींचने वालों के लिए अनुज्ञेय आयु–सीमाओं के प्रति विशेष निर्देश के साथ उनकी शारीरिक समर्थता का स्तर विहित किया जा सकेगा;

(ट) रिक्शे खींचने वालों द्वारा चिकित्सीय परीक्षा के लिए संदत्त की जाने वाली फीस विहित की जा सकेगी;

(ठ) वह कार्यालय अथवा प्राधिकारी, जिसको और वह मामला जिसके बारे में अपीलें हो सकेंगी, विहित किये जा सकेंगे;

(ड) रिक्शों के विसंक्रमण के लिए उपबंध किया जा सकेगा;

(ढ) रिक्शे के स्वामी अथवा रिक्शा खींचने या चलाने वाले व्यक्ति द्वारा किसी भी नियम के अतिक्रमण के लिए शास्तियाँ विहित की जा सकेंगी;

(ण) सवारियों की अधिकतम संख्या अथवा भार या दोनों को, जिन्हें रिक्शे में किसी एक बार में ले जाया जा सकेगा, विहित किया जा सकेगा;

(त) किन्हीं भी विनियमों के उल्लंघन के लिए अपराध को तथा उस मजिस्ट्रेट के वर्ग को, जिसके द्वारा विनियमों के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया जायेगा, विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा; और

(थ) किसी ऐसे रिक्शे, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है या किया जा रहा है, के अभिग्रहण सहित अनुपूरक तथा आनुषंगिक उपबंध विहित किये जा सकेंगे।

(3) इस धारा के अधीन विनियम बनाने की शक्ति, उनके पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाये जाने की शर्त के अध्यधीन है।

**स्पष्टीकरण**.– I. इस धारा के प्रयोजन के लिए, रिक्शा से साधारणतः इस नाम से जाना जाने वाला कोई साइकिल–रिक्शा, या कोई पहियेदार गाड़ी अभिप्रेत है जो किसी साइकिल में फिक्स की हुई हो या लगी हुई हो तथा जो मानव बल से चलायी या खींची जाती हो और जो सवारियों तथा माल के लिए वाहन के रूप में उपयोग में लायी जाती हो तथा इसके अन्तर्गत साईकिल रिक्शा गाड़ी आती है किन्तु निम्नलिखित इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं–

(क) कोई बच्चा गाड़ी,

(ख) किसी अशक्त व्यक्ति को ले जाने के लिए उपयोग में लायी जाने वाली पहियेदार गाड़ी, और

(ग) माल ले जाने के लिए उपयोग में लायी जाने वाली पहियेदार गाड़ियों के ऐसे वर्ग, जो विहित किये जायें।

**स्पष्टीकरण.–** II. उप–धारा (2) के खण्ड (ग) के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति ''खींचने वाला'' से, ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपनी जीविका मुख्यतः वैयक्तिक रूप से रिक्शा चलाकर उपार्जित करता हो।

(4) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त विनियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिवस से अन्यून की ऐसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की, समाप्ति के पूर्व राज्य विधान–मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं विनियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई विनियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे विनियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

**339. नगरपालिका की नियम बनाने की शक्ति.–**प्रत्येक नगरपालिका निम्नलिखित के विषय में ऐसे नियम बनायेगी जो इस अधिनियम या धारा 337 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों से असंगत न हों,–

(क) धारा 103 के अधीन करों के अधिरोपण, उद्ग्रहण, निर्धारण और संग्रहण से सम्बन्धित सभी मामलों के बारे में;

(ख) धारा 105 के अधीन फीसों और जुर्मानों के अधिरोपण, उद्ग्रहण और संग्रहण से सम्बन्धित सभी मामलों के बारे में;

(ग) सभी प्रकार के भवनों का संनिर्माण विनियमित करने के लिए;

(घ) ठोस और जैव–चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंध से संबंधित सभी मामले विहित करने के लिए;

(ङ) नगरपालिका द्वारा नियोजित अधिकारियों और कर्मचारियों के स्टाफ और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के अपने–अपने पदनामों, कर्तव्यों, वेतनों, फीसों या अन्य भत्तों को अवधारित करने के बारे में;

(च) सामान्य तौर पर नगरपालिक प्रशासन से संबंधित समस्त मामलों में उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए;

(छ) किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दी जाने वाली ऐसी प्रतिभूति, जिस प्रतिभूति की उससे अपेक्षा करना समीचीन समझा जाये, की रकम और उसका स्वरूप नियत करने के लिए;

(ज) किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को नियुक्त, स्थानान्तरित, दण्डित या पदच्युत करने के ढंग और शर्तें अवधारित करने और नियमों में पदाभिहित अधिकारियों को किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को नियुक्त, स्थानान्तरित, जुर्माना करने, अवनत करने, निलंबित या पदच्युत करने की शक्तियां प्रत्यायोजित करने के लिए;

(झ) अधिकारियों या कर्मचारियों की छुट्टी की मंजूरी को विनियमित करने और जब वे छुट्टी पर हों तो उनके स्थान पर कार्य करने के लिए नियुक्त

व्यक्ति, यदि कोई हो, को संदत्त किया जाने वाला पारिश्रमिक नियत करने के लिए; और

(ञ) ऐसी दरों पर और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो ऐसे नियम में विहित की जायें, किसी पेंशन या भविष्य निधि में, जो नगरपालिका द्वारा, या नगरपालिका के अनुमोदन से स्थापित की जाये, उक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के अभिदायों के संदाय को प्राधिकृत करने के लिए:

परन्तु कोई भी नगरपालिका जब तक राज्य सरकार की सहमति न हो, और इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार से अन्यथा, केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा से नगरपालिका की सेवा में स्थानांतरित या भागतः राज्य सरकार द्वारा और भागतः नगरपालिका द्वारा नियोजित किसी अधिकारी की सेवा को अभिमुक्त नहीं करेगी या नगरपालिका की सेवा से राज्य सरकार की सेवा में स्थानांतरित किसी भी अधिकारी की सेवा को नगरपालिका की सेवा से अंतिम रूप से अभिमुक्त नहीं करेगी।

340. **नगरपालिका की उप–विधियां बनाने की शक्ति**.–(1) प्रत्येक नगरपालिका समय–समय पर ऐसी उप–विधियां बना सकेगी जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों से असंगत नहीं हों–

(क) नगरपालिक निधि से संदायों को विनियमित करने के लिए;

(ख) धारा 104 के अधीन उपयोक्ता प्रभारों के अधिरोपण, उद्ग्रहण, निर्धारण और संग्रहण से संबंधित सभी मामले विहित करने के लिए;

(ग) भूमिगत उपयोगिताओं के नक्शों, चित्रों और विवरण को और अग्नि हाईड्रेन्ट व मल–वहन मैनहोल के

नक्शों को रखने के रूप और रीति को विहित करने के लिए;

(घ) किसी सार्वजनिक स्थान पर बूथ या किसी अन्य संरचना के अस्थायी निर्माण के लिए अनुज्ञा को विनियमित करने के लिए;

(ङ) उन शर्तों व निबन्धनों को विहित करने के लिए, जिनके अध्यधीन मार्ग, नाली, या परिसर के संनिर्माण या मरम्मत के दौरान पूर्वावधानियां रखी जायेंगी;

(च) सभी प्रकार के भवनों के निर्माण को विनियमित करने के लिए;

(छ) प्लम्बर के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति चाहने वाले व्यक्ति के लिए तकनीकी अर्हताएं और अनुभव अवधारित करने के लिए;

(ज) धारा 192 के अधीन भवन के बहिर्गत भागों को विनियमित करने के लिए;

(झ) बाजारों, वस्तुओं के विक्रय के लिए प्रयुक्त सार्वजनिक स्थानों और वधशालाओं, ऐसे पशुओं द्वारा या उनके लिए जो विक्रय के लिए हों या भाड़े पर लेने के लिए हों, या जिनके उत्पाद का विक्रय किया जाता हो, प्रयुक्त सभी स्थानों के विनियमन व निरीक्षण के लिए और उनमें कारबार के उपयुक्त एवं स्वच्छ संचालन के लिए; नगरपालिक बाजारों में फलों और सब्जियों के विक्रय को विनियमित करने के लिए या उनमें से किसी के उपयोग के लिए उद्गृहीत किये जाने वाले अन्य प्रभार, जो

नगरपालिका से संबंधित हों, को विनियमित करने के लिए;

(ञ) उन शर्तों को विहित करने के लिए जिन पर या जिनके अध्यधीन, और परिस्थितियां जिनमें और क्षेत्र या स्थान जिनके संबंध में किसी ऐसे स्थान जो नगरपालिका से संबंधित नहीं हों, के निम्न प्रकार से उपयोग के लिए अनुज्ञप्तियां मंजूर, अस्वीकार, निलम्बित या प्रत्याहृत की जा सकेंगीः–

(i) वधशालाओं के रूप में;

(ii) मानव खाद्य के लिए आशयित पशुओं के, या मांस के या मछली के विक्रय के लिए बाजार या दुकान के रूप में, अथवा फलों या सब्जियों के विक्रय के लिए बाजार के रूप में;

(iii) धारा 282 में उल्लिखित प्रयोजनों में से किसी के लिए;

(iv) डेयरी, होटल, रेस्टोरेंट, खाना गृह, कॉफी हाउस, मिठाई, मीट की दुकान, बेकरी, केम्पिंग ग्राउण्ड, सराय, धोबी घाट, आटा चक्की, सॉ–मिल, आइस केन्डी फैक्टरी, खाद्यान्न गोदाम,नगरपालिका गृह, बासों (सार्वजनिक या मान्यताप्राप्त नियंत्रण के अधीन विद्यार्थियों के होस्टल से भिन्न) के रूप में या बर्फ या वातित जल के विनिर्माण के लिए;

(v) तेल के तैयार किये जाने या विनिर्माण के लिए स्थान के रूप में;

(vi) वृहद् पैमाने पर अन्न या बंगाल अन्न सुखाने के लिए ; या

(vii) किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जिसके लिए अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना विहित किया जाये,

और उपरोक्तानुसार प्रयुक्त किसी स्थान में कारबार संचालन के निरीक्षण व विनियम के लिए उपबंध करने, ताकि उसमें स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके या उससे उत्पन्न हो रहे या संभाव्यता उत्पन्न होने वाले किसी हानिकारक, दूषक या खतरनाक प्रभाव को कम किया जा सके;

(ट) घोड़ों, ऊंटों, गधों, भेड़ों या बकरियों के अस्तबलों या आश्रय को, उनकी संख्या, और उस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले स्थानों, जिनसे जन स्वास्थ्य का खतरा निवारित करना आवश्यक हो, के संबंध में ऐसी उप–विधियों में विहित ऐसे नियमों के अनुसार से अन्यथा प्रतिषिद्ध करने;

(ठ) (i) दूध मवेशी के निरीक्षण के लिए; और डेयरीमेन या दूध विक्रेता का व्यापार करने वाले व्यक्तियों के अधिभोग में की डेयरी और केटल–शेड के संनिर्माण, आयाम, संवातन, रोशनी, सफाई, जल–निकास और जलप्रदाय को विहित व विनियमित करने;

(ii) दूध या मक्खन के लिए दूध–विक्रेताओं या मक्खन बेचने वालों द्वारा प्रयुक्त दूध भंडारों, दूध की दुकानों या पात्रों की सफाई सुनिश्चित करने के लिए;

(ड) जन्म, मृत्यु और विवाह के रजिस्ट्रीकरण, और नगरपालिका के भीतर जनगणना करने के लिए और ऐसी सूचना दिये जाने को प्रवृत्त करने के लिए जो ऐसे रजिस्ट्रेशन या जनगणना को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों;

(ढ) मृत और मृत पशुओं के कंकालों के निस्तारण को विनियमित करने और ऐसे प्रयोजन के लिए समस्त स्थानों को सुव्यवस्थित रूप में और सुरक्षित स्वच्छता की दशा में बनाये रखने के लिए, जिसमें मृत शवों के निस्तारण के लिए ऐसे स्थानों के उपयोग के हकदार समुदाय के वर्ग या समुदाय की धार्मिक रीतियों को ध्यान में रखा जायेगा;

(ण) खतरनाक रोग के किन्हीं मामलों के संबंध में सूचना दिये जाने को प्रवर्तित करने, और धारा 273 के उपबंधों को कार्यान्वित करने;

(त) नगरपालिका के निवासियों द्वारा ऐसी सूचना दिये जाने को प्रवर्तित करने, जो उसमें अधिरोपित किसी कर के प्रति उनके अपने–अपने दायित्वों को अभिनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो;

(थ) नगरपालिक सीमाओं के भीतर नहाने और धोने के सार्वजनिक स्थानों के उपयोग को विनियमित करने;

(द) स्वच्छता और परिरक्षण विनियमित करने ;

(ध) धारा 46 के खण्ड (iv) के उप–खण्ड (ग) के अधीन बेघर व्यक्तियों के लिए आशयित मकानों के संनिर्माण, उपयोग व निस्तारण के लिए शर्ते विनियमित करने;

(न) उन शर्तों को विनियमित करने, जिन पर सार्वजनिक मार्गों पर अस्थायी संरचनाओं के अस्थायी अधिभोग या उसे बनाने के लिए, या सार्वजनिक मार्गों पर बहिर्गत भागों के लिए अनुमति दी जाये;

(प) मजबूती सुनिश्चित करने और आग से निवारण तथा स्वास्थ्य के प्रयोजनों के लिए नये भवनों के स्तम्भों, दीवारों, नीवों, फर्शों, छतों व चिमनियों की संरचना और आयाम को विनियमित करने;

(फ) अनाज दुकानों या अनाज भण्डारों के लिए भवनों के निर्माण या उपयोग, भवनों के निर्माण के लिए स्थलों का उपयोग और आवासीय प्रयोजनों के लिए आशयित परिक्षेत्रों में दुकानों, बाजार स्थानों, विनिर्माण, सार्वजनिक रिसोर्ट के स्थानों के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए भवनों के निर्माण या प्रयोग को विनियमित करने;

(ब) मार्गों की व्यवस्था और उनकी अवस्थिति के लिए पर्याप्त उपबन्ध किये बिना भवनों के निर्माण को रोकने के लिए;

(भ) वायु के स्वतंत्र प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए या तो बाहरी या आन्तरिक पर्याप्त खुले स्थान के और दरवाजे और खिड़कियों और अन्य साधनों के

उपबन्ध और अनुरक्षण द्वारा भवनों के पर्याप्त संवातन को सुनिश्चित करने;

(म) किसी अन्य विशिष्ट रीति से, जिसे इस अधिनियम में विशेष रूप से उपबंधित नहीं किया गया हो, गोबर और खाद, मलकूप, फ्लश शौचालय, पाखानों, तहारतों, मूत्रालयों और प्रत्येक प्रकार के जलनिकास या मलनाली संकर्मों के लिए, चाहे वह नगरपालिका की सम्पत्ति हो या नहीं हो, नालियों, मल–नालियों, संवातन शाफ्ट, पात्रों के संनिर्माण, अनुरक्षण और नियंत्रण को विनियमित करने;

(य) धारा 194 और धारा 236 के प्रर्वतन के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निदेशों और विहित निर्बंधनों, यदि कोई हों, के अनुरूप स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए सभी प्रकार के संनिर्माण के लिए शर्त, निर्बंधन, मानक और विनिर्देश निर्धारित करने;

(यक) ऐसे स्वरूप, संरचना, भार या आकार के, या ऐसी मशीनरी या अन्य भारी या स्थूल वस्तु से लदे किन्हीं भी यानों, जिनके द्वारा सड़क मार्ग को या उस पर किसी संनिर्माण को क्षति या अन्य यानों या राहगीरों को जोखिम या बाधा कारित होने की संभावना हो, का किसी मार्ग के साथ–साथ या उस पर अभिवहन को, सिवाय ऐसी शर्तों के, जो समय, कर्षण या संचलन का ढंग, सड़क मार्गों के संरक्षण के लिए उपकरणों का उपयोग, बत्तियों और सहायकों की संख्या के बारे में और अन्य साधारण

पूर्वावधानियां जो या तो साधारणतया ऐसी उप–विधियों में विहित की जाये या प्रत्येक मामले में मंजूर की जाने वाली विशेष अनुज्ञप्तियों में, उनके लिए आवेदन के समय और फीसों के संदाय के बारे में ऐसे निबंधनों पर, जो ऐसी उप–विधियों में विहित किये जायें, प्रतिषिद्ध करने के लिए;

(यख) नगरपालिका में निहित या उसके नियंत्रणाधीन सार्वजनिक बागों, बगीचों और खुले स्थानों के, क्षति या दुरूपयोग से, संरक्षण को सुनिश्चित करने और उनके प्रबंध अथवा वह रीति, जिसमें जनता द्वारा उनका प्रयोग किया जायेगा, को विनियमित करने और उनमें व्यक्तियों के उचित व्यवहार के लिए उपबंध करने;

(यग) मार्गों में किसी भी प्रकार के यातायात को विनियमित करने या प्रतिषिद्ध करने, और उसके द्वारा कारित शोर को कम करने के लिए उपबंध करने;

(यघ) नगरपालिका की सीमाओं के भीतर भाड़े के लिए रखे गये या चलाये जाने वाले यानों या पशुओं के स्वत्वधारियों या चालकों के लिए आवश्यक अनुज्ञप्तियों को प्रदान करने, और ऐसी अनुज्ञप्तियों के लिए संदेय फीस और ऐसी शर्तें नियत करने, जिन पर उन्हें प्रदान किया जाना हो और प्रतिसंहृत किया जाये;

(यङ) उन दरों को सीमित करने, जिनकी किसी कैरिज, गाड़ी या अन्य वाहन के भाड़े के लिए, या वजन या व्यक्तियों को ले जाने के लिए किराये पर लिए गये किन्हीं पशुओं के भाड़े के लिए, मांग की गयी हो, या वजन ले जाने के लिए या ऐसे वाहन को धकेलने या ले जाने के लिए भाड़े पर लिए गये व्यक्तियों की सेवाओं के लिए मांग की गयी हो, और उन वजनों को सीमित करने, जिन्हें किसी पशु या कैरिज, कार्ट, या अन्य प्रवहण, जो नगरपालिका की सीमाओं के भीतर भाड़े के लिए चल रहे हों, द्वारा चलाया जा रहा हो;

(यच) सार्वजनिक रिसोर्ट, मनोरंजन या आमोद–प्रमोद के स्थानों के अनुज्ञापन, निरीक्षण और उचित विनियमन के लिए;

(यछ) बिलों और विज्ञापनों के स्थापन, और साईन–पोस्टों की स्थिति, आकार, आकृति और स्टाईल को विनियमित करने;

(यज) परिवहन या फेरी वस्तुओं के विक्रय के लिए नियोजित हथठेलाओं या और ऐसे हथठेलाओं का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक अनुज्ञप्तियों प्रदान करने, और ऐसी अनुज्ञप्तियों के प्रदान या प्रतिसंहरण के लिए शर्तों के विहित करने;

(यझ) नगरपालिक प्रशासन से संबंधित सभी मामलों को साधारणतः विनियमित करने के लिए;

और प्रत्येक नगरपालिका ऐसी किन्हीं उप–विधियों के अतिलंघन के लिए जुर्माना विहित कर सकेगी।

(2) प्रत्येक नगरपालिका, इस धारा के अधीन किन्हीं उप–विधियों को बनाने से पहले, ऐसे रीति से, जो उसकी राय में पर्याप्त हो, उसके द्वारा प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों की सूचना के लिए, उस तिथि, जिस पर या जिसके पश्चात् प्रारूप पर विचार किया जायेगा, को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस के साथ प्रस्तावित उप–विधियों का प्रारूप प्रकाशित करेगी और उप–विधियों को बनाने से पहले, प्रारूप के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव, जो ऐसे विनिर्दिष्ट की गयी तिथि से पहले किसी व्यक्ति द्वारा लिखित में दिया जाये, प्राप्त करेगी और उस पर विचार करेगी।

341. **नियमों और उप–विधियों का मुद्रित और विक्रय किया जाना.**– तत्समय प्रवृत नियमों और उप–विधियों को कार्यालय समय के दौरान नगरपालिक कार्यालय में लोक निरीक्षण के लिए खुला रखा जायेगा, और उनकी मुद्रित प्रतियां लागत मूल्य पर विक्रय के लिए रखी जायेंगी या नगरपालिका की वेबसाइट, यदि कोई हो, पर इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध करायी जायेंगी।

## अध्याय 17

## प्रकीर्ण

**342. कंपनियों द्वारा अपराध.**– (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के किये जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही

वह कम्पनी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उप–धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात इस अधिनियम में उपबन्धित किसी भी दण्ड के लिए ऐसे व्यक्ति को भागी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने को निवारित करने के लिए समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप–धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है तो ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने का भागी होगा।

**स्पष्टीकरण**.– इस धारा के प्रयोजन के लिए,–

(क) ''कम्पनी'' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है, और इसमें फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम सम्मिलित है, और

(ख) फर्म के संबंध में ''निदेशक'' से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

**343. कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति.–** यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, जब भी अवसर अपेक्षा करे किन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ की

तारीख से दो वर्ष पश्चात् नहीं हो, आदेश द्वारा कोई भी ऐसी बात कर सकेगी जो कि इस अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों से असंगत नहीं हो, जो कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

**344. निरसन और व्यावृत्तियां.**–(1) इस अधिनियम के प्रारंभ पर और से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 38) निरसित हो जायेगा।

(2) राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,–

(क) ऐसा निरसन, निरसित अधिनियमिति या तदधीन बनाये गये नियमों, विनियमों और उप–विधियों के अधीन पहले से की गयी या सहन की गयी किसी बात या की गयी किसी कार्रवाई की विधिमान्यता या अविधिमान्यता पर प्रभाव नहीं डालेगा; और

(ख) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं 38) के अधीन स्थापित सभी नगर निगम, परिषद्, बोर्ड या अन्य नगरपालिक प्राधिकरण, ऐसे निरसन के होने पर भी इस अधिनियम के अधीन स्थापित किये गये समझे जायेंगे और निरसित अधिनियमिति के अधीन गठित सभी नगरपालिकाएं, नामनिर्दिष्ट, नियुक्त या निर्वाचित सदस्य, बनायी गयी समितियां, परिनिश्चित सीमाएं, की गयी नियुक्तियां, बनाये गये नियम, किये गये आदेश और बनायी गयी उप–विधियां, जारी की गयी

अधिसूचनाएं और नोटिस, अधिरोपित कर, की गयी संविदाएं और संस्थित वाद और अन्य कार्यवाहियां, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंन्धों से अंसगत न हों, इस अधिनियम के अधीन क्रमशः गठित, नामनिर्दिष्ट, नियुक्त या निर्वाचित, बनायी गयी, परिनिश्चित, बनायी गयी, जारी की गयी, अधिरोपित की गयी, की गयी और संस्थित की गयी समझी जायेंगी।

## प्रथम अनूसूची

(धारा 108 का खण्ड (ख) देखिए)

...................... नगरपालिका के निवासियों को इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि नगरपालिका संलग्न नियमों में परिभाषित कर, पथकर या (यथास्थिति) उपकर अधिरोपित करना चाहती है।

प्रस्तावित कर के संबंध में आक्षेप करने वाला नगरपालिका का कोई भी निवासी इस नोटिस की तारीख से एक मास के भीतर–भीतर नगरपालिका को अपने लिखित आक्षेप भेज सकेगा।

## द्वितीय अनुसूची

(धारा 117 देखिए)

जब अन्तरण लिखत द्वारा किया गया हो तब अन्तरण के संबंध में दिये जाने वाले नोटिस का प्ररूप

प्रेषिती:

अध्यक्ष / मुख्य नगरपालिक अधिकारी

...................................... नगरपालिका

मैं क. ख, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 116 द्वारा यथा अपेक्षित, इसके द्वारा सम्पत्ति के निम्नलिखित अन्तरण का नोटिस देता हूँ:–

| | | | | सम्पत्ति का वर्णन | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नोटिस की तारीख | लिखत की तारीख | विक्रेता या समनुदेशक का नाम | क्रेता या समनुदेशिती का नाम | प्रतिफल की रकम | इसमें क्या–क्या समाविष्ट है | अवस्थिति | सम्पत्ति की संख्या / नाम | भूमि की लम्बाई–चौड़ाई | सीमाएं | यदि लिखत रजिस्ट्रीकृत की गयी है तो रजिस्ट्रीकरण की तारीख | अभ्युक्तियां |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

## तृतीय अनुसूची

(धारा 117 देखिए)

जब अन्तरण लिखत से अन्यथा किया गया हो तब अन्तरण के संबंध में दिये जाने वाले नोटिस का प्ररूप

प्रेषितीः

अध्यक्ष,

....................................... नगरपालिका

मैं क. ख, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 116 द्वारा यथा अपेक्षित, इसके द्वारा सम्पत्ति के निम्नलिखित अन्तरण का नोटिस देता हूँः–

| नोटिस की तारीख | नगरपालिका के रजिस्टरों में सम्पत्ति इस समय किसके नाम से दर्ज है। | वह किसके नाम में अन्तरित की जानी है | सम्पत्ति का वर्णन | | | | सीमाएं | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | उसमें क्या–क्या समाविष्ट है | अवस्थिति | सम्पत्ति की संख्या/नाम | भूमि की लम्बाई–चौड़ाई | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

## चतुर्थ अनुसूची

(धारा 130 देखिए)

## मांग के नोटिस का प्ररूप

प्रेषितीः

क. ख ; निवासी ....................................

नोटिस दिया जाता है कि ..................नगरपालिका दिनांक......................... को प्रारम्भ होने वाली और ........................ को समाप्त होने वाली........... कालावधि के लिए .................................................................. के कारण (यहां सम्पत्ति या अन्य विषय जिसके संबंध में कर उद्ग्रहणीय है, का वर्णन दीजिए) ..............................से शोध्य राशि ..................... रु. जो नियम संख्यांक ..................... के अधीन उद्ग्रहणीय है, की .......................... से मांग करती है और यदि इस नोटिस की तामील से पंद्रह दिवस के भीतर उक्त राशि नगरपालिका कार्यालय ................................. में संदत्त न कर दी जाये या नगरपालिका के समाधानप्रदरूप में, असंदाय के लिए पर्याप्त कारण नहीं बतलाया जाये तो खर्च सहित उसकी वसूली के लिए संपत्ति की कुर्की का वारण्ट जारी किया जायेगा।

तारीख................200..................

हस्ताक्षरित

........नगरपालिका के आदेश से

## पंचम् अनुसूची

(धारा 131 की उप–धारा (1) देखिए)

### वारण्ट का प्ररूप

(यहां उस अधिकारी का नाम, जिस पर वारण्ट के निष्पादन का प्रभार है, दर्ज कीजिए)

यतः क. ख., निवासी...................................ने.......................को प्रारम्भ होने वाली और.......................200...........को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए पार्श्व में उल्लिखित और नियम संख्यांक.............. ......के अधीन उद्ग्रहणीय .............कर के लिए देय .............रकम का संदाय नहीं किया है और असंदाय के लिए कोई संतोषप्रद कारण भी नहीं बताया है और यतः उसकी मांग का नोटिस उस पर तामील होने के पश्चात् पन्द्रह दिवस बीत गये हैं ;

अतः आपको समादिष्ट किया जाता है कि आप राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 131, 132 और 133 के उपबंधों के अध्यधीन ............... रकम जो उससे शोध्य है, की पूर्ति के लिए उक्त क. ख. की संपत्ति निम्नानुसार कुर्क कर ले

| | | रु. | पैसे |
|---|---|---|---|
| उक्त कर के मद्धे........................................... | ......... | .......... | ......... |
| नोटिस की तामील के लिए.......................... | .......... | .......... | ........ |

और आपके द्वारा इसके अधीन कुर्क की गयी संपंत्ति की सभी विशिष्टियां वारण्ट सहित मेरे पास तुरन्त प्रमाणित रूप में प्रेषित करें।

तारीख......................200......

(हस्ताक्षरित)
मुख्य नगरपालिक अधिकारी

## षष्ठम् अनुसूची

(धारा 133 की उप–धारा (4) देखिए)

## तालिका और नोटिस का प्ररूप

प्रेषितीः

क. ख.,........................................निवासी............................ को नोटिस दिया जाता है कि मैंने आज, ..................................200.................. को प्रारम्भ होने वाली और....................... 200........................ को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए पार्श्व में वर्णित....................... कर के लिए शोध्य................. .............मूल्य साथ में मांग–नोटिस की तामील के लिए देय .......................... ....रु. के लिए इसके नीचे तालिका में विनिर्दिष्ट संपत्ति कुर्क कर ली है यदि इस नोटिस की तामील की तारीख से पांच दिवस के भीतर आप वसूली के खर्चे सहित उक्त रकम नगरपालिका कार्यालय............................ में संदत्त नहीं करते हैं तो उक्त संपत्ति बेच दी जायेगी

वारण्ट का निष्पादन करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख............... 200 .................

## तालिका

(यहां कुर्क की गयी सम्पत्ति की विशिष्टियों का कथन करें)

एस.एस. कोठारी,
**प्रमुख शासन सचिव।**

## LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

## (GROUP-II)

## NOTIFICATION

**Jaipur, September 11, 2009**

**No. F. 2 (21) Vidhi/2/2009.-** In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Nagarpalika Adhiniyam, 2009 (2009 Ka Adhiniyam Sankhyank 18):-